लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 9.1.84
Parliament Library

[खंड 9 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. IX contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 2, मंगलवार, 14 नवम्बर, 1967/23 कार्तिक, 1889 (शक)

No. 2, Tuesday, November 14, 1967/Kartika 23. 1889 (Saka)

*संख्या S. Q. NOS.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
31.	पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Journalists	13—16
32.	संचार प्रणाली का अन्तरिक्ष युग	Space Age in Communications	16—17
34.	गेहूँ की बोरियों का खराब हो जाना	Damage to Wheat Bags	17—20
35.	खाद्यानों का राजकीय व्यापार	State Trading in Foodgrains	20—22
36.	पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी	Refugees from East Pakistan	22—27
37.	आयातित गेहूँ की आवश्यकता	Requirement of Imported Foodgrains	27—29
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
	ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
1.	शक्तिशाली ट्रांसमिटर	High power Transmitters	29
2.	आकाशवाणी के लिये निगम	Corporation for A. I. R.	30
3.	परमाणु अस्त्रों के प्रसार को रोकने सम्बन्धी सन्धि	Nuclear Non-Proliferation Treaty	30—31
4.	नाथूला और चोला पर चीन का आक्रमण	Chinese Attacks on Nathu La and Cho La	31—32
5.	पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दू और बौद्ध	Hindus and Buddhists in East Pakistan	32—33
6.	इमरजेंसी कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारियों को सेवामुक्त किया जाना	Release of Emergency Commissioned Officers.	33—34

* किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
7.	हिन्द महासागर में सैनिक अड्डे	Military Bases in Indian Ocean	34—35
8.	पाकिस्तान से निकाले गये भारतीय राजनयिक	Indian Diplomats Expelled from Pakistan	35
9.	वार्षिक योजनाएं	Annual Plans	35—36
10.	जल प्रांगण की सीमा	Limit of Territorial Waters	36
11.	अदन में हताहत भारतीय	Indians Killed and Injured in Aden	36—37
12.	संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत का मामला	Tibet Issue in UNO	37
13.	चौथी पंचवर्षीय योजना	Fourth Five Year Plan	37—38
14.	नागालैंड में युद्ध विराम	Cease Fire in Nagaland	38
15.	अमरीकी परमाणु शक्ति अधिकारियों के साथ भारतीय परमाणु शक्ति आयोग के अध्यक्ष की बातचीत	Meeting of Chairman, A. E. C. with US Atomic Energy Officials	38—39
16.	वियतनाम संघर्ष का हल	Settlement of Vietnam Conflict	39
17.	नौसेना के जहाजों का निर्माण	Construction of Naval Ships	39—40
18.	डा० धर्म तेजा	Dr. Dharma Teja	40—41
19.	भारत के लिये माइलो अनाज लाने वाले आबजर्वर नामक जहाज	Observer ship carrying Milo for India	41
20.	भारत तिब्बत सीमा पर चीनी सेनाओं का जमाव	Concentration of Chinese Army on the Indo Tibetan Border	41—42
21.	आसाम सीमा पर पाकिस्तानी सेना का तैनात किया जाना	Deployment of Pak. Army on Assam Border	42
22.	वायु सीमा का अतिक्रमण	Air Space Violation	42—43
23.	पाकिस्तान और चीन से खतरा	Danger from Pakistan and China	43
24.	मंत्रियों के सार्वजनिक भाषण	Speeches made by Ministers in Public	43
25.	सितम्बर, 1967 में उप प्रधान मंत्री की ब्रिटेन की यात्रा	Deputy Prime Minister's visitt o U. K. in September, 1967	43—44
26.	दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन	Associations of S. E. Asian Nations	44
27.	चीन द्वारा पाकिस्तान को सहायता	Chinese aid to Pakistan	44

ता० प्र० संख्या S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
28.	पंजाब के लिये परमाणु बिजली घर संयंत्र	Atomic Power Plant for Punjab	45
29.	नाइजीरिया में भारतीय लोग	Indians in Nigeria	45
30.	राज्यों के मंत्रियों के बारे में समाचार	News about State Ministers	46
33.	खाद्य पदार्थों का नियंत्रण	Control of Food Articles	46—47
38.	चीनी सम्बन्धी नीति	Sugar Policy	47
39.	खाद्यान्न का रक्षित भन्डार	Buffer Stock of Foodgrains	47
41.	विधि मंत्रियों का सम्मेलन	Law Ministers' Conference	47—48
42.	मोटे अनाज की खेती	Coarse Grain Cultivation	48
43.	चुनाव सम्बन्धी मामले	Election Cases	48
44.	बन्ध और घेराव का परिणाम	Impact of Bandhs and Gheraos	48—49
45.	चावल का मूल्य निर्धारित करना	Fixation of Rice Price	49—50
46.	चीन तथा पाकिस्तान को खाद्यान्न की तस्करी	Smuggling of Foodgrains to China and Pakistan	50
47.	दिल्ली दुग्ध योजना के उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि	Rise in Prices of D.M.S. Products	50—51
48.	औद्योगिक मजदूरों के लिये परिवार पेंशन	Family pension to Industrial Workers	51
49.	दल बदलने की समस्या के समाधान के लिये निर्वाचन विधि में संशोधन	Amendment of Election Law to solve defection problem	51—52
50.	घेराव तथा बन्ध	Gheraos and Bandhs	52
51.	पाकिस्तान के साथ दूर संचार सम्पर्क	Telecommunication links with Pakistan	52—53
52.	खरीफ की फसल के अनाजों के समाहार मूल्य	Procurement Price of Kharif cereals	53
53.	बेरोजगारी बीमा योजना	Unemployment Insurance Scheme	54
54.	न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड	Central Advisory Board under Minimum Wages Act	54—55
55.	शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण	Training for Educated Unemployed	55
56.	नया नारा वसूली करो या मरो	New Slogan Procure or Perish	55—56

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
57.	एस्सो स्टैंडर्ड ईस्टर्न में छंटनी	Retrenchment in Esso standard Eastern	56
58.	कृषि ऋण निगम	Agricultural Credit Corporation	56
59.	चीनी का उत्पादन और खपत	Production and consumption of sugar	56—57
60.	सरकारी उपक्रमों में ठेका पद्धति	Contract System in Public Undertakings	57
1.	विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों/मिशनों पर व्यय	Expenditure on Indian Missions/Embassies Abroad	57—58
2.	पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं का सामूहिक निष्क्रमण	Exodus of Hindus from East Pakistan	58
3.	कूच बिहार और रंगापुर के उपायुक्तों की बैठक	Meeting between Dy. Commissioners of Cooch Behar & Rungpur	58—59
4.	अरब देशों में पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार	Pak Propaganda against India in Arab Countries	59
5.	चलचित्र वित्त निगम	Film Finance Corporation	59—60
6.	भारतीय चलचित्र संस्थान	Film Institute of India	60—61
7.	घग्घर नदी का बाढ़ का पानी	Flood Waters of River Ghaggar	61
8.	स्टाफ आर्टिस्टों की पदोन्नति	Promotion of Staff Artists	61—62
9.	आकाशवाणी में संगीत के निर्माता तथा सलाहकार	Producers and Advisers (Music) in A.I.R.	62
10.	जम्मू और काश्मीर में प्रतिरक्षा सम्बन्धी कार्य के लिये भूमि का अर्जन	Acquisition of land for Defence purposes in Jammu and Kashmir	62—63
11.	सरकार द्वारा अर्जित अफगान राष्ट्रजनों की सम्पत्ति	Properties of Afghan Nationals acquired by Government	63
13.	पश्चिम एशिया में संघर्ष	Hostility in West Asia	63—64
14.	वाणिज्यिक प्रसारण	Commercial Broadcasting	46—65
15.	नागाओं के साथ बातचीत	Talks with Nagas	65
16.	उड़ी क्षेत्र में पाकिस्तानी हमला	Pak Attack in the Uri Sector	66
17.	लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग को सूचना सेवा	Information Service of Indian High Commission in London	66
18.	कुवैत में औद्योगिक उद्यम	Industrial ventures in Kuwait	67
19.	मांडले जेल में स्मारक कक्ष	Memorial Hall in Mandalay Jail	67
20.	भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सैनिक	Ex. I. N. A. Personnel	67—68

अता० प्र० संख्या U.Q.Nos. विषय	Subjelt	पृष्ठ Pages
21. चौथी पंचवर्षीय योजना	Fourth Five Year Plan	68
22. नागाओं के लिये चीन और पाकिस्तान से हथियार	Arms from China and Pakistan for Nagas	68—69
23. सैनिक कर्मचारियों को पेंशन	Pension to Army Personnel	69—70
24. पंचवर्षीय योजना की अवधि	Duration of Five Year Plan	70
25. भारतीय नौसेना के लिये पन-डुब्बी विभाग	Submarine Wing for Indian Navy	70
26. भारतीय नौसेना के पास विध्वंसक जहाज	Destroyers with Indian Navy	70—71
27. यूगोस्लाविया के साथ चलचित्रों का आदान-प्रदान	Exchange of Films with Yugoslavia	71
28. नागालैंड सचिवालय में आग लगने की घटना	Fire in Nagaland Secretariat	71
29. भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड में निर्मित बल्ब	Valves Manufactured at B.E.L.	71
30. देशी टेलीविजन सेटों का निर्माण	Manufacture of Indigenous T. V. Sets	72
31. लेफ्टीनेंट जनरल कौल द्वारा लिखित अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक	The Untold Story by Lt. Gen. Kaul	72
32. दिल्ली में जवानों का स्मारक	Memorial for Jawans in Delhi	72—73
33. आकाशवाणी से राजनैतिक प्रसारणों संबंधी संहिता	Code for Political Broadcast from A.I.R.	73
34. मास्को रेडियो से प्रसारण	Broadcasts from Radio Moscow	73—74
35. दक्षिण में हिन्दी चलचित्रों का प्रदर्शन	Exhibition of Hindi Films in South	74
37. इसराइल सेना द्वारा भारतीय जहाज का नष्ट किया जाना	Indian Ship Destroyed by Israeili Forces	74
38. कारगिल में पाकिस्तान की तैयारियाँ	Pak. Preparations in Kargil	74—75
39. भारत चीन सम्बन्धों के बारे में श्री के० पी० एस० मेनन का लेख	Article by K. P. S. Menon on Sino-Indian Relations	75
40. कोरापुट के मिग विमान कारखाने के कर्मचारी	Employees of the M.I.G. Factory, Koraput	75—76

अंता० प्र० संख्या।

U.Q. Nos.

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
41. अधिकारी स्तर पर भारत और चीन के बीच बातचीत	Sino Indian Talks at Officers Level	76
42. भू-परिवेष्टित देशों के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिसमय	UN Convention on Land Locked Countries	76
43. भारतीय विदेश सेवा के सम्बन्ध में पिल्ले समिति का प्रतिवेदन	Pillai Committee's Report on Indian Foreign Service	77
44. रोडेशिया	Rhodesia	77
45. पश्चिम जर्मनी द्वारा पाकिस्तान को अमेरिका में बने टैंकों की सप्लाई	Supply of US made Tanks by West Germany to Pakistan	78
46. सुरक्षा परिषद की गुप्त बैठक	Closed door Meetings of Security Council	78
47. तिब्बत में भारतीय सम्पत्ति के बारे में चीन के साथ बातचीत	Talks with China about Indian Property in Tibet	78—79
48. चीन के साथ बातचीत	Talks with China	79
49. फ्रांस द्वारा पाकिस्तान को पनडुब्बियों और लड़ाकू विमानों की सप्लाई	Supply of Submarines and Bombers by France to Pakistan	79
50. भारतीय वायु सेना के कर्मचारियों के लिये चिकित्सा की सुविधायें	Medical care for IAF Personnel	79—80
51. शत्रु के विमानों द्वारा वायु सीमा का अतिक्रमण	Air Intrusion by Enemy Planes	80
52. भारतीय राज्यक्षेत्र में चीनियों की घुसपैठ	Chines Intrusion into Indian Territory	80
53. कच्छ न्यायाधिकरण	Kutch Tribunal	80—81
54. टेलिविजन सेटों का निर्माण	Manufacture of T. V. Sets	81
55. गैर-सरकारी क्षेत्र में आयुध कारखाना	Ordnance Factory in Private Sector	81—82
56. परिवहन सम्बन्धी समस्यायें	Transport Problem	82
57. पाकिस्तान द्वारा अपहृत भारतीयों का लौटाया जाना	Return of Indians kidnapped by Pakistan	82—83
58. चलचित्रों को सेंसर प्रणाली	Censership of Films	83
59. भारतीय चलचित्रों का निर्यात	Export of Indian Films	83

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
60.	जल प्रांगण की सीमाओं के बारे में लंका के साथ बातचीत	Negotiations with Ceylon about limits of Continental Shelf	83—84
61.	राज्यों में योजना बोर्ड	Planning Boards in States	84
63.	कलकत्ता स्थित पाकिस्तानी उप-उच्चायुक्त की सहायता से पाकिस्तानी नागरिकों का सीमा पार करना	Crossing of border by Pakistani nationals with Pak. Deputy High Commissioner in Calcutta	85
64.	पाकिस्तान की जेलों में भारतीय प्रत्यावर्तक	Indian repatriates in Pakistani Jails	85—86
65.	पूर्वी पाकिस्तान में चीनी विशेषज्ञ	Chinese experts in East Pakistan	86
66.	बाल चलचित्र संस्था	Children's Film Society	86
67.	दाहाग्राम क्षेत्र के बारे में भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की बैठक	Indo Pak. Meeting about Dahagram Enclav	86—87
68.	पाकिस्तान को रूस द्वारा हैलीकाप्टरों की सप्लाई	Supply of Helicopters by USSR to Pakistan	87
69.	भारी पानी संयंत्र	Heavy Water Plant	87—88
70.	प्रतिरक्षा संबंधी सामान बनाने के लिये छत्तीसगढ़ संभाग (डिवीजन) में एक केन्द्र की स्थापना	Setting up a Centre in Chatisgarh Division for Manufacture of Defence Material	88
71.	प्रतिरक्षा तथा सेना सम्बन्धी अध्ययन	Defence and Military Studies	88
72.	शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिये परमाणु बिजली	Nuclear Power for Peaceful Uses	88—89
73.	पाकिस्तान का प्रतिरक्षा दिवस	Pak. Defence Day	89
74.	वायु भवन (नई दिल्ली) में आग लगने की घटना	Fire in Air Headquarters Building New Delhi	90
75.	पूर्वी पाकिस्तान में खुल्ना के निकट पाकिस्तानी हवाई अड्डा	Pak. Air-base near Khulna in East Pakistan	90
77.	आकाशवाणी के आर्टिस्टों की सेवा की शर्तें	Service conditions for A.I.R. Artists	90
78.	सर्वे आफ इंडिया सैल	Survey of Indian Cell	90—91
79.	उड़ी क्षेत्र में पाकिस्तानी आक्रमण	Pak. attack in Uri Sector	91

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
80.	काश्मीर के बारे में पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब की टिप्पणी	President Ayub's remarks about Kashmir	92
81.	विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Indian Missions Abroad	92—93
82.	पेकिंग स्थित भारतीय दूतावास	Indian Embassy at Peking	93
83.	जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ राजनयिक सम्बन्ध	Diplomatic Relations with GDR	93
84.	यूनिसन-1967	Unison 1967	94
86.	अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव	Proposals made by Planning Commission to gear up Economy	94
87.	योजना आयोग	Planning Commission	94—95
88.	समाचारपत्रों का एकाधिकार	Monopoly of Newspapers	95
89.	पेकिंग में राजनयिकों के साथ चीनियों का व्यवहार	Chinese Behaviour Towards Diplomats in Peking	95
90.	दलाई लामा	Dalai Lama	96
91.	चीनी दूतावास द्वारा आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह	National Day Celebrations by Chinese Embassy	96
93.	राजस्थान सीमा	Rajasthan Border	96—97
94.	पुर्तगाल की जेल से श्री मोहन रानाडे की रिहाई का प्रश्न	Release of Shri Mohan Rana De from Portuguese Jail	97
96.	उत्तर प्रदेश के लिये ट्रांसमिटर	Transmitters for UP	98
97.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पुनर्गठन	Reorganisation of I & B Ministry	98
98.	लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग	Indian High Commission, London	98
99.	पाकिस्तान के राष्ट्रपति की रूस की यात्रा के बाद जारी की गई संयुक्त विज्ञाप्ति	Joint Communique issued after Pak. President's Visit to USSR	98—99
100.	पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर को चीन से मिलाने वाली सड़क का निर्माण	Construction of a Road Linking Pak. Occupied Kashmir with China	99
101.	हिन्दी एवं अहिन्दी भाषी लोगों के पारस्परिक संबंध सुदृढ़ करने वाला चलचित्र	Film on Strengthening of mutual relations between Hindu and Non-Hindu People	99

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
102.	छिपे हुए नागाओं की भारत विरोधी गतिविधियाँ	Anti Indian Activities of Under ground Nagas	99—100
103.	अखबारी कागज की कमी	Scarcity of Newsprint	100
104.	आकाशवाणी में प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव	Programme Executives in A.I.R.	100
105.	मद्रास परमाणु शक्ति केन्द्र	Madras Atomic Station	101
106.	वियतनाम के बारे में पाँच देशों के बीच बातचीत	Five Power Discussion on Vietnam	101
107.	नागालैंड-बर्मा सीमा पर चीनी कुली और खच्चर वाहक	Chinese porters and mule drivers in Nagaland Burma border	101—102
109.	भारत और बर्मा के बीच की सीमा का रेखांकन	Demarcation of India Burma Boundary	102
111.	विकलांग सैनिकों को रोजगार दिलाना	Rehabilitation of Disabled Military Personnel	102—103
112.	कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की माँगें	Demands of Employees of Canteen Stores Department	103
113.	जख्मी जवानों को वेतन का भुगतान	Payment of Salary to wounded Jawans	104
114.	सशस्त्र सेना मुख्यालय (नई दिल्ली) के कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Employees of Armed Forces Headquarters, New Delhi	104
115.	सैनिकों को मँहगाई भत्ता देना	Payment of Dearness Allowance to Army Personnel	105
116.	बम्बई इंजीनियरिंग ग्रुप ऐंड सेंटर, किरकी, पूना	Bombay Engineering Group and Centre, Kirkee, Poona	105—106
117.	प्रेस सूचना विभाग के अधिकारियों द्वारा पत्रकारों का मनोरंजन	Entertainment of Journalists by P.I.B. Officers	106—107
118.	जूनियर कमीशंड अफसरों का राष्ट्रीय छात्र सेना दल में प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में काम करना	J. C. Os. as Administrative Officers in N.C.C.	107
119.	भूतपूर्व सैनिक कल्याण परिषद वेल्लोर	Ex-Services Welfare Council, Vellore	108

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
120.	सैनिकों की परिवार पेंशन	Family Pension of Army Personnel	108
121.	चलचित्रों पर विदेशी मुद्रा का व्यय	Foreign Exchange on Films	109
122.	रेडियो काश्मीर	Radio Kashmir	109
123.	भारत सरकार द्वारा प्रकाशित समाचारपत्र तथा पत्रिकायें	Newspapers and Magazines published by Government of India	110
124.	कर्मचारियों को दूसरा विवाह करने की अनुमति	Permission to Employees for Second Marriage	111
125.	पीकिंग में भारतीय	Indians in Peking	111
126.	वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उच्च पदों पर नियुक्त राजे महाराजे	Princes appointed in High position in External Affairs Ministry	111—112
127.	मैसूर राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों का सैनिक स्कूलों में प्रवेश	Admission of S.C. & S. T. students in Sainik Schools in Mysore State	112
129.	गुजरात में आयुध कारखाना	Ordnance Factory in Gujarat	112
130.	दरभंगा में आकाशवाणी केन्द्र	Radio Station at Darbhanga	112—113
131.	छावनी बोर्डों के लिये चुनाव	Election to the Cantonment Boards	113
132.	महाराजा दलीप सिंह की अस्थियाँ	Mortal remains of Maharaja Dalip Singh	114
133.	भारत में अरब लोगों के लिये राजनयिक दर्जा	Diplomatic Status for Arab League in India	114
134.	भारत लंका करार, 1964	Indo-Ceylon Agreement of 1964	114—115
135.	चीन के परमाणु आक्रमण से बचाव	Protection against Nuclear Attack from China	115
136.	राष्ट्रपति अयूब खां द्वारा प्रकाशित पुस्तक	Book published by President Ayub Khan	115—116
137.	विमान उद्योग	Aircraft Industry	116
138.	फ्रांस द्वारा ईरान को हथियारों का बेचा जाना	Sale of Arms by France to Iran	116
139.	उपग्रह से टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण	T. V. from Satellite	117

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
140.	शंघाई में चीनियों द्वारा गुरुद्वारों का अपने अधिकार में लिया जाना	Gurudwaras in Shanghai taken over by Chinese	117
141.	विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के कर्मचारियों का प्रशिक्षण	Training of Staff of Indian Missions abroad	117—118
142.	केन्द्रीय सूचना सेवा	Central Information Service	118
143.	सैनिक सरकारी आवास समितियों के लिये भूमि का नियतन	Allotment of Land to Sainik Co-operative Housing Societies	118—119
145.	इमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारी	Emergency Commissioned Officers	119
147.	राष्ट्रीय छात्र सेना दल के कैडटों के लिये जलपान की व्यवस्था	Refreshment for NCC Cadets	119
148.	मध्य प्रदेश में भूमि का अर्जन	Acquisition of land in Madhya Pradesh	120
149.	इमरजेंसी कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारी	Emergency Commissioned Officers	120—121
151.	भारतीय वायु सेना के विमान का दमिश्क में विवश होकर उतरना	Forced Landing of IAF Plane at Damascus	121
152.	चिटगांव पहाड़ी क्षेत्र तथा गारो क्षेत्र का भारतीय राज्य क्षेत्रों में शामिल किया जाना	Inclusion of Chittagong Hill Tract and Garo belt into Indian territory	121
153.	आकाशवाणी में ड्राफ्टसमैन	Draftsmen in All India Radio	122
154.	आकाशवाणी की विभागीय समिति	Internal Committee of A. I. R.	122
155.	आकाशवाणी में काम करने वाले मेकेनिक	Mechanics in All India Radio	122
156.	इलेक्ट्रानिक समिति	Electronic Committee	122—123
157.	रूसी अन्तरिक्षयान का भारत में उतरना	Landing of Soviet Spacecraft in India	123—124
158.	लन्दन में एक नये उच्चायुक्त की नियुक्ति	Appointment of a new High Commissioner in London	124

अता० प्र० संख्या U, Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
159.	तुलीहाल हवाई अड्डा, मनीपुर	Tulihal Airport, Manipur	124
160.	न्यूनतम मजूरी अधिनियम और दुकान तथा संस्थान अधिनियम का छावनी क्षेत्रों में लागू होना	Application of Minimum Wages Act and Shops and Establishments Act in Cantonment areas	124—125
161.	उद्योगों में जबरी छुट्टी	Lay Off in Industries	125
162.	भारतीय खाद्य निगम के प्रधान कार्यालय का स्थानान्तरण	Shifting of F. C. I. Headquarters	126
163.	ट्रैक्टरों की अनुपलब्धता	Non-availability of Tractors	126—127
164.	वनस्पति का उत्पादन और निर्यात	Manufacture and Export of Vanaspati	127
165.	वनस्पति में रंग मिलाना	Colourisation of Vanaspati	128
166.	खाद्यान्नों का समाहार	Procurement of Foodgrains	128
167.	केयर दूध का पकड़ा जाना	Seizure of 'CARE' Milk	128
168.	मध्य प्रदेश की कोयला खानों की भविष्य निधि अंशदान की बकाया राशि	Provident Fund Contributions Outstanding against Collieries in M.P.	128—129
169.	बिहार में चीनी का मूल्य	Sugar Price in Bihar	129
170.	बिहार सरकार द्वारा अधिगृहीत बीज	Seeds requisitioned by Bihar Government	129—130
171.	हैदराबाद में सुपर बाजार	Super Bazar in Hyderabad	130
172.	डाक और तार विभाग में उपस्थिति रजिस्टर	Attendance Register in P & T	130—131
174.	केन्द्रीय राजकीय फार्म	Central State Farm	131
175.	घास से प्रोटीन	Protein from Grass	131
176	शेर टायगर की खाल की माँग	Demand for Tiger Skin	132
177.	उद्यान विज्ञान की संस्था	Institute of Horticulture	132
178.	कृषि विश्वविद्यालय	Agricultural Universities	132 –133
179.	मेरठ छावनी में शरणार्थी	Refugees in Meerut Cantonment	133
180.	केरल को चावल की सप्लाई	Rice Supply to Kerala	134
181.	पशुओं के चारे के रूप में चावल की बिक्री	Sale of Rice as Cattle Feed	134

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
182.	भविष्य निधि की राशि का गबन	Misappropriation of Provident Fund	134—135
183.	काकिनाडा और कांडला बन्दरगाहों पर खाद्यान्नों का लादना तथा उतारना	Loading and Unloading of Foodgrains at Kakinada and Kandla Ports	135
184.	चीनी पर शुल्क लगाने के लिये आधार वर्ष	Base Year for Sugar Levy	136
186.	सूरतगढ़ स्टेट फार्म के कर्मचारी	Suratgarh State Farm Employees	136
187.	निगमति खेती	Corporate Farming	136—137
188.	खाद्यान्नों का दिल्ली से बाहर ले जाया जाना	Movement of Foodgrains out of Delhi	137
189.	खाद्यान्नों का चोरी छिपे लाना ले जाना	Smuggling in Foodgrains	137—138
190.	किसानों के लिए ट्रैक्टर सेवा	Tractor Services for Farmers	138
191.	विभिन्न उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Boards for various Industries	138
192.	पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य	Rehabilitation work in West Bengal	139
193.	दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के औषधालय	ESI Dispensaries in Delhi	139—140
194.	आयातित खाद्यान्न के बारे में राज सहायता	Subsidy on Imported Foodgrains	140
195.	मजूरी बोर्डों की कार्यप्रणाली	Working of Wage Boards	140
196.	संविधान का हिन्दी संस्करण	Hindi Versions of Constitution	141
197.	मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी में छंटनी	Retrenchment in M/s Bird & Co.	141
198.	दिल्ली में टेलीफोनों की मांग	Demand of Telephones in Delhi	141
199.	सचेतक सम्मेलन, शिमला	Whips' Conference, Simla	141—142
200.	खाद्य उत्पादन संसाधनों सम्बन्धी खाद्य तथा कृषि संगठन का कार्यक्रम	F. A. O. Programme for Food Production Resources	142
201.	सूरतगढ़ स्थित सरकारी फार्म	Suratgarh State Farm	142—143

अता० प्र० संख्या U.Q, Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
202.	अखिल भारतीय खाद्यान्न संस्था का ज्ञापन पत्र	All India Foodgrains Dealers Association Memorandum	143
203.	नई दिल्ली नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by N. D. M.C. Employees	144
204.	दिल्ली में देशी गेहूँ का दिया जाना	Supply of Indigenous Wheat in Delhi	144
205.	सहकारी बैंक	Co-operative Banks	145
206.	जापान के साथ कृषि सम्बन्धी सहयोग	Agricultural Cooperation with Japan	145
207.	चेकोस्लोवाकिया से ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors from Czechoslovakia	145
208.	हरियाना में कृषि विश्वविद्यालय	Agricultural University in Haryana	146
209.	केरल को चावल की सप्लाई	Supply of Rice to Kerala	146
210.	गन्ने का मूल्य	Price of Sugarcane	146—147
211.	चीनी का उत्पादन	Sugar Production	147
212.	हिन्दी टेलीप्रिंटर	Hindi Teleprinter	147
213.	दिल्ली में राशन की दूकानों द्वारा सड़े आटा का बेंचा जाना	Rotten Flour supplied by Ration Shops in Delhi	147—148
214.	उत्तर प्रदेश को दिया गया आटा	Atta supplies to U. P.	148
215.	खरीफ फसल के प्राक्कलन	Kharif crop Estimates	148—149
216.	कमी वाले राज्यों के लिये अनाज	Foodgrains for Deficit States	149
217.	बाढ़ तथा भयंकर तूफान के कारण कुछ जिलों में अनाज की क्षति	Damage to Foodgrains in some District due to Floods and Cyclone	149—150
218.	टेलीफोन पर हिन्दी अनुवाद सेवा	Hindi Translation service on Telephone	150
219.	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा मानकीकृत दूध की बिक्री	Sale of Standardised Milk by DMS	150—151
220.	इंजीनियरी स्नातकों में बेरोजगारी	Unemployment among Engineering Graduates	151—152
221.	दिल्ली में दालों के मूल्य	Price of Pulses in Delhi	152

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
222.	दिल्ली टेलीफोन डाइरेक्टरी में टेलीफोन के गलत नम्बर	Wrong Telephone Numbers in Delhi Telephone Directory	152—153
223.	रायपुर में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज	Automatic Telephone Exchange in Raipur	153
224.	मध्य प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति	Educated Unemployed in M. P.	153
225.	समुद्र तट पर काम करने वाले श्रमिकों की शिकायतें	Grievances of Shore Labour	153—154
226.	पश्चिम बंगाल में पुनर्वास सम्बन्धी काम का पुनरीक्षण	Review of Rehabilitation work in West Bengal	154
227.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा 'रोजेज इन इण्डिया' नामक पुस्तक का प्रकाशन	'Roses in India' published by ICAR	154—155
228.	अनाज की खेती	Cultivation of Food Crops	155
229.	गिर जंगल में शेर	Lions in Gir Forest	155
230.	मछली पकड़ने के लिये उपयोग में लाई जाने वाली नावों के लिये इंजिन	Engines for Fishing Boats	155—156
231.	गुजरात में मछली उद्योग का विकास	Development of Fisheries in Gujarat	156
232.	बंटाई उपखण्ड (पश्चिम बंगाल) में खाद्यान्न की कमी	Food Shortage in Contal Sub-division (West Bengal)	157
233.	"अर्गट" रोग लगे संकर बाजरे के बीज	Hybrid Bajra Seed affected by Ergot	157—158
234.	खाद्यान्न का निर्यात	Export of Foodgrains	158
235.	इण्डिया स्टीमशिप कम्पनी तथा इंडियन शिपिंग कम्पनी में नौकरी की शर्तें	Conditions of Employment in India Steamship Co. and Indian Shipping Co.	158—159
236.	दिल्ली दुग्ध योजना का घी	D. M. S. Ghee	159
237.	अनौपचारिक सलाहकार समितियाँ	Informal Consultative Committees	159—160
238.	बम्बई से मुरादाबाद भेजे गये गेहूँ का रास्ते में बरबाद होना	Damage to Wheat in Transit from Bombay to Moradabad	160

अता० प्रा० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
239.	प्रयाग में टेलीफोन के तार का पकड़ा जाना	Recovery of Telephone Wire in Prayag	160—161
240.	रेयन के कारखाने	Rayon Factories	161
241.	न्यू कैसरे-हिन्दी-मिल्स, बम्बई द्वारा भविष्य निधि की राशि का भुगतान	Payment of Provident Fund Amount by Kaisre Hind Mills, Bombay	161
242.	गोदी कर्मचारियों की माँगें	Dock Worker's Demands	162
243.	बन शिक्षा निदेशालय द्वारा धन का दुरुपयोग	Misuse of Funds by Forest Education Directorate	162
244.	डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की सुविधायें	Direct Dialing Facilities	162—163
245.	मैसूर में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र	Automatic Telephone Exchanges in Mysore	163
246.	अनाज के मामले में आत्म-निर्भरता	Self-sufficiency in Foodgrains	163
247.	मछली पालन प्रशिक्षण केन्द्र	Training Centre for Fisheries	163—164
249.	बिहार में अनाज का उत्पादन	Food Production in Bihar	164
250.	कृषि उपकरण का निर्माण	Manufacture of Agricultural Implements	164
251.	गन्ने के मूल्य	Prices of Sugarcane	164—165
252.	कीटनाशक औषधि संवर्धन बोर्ड	Pesticide Promotion Board	165—166
253.	समस्तीपुर चीनी मिल	Samastipur Sugar Mills	166
254.	लाने ले जाने में गेहूँ की बरबादी	Damage of Wheat in Transit	166—167
255.	चीनी का उत्पादन	Sugar Production	167
256.	गेहूँ का उत्पादन तथा आयात	Wheat Production and Import	168
257.	दक्षिण भारत में संसद् का सत्र	Parliament Session in South India	168
258.	सुपर बाजार, नई दिल्ली	Super Bazar, New Delhi	168—169
259.	गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता	Free Legal Aid to Poor	169—170
260.	खाद्य सम्बन्धी मुख्य मंत्री सम्मेलन	Chief Ministers' Conference on Food	170
261.	अधिक उपज देने वाली किस्मों का उत्पादन	Production of High Yielding varieties	171
262.	औद्योगिक श्रमिकों के लिये निर्वाह भत्ता	Subsistence Allowance to Industrial Workers	171

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
263.	चूहों द्वारा खाद्यान्नों की क्षति	Loss of Foodgrains by Rats	171—172
264.	जन-दिनों की हानि	Man Days Lost	172—173
265.	कोयला पत्तन उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड	Wage Board for Coal Mining Industry	173
266.	केन्द्रीय सहकारी प्रक्षेत्र (फार्म)	Central State Farms	173
267.	डाक और तार सेवाओं के लिये निगम	Corporation for Postal and Telegraph Service	174
268.	श्री लंका से स्वदेश लौटे व्यक्ति	Repatriates from Ceylon	174—175
269.	कलकत्ता पत्तन से अनाज की चोरी	Theft of Foodgrains from Calcutta Port	175
270.	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़	Indian Telephone Industries	175—176
271.	चावल के समाहार की योजना	Procurement Scheme for Rice	176
272.	कृषि मूल्य आयोग का प्रतिवेदन	Report of Agricultural Prices Commission	177
273.	बागानों में बेरोजगारी की स्थिति	Unemployment Position in Plantations	177—178
274.	आसाम में खाद्यान्न की कमी	Food Scarcity in Assam	178
276.	पश्चिम बंगाल को घटिया चावल की सप्लाई	Supply of Sub-standard Rice to West Bengal	178
277.	सामुदायिक विकास परियोजनायें	Community Development Projects	178—179
278.	ठेका श्रम पद्धति	Contract Labour System	179
279.	सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में श्रम कानूनों का उल्लंघन	Violation of Labour Laws in Public and Private Sector Industries	179—180
280.	सुपर बाजार नई दिल्ली	Super Bazar, New Delhi	180
281.	डाक घर बचत बैंक योजना का पुनर्गठन	Reorganisation of Post Office Savings Bank Scheme	180—181
282.	पूर्वी पाकिस्तान, बर्मा तथा श्री लंका से आने वाले लोग	Migrants from East Pakistan, Burma and Ceylon	181
283.	खरीफ की फसलों के लिये समाहार मूल्य	Procurement Price for Kharif Crops	182

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
284. फसल बीमा	Crop Insurance	182—183
285. खाद्यान्नों का रक्षित भण्डार	Buffer Stock of Foodgrains	183
286. भेड़पालन केन्द्र	Sheep Breeding Centre	183
287. दोषी नियोजकों से मजूरी तथा बोनस की वसूली	Recovery of Wages and Bonus from Defaulting Employers	183—184
288. उत्तर प्रदेश में कृषि परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक से ऋण	World Bank Loan for Agricultural Projects in U. P.	184
289. गोदामों में अनाज की क्षति	Loss of Foodgrains in Storage	184—185
290. भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् का अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यक्रम	I.C.A.R. Research Programme	185—186
291. राजस्थान से अनाज का निर्यात	Export of Foodgrains from Rajasthan	186
292. आयातित अनाज की सप्लाई	Supply of Imported Foodgrains	186—187
293. मध्य प्रदेश वनरोपण कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for M. P. Forestry Programme	187
294. मध्य-प्रदेश में नलकूप के लिए सहायता	Central Assistance for Tubewells in M. P.	187—188
295. मध्य प्रदेश में छोटे सिंचाई कार्यों के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for minor irrigation in Madhya Pradesh	188
296. सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज संस्थायें	Community Development and Panchayati Raj Institutions	188—189
297. चीनी खद्योग का मूल्य ढांचा	Cost structure of Sugar Industry	189
298. रेलवे कुली	Railway Porters	189—190
299. उड़ीसा में चलते फिरते डाकघर	Mobile Post Offices in Orissa	190
300. डाक बचत बैंक लेखा	Postal Savings Bank Accounts	191
301. दल बदलने पर रोक	Ban on Defections	191
302. गहरे समुद्र में मछली पकड़ना	Deep Sea Fishing	191—192
303. हिमाचल प्रदेश और नीलगिरी में कृषि कार्यक्रम के लिये जर्मनी से सहायता	German Assistance for Agricultural Programme in Himachal Pradesh and Nilgiri	192
304. सड़क परिवहन उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड	Wage Board for Road Transport Industry	193

अता० प्र० संख्या
U.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
305. राष्ट्रीय कृषि योजना	National Agricultural Plan	193
307. भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था द्वारा तैयार किया गया गेहूँ	Wheat Developed by Indian Agricultural Research Institute	193—194
308. सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नलकूप	Tubewells in drought affected Areas	194
309. बिहार में गहन कृषि, कार्यक्रम	Intensive Agriculture Programme in Bihar	194—195
310. भूटान में डाक तथा तार घर	Post and Telegraph Offices in Bhutan	195
311. ईराक को भारतीय टेलीफोन विशेषज्ञों का भेजा जाना	Sending of Indian Telephone Experts to Iraq	195—196
312. चावल का आयात	Import of Rice	196
313. चीनी का मूल्य	Sugar Price	196—197
314. दिल्ली शासन को दिल्ली दुग्ध योजना के प्रबन्ध का हस्तान्तरण	Transfer of Administration of DMS to Delhi Administration	197
315. उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच चावल का खुला व्यापार	Free Trade in Rice between Orissa & West Bengal	197—198
316. बिहार में सूखाग्रस्त क्षेत्र	Drought affected areas in Bihar	198
317. भूख से मृत्यु	Starvation Deaths	199
318. चीनी मिलों के लिये धन	Funds for Sugar Mills	199
319. मध्य प्रदेश से दालों का निर्यात	Export of Pulses from M. P.	199—200
320. राशनिंग के लिये चावल की आवश्यकता	Rationing requirement of Rice	200
321. रोजगार की स्थिति	Employment Situation	200—201
322. कर्मचारी भविष्य निधि	Employees Provident Fund	201
323. औद्योगिक संस्थानों में उचित मूल्य की दूकानें	Fair Price Shops in Establishments	201
324. गुजरात को अनाज की सप्लई	Supply of Foodgrains to Gujarat	201—202
325. भारत के लिये अमरीका से उपहार के रूप में तम्बाकू के पार्सल	US Gift Parcels of Tobacco for India	202
326. अनाज की फसल वाली भूमि में पानी का जमा हो जाना	Lodging in Cereal Crop	202—203
327. केन्द्रीय क्षेत्र में उद्योगों द्वारा बोनस अधिनियम का उल्लंघन	Violation of Bonus Act by Industries in Central Sphere	203

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
328.	राजस्थान में बावनवास और लालसोट के सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों के बीच लिंक लाइन	Link Line between Bamanwas and Lalsot P.C.O.s. in Rajasthan	203—204
329.	लालसोट और बावनवास डाकघरों के बीच सीधी डाक सेवा	Direct Postal Service between Lalsot and Bamanwas Post Offices	204
330.	चक्सू (राजस्थान) में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone Connections in Chaksu (Rajasthan)	204—205
331.	गंगापुर सिटी तथा सवाई माधोपुर के बीच टेलीफोन सम्पर्क	Telephone Link between Gangapur City and Sawai Madhopur	205
332.	भू-राजस्व से छूट	Remission of Land Revenue	205
333.	प्रादेशिक भाषाओं में कानूनों का प्रकाशन	Publication of Laws in Regional Languages	206
334.	आम चुनावों सम्बन्धी प्रतिवेदन	Report of General Elections	206—207
335.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिए आरक्षित हिन्दी आशुलिपिकों के पद	Posts of Hindi Stenographers Reserved for S. C. & S. T. persons	207
336.	हिन्दी आशुलिपिक	Hindi Stenographers	207
337.	केन्द्रीय श्रम संगठन, गोरखपुर	Central Labour Organisation, Gorakhpur	208
338.	हिन्दी स्टेनोग्राफर	Hindi Stenographers	208
339.	चूहों द्वारा खाद्यन्नों की बर्बादी	Foodgrains Destroyed by Rats	208—209
340.	पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग में छंटनी	Retrenchment in Jute Industry in West Bengal	209
341.	श्रम विवाद	Labour Disputes	209
342.	उत्तर प्रदेश तथा बिहार मे चीनी उद्योग	Sugar Industry in U. P. and Bihar	210
343.	भूमि सुधार कार्यक्रम	Land Reforms Programme	210—211
344.	कृषि प्रक्षेत्र (फार्म)	Agricultural Farms	211—212
345.	जम्मू तथा काश्मीर में केन्द्रीय श्रम कानून	Central Labour Laws in J & K	212
346.	पंजाब को उर्वरकों की सप्लाई	Supply of Fertilizers to Punjab	212—213

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
347.	मजूरी बोर्डों की सिफारिशों को कानूनी तौर पर लागू करना	Statutory Enforcement of Wage Boards' Recommendations	213
348.	खेमकरण का पुनर्निर्माण	Re-construction of Khem Karan	213
349.	श्रमिकों को रियायतें	Concessions to Labour	213—214
350.	उन्नत बीज न मिलना	Non-Availability of Improved Seeds	214
351.	डाक की दरों में कमी	Reduction in Postal Rates	215
352.	दिल्ली के लिये चीनी और चावल का कोटा	Sugar and Rice quota for Delhi	215
353.	ट्रैक्टरों और उनके पुर्जों का राजकीय व्यापार	State Trading in Tractors and Spare parts	215—216
354.	उर्वरकों के मूल्य	Prices of Fertilizers	216
355.	काजू बागान	Cashew Plantations	217
356.	गांवों में डाकघर, बचत बैंक, तारघर तथा टेलीफोन एक्सचेंज	Post Office Saving Banks, Telegraph Offices and Telephone Exchanges in Villages	217
357.	गुड़ के उत्पादन पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Productions of Gur	218
358.	उर्वरकों की ढुलाई	Transport of Fertilizers	218
359.	कृषि मूल्य आयोग के प्रतिवेदन	Reports of Agricultural Prices Commission	218—219
360.	चीनी का उत्पादन	Sugar Production	219
361.	कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान	Agricultural Research	219—220
362.	दिल्ली में सहकारी समितियां	Cooperative Societies in Delhi	221
363.	दिल्ली में सहकारी समितियां	Cooperative Societies in Delhi	221—222
364.	पश्चिम बंगाल को खाद्यान्न की सप्लाई	Food Supply to West Bengal	222
365.	मजूरी बोर्ड	Wage Boards	222—223
366.	दिल्ली में सुपर बाजार	Super Bazars in Delhi	223
367.	दिल्ली में जाली राशन कार्ड	Bogus Ration Cards in Delhi	223
368.	खाद्यान्न सम्बन्धी आवश्यकता	Food Requirements	223—224
369.	दरमों (रिगों) के आयात के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Import of Rigs	224
370.	खाद्य उत्पादन पर विचार गोष्ठी	Seminar on Food Production	224—225

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
371.	कृषि कार्यकर्त्ताओं के लिये बैंकों द्वारा धन दिया जाना	Financing by Banks in Agricultural Programmes	225
372.	बैंकिंग उद्योग में औद्योगिक अनुशासन संहिता	Code of Industrial Discipline in Banking Industry	226
373.	अधिक उपज देने वाली फस्लें उगाने का कार्यक्रम	High Yielding Varieties Programme	226—228
374.	कीड़ों के कारण अनाज की क्षति	Loss of Foodgrains due to Pests	228—229
375.	पश्चिम बंगाल के गाँवो में सहकारी सेवा	Cooperative Service in the Rural Areas of West Bengal	229
376.	केरल में चावल मिल	Rice Mills in Kerala	229
377.	भूमि की अधिकतम सीमा	Land Ceiling	229—230
378.	उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers	230
379.	बागानों में ठेके पर मजदूर	Contract Labour in Plantations	230—231
380.	राज्यों को अनाज की सप्लाई	Supply of Foodgrains to States	231
381.	इंजीनियरी के स्नातकों में बेरोजगारी	Unemployment of Engineering Graduates	231—232
382.	खण्ड विकास कर्मचारी	Block Development Staff	232—233
383.	भूमि तथा जल का उपयोग किया जाना	Land and Water Utilisation	233—234
384.	रेगिस्तान विकास बोर्ड	Desert Development Board	234—235
385.	स्वामी श्रद्धानन्द की स्मृति में डाक टिकट	Swami Shrdhanand Postal Commemoration Stamp	235
386.	राज्यों में स्थित कारखानों में उन्हीं राज्यों के निवासियों को प्राथमिकता	Preference to Residents of Home States in Factories	236
387.	दुग्ध सहकारी समितियों को दी गई सुविधायें	Facilities afforded to Milk Cooperative Societies	236
388.	अमरीका से भारत के लिये अनाज आना	Food Shipments from USA	236
389.	राज्य सरकारों द्वारा चावल की मिलों को अपने हाथ में लिये जाने के लिये केन्द्रीय वित्त सहायता	Central Finance for takeover of Rice Mills	236—237

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
390. निष्क्रान्त सम्पत्ति	Evacuee Properties	237—238
392. दिल्ली दुग्ध योजना	Delhi Milk Scheme	238
393. खाद्यान्नों पर क्षेत्रीय प्रतिबन्ध	Zonal Restrictions on Foodgrains	238 —239
394. मद्रास सर्किल के पोस्टल डिवीजनों के लिपिक	Clerks in Postal Divisions of Madras Circle	239
395. मद्रास सर्किल के पोस्टल डिवीजनों के लिपिक	Clerks in Postal Divisions of Madras Circle	239—240
396. करनाल सर्किल में विभागातीत कर्मचारी	Extra Departmental Employees in Karnal Circle	240
397. डाक और तार विभाग के नियमित कर्मचारी	Regular Employees of P & T Deptt.	240—241
398. हिमाचल प्रदेश को खाद्यान्न की सप्लाई	Supply of Foodgrains in H. P.	241
399. मनीपुर में खेती वाली भूमि	Land under cultivztion in Manipur	241—242
400. मनीपुर में खेती	Cultivation in Manipur	242
401. मनीपुर में लामफेल पट में खेती वाली भूमि	Cultivation of land at Lamphel pat, Manipur	242—243
402. मनीपुर में समाहार नीति	Procurement Policy in Manipur	243
403. कृषि उद्योग निगम	Agro Industries Corporation	243
404. बड़े दिन (क्रिसमस) की डाक	Christmas Mails	244
405. टेलीफोन फैक्टरी	Telephone Factory	244—245
406. डाकघर बचत बैंकों में खाते	Accounts in Postal Savings Bank	245
नये उपमंत्रियों का परिचय	Introduction of New Deputy Ministers	245—246
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	246—249
कम अनाज वाले राज्यों को अनाज की सप्लाई करने में केन्द्रीय सरकार की असफलता	Failure of Central Government to supply foodgrains to deficit States	246—249
श्री अ० कु० गोपालन	Shri A. K. Gopalan	248
श्री अन्नांसाहिब शिन्दे	Shri Annasahib Shinde	248
स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)	Re. Motions for Adjournment and Calling Attention Notices (Query)	249—250
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	250—258

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	President's Assent to Bills	259
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	259
आठवां और नौवां प्रतिवेदन	Eighth and Ninth Reports	
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Committee on Public Undertakings	259—260
तीसरा और चौथा प्रतिवेदन	Third and Fourth Reports	
विधेयकों सम्बन्धी संयुक्त समितियों के प्रतिवेदनों को उपस्थापित किये जाने की अवधि बढ़ाने के बारे में प्रस्ताव	Motions re. Extension of time for Presentation of Reports of Joint Committees on Bills ;	260
(1) संविधान (संशोधन) विधेयक; और	(i) Constitution (Amendment) Bill ; and	260
(2) विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक	(ii) Unlawful Activities (Prevention Bill)	260
विधेयक पुरःस्थापित :	Bills Introduced	
(1) करारोपण विधियाँ (संशोधन) विधेयक	(i) Taxation Laws (Amendment) Bill ;	261
(2) अत्यावश्यक वस्तु (दूसरा संशोधन) विधेयक	(ii) Essential Commodities (Second-Amendment) Bill ;	261
(3) खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास (कपड़े पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) संशोधन विधेयक; और	(iii) Khadi and other Handloom Industries Development (Additional Excise Duty on cloth) Amendment Bill ; and	264
(4) न्यायालय शुल्क (दिल्ली संशोधन) विधेयक	(iv) Court fees Delhi (Amendment) Bill	264
अध्यादेशों के बारे में विवरण	Statement Re. Ordinances :	
(1) करारोपण विधियाँ (संशोधन) अध्यादेश, 1967	(i) Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 1967 ;	264
(2) अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 1967	(ii) Essential Commodities (Amendment) Ordinance : 1967 ;	264
(3) अत्यावश्यक वस्तु (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1967	(iii) Essential Commodities (second Amendment) Ordinance, 1967 ; and	264
(4) न्यायालय शुल्क (दिल्ली-संशोधन) अध्यादेश,1967	(iv) Court fees (Delhi Amendment) Ordinance, 1967	264
सूती कपड़ा (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) (निरसन) विधेयक	Cotton Fabrics (Additional Excise Duty) (Repeal) Bill	265—270

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	265
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Shafi Qureshi	265
श्री स्वतन्त्र सिंह कौठारी	Shri S. S. Kothari	265
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	266
श्री रमानी	Shri K. Ramani	266
श्री जार्ज फरनेन्डीज	Shri George Fernandes	267
श्री दतात्रय कुन्टे	Shri Dattatraya Kunte	267
श्री राम मूर्ति	Shri P. Ramamurti	268
श्री कृ० गु० देशमुख	Shri K. G. Deshmukh	268
खण्ड 2 और 1	Clauses 2 and 1	269
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	270
श्री दामानी	Shri S. R. Damani	270
श्री नारायण राव	Shri Narayana Rao	271
श्री शफी कुरेशी	Shri Shafi Qureshi	271
शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन और शिक्षा पर संसद् सदस्यों की समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motions Re. Report of Education Commission and Report of Committee of Members of Parliament on Education	272
डा० गोविन्द दास	Dr. Govind Das	272
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	273—274
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh	275
श्री म० ला०सौधी	Shri M. L. Sondhi	275—276
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	277
आठवाँ प्रतिवेदन	Eighth Report	277

———

लोक-सभा
LOK-SABHA

मंगलवार, 14 नवम्बर, 1967/23 कार्तिक, 1889 (शक)
Tuesday, November 14, 1967/Kartika 23, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
[MR. SPEAKER *in the Chair*]]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड

+

* 31. **श्री चिन्तामणि पाणिग्राही :**
श्री चेंगलरामा नायडू :
श्री स० कुन्डू :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री देवेन सेन :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमजीवी पत्रकारों तथा पत्रकारों से भिन्न कर्मचारियों सम्बन्धी मजूरी बोर्डों ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो बोर्डों द्वारा क्या क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : श्रमजीवी पत्रकारों से सम्बन्धित रिपोर्ट पर सरकारी निर्णयों की घोषणा एक आदेश द्वारा 27 अक्तूबर, 1967 को की गई थी । आदेश की प्रतियां रिपोर्ट के साथ संसद के पुस्तकालय में रख दी गयी हैं।

गैर-पत्रकारों से सम्बन्धित मजूरी बोर्ड की रिपोर्ट पर सरकारी निर्णयों की घोषणा इस बोर्ड की मुख्य सिफारिशों के साथ शीघ्र ही किये जाने की आशा है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : अधिसूचना के अनुसार सरकार ने श्रमजीवी पत्रकारों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है । उस बोर्ड ने 4 वर्ष पश्चात अपना प्रतिवेदन दिया है । इन सिफारिशों को वास्तव में कब क्रियान्वित किया जायगा ? क्या इनको भूतलक्षी प्रभाव से क्रियान्वित किया जायगा ?

श्री हाथी : अब चूंकि सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, इसलिये मालिकों को उन्हें क्रियान्वित करना होगा ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : यदि हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इसमें विलम्ब करने का प्रयत्न किया गया, तो क्या मन्त्री महोदय अपने इस वचन पर टिके रहेंगे ?

श्री हाथी : प्रयत्न हो सकते हैं; एक प्रयत्न न्यायालय में जाने का हो सकता है और न्यायालय में जाने के पश्चात् मैं नहीं समझता सरकार इससे अधिक कुछ कर सकती है । मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित कराने के लिये हम मालिकों के साथ प्रयत्न करते रहे हैं । (**व्यवधान**) यह सुझाव नहीं है । सारे मामले पर विचार किया जा रहा है ।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री के वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि समाचारपत्रों के कुछ मालिक न्यायालय में जा सकते हैं और उस मामले में उन्होंने अपनी विवशता प्रकट की है । पहले, भूतपूर्व श्रममंत्री नन्दा ने यह आश्वासन दिया था कि यदि मालिकों द्वारा मजूरी बोर्ड के किसी पंचाट की क्रियान्विति में कोई ऐसा प्रयत्न किया गया तो उन सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये सभा में उपयुक्त विधान लाया जायेगा । यदि मालिकों ने इन सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया, तो क्या सरकार ऐसा विधान लाने पर विचार कर रही है ?

श्री हाथी : जी हां । मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार करने सम्बन्धी सारा प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । इतना ही नहीं, मैंने स्थायी श्रम समिति में भी इस मामले को उठाया है । इसके लिये सर्वोत्तम समाधान ढूँढ़ने के लिए हमने एक उपसमिति नियुक्त की है जिसमें श्रमिकों और मालिकों के प्रतिनिधि शामिल हैं और यह उप-समिति दो महीनों के भीतर अपना प्रतिवेदन देगी ।

श्री स०मो० बनर्जी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मेरा प्रश्न यह था कि यदि मालिकों ने इन सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया तो क्या सरकार कोई उपयुक्त विधान लाने पर विचार कर रही है ?

श्री हाथी : मैंने यही कहा है । क्या मजूरी बोर्ड एक संविहित निकाय होना चाहिये, या यह जिस रूप में अब है ऐसे रहना चाहिये और इसकी सिफारिशों को क्रियान्वित करने को कानूनी बना दिया जाये, इन सारे प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है ।

Shri Deven Sen. It is a practice with the Government to delay the acceptance of the Wage Board awards and to further delay their implementation. The awards of the Wage Board should be made to have statutory effect and secondly, even if the awards are not unanimous but by majority they should be accepted by Government.

Shri Hathi :—As I stated the whole matter is under consideration and we have appointed a sub-committee to go into the entire question and' make its recommendations. When the recommendations are unanimous, Government is obliged to accept them and even when

they are by majority opinion, Government accepts them as a rule and modifications in them are made only when they are necessary.

श्री स० कुन्दू : क्या माननीय मंत्री को पता है कि सारे देश भर के पत्रकारों में असंतोष है और उन्होंने कहा है कि यह पंचाट हमें पीछे की ओर ले जाता है क्योंकि इस पंचाट ने कुछ पत्रकारों को उनके पहले से प्राप्त विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया है और यदि हाँ, तो क्या सरकार दूसरा मंजूरी बोर्ड बनाने पर विचार कर रही है जो श्रमजीवी पत्रकारों को उचित मजूरी देगा ।

श्री हाथी : मैंने पत्रकारों से बातचीत की थी । उनसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे कि यह मजूरी बोर्ड उनकी माँगों को पूरा नहीं करता । दूसरी ओर हमें मालिकों से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि मजूरी बोर्ड का यह पंचाट पहले पंचाट से बहुत आगे चला गया है । इसलिये मैंने पत्रकारों और मालिकों दोनों की बैठक बुलाई थी । यह हक संविहित बोर्ड है और सरकार को इसकी सिफारिशें स्वीकार करनी पड़ेंगी । यदि सरकार कोई परिवर्तन करना चाहती है तो उसकी अधिसूचना देनी होगी और आपत्तियां मांगनी होंगी । आगे सुनवाई करनी होगी । मैंने पत्रकारों से पूछा था कि क्या उनको यह तरीका पसन्द है या वे पंचाट को, जिस रूप में यह था, स्वीकार करना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि इसको लम्बा करने के बजाय, जिस रूप में यह था, उसी रूप में स्वीकार करना अच्छा था ।

श्री अनन्तराव पाटिल : क्या यह सच है कि समाचारपत्रों के मालिक पहले से ही न्यायालय में चले गये हैं ?

श्री हाथी : मुझे सही पता नहीं है । मुझे कोई सूचना नहीं मिली है ।

Shri George Fernandes : So for as we know, the proprietors as well as the journalists both have complained against the recommendations. Afterwards a tripartite conference of the representatives of proprietors, journalists and Government was convened. What was the necessity of calling this tripartite Conference ? What was the out come of that Conference ? Why the Goverment have raised this matter relating to recommendations here today ?

Shri Hathi : It is for this reason that the tripartite Conference was called. It was called to remove the differences to the maximum possible extent. The employers complained that the pay-scales were on the high side and thus there was a difference on the basic things. Then they wanted 15 days time to think over the matter and resolve thed ifference if possible. After the expiry of this period both the parties wrote that no accord could be reached and that they would not accept the Wage Board recommendations.

Shri Sheo Narain : The Honble Minister stated that he had discussions with the journalists. May I know who is supreme, the Government, the owners or the journalists? What prevents the Government from taking a decision? By what time Government will be able to take a decision ?

Shri Hathi : There is no question of supremacy here. So for as the question of relations between the employers and the employees is concerned it is always the endeavour of the Labour Ministry to bring about an accord between the two. With that objective the meeting was called and when they could reach at any mutually acceptable agreement Government accepted it and made an announcement also .

Shri Hukam Chand Kachwai : Has the attention of the Hon. Minister been drawn

to the fact that there are thousands of journalists in small towns who do not get anything except the expenditure incurred on postage, if so, whether sub-committee which has been constituted will go into this matter and recommend for better provisions for them. Will the sub-committee also go into the question of long pending cases in the law Courts and suggest measures for their quick disposal ?

Shri Hathi : The Wage Board has given its recommendations as to what pay scales should be given to different categories of journalists.

संचार प्रणाली का अन्तरिक्ष युग

*32. **श्री दामानी** : क्या **संचार मन्त्री** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत लगभग दो वर्षों की अवधि में संचार प्रणाली के क्षेत्र में अन्तरिक्ष युग में प्रवेश कर जायेगा;

(ख) यदि हाँ, तो इसके स्टेशन के लिए किस स्थान को चुना गया है, और उस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी; और

(ग) क्या इसके लिये तकनी की सहयोग प्राप्त करने का विचार है ?

संसद् कार्य तथा संचार विभाग मे राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी हाँ । भूमाण्डलिक संचार-उपग्रह व्यवस्था जिसमें कि हिन्द महासागर पर एक उपग्रह स्थित रहेगा, 1968 के अंत तक आरम्भ हो जाने की संभावना है । इस समय तक भारत में उपग्रह संचार का एक भूमि-स्थित केन्द्र स्थापित कर लेने का प्रस्ताव है ।

(ख) इस केन्द्र के लिये पूना के निकट आर्वी गाँव में एक स्थल प्राप्त कर लिया गया है । कुछ अनुषंगी सुविधाओं समेत इस केन्द्र की कुल लागत 5 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है ।

(ग) जी, नहीं ।

श्री दामानी: सारी योजना कब तक पूरी हो जायेगी और क्या वर्तमान प्रगति निश्चित कार्यक्रम के अनुसार है ?

श्री इ० कु० गुजराल: जी हाँ, योजना निश्चित कार्यक्रम के अनुसार पूरी की जायेगी । जैसा कि मैंने बताया सम्पूर्ण योजना भारत में 1968 के अन्त तक चालू हो जायेगी ।

श्री दामानी: क्या सरकार विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को इस योजना में भाग लेने की अनुमति देने पर विचार करेगी ?

श्री इ० कु० गुजराल: यह योजना संचार प्रणाली का एक भाग है । अतः भाग लेने का प्रश्न ही नहीं उठता । यह अन्तर्राष्ट्रीय संचार पद्धति की एक योजना है । जहां तक तजर्वे और प्रशिक्षण का सम्बन्ध है, अणु शक्ति प्राधिकार ने एक समिति बनाई है । इस प्रयोजन के लिये अहमदाबाद में एक स्टेशन है । मैं समझता हूँ विश्वविद्यालय उसमें भाग ले सकते हैं ।

Shri Maharaj Singh Bharati : What shall be our contribution to the expenditure to be incurred on the communication system ? What extent of freedom shall be enjoyed by us in sending the news and what limitations shall be imposed upon us ? Have any rules been framed in this regard and which have been accepted by us ?

Shri I. K. Gujral. The total cost of this scheme will be of the order of three hundred million dollars and India's contribution to it will be ·5 per cent. As regards the receiving and sending of messages there is complete freedom as this system does not involve the stopping of messages. The expenditure will be according to our share which is ·5 percent.

गेहूँ की बोरियों का खराब हो जाना

\+

*34. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया: **श्री यज्ञदत शर्मा :**
श्री निहाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्षा ऋतु में आयातित गेहूँ की हजारों बोरियां खुले माल-डिब्बों में बम्बई से दिल्ली भेजी गई थीं जिससे लाखों रुपये के अनाज पर वर्षा का पानी पड़ता रहा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भीगी बोरियों में भीगा गेहूँ भारत के खाद्य निगम के नरेना शक्ति नगर और पूसा गोदामों में सड़ता रहा था ;

(ग) क्या वही गेहूँ अथवा उसका आटा दिल्ली के राशन विभाग के अधिकारियों को दिल्ली की जनता को देने के लिये दिया गया था ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) से (ग) के उत्तर नकारात्मक हों, तो इसके क्या कारण हैं तथा अनाज का कितना नुकसान हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) रेलवे के पास बन्द माल डिब्बों की कमी के कारण और दिल्ली की तुरन्त आवश्यकता के कारण पिछली वर्षा ऋतु में आयातित गेहूँ की 2, 33, 212 बोरियाँ बम्बई से भारतीय खाद्य निगम के दिल्ली स्थित डिपुओं को खुले माल डिब्बों में भेजा गया था। डिब्बों को त्रिपालों से ढकने के लिये पूरी सावधानी बर्ती गई थी ताकि अनाज को वर्षा से खराब होने से बचाया जा सके । फिर भी, इनमें से 13,745 बोरियां रास्ते में वर्षा से खराब हो गईं।

(ख) जी नहीं। वर्षा से खराब हुई बोरियों को तुरन्त खोला गया था और अनाज को बचाने के लिये सुखा दिया गया था।

(ग) जी नहीं, सार्वजनिक वितरण के लिये केवल उसी गेहूँ को दिया गया था जो मानवीय उपभोग के लिये ठीक था।

(घ) इसका उत्तर प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में आ जाता है ।

Shri Yashpal Singh : While even animals and coal are transported in covered wagons, why wheat was transported in open wagons ? Who has been held responsible for this and what action has been taken against him ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : क्योंकि पिछले दो वर्षों में अनाज बड़ी मात्रा में लाया ले जाया गया था, बन्द डिब्बों की अनुपलब्धता के कारण हमें कुछ अनाज खुले डिब्बों में भेजना पड़ा था । हम प्रति मास 7 से 8 लाख टन अनाज आयात कर रहे हैं और लगभग 6 लाख टन प्रति मास माल गाड़ियों द्वारा ले जाया जाता है । रेलवे के पास कुल 4 लाख के लगभग माल डिब्बे उपलब्ध हैं इसके परिणामस्वरूप, अनाज को शीघ्र भेजने की दृष्टि से हमें खुले डिब्बों में अनाज भेजना पड़ा । हमने रेलवे को बन्द डिब्बे उपलब्ध कराने के लिये कहा था, परन्तु अपने पूरे प्रयत्नों के बावजूद भी वह ऐसा न कर सकी ।

Shri Yashpal Singh. Is it a fact that that wrong method is still being followed and grain wagons have been lying on the Calcutta Railway Station for 22 days, since the Government is not permitting their unloading. The wheat is rotting and the people are starving and yet nobody is responsible for that. When that unloading will be ordered ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : यह एक भिन्न प्रश्न है मैं उसकी पृष्ठ भूमि को जानता हूँ, परन्तु इस प्रश्न से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है वह अनाज किसी कानून के विरुद्ध भेजा गया है ।

Shri Hardayal Devgun : Is it a fact that the Chief Executive Councillor and Executive Councillor of Delhi had brought it to the notice of the Hon. Food Minister that the wheat issued to some of the ration depots in Delhi was not fit for human consumption ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : इस समस्या पर इस सभा में पहले भी चर्चा हुई थी । खराब अनाज कभी भी नहीं दिया गया था । राशन अधिकारियों को खराब अनाज को अस्वीकार करने की स्वतन्त्रता है । वास्तव में भारतीय खाद्य निगम इस समस्या पर ध्यान देती है । उसकी एक निरीक्षण पद्धति है और वह यह देखती है कि ऐसा अनाज न दिया जाये जो मानव उपभोग के लिये उपयुक्त न हो ।

Shri Arjun Singh Bhadauria : Is there any scheme under consideration of the Government for the movement of foodgrains in covered wagons? It was an isolated instance in which the damage to foodgrains was detected, otherwise every year heavy losses are suffered on this account and foodgrains are rotting on every station throughout the country.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : इसकी विस्तृत जांच की गई है और भविष्य में सभी आवश्यक उपाय किये जायेंगे ; मुझे आशा है कि भविष्य में गेहूँ का आयात कम होने से बन्द डिब्बे उपलब्ध हो सकेंगे । जहां तक खुले डिब्बों के वहन का सम्बन्ध है, उनको त्रिपाल से ढंका जाता है और सभी आवश्यक उपाय करने के लिये कड़ी हिदायतें जारी कर दी गई हैं ।

Shri Yagya Datt Sharma : The Hon. Minister stated that 13,000 bags of wheat have been spoilt. Has any quantity of foodgrains from those bags been consumed and if so, the quantity thereof, if no quantity has been consumed, has the Ministry claimed compensation from the Railways for this wrong ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जी हां, खाद्य निगम ने रेलवे से मुआवजे की मांग की है । खराब हुए अनाज की कुल मात्रा 543 टन थी जिसमें से 472 टन पशुओं और कुक्कुट पाल के खाद्य के लिये बेच दिया गया है और 2, 33 000 टन प्राप्त हुआ है और शेष मात्रा के लिये रेलवे को मुआवजे के लिये लिखा गया है ।

Shri Nihal Singh : Had 600 bags of imported wheat on the Moradabad Railway Station also got spoilt?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

Shri Onker Lal Berwa : Had this rotten foodgrains been sent to Rajasthan for cattle consumption and by consuming which several cattle heads were rendered ill and in regard to which the Agriculture Minister complained to you to forbid its consumption by cattle?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : हमने खुली नीलामी में इसको बेचा था और कुछ निर्माताओं ने इसको खरीदा है। बाद में क्या हुआ इसका हमें पता नहीं।

Shri K. N. Tiwary. What amount of foodgrains is wasted annually in transportation ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मेरे पास कुछ मोटे आंकड़े हैं। दिल्ली को भेजे गये अनाज में से 0·8 प्रतिशत खराब हो गया था। 1966 के दौरान सारे देश में 0.05 प्रतिशत अनाज खराब हुआ था।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि ऐसे संकट के समय में आयातित गेहूँ को इस लापरवाही से नष्ट करने का अनाज देने वाले देशों पर बुरा असर पड़ता है और यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है और इस स्थिति का सामना करने के लिये उपाय किये हैं ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ कि हमें नुक्सान को रोकने के लिये सभी संभव उपाय करने चाहिये, परन्तु जैसा कि मैंने अभी बताया 1966 में हानि 0·05 प्रतिशत थी परन्तु कुछ ऐसे कारण होते हैं जिन पर मनुष्य का बस नहीं चलता इसलिये कभी-कभी हानि हो जाती है, परन्तु हानि को कम करने के लिये हमें प्रयत्न करते रहना चाहिये।

श्री पें० बेंकटासुब्बया : क्या सरकार ने इन दो बातों पर विचार किया है कि इस देश में खाद्यान्न की कमी है और यहाँ पर वर्षा भी निश्चित रूप से होगी ? क्या सरकार ने भविष्य में अनाज को खराब होने से बचाने के लिये कोई योजना बनाई है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : पिछले दो वर्षों में बड़ा भारी सूखा पड़ा था और किसी ने पहले यह कल्पना नहीं की थी कि इतने बड़े पैमाने पर खाद्यान्न का आवंटन करना पड़ेगा और इसके परिणामस्वरूप डिब्बों की कमी पड़ गई थी, परन्तु रेलवे अधिकारी इस प्रश्न से अवगत हैं और वे आवश्यक कदम उठायेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच है कि हरयाना के बाजरे के 225 डिब्बे हावड़ा स्टेशन पर पड़े हैं और वह बाजरा सड़ रहा है और वहाँ पर 4,50,000 मन दाल कई महीनों से पड़ी है और उसको डिब्बों से उतारा नहीं गया है और यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार इस अनाज को उन लोगों में बाँटने के लिये क्या कदम उठाना चाहती है जिनके पास खाने के लिये कुछ नहीं है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : हमारे व्यापारियों का यह बहुत ही विचित्र और खेदपूर्ण रवैया है। ज्योंही मैं रोम से वापस आया मुझे पता लगा कि कलकत्ता में दाल की बड़ी भारी कमी है और व्यापारियों द्वारा एक बड़ी

संख्या में माल डिब्बों से दाल नहीं उतारी गई है। वे मण्डी में मूल्यों के और चढ़ने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल मैंने अपने मंत्रालय से और रेलवे मंत्रालय से इस विषय पर बातचीत की कि इसको उतारने और जब्त करने के लिये हम क्या कार्यवाही कर सकते हैं। व्यापारियों के इस रवैये को देखते हुए मुझे उनसे कोई सहानुभूति नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :—यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर एक ध्यानाकर्षण सूचना है। प्रश्न काल के तुरन्त पश्चात् इस पर चर्चा की जायेगी।

श्री श्रद्धाकर सुपाकर : सामान्य वर्षों में भी खाद्यान्न का काफी अभाव रहता है। अतः सरकार एक योजनाबद्ध कार्यक्रम क्यों नहीं अपनाती है और अभावग्रस्त राज्यों में अनाज का भण्डार क्यों नहीं बनाती है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : विभिन्न कारणों से अब तक अनाज के भण्डार बनाना सम्भव नहीं हो सका है। भविष्य में हमारी नीति भण्डार बनाने की होगी।

Shri Kanwar Lal Gupta : The Hon. Minister said just now that the traders are doing mischief there. The Rs. 2 crore worth of Maize which is lying at the Calcutta Railway Station was moved there with the permission of the Haryana Government. Now the Central Government have asked the Railways not to allow its unloading. If it is a fact, will the Hon. Minister hold an enquiry into it, Who will be held responsible in case these grains are spoilt ?

Shri Jagjiwan Ram : The permits obtained from here were not valid. The way the traders have behaved there was not desirable, Therefore. I issued the order for the forfeiture of that stock and Bengal Government complied with it. That stock is not rotting, it has been unloaded.

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : क्या अनाज के लाने लेजाने के लिये विदेशों में विशेष प्रकार के माल डिब्बे प्रयोग में लाये जाते हैं और यदि हां, तो क्या सरकार ने इसका अध्ययन किया है ? हमने देखा है आस्ट्रेलिया में बहुत ही बड़े सुविधाजनक और सुरक्षित माल डिब्बे इस्तेमाल किये जाते हैं। क्या खाद्य मन्त्रालय रेलवे मन्त्रालय को ऐसे डिब्बे बनाने के लिये कहेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह केवल एक सुझाव है।

खाद्यान्नों का राजकीय व्यापार

* 35. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : **श्री राम मूर्ति** :
श्री अ० क० गोपालन : **श्री मोहम्मद इस्माइल** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय में उप-मंत्री द्वारा ग्वालियर में 15 अक्तूबर 1967 को दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में खाद्यान्नों का राजकीय व्यापार सम्भव नहीं है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका क्या परिणाम होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) केन्द्रीय उप-मंत्री (खाद्य) द्वारा ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया गया था ;

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : ऐसा प्रेस में प्रकाशित हुआ है । यदि वह वक्तव्य सच नहीं था तो क्या मंत्री महोदय का यह कर्त्तव्य नहीं था कि वह उस वक्तव्य का खंडन करते क्योंकि इसका प्रभाव राज्य व्यापार निगम द्वारा की जाने वाली खाद्यान्नों की वसूली पर भी पड़ेगा ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया कि इस समय केन्द्रीय उप-खाद्य मंत्री नेफा में थे और उन्होंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है ।

एक माननीय सदस्य : क्या कोई ऐसा वक्तव्य राज्य मंत्री ने दिया है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मैं 15 तारीख को ग्वालियर में था और मैंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया । यदि मैंने ऐसा कोई वक्तव्य दिया होता तो उसके खंडन का प्रश्न उठता ।

श्री अ० कु० गोपालन : कुछ समय पूर्व खाद्य मंत्री ने यह घोषणा की थी कि सरकार एक राष्ट्रीय खाद्य और बजट नीति बनाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है । उसी आधार पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार राज्य व्यापार को बनाये रखना चाहती है या सरकार अपनी घोषणा से परे हट गई है ?

श्री पे० वेंकटा सुब्बया : मेरा व्यवस्था का प्रश्न मंत्री महोदय द्वारा ग्वालियर में दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में है । मंत्री महोदय ने स्पष्ट तौर से इन्कार कर दिया है तो इस सम्बन्ध में और प्रश्न कैसे उठ सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : राज्य मंत्री यह उत्तर दे सकते हैं । यदि उनके पास कोई जानकारी है तो वह उसको दे सकते हैं अन्यथा वह सूचना के लिये कह सकते हैं और सदस्य महोदय से अलग से प्रश्न पूछने को कह सकते हैं ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री : (श्री जगजीवन राम) : जहां तक खाद्यान्नों का राज्य व्यापार करने का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

Shri Mohammad Ismail : Our Hon. Minister has told the House that there has not been any change in the policy of the Government, but according to the statement given by the Deputy Minister in Gwalior, it appears that, he has made such statement under the influence of landlords of Madhya Pradesh who were opposed to State Trading. In this connection the Hon. Minister has said that it is not going to have any impact on our General policy. But what I mean to say is, that what would have been the effect of such irresponsible statement, specially on West Bengal ?

This statement has also been published in the newspapers and the Government ought to have contradicted it. You contradicted so many things, but when the question of food arises why do you remain silent? I want to know why this statement has been made under the influence of the landlords ?

Shri Jagjivan Ram : Perhaps the Hon. Member has not heard my reply. It has been told that the Deputy Minister was not there on that day and he has not given any statement like that. Therefore, the question of raising such supplementaries does not arise.

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे प्रसन्नता है कि खाद्य उप-मंत्री उस समय ग्वालियर में नहीं थे और उन्होंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया । परन्तु मैं यह जानना चाहता हूँ कि राज्य सरकारों द्वारा दी गई विभिन्न सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया है उनमें से कुछ .....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न विशेष रूप से मंत्री द्वारा वक्तव्य दिये जाने के सम्बन्ध में था। परन्तु माननीय सदस्य उसमें समस्त खाद्य नीति के प्रश्न को शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : केवल राज्य व्यापार ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय ने राज्य व्यापार के सम्बन्ध में कोई वक्तव्य दिया है । इसका राज्य व्यापार के सम्बन्ध में अपनाई गई समस्त नीति से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय ने बताया कि उनकी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस वक्तव्य से यह प्रश्न उठता है कि क्या राज्य सरकारों से उन्हें कोई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं जिसमें उन्होंने खाद्यान्नों में राज्य व्यापार लागू करने की इच्छा व्यक्त की है और यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? क्या केन्द्रीय सरकार इसके रास्ते में रोड़ा अटकाना चाहती है या वह इस सम्बन्ध में सामाजिक नियंत्रण के नये नारे का अनुकरण करना चाहती है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : यदि राज्य सरकारें यथासम्भव सीमा तक खाद्यान्नों का राज्य व्यापार का कार्य आरम्भ करना चाहती हैं तो हम उनके कार्यों का समर्थन करेंगे । समय-समय पर हम इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते रहे हैं ।

पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी

+

*36. **डा० रानेन सेन** :
श्री समर गुह :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री बलराज मधोक :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों के नये दल भारत आने आरंभ हो गये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो जून 1967 से अब तक कितने शरणार्थी भारत आ चुके हैं ; और

(ग) इन शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) पूर्वी पाकिस्तान से भारत में लगातार प्रवासी आ रहे हैं।

(ख) जून, 1967 से आने वाले प्रवासियों की संख्या इस प्रकार है।

पश्चिमी बंगाल	... 2,316	(व्यक्ति)	(20-10-67 तक)
आसाम	... 3,035	(,,)	(31-8-67 तक)
त्रिपुरा	.. 6,273	(,,)	(29-10-67 तक)
कुल	.. 11,624	(व्यक्ति)	

(ग) इनमें से जिन्होंने कैम्पों में रहने की अनुमति माँगी थी और जिन्हें पुनर्वास के लिये सहायता देना उचित समझा गया था, को रास्ते में या सहायता कैम्पों में जगह दी गई थी। उन्हें यथासमय बसाया जायेगा।

डा० रानेन सेन : क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने नये प्रवासियों को बसाने के लिये कोई योजना भेजी है और यदि हाँ, तो इन व्यक्तियों को बसाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : शरणार्थियों को सहायता देने और उनको बसाने के सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल सरकार का रवैया यह रहा है कि वह नये दायित्व लेने के लिए तैयार नहीं है। इसने हमें कुछ योजनाएं भेजी थीं और वहाँ के पुनर्वास मंत्री मेरे से और मेरे वरिष्ठ सहयोगियों से मिले थे और उन्होंने पुनर्वास से सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार-विमर्श किया था, परन्तु वे केवल पुराने ही मामले थे। इस समय केवल नये प्रवासियों को ही वित्तीय सहायता दी जाती है।

डा० रानेन सेन : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पश्चिमी बंगाल आसाम और पूर्वी भारत के अन्य भागों और पूर्वी पाकिस्तान से लगातार प्रवासी आ रहे हैं, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या प्रतिदिन भारत आने वाले प्रवासियों को उचित रूप से बसाने के लिये सरकार ने कोई नीति बनाई है ?

श्री ल० ना० मिश्र : हमारी एक स्वीकृत नीति है और हम इस नीति का अनुसरण कर रहे हैं। आसाम में कुछ कठिनाई थी और हमने वहाँ नये आदेश दिये थे कि नये आये शरणार्थियों को एक महीने के लिये पेशगी रुपया दिया जाना चाहिये।

डा० रानेन सेन : वह क्या नीति है जिसके अनुसार केवल एक महीने का पेशगी रुपया दिया जाता है ? उसके बाद क्या होता है ?

श्री ल० ना० मिश्र : उसके बाद वे कैम्पों में जाते हैं और फिर उन्हें बसाया जाता है। इससे पहले उनकी जाँच की जाती है। हम एक महीने के लिये रुपया देते हैं।

श्री समर गुह : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले नये शरणार्थियों के कारणों के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने कोई जाँच की है ? क्या इस तथ्य की ओर पूर्वी पाकिस्तान सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया है और उससे अनुरोध किया गया है कि वे ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न न करें जिससे अल्प-संख्यकों को सीमा पार कर भारत में प्रवेश करने पर मजबूर होना पड़े ?

श्री ल० ना० मिश्र : हमें प्राप्त सूचना के अनुसार इसके मुख्य कारण अल्प-संख्यकों के विरुद्ध अर्थ व्यवस्था सम्बन्धी विभेद, बहुमत सम्प्रदायों के सदस्यों द्वारा सम्पत्ति का जबरदस्ती लिया जाना, अल्प समुदाय वर्ग के व्यक्तियों की सम्पत्ति को जब्त किया जाना और अरक्षितता की सामान्य भावना। इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया है।

श्री क० प्र० सिंह : क्या सरकार को या तो राज्य सरकार के गुप्तचर विभाग या केन्द्रीय सरकार के गुप्त विभाग द्वारा ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले वास्तविक शरणार्थियों के समूह के साथ पाकिस्तानी गुप्तचर भी आये हैं, यदि हाँ, तो इन क्षेत्रों में

कानूनी अव्यवस्था को रोकने के लिये उनकी जांच करने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र :— गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता उनकी पूरी जांच की गई है ।

Shri Balraj Madhok : Whether the Government is aware of the fact that the Union Minister of Pakistan has recently made a statement that Pakistan only recognises those persons as its citizens who have faith in Mohammad and Quaran. Whether such statement made by the Pakistani Government and the policy made by them has not created insecurity for the non-muslim people there and due to that lakhs of people are not coming. If it is so, is it not the violation of Nehru-Liaqat agreement, according to which Pakistan was responsible for protecting non-muslims in Pakistan and India was responsible for protecting non-Hindus in India? Indian Government is following that agreement, because in 1947 there were three crores muslims in India whereas at present there are 5 crores muslims in India. As compared to it in Pakistan there were one crore forty lakhs Hindus in Pakistan and taking into consideration of this increased population there, their population should have been $2\frac{1}{2}$ crores. But according to the 1961 Census in Pakistan it was only 90 lakhs. In such circumstances what steps Government would take to prevent continuous influx of Hindus and whether the Government have considered that if the 90 lakhs Hindus living in Pakistan come to India what would be India's reaction thereto ?

श्री बलराज मधोक : यदि आप देश में घटने वाली घटनाओं के प्रति अनभिज्ञ हैं तो, यह आप की गलती है ।

Shri L. N. Mishra : So far as preventing it is concerned, we take full care to prevent these circumstances, but unfortunately we could not get success. Since 1964, 8 lakhs people have arrived. As you know forty to fifty lakhs of people came from Pakistan before. Happenings in Pakistan are not good and it is a source of trouble for India. So far as the question of preventing it is concerned, efforts are made, but no success has been achieved so far.

श्री बलराज मधोक : मेरा प्रश्न यह है कि 250 लाख व्यक्तियों में से केवल वहां 90 लाख व्यक्ति रह गये हैं और इन 90 लाख व्यक्तियों को भी निकाला जा रहा है । मैं यह स्पष्टतया जानना चाहता हूँ कि कि वहाँ बचे 90 लाख हिन्दू, ईसाई और बौद्धों का वापिस भारत भेजने से रोकने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है ?

श्री ल० ना० मिश्र : हम पाकिस्तान को यह बताने का प्रयास करते रहे हैं कि वह अल्पसंख्यकों के साथ उचित व्यवहार करे । परन्तु अभी तक हमें इस सम्बन्ध में कोई सफलता नहीं मिली है ।

श्रीमती ज्योत्सना चंदा : मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आसाम सरकार ने उनके भारत प्रवेश में रोक लगा दी है । यदि हाँ, तो क्या भारत सरकार ने आसाम सरकार को निर्देश दिये हैं कि वह उनको भारत आने की अनुमति दे दे और उनको बसाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री ल० ना० मिश्र : आसाम सरकार ने इस सम्बन्ध में एक विज्ञप्ति जारी की थी और उसका हमने खंडन किया था । आसाम सरकार को एक प्रेस विज्ञप्ति भेजी गई है जिसमें इससे उन

व्यक्तियों को आसाम में प्रवेश की अनुमति देने के लिये कहा गया है जो आसाम में प्रवेश करना चाहें।

श्रीमती ज्योत्सना चंदा : क्या आसाम सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है ?

श्री म० ला० सोंधी : क्या पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को विभेद के जो अनुभव हुए हैं, और जिससे उन्हें भारत आना पड़ा। उदाहरण के तौर पर मैं बता सकता हूँ कि दिल्ली में भी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो शरणार्थियों की हैसियत से आये थे परन्तु देरी से आने के कारण उन्हें जहाँ बसाया गया है उसका बहुत ऊँची दर पर किराया देना पड़ रहा है।

श्री ल० ना० मिश्र : शरणार्थियों की हमारी विभिन्न श्रेणियाँ है और उनके लिये हमारी विभिन्न नीतियाँ हैं। इस समय मैं दिल्ली के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता परन्तु पूर्वी पाकिस्तान से आये कुछ प्रवासियों को कुछ राज्यों में बसाया गया है।

श्री तिरनमल राव : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय के पास इन तीनों राज्य से आये शरणार्थियों का ब्योरा सम्प्रदायवार हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध और ईसाई और राज्यवार है ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं केवल 1964 तक आये शरणार्थियों की कुल संख्या दे सकता हूँ। ईसाइ 49,000, बौद्ध 20,000 और हिन्दू 7,60,000।

श्री मनुभाई पटेल : यदि पाकिस्तान सरकार भारत में और शरणार्थी भेजती है तो क्या उनके बसाने के लिये भूमि को मांगने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई विचार किया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह प्रश्न भिन्न है और इसके लिये मुझे अलग से सूचना चाहिये।

Shri Ram Charan : The refugees coming from Pakistan are mostly from backward classes people and the tyranny is being done upon them by the Pakistan Government.

Shri L. N. Mishra : It is true that most of the migrants are from backward classes. So far as the question of sending the M.P's are concerned, the matter relates to other Ministry and I cannot say anything in this regard.

श्री बैंकटा सुब्बया : जहां तक पूर्वी पाकिस्तान से आसाम में शरणार्थियों के आने का प्रश्न है, राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से कुछ शरणार्थियों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये अनुरोध किया है आसाम सरकार द्वारा विशेष अनुरोध करने के बावजूद भी जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया, कि केन्द्रीय सरकार ने उन शरणार्थियो को आसाम में आने की अनुमति के निदेश दे दिये हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार ने क्या सोचकर आसाम सरकार की आपत्ति के विरुद्ध व्यवस्था दी।

श्री ल० ना० मिश्र : यह बात उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में थी जिनके पास स्थानान्तरण प्रमाणपत्र नहीं थे और जिन्होंने प्रवेश नहीं किया था। कुछ नियम होते हैं। नीति के अनुसार हम कुछ कठोर मामलों को भी स्वीकार करते हैं और हमने आसाम सरकार से उन कठोर मामलों को स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

Sri Madhu Limaye: During the last session Shri Chagla announced that the possession of five villages in the Latha Teela are in Pakistan has been given to Pakistan. Whether the Hon. Minister will state that the number of persons arrived and the number of persons are still there and whether Pakistan is trying to send them back also ?

Shri L. N. Mishra : Shri Madhok has told that there are 90 lakh people there, but I cannot give you the exact figure.

श्री बलराज मधोक : उन्हें प्रश्न को स्पष्ट जबाब देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : श्री लिमये ने एक विशेष प्रश्न पूछा है । यदि मंत्री महोदय के पास उत्तर है तो वह दे सकते हैं या वह कह सकते हैं कि उन्हें प्रश्न के लिये सूचना की आवश्यकता है ।

उन्होंने पांच गांवों के सम्बन्ध में जानकारी मांगी है । उन गांवों के कितने व्यक्ति आये हैं और दूसरे व्यक्तियों के साथ क्या हो रहा है ।

श्री ल० ना० मिश्र: इन पांच गांवों के सम्बन्ध में उत्तर देने के लिये मुझे सूचना की आवश्यकता है ।

Shri Madhu Limaye : It is a very old matter. We received the news four years after that those villages have been donated two or three months back.

Shri Tulsi Das Jadhau : These people used to come every year. I want to know whether the Government have tried to investigate the reasons of their coming here and leaving for their home. Whether they have been harrased there and their houses used to be taken over ?

Shri L. N. Mishra : I have already replied it.

श्री हेम बरुआ : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के साथ पाकिस्तानी जासूस भी आसाम में घुस आये हैं और वह पाकिस्तानी जासूसों का अड्डा बन गया है । यदि यह ठीक है, तो सरकार ने उन शरणार्थियों की जांच के लिये क्या विशेष कार्यवाही की है जो सीमावर्ती राज्य विशेषकर ।

श्री ल० ना० मिश्र: इतनी जाँच की जाती है। जहाँ तक विशेष ध्यान दिये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में गृह कार्य मंत्रालय आवश्यक कार्यवाही करती है ।

श्री हेम बरुआ : उन्होंने अपना दायित्व गृह मंत्रालय पर क्यों डाल दिया। यह बहुत आवश्यक मामला है और उन्हें इसकी जानकारी होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : सुरक्षा का दायित्व गृह मंत्रालय का है । वह केवल पुनर्वास मंत्रालय से सम्बन्धित है ।

श्री अ० कु० सेन : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इन शारणार्थियों को विदेशी समझा जाना चाहिये । यदि हाँ, तो क्या उस नीति का पुनरीक्षण किया जायेगा ?

श्री ल० ना० मिश्र : मेरे विचार से उन्हें विदेशी नहीं समझा जाता ।

श्री अ० कु० सेन : उनको विदेशी समझा जाता है ।

श्री ल० ना० मिश्र : जहाँ तक नीति का सम्बन्ध है माननीय मंत्री को इसकी जानकारी है। यह विस्तृत नीति है और इसमें वर्तमान प्रत्यवासी की समस्या से उत्पन्न सब प्रश्नों का हल है।

आयातित गेहूं की आवश्यकता

\+

* 37. **श्री न्द्रजीत गुप्त :** **श्री योगेन्द्र झा :**
श्री रामजी राम : **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : **श्री वाल्मीकि चौधरी :**

क्या **खाद्यतथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष और आगामी वर्ष के लिये अनुमानतः कितने आयात गेहूँ की आवश्यकता होगी,

(ख) आयातित गेहूँ से चालू वर्ष की कितनी आवश्यकता पूरी हुई है ;

(ग) इस प्रयोजन के लिये कितना धन खर्च किया गया है ; और

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(क) वर्ष 1967 के लिये अनुमानतः 90·4 लाख टन आयातित गेहूँ की आवश्यकता होगी। वर्ष 1968 के लिये आयातित गेहूँ की आवश्यकता का प्रारम्भिक अनुमान 70·5 लाख टन है।

(ख) 90·1 लाख टन गेहूँ के आयात के सम्बन्ध में पहले ही व्यवस्था कर ली गई है जिसमें से 70·5 लाख टन गेहूँ अक्टूबर, 1967 के अन्त तक पहुँच गया और बाकी 10.6 लाख टन गेहूँ के नवम्बर और दिसम्बर, 1967 तक पहुँच जाने की सम्भावना है।

(ग) खाद्यान्नों के आयात पर सितम्बर, 1967 के अन्त तक 362·8 करोड़ रुपये व्यय किये गये। अक्तूबर, 1967 के लिये आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं।

(घ) अभी तक कोई स्थायी प्रबन्ध नहीं किये गये हैं। बातचीत चल रही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस वर्ष बहुत अच्छी फसल होने की सम्भावना पर ध्यान रखते हुए, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मंत्रालय ने खाद्यान्नों के आयात की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में गम्भीर रूप से कोई प्रयत्न किये हैं कि यदि अच्छी फसल की सम्भावना के अनुसार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यदि खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति उचित प्रकार से की जाये तो खाद्यान्नों का बहुत स्टाक जमा हो सकता है, क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि 1968 में न्यूनतम खाद्यान्नों का आयात किया जायेगा ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : यह वांछनीय है कि हमें आयात को घटाने की स्थिति में होना चाहिये। परन्तु जैसा सभा को ज्ञात है कि दो वर्ष के सूखे के परिणामस्वरूप पाइप लाइन बिल्कुल खाली हो गई है खाद्यान्न का स्टाक नहीं हुआ यद्यपि इस वर्ष खाद्यान्नों या फसल की बहुत अच्छी सम्भावना है फिर भी हमने यह अनुमान लगाया है कि क्योंकि पिछला स्टाक बाकी नहीं है अतः शायद 70 लाख टन खाद्यान्न का आयात किया जाना आवश्यक होगा। इसमें से 20 से 30 लाख टन समीकरण भंडार के लिये आवश्यक है। यह सब केवल आयात किये गये खाद्यान्नों में से नहीं बल्कि अधिप्राप्त किये गये खाद्यान्नों में से भी किया जायेगा। अतः हमारे आन्तरिक उपभोग के लिये लगभग 30 से 30.5 लाख टन खाद्यान्नों की आवश्यकता होगी। पिछले वर्षों में आयात की गई मात्रा से यह आँकड़े बहुत अधिक ऊँचे नहीं हैं।

श्री इंद्रजीत गुप्त : जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया इसमें से इस प्रयोजन के लिये

लगभग 300 करोड़ रुपये व्यय होगे। इसमें से कितने रुपयों में और कितने डालर में देय होंगे। क्या 1968 की वार्ता के अनुसार भुगतान का ढंग बदल गया है ? क्या पुराने समझौते के अनुसार रुपयों में ही भुगतान किया जायेगा या उसका भुगतान पूर्णतः या आंशिक रूप से डालर में किया जायेगा ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस सम्बन्ध में अभी बातचीत चल रही है। मेरे विचार से लगभग 70·4 लाख टन खाद्यान्न का आयात होगा जिसमें से यदि बातचीत सफल हो जाती है तो 60 लाख टन खाद्यान्न का आयात अमरीका से किया जायेगा। पी० एल० 480 समझौते के अन्तर्गत उसके अधिकांश भाग का भुगतान रूपयों में होगा। हां, भाड़े इत्यादि का भुगतान डालर में किया जायेगा।

Shri Bhogendra Jha : Taking into consideration that whenever the trouble arises in our country as in the case of Kashmir aggression, import of foodgrains is stopped. Taking also into consideration the possibility of the bumper crops this year whether the Government is thinking so far as states like West Bengal, Bihar, Purnia or Sehrsa districts or other parts of the country are concerned, the total purchase of foodgrains may be made by the States and the total nationalization of the wholesale foodgrains trade. Whether the Government is also considering to provide the farmers, some essential facilites like cement, sugar, fertilizer etc. so that we may not import foodgrains from foreign ? Whether the Government have estimated the total quantity of foodgrains expected to be arrived in the grain market this year ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : यदि मैंने माननीय सदस्य को ध्यान से सुना है तो खाद्यान्नों का व्यापार राजकीय क्षेत्र में किया जाता है।

Shri Bhogendra Jha : I am talking of wholesale trade.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे :—समय-समय पर हम यह कहते रहे हैं कि देश की परिस्थितियों के अनुसार यदि आवश्यक हुआ तो अधिकांश अनाज का व्यापार राजकीय क्षेत्र के अन्तर्गत आ जायेगा। इस सम्बन्ध में हमने स्पष्ट प्रयत्न किये हैं और उनका सभा में उल्लेख भी किया है।

जहाँ तक आयात को घटाने का सम्बन्ध है, यह तो देश में अनाज की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। इस सम्बन्ध में हाल के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा की गई थी। हम राज्य सरकारों पर अधिक से अधिक खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति पर जोर दे रहे हैं। यदि वे अपने प्रयास में सफल हो जाती हैं तो आशा है कि इस वर्ष खरीफ का उत्पादन लगभग 60–70 लाख टन और रबी का उत्पादन 10 लाख टन होगा।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आगे खाद्यान्नों की स्थिति संतोषजनक है, क्या सरकार का विचार खाद्य जोनों को समाप्त करने का है ? क्या सरकार का विचार अनाज का बफर स्टाक जमा करने का है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे :—खाद्य जोनो को हटाने के प्रश्न पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा की गई थी। इस सम्मेलन में सामान्यतर विचार खाद्य जोनों के प्रतिबन्धों को न उठाने का था।

जहाँ तक बफर स्टाक का सम्बन्ध है। मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूँ कि यदि हमारा

अधिप्राप्ति का लक्ष्य सफल हो जाता है तो इस वर्ष 20-30 लाख टन स्टाक के जमा होने की सम्भावना है ।

श्री रंगा : अब जब सरकार को इस वर्ष आयातित खाद्यान्नों के अतिरिक्त अच्छी फसल और अधिप्राप्ति की सम्भावना है और सरकार का विचार इन न चाहने वाले जोनल नियंत्रण को बनाये रखना है तो क्या वह एक जिले से दूसरे जिले पर नियंत्रणों, कम से कम पड़ताल चौकियों और भ्रष्टाचार को समाप्त करने पर विचार करेंगे ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाद्यान्न ले जाने से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है । श्री रंगा ने जिले में अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का उल्लेख किया । राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वह यह देखे कि राज्य में अनाज के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में यथासम्भव अधिक दृढ़ता से अमल न किया जाये ।

श्री रंगा : मेरे माननीय मित्र ने बताया कि उन्होंने यह निर्णय मुख्य मंत्रियों और खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में हुई चर्चा के आधार पर लिये । क्या इस विषय पर भी उसमें चर्चा की गई थी । क्या उन्होंने उन्हें ऐसी कोई सलाह दी थी और क्या वह उन्हें ऐसी सलाह कम से कम अब देंगे ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं श्री रंगा की बात से पूर्णतः सहमत हूँ । वास्तव में खरीफ के कटाई के पश्चात् कुछ राज्यों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अनाज ले जाने के प्रतिबन्ध में ढील दे दी गई है । मैं उन्हें फिर से स्मरण कराऊँगा कि ये प्रतिबन्ध हटाये जाने चाहिये ।

श्री रंगा : आंध्र में वह प्रतिबन्ध अभी भी है ।

श्री जगजीवन राम : आंध्र में भी इनमें ढील हुई है ।

श्री रंगा : कोई ढील नहीं दी गई है ।

श्री जगजीवन राम : मैं इस सम्बन्ध में आंध्र सरकार का ध्यान आकर्षित कराऊँगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

शक्तिशाली ट्रांसमिटर

*1. **श्री काशी नाग पांण्डे :** **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री ।**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री यशपाल सिंह :**
श्री गा० च० दीक्षित :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के लिये विदेशों से मंगाये गये शक्तिशाली ट्रांसमिटर लगा दिये गये हैं ; और

(ख) क्या चीन द्वारा किये जा रहे शत्रुतापूर्ण प्रचार का खण्डन इनके द्वारा किया जा सकेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के. के. शाह) :

(क) उच्च शक्ति वाले दो ट्रांसमिटर लगाने की योजना को कार्य-रूप दिया जा रहा है। उम्मीद है दोनों ट्रांसमिटर उत्तरोत्तर अगले तीन वर्षों के दौरान चालू हो जाएँगे।

(ख) जी, हाँ। आशा है ये ट्रांसमिटर चीनी प्रचार का प्रतिकार करने में सफल सिद्ध होंगे।

आकाशवाणी के लिए निगम

* 2. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री रवि राय :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री र० रा० सिंह देव :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री शशिभूषण बाजपेयी:
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री जनार्दनम :
श्री न० कु० सांघी :
श्री मायावन :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 17 जुलाई 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 1174 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी को एक निगम के रूप में पुनर्गठित करने के बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) खेद है कि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

परमाणु अस्त्रों के प्रसार को रोकने सम्बन्धी सन्धि

*3. **श्री हेम राज :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कृष्ण मूर्ति :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री मधु लिमये :
श्री कंवरलाल गुप्त :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दो बड़े देशों द्वारा प्रस्तुत की गई परमाणु अस्त्रों के प्रसार को रोकने की सन्धि के प्रारूप की मोटी-मोटी बातें क्या हैं और क्या सरकार ने उसका अध्ययन कर लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार ने उसमें कोई परिवर्तन करने का सुझाव दिया है और यदि हाँ, तो क्या ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) परमाणु अस्त्रों के फैलाव को रोकने से संबद्ध एक संधि का मसौदा संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने 24 अगस्त

1967 को जेनेवा में 18-राष्ट्रों की निरस्त्रीकरण समिति में पेश किया था। इस संधि के मसौदे की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। [पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 1498/67] इसके अनुच्छेद 111 को खाली छोड़ दिया गया है क्योंकि परमाणु अस्त्रों के उत्पादन के काम आने वाली विस्फोटक सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने से रोकने की व्यवस्था तैयार करने पर अभी दोनों प्रस्तावकों में सहमति नहीं हो पाई है।

(ख) भारत सरकार की प्रारम्भिक प्रतिक्रिया यह है कि यह मसौदा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 20वें अधिवेशन के प्रस्ताव 2028 और 21वें अधिवेशन के 2153-क से पूरी तरह मेल नहीं खाता। 18-राष्ट्रों की निरस्त्रीकरण समिति के कुछ सदस्यों ने इस मसौदे में संशोधन का प्रस्ताव किया है और बताया जाता है कि प्रस्तावक उन पर विचार कर रहे हैं। यह भी बताया जाता है कि प्रस्तावक अनुच्छेद 111 तैयार करने के बारे में विचार कर रहे हैं तथा गैर-परमाणु देशों को सुरक्षा का आश्वासन देने के बारे में भी विचार कर रहे हैं।

(ग) जी नहीं, भारत ने कोई औपचारिक संशोधन नहीं किया है।

नाथूला और चोला पर चीन का आक्रमण

*4. **श्री राम चरण :** **श्री हेम बरुआ :**
श्री शिव कुमार शास्त्री : **श्री राम सेवक यादव :**
श्री अटल बिहारी बाजपेयी : **श्री मोहन स्वरुप :**
श्री रवि राय : **श्री प्र० न० सोलंकी :**
श्री मयावन : **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
श्रीमती सुशीला रोहतगी : **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री शारदा नन्द : **श्री चरण जीत राय :**
श्री श्रद्धाकर सूपकार : **श्री पार्थसारथी :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी : **श्री न० कु० सांघी :**
श्री रा० रा० सिंह देव : **श्री शिव चन्द्र झा :**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री बेदव्रत बरुआ : **श्री जे० मुहम्मद इमाम :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री समर गुह :**
श्री बलराज मधोक : **श्री श्रीनिवास मिश्र :**
श्री इसहाक सांम्भली : **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री प्र० के० देव :**
श्री ना० स्व० शर्मा : **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : **श्री स० कुन्दू :**
श्री य० अ० प्रसाद : **श्री मधु लिमये :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन की सेनाओं ने सितम्बर, 1967 में नाथूला के निकट तथा पुनः अक्टूबर 1967 में चोला में भारतीय सेनाओं पर फील्ड तोपखाने तथा हैवी मोरटार के साथ भारी आक्रमण किया था;

(ख) यदि हां, तो इन घटनाओं का ब्योरा क्या है तथा दोनों ओर जान और माल की कितनी क्षति हुई; और

(ग) सिक्किम तथा तिब्बत की सीमाओं पर चीनी सेनाओं के जमाव से उत्पन्न हुई स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) : इस सम्बन्ध में एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया ।

(ग) हमारी सीमाओं के उस पार हो रहे उन सब बातों पर सरकार बराबर नजर रख रही है जिनका हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है और अपनी रक्षा योजनाओं में उन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है ।

चीनी सैनिकों ने लगभग अगस्त के मध्य से तिब्बत-सिक्किम सीमा में सिक्किम की ओर से छोटे-मोटे अतिक्रमण करना आरम्भ कर लिया था । सिक्किम सीमा पर लगे भारतीय सैनिकों ने उन अतिक्रमणों को दृढ़तापूर्वक खदेड़ा । 11 सितम्बर को चीनियों ने नाथूला में हमारे उन सैनिकों पर, जो चीनी अतिक्रमणों की रोकथाम के लिए कांटेदार तारों की बाढ़ को मजबूत करने में लगे थे, कुछ बोलचाल के बाद अचानक ही बिना उत्तेजनाजनक कारणों के छोटे हथियारों से गोलाबारी शुरू कर दी । इसके तुरन्त बाद तोपों से गोलाबारी होने लगी । भारतीय जवानों ने चीनियों की गोलाबारी का कारगर जवाब दिया । नाथूला में 11 से 14 सितम्बर तक गोलाबारी होती रही ।

2. 1 अक्टूबर को चोला में जहाँ चीनी कुछ समय से अपने मोर्चों को मजबूत बनाने में लगे हुए थे, एक ऐसे स्थान के बारे में अपना दावा करने लगे जो कि हमेशा से हमारे नियन्त्रण में रहा था । इस पर कुछ हाथापाई हुई और एक चीनी सैनिक ने एक भारतीय जवान पर संगीन घोंप दी । इसके प्रत्युत्तर में एक भारतीय सन्तरी ने दो चीनी सैनिकों पर संगीन घोंप दी । उसके बाद चीनियों ने एम० एम० जी० आर० सी० एल० गनों और 60 एम० एम० और 82 एम० एम० मार्टरों से गोलाबारी शुरू कर दी । हमारे जवानों ने जवाब में उन पर गोलाबारी की । मार्टरों से की जा रही गोलाबारी लगभग 15·15 बजे बन्द हुई और 16·15 बजे सभी गोलाबारी बन्द हुई ।

3. नाथूला और चोला में इन गोलाबारी की घटनाओं में हमारे 88 जवान मारे गए और 163 घायल हुए । इसके अतिरिक्त हमारी रक्षात्मक स्थिति और उपस्करों को भी इनसे कुछ क्षति पहुँची । यद्यपि चीनियों की ओर से हताहतों की ठीक संख्या ज्ञात नहीं है फिर भी ऐसा अनुमान है कि नाथूला में उनके लगभग 300 सैनिक और चोला में 40 सैनिक मारे गए या घायल हुए । उनकी रक्षात्मक स्थिति को हमारी अपेक्षा काफी अधिक क्षति पहुँची ।

4. हमारी फौज ने चीनियों की उत्तेजनात्मक कार्यवाहियों का जवाब बहुत धैर्य और शान्त तरीकों से दिया लेकिन जब उन्होंने बिना उत्तेजनात्मक कारणों से गोलाबारी करना आरम्भ किया तो हमारे जवानों ने उनका प्रभावात्मक जबाब दिया । भारतीय फौजों ने किसी भी समय चीनियों के लिए अपनी सैनिक चौकी का नियन्त्रण नहीं छोड़ा लेकिन दोनों बार अगर उन पर धोखे से हमला न किया गया होता तो हमारी ओर के हताहतों की संख्या उतनी न होती जितनी की हुई है ।

HINDUS AND BUDDHISTS IN EAST PAKISTAN

*5. **SHRI SHIV KUMAR SHASTRI** : **SHRI ATAM DAS** :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that the Hindus and Buddhists of East Pakistan are being dislodged in a premeditaed manner and they are being converted ;

(*b*) whether any protest note has been sent to the Government of Pakistan in this regard ;

(*c*) if so, the details of the reply received ; and

(*d*) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (*a*) The Government are not aware of any premeditated scheme for expulsion and conversion of Hindus and Buddhists in East Pakistan. The minority communities there, however, continue to suffer from a number of disabilities and hardships.

(*b*) Numerous protest notes have been lodged with the Government of Pakistan in this regard.

(c) The Pakistan Government usually does not reply to such notes. In a few cases, the notes are rejected on the plea that the allegations have been found to be baseless.

(d) The Government of India, while continuing to remind the Government of Pakistan of their obligations under the Nehru-Liaquat Pact of 1950, are of the view that ultimately the question of providing protection and security to the minorities in Pakistan is a duty which the Government of Pakistan owes to its own nationals.

इमरजेंसी कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारियों को सेवा मुक्त किया जाना

*6. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :**
श्री शारदा नन्द :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री रणजीत सिंह :
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री श्रीधरन :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री रणधीर सिंह :
श्री राम चरण :
श्री विश्वम्भरन :
श्री जार्ज फरनेंडीज :

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक इमरजेंसी कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारियों को सेवा मुक्त किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) क्या सरकार ने उन्हें उपयुक्त रोजगार देने के लिये समुचित कार्यवाही की है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि सेवा मुक्त इमरजेंसी कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारियों को चिकित्सा सुविधायें नहीं दी जाती हैं ; और

(च) क्या सेवा मुक्त इमरजेंसी कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) जी, हां

(ख) अब तक सेवा मुक्त किये गए सैनिक अधिकारियों की संख्या (चिकित्सा और पशु चिकित्सा अधिकारियों को निकालकर) 1546 है। इसमें अन्य पदाधिकारियों के साथ 37 पदाधिकारी ऐसे हैं जिन्हें अदक्षता या अनुशासन भंग करने के कारण सेवा मुक्त किया गया; 38 सैनिक अधिकारियों ने त्यागपत्र दिये और 270 सैनिक अधिकारी सेना में कार्य करने के इच्छुक नहीं थे, यद्यपि स्थायी कमीशन के लिये उपयुक्त थे, भी शामिल हैं।

(ग) जी हां, उनके बसाने के लिये सरकार यथासम्भव उपाय कर रही है, प्रतिरक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत निबटारा निदेशालय में उनके बसाने के लिये एक अलग सेल स्थापित किया गया है।

(घ) 662 सेवा मुक्त इमरजेंसी कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारियों के लिये वैकल्पिक सेवाओं का प्रबन्ध कर दिया गया है। 943 इमरजेंसी कमीशन प्राप्त सैनिकों को सेना में स्थायी कमीशन अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है।

(ङ) भूतपूर्व सेना अधिकारियों, जिनमें सेवा मुक्त इमरजेंसी कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारी भी शामिल हैं, को यदि उन्हें पेन्शन मिलती है या वह सैनिक सेवा के अयोग्य हो गये हैं तो उन्हें सैनिक अस्पताल में बाहरी रोगी/अंतरंगरोगीकी भाँति सामान्य खर्चे पर चिकित्सा कराने का अधिकार है। जो सैनिक यह शर्त पूरी नहीं करते वे सैनिक अस्पताल में सामान्य खर्च देकर अनाधिकार प्राप्त मामलों की भाँति उपचार करा सकते हैं।

(च) जैसा कि प्रश्न के (ग) भाग के उत्तर में बताया गया है कि सरकार सेवा मुक्त इमरजेंसी कमीशन प्राप्त सैनिकों की कठिनाइयों को दूर करने उदाहरणार्थ उन्हें असैनिक जीवन में बसाने के पहले ही से भरसक उपाय कर रही है। यदि सरकार के सम्मुख और कठिनाइयाँ आयेंगी तो उनकी पूरी जाँच की जायेगी।

हिन्द महासागर में सैनिक अड्डे

*7. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री नायनार : **श्री बेदब्रत बरुआ :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "यू० एस० न्यूज एण्ड व्यूज रिपोर्ट" में हिन्द महासागर में कई सैनिक अड्डे बेचने के लिए गुप्त आंग्ल-अमरीकी समझौते के ब्यौरों के बारे में बताई गई बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारत और हिन्द महासागर क्षेत्र के अन्य देशों की सुरक्षा के सम्बन्ध में इस समझौते के प्रभाव का अध्ययन किया है।

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में संयुक्त राज्य अमरीका और ब्रिटेन की सरकारों को कोई विरोध-पत्र भेजा है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने यह रिपोर्ट देखी है।

(ख) से (घ) इस मामले में भारत सरकार का रुख और ब्रिटेन सरकार के साथ की गई कार्यवाई विदेश मंत्री के उस वक्तव्य में बताई गई थी जो उन्होंने 6 अप्रैल 1967 को संसद में दिया था। सरकार ने इस मामले को यूनाइटेड किंगडम तथा अमरीका की सरकारों के साथ नहीं उठाया है। लेकिन स्थिति पर बराबर विचार रखा जाता है। मारिशस द्वीप सम्बन्धी उप समिति की रिपोर्ट पर 24 सदस्यों की विशेष समिति ने जून 1967 में अपने अफ्रीका अधिवेशन में विचार किया था और इस विषय को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अधिवेशन में उठाए जाने की उम्मीद है।

INDIAN DIPLOMATS EXPELLED FROM PAKISTAN

* 8. **Shri Nihal Singh** :
Shri C. K. Bhattacharyya :
Shri Sarjoo Pandey :
Shri N. K. P. Salve :
Shri K. P. Singh Deo :
Shri D. N. Deb :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that three Indian Diplomats were beaten up and expelled from Pakistan ;

(b) if so, the action taken by Government in this regardi;

(c) whether any reply has been received from the Pakistan Government to the protest note sent in this regard ;

(d) whether these diplomats were got medically examined by Government ; and

(e) if so, the result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) to (e): On August 22, 1967, a First Secretary of the Indian High Commission in Islamabad and two other officials were arrested by Pakistani Intelligence personnel for alleged spying and subversive activities. After detaining them for 3 hours, the Pakistani authorities released them .

On the morning of August 23, 1967, the Counsellor of the Indian High Commission handed over a note to the Pakistan Foreign Office protesting against the arrest, illegal detention and man-handling of the Indian officials. At the same time, the Pakistani Foreign Office handed over a note to the Counsellor protesting against what they called "unworthy conduct" of a senior officer and members of the staff of Indian High Commission and demanding that they leave Pakistan within 24 hours.

In a further note dated August 25, 1967, the Pakistan Foreign Office while reiterating their earlier allegations against our officials, denied that the officials were man-handled.

Our High Commission rejected the allegations made by the Pakistan Government in a note handed over on Sept. 5, 1967.

ANNUAL PLANS

* 9. **Shri Molahu Prasad** :
Shri Shiva Chandra Jha :
Dr. Surya Prasad Puri :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news published in newspapers on the 24th August, 1967 that instead of Five Year Plan, Annual Plans would be

implemented and steps would be taken to implement various programmes in accordance with the availability of funds ;

(b) if so, whether Government also propose to reduce the number of Technical advisers and Officers appointed in the Planning Commission and the various Ministries connected with the Plan in the same proportion ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (c) : No such news item has come to Government's notice. However, the Planning Commission is currently engaged in the formulation of the Annual Plan for 1968-69. The work on the formulation of the Fourth Five Year Plan is expected to be taken up in January 1968, immediately after completion of the Annual Plan. Therefore the question of reducing the strength of Technical Advisers and other staff does not arise. However, the Administrative Reforms Commission is examining the personnel requirements of the Planning Commission and its report is expected shortly.

LIMIT OF TERRITORIAL WATERS

10. **Shri Ramji Ram** : **Shri Shashi Bhushan Bajpai** :
Shri N. K. Sanghi :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5832 on the 17th July, 1967 and state :

(a) whether any decision has since been taken to extend the limit of territorial waters of the country from 6 miles to 12 miles with a view to safeguard the shipping rights ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) (a) Yes, Sir. By Presidential Proclamation of 30th September, 1967, the limits of the territorial waters of India were extended from six to twelve nautical miles.

(b) A copy of the Proclamation is placed on the Table of the House. (**Placed in Library Sec No. LT-1499 67**)

अदन में हताहत भारतीय

*11. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री मणि भाई जे० पटेल :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि है कि हाल में अदन में हुए आतंकवादियों के आक्रमणों के दौरान हताहत लोगों में बहुत से भारतीय थे ;

(ख) यदि हां, तो कितने भारतीय घायल हुए थे तथा कितने मारे गये थे ;

(ग) अदन में कितने भारतीय हैं तथा क्या उनका प्रत्यावर्तन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो प्रत्यावर्तन योजना का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :

(क) और (ख) : अदन के हाल के दंगों में 3 भारतीय मारे गए और 14 घायल हुए। इनमें

एक को छोड़कर बाकी सभी घटनाएँ आकस्मिक थीं जो कि धोखे से गोली लग जाने से तथा गोलों के टुकड़ों से हुई थीं जो कि अनुमानत: ब्रिटेन के सुरक्षा कर्मचारियों पर छोड़े गए थे।

(ग) अदन में अभी अनुमानत: 1200 भारतीय हैं। इनमें से कोई 500 भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। उम्मीद की जाती है कि इनमें से कुछ सौ दिसम्बर 1967 के अन्त तक अदन में सुलभ यातायात के सामान्य साधनों से वहां से रवाना हो जाएँगे।

(घ) चूंकि भारतीयों को अदन से रवाना होने के लिए यातायात के सुलभ साधनों को पाने में कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई है, इसलिए कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

TIBET ISSUE IN U. N. O.

12. **Shri Y. S. Kushwah :** **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Ram Avtar Sharma : **Shri Ishaq Sambhali :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether any efforts have recently been made in U.N.O. in regard to the liberation of Tibet;

(b) whether this subject was discussed during the Dalai Lama's visit to Japan ; and

(c) the measures taken to stop the annihilation of the Tibetan culture ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No, Sir.

(b) No representative of the Government of India or any one on their behalf held any such discussion. His Holiness the Dalai Lama paid a purely private visit to Japan for cultural purposes.

(e) The Government of India have always supported Tibet's autonomy and the right of her people to religious and cultural freedom. With this aim in view India supported at the United Nations General Assembly in December 1965 a Resolution which deplored "the continued violation of the fundamental rights and freedom of the people of Tibet" and "suppression of the distinctive cultural and religious life of its people". The Resolution renewed "its call for the cessation of all practices which deprived the Tibetan people of the human rights and fundamental freedom which they had always enjoyed".

चौथी पंचवर्षीय योजना

* 13. **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप से तैयार कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं; तो देरी के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी):

(क) जी, नहीं।

(ख) अनिश्चित आर्थिक व्यवस्था के मुख्य कारण दो वर्ष तक लगातार सूखा पड़ना, स्रोतो की स्थिति में परिवर्तन और मांगों की भविष्यवाणी के सम्बन्ध में पुनर्विलोकन किये जाना है। इसके परिणामस्वरूप चौथी योजना को अन्तिम रुप देने में विलम्ब हुआ है। 1968-69 की वार्षिक

योजना के पूरा हो जाने के पश्चात्, जिस पर इस समय योजना आयोग कार्य कर रहा है, कार्य शीघ्र आरम्भ किया जायेगा ।

नागालैंड में युद्ध विराम

* 14. **श्री भरण्डी :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री चेंगलराय नायडू :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नागालैंड में युद्ध-विराम की अवधि बढ़ा दी है ;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी अवधि के लिये ;

(ग) क्या यह भी सच है कि नागालोग युद्ध-विराम समझौते की शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) युद्ध-विराम की अवधि कब तक बढ़ाने का सरकार का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :

(क), (ख) और (ङ) : जी हां । लड़ाई बंदी का समझौता तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है यानी 31 जनवरी 1968 तक के लिए ।

(ग) कुछ उल्लंघन हुए हैं, खासकर समझौते के अन्तर्गत आने वाले मणिपुर के क्षेत्र में ।

(घ) राज्य सरकार और संबद्ध प्रशासन छिपे नागाओं की गैर-कानूनी कार्रवाइयों को रोकने के लिये और नागरिकों की जान और माल की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं । उन्होंने प्रशासन अधिकारियों को पुलिस का इस्तेमाल करने के आदेश दे दिए हैं और कहा है कि अगर जरूरी हो तो नागरिक प्रबन्धकों की सहायता के लिए सुरक्षा सेना बुलाई जाए, जिससे कि हिंसात्मक कार्रवाइयां न होने पाएं ।

अमरीकी परमाणु शक्ति अधिकारियों के साथ भारतीय परमाणु शक्ति आयोग के अध्यक्ष की बातचीत

* 15. **श्री रवि राय :**

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत परमाणु शक्ति आयोग के अध्यक्ष डा० विक्रम साराभाई तथा अमरीकी परमाणु शक्ति अधिकारियों के बीच हाल ही में हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला है ;

(ख) क्या सरकार ने भारत में बड़े नाभिकीय शक्ति संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री अणु शक्ति मंत्री योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) जो बातचीत हो रही थी उसका लक्ष्य प्रारम्भिक अध्ययन का पुनरीक्षण करके इस बात

का अनुमान लगाना था कि कृषि उद्योग के न्यूनतम व्यय के शक्ति एकक कैसे निर्माण किये जा सकते है । उनका सम्बन्ध 500-1000 विद्युत क्षमता के परमाणु शक्ति स्टेशनों से भी है ।

(ख) भारतीय परमाणु शक्ति आयोग का अध्ययन अभी समाप्त नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता

वियतनाम संघर्ष का हल

* 16. **श्री भोगेन्द्र झा :** **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री हेम बरुआ : **श्री काशी नाथ पाण्डे :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हाल में उत्तरी वियतनाम पर अमरीका द्वारा हवाई हमले बढ़ा दिये जाने के कारण वियतनाम संघर्ष को शान्तिपूर्ण तरीके से हल करना और कठिन हो गया है;

(ख) यदि हां, तो अमरीका को उत्तर वियतनाम पर बमबारी बन्द करने के लिये मनाने की दृष्टि से सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या वियतनाम समस्या को शान्तिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए भारत ने पुनः कोई पहल की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (घ) : भारत सरकार के विचार में, वियतनाम की समस्या पर शांतिपूर्ण समाधान के उद्देश्य से बातचीत के अनुकूल वातावरण पैदा करने के लिये पहले अनिवार्य कदम के रूप में उत्तर वियतनाम पर बमबारी तत्काल और बिना शर्त बन्द होनी चाहिए । तदनुरुप, हवाई हमलों अथवा अन्य लड़ाइयों को जारी रखने अथवा बढ़ाने से शांतिपूर्ण समाधान और कठिन हो जाने की सम्भावना है ।

भारत सरकार विभिन्न संबद्ध पक्षों से सम्पर्क बनाए हुए है और राजनयिक जरियों से शांतिपूर्ण समाधान के उल्लिखित उद्देश्य से हर सम्भव कार्रवाई कर रही है । राजनयिक स्तर पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा बताना सार्वजनिक हित में न होगा ।

नौसेना के जहाजों का निर्माण

* 17. **श्री तुलसी दास दासप्पा :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना के जहाज जैसे युद्धपोत तथा सुरंग-तोड़ जहाज बनाने की कोई प्रस्तावना अन्तिम रूप में तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनका निर्माण कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) : जी हां ।

मजांगाडाक लिमिटेड बम्बई इस समय भारतीय नौसेना के लिए दो अभितट सुरंग-नाशक जहाज और लींडर क्लास युद्धपोत बना रहा है। पहला अभितट सुरंग-नाशक जहाज अप्रैल 1967 में पानी में उतारा गया तथा 1968 के आरम्भ में वह काम करना आरम्भ करेगा।

प्रथम युद्धपोत का निर्माण मई 1966 के आरम्भ में हुआ था। 1968 के अन्त तक उसे पानी में उतारे जाने और अक्टूबर 1971 तक उसे चलाए जाने की आशा है।

डा० धर्म तेजा

*18. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री राममूर्ति :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री नायनार :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री प० गोपालन :
श्री नम्बियार :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री रवि राय :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जनार्दनन :
श्री मृत्युंजय प्रसाद :
श्री न० कु० साल्वे :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री हेम बरुआ :
श्री एस० एम० जोशी :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री प्रमचंद वर्मा :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० धर्म तेजा जिसके विरुद्ध संयुक्त राज्य अमरीका में प्रत्यर्पण-कार्यवाही चल रही थी, जमानत करवा कर स्विटजरलैंड भाग गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :

(क) जी हाँ। संयुक्त राज्य अमरीका में जब डा० और श्रीमती तेजा के विरुद्ध प्रत्यर्पण की कार्रवाई चल रही थी उस समय उन्होंने जमानत का प्रबन्ध कर लिया लेकिन वे भागकर कोस्टारिका गए हैं, स्विटजरलैंड नहीं।

(ख) उनके कोस्टारिका भाग जाने की जैसे ही खबर मिली, वैसे ही हमारे वाशिंगटन स्थित राजदूतावास में मंत्री, डा० बनर्जी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल कोस्टारिका के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से भेंट करने के लिए वहाँ भेजा गया। यह शिष्टमंडल तेजा दम्पत्ति के विरुद्ध मामले के सारे कागजात को अपने साथ ले गया था जिनमें अमरीका कमिश्नर के आदेश की प्रमाणित प्रति और मूल पाठ भी था जिसमें डा० और श्रीमती तेजा के प्रत्यर्पण के मामले को प्रमाणित किया था और गिरफ़्तारी का वह वारंट भी था जो कि डा० और श्रीमती तेजा की गिरफ़्तारी के लिए अमरीका के कमिश्नर ने जारी किया था। इस शिष्टमंडल के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप कोस्टारिका की सरकार ने तेजा-दम्पत्ति के यात्रा सम्बन्धी दस्तावेज रद्द कर दिए और जब तक उनका अमरीका को उद्वासन न हो जाए, गिरफ्तारी के आदेश भी जारी

कर दिए । किंतु तेजा दम्पत्ति ने शायद इस बात को भाँप लिया और कहीं छिप गए। एक अटार्नी ने उनकी ओर से कोस्टारिका से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी जिसमें यह प्रार्थना की कि डा० और श्रीमती तेजा के उद्‌वासन तक उनकी गिरफ्तारी के आदेश रद्द कर दिए जाएँ और उन्हें राजनीतिक शरण दी जाए। लेकिन, 1 नवम्बर 1967 को तेजा दम्पत्ति ने अपने आपको कोस्टारिका के अधिकारियों के हवाले कर दिया और राजनीतिक शरण की उनकी अर्जी पर विचार होने तक उन्हें पुलिस की देख-रेख में रख दिया गया है। अब कोस्टारिका में सर्वोच्च स्तर पर समुचित प्रतिनिधित्व के लिए कार्रवाई की जा रही है, इस उद्देश्य से अधिकारियों को यह आश्वासन दिलाया जा सके कि तेजा दम्पत्ति अपराध करके भागे हैं और उनके खिलाफ जो मामला है वह पूरी तरह आपराधिक जुर्मों का है और उन्हें राजनीतिक शरण देने का प्रश्न नहीं उठता।

भारत के लिये 'माइलो' अनाज लाने वाला 'आबजर्वर' नामक जहाज

*19. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त अरब गणराज्य की सरकार भारत को 'माइलो' अनाज लाने वाले 'आबजर्वर' नामक जहाज को स्वेज नहर खुलने से पहले ही इस नहर में से गुजरने की अनुमति देने के लिये सहमत हो गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका क्या परिणाम रहा है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत-तिब्बत सीमा पर चीनी सेनाओं का जमाव

* 20. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : **श्री य० अ० प्रसाद** :
श्री श्रीधरन : **श्री मरंडी** :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वालोंग, सेला और जालपा क्षेत्रों समेत पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हाल में चीनी सेनाओं का भारी जमाव होने की सूचना मिली है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सम्पूर्ण भारत-तिब्बत सीमा के साथ-साथ चीनी सेनाओं के जमाव में वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस खतरे का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) जैसे कि इस सभा में पहले बताया जा चुका है चीनी हमारी उत्तरी सीमाओं तथा सिक्किम की तिब्बत के साथ लगती सीमाओं के साथ-साथ भारी संख्या में विद्यमान हैं। चुम्बी घाटी क्षेत्र में, जिसमें जलेपला क्षेत्र भी शामिल है, चीनियों ने नाथूला तथा चोला में उन द्वारा गोली-कांड के परिणाम स्वरूप होने वाली घटनाओं से पहले और पश्चात भी अपनी स्थितियां विशेषकर दृढ़ बना ली हैं।

(ग) दूसरी ओर पर, हमारी सुरक्षा को प्रभावित करने वाली क्रियाओं का समुचित ध्यान रखा जाता है, और उन से सम्भावित किसी संकट का सामना करने के लिये उपाय किये जाते हैं।

आसाम सीमा पर पाकिस्तानी सेना का तैनात किया जाना

*21. **श्री मायावन** **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा**
श्री देवकी नन्दन पटौदिया **श्री धीरेन्द्रनाथ देव**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान के अधिकारियों ने अगस्त और सितम्बर, 1967 में आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा के साथ-साथ अतिरिक्त सेना तैनात की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तानी सीमा सुरक्षा की चौकियों की संख्या, विशेषकर कछार/सिलहट सीमा पर, काफी बढ़ गई है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि दो चीनी जनरल खोदिम नगर-स्थित प्रशिक्षण केन्द्र में पाकिस्तानी सैनिकों को विशेष प्रशिक्षण दे रहे हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस खतरे का मुकाबला करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रेस रिपोर्ट देखी है। हमारी सीमाओं के दूसरी ओर पाकिस्तानी सैनिक गतिविधि के सम्बन्ध में सरकार सामान्य रूप से सतर्क है। चीन पाकिस्तान को सैनिक क्षेत्र में जो सहायता दे रहा है, सरकार को वह भी मालूम है। आसाम पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर ऐसी कोई बात हमारे ध्यान में नहीं आयी जिस पर अधिक चिंता की आवश्यकता हो, सरकार के पास जो विस्तृत सूचनाएं उपलब्ध हैं उन्हें प्रगट करना जनहित में नहीं होगा।

(घ) हमारी सीमाओं के पार इस प्रकार की सभी बातों को बड़ी सावधानी से देखा जाता है और देश की सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय किये जाते हैं।

AIR SPACE VIOLATION

22. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) whether the Indian air-space has been violated by China or Pakistan during the last three months;

(b) if so , the places where such violations have occurred;

(c) whether any protests were lodged with the countries concerned in this regard ; and

(d) if so, the results thereof ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh):

(a) Yes Sir, by Pakistan. No violation of Indian air-space by China during this period has been reported.

(b) These violations occurred in J. & K., Punjab, Gujarat areas and in the Eastern Sector.

(c) and (d) : Protests were lodged with the Government of Pakistan for air space vio-

lations over areas other than J & K. Complaints about air space violations in J. & K. area were lodged with the U. N. Observers. The reply of the Government of Pakistan is awaited.

पाकिस्तान और चीन से खतरा

* 23. **श्री न० कु० साल्वे :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हमारे देश को चीन और पाकिस्तान की ओर से बने हुये सतत खतरे को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार (एक) प्रादेशिक सेना की संख्या बढ़ाने और (दो) नागरिक सुरक्षा कार्यों के बारे में देश के लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : जी नहीं। सरकार लोगों को असैनिक रक्षा उपायों में प्रशिक्षण देने के लिए आवश्यक पग उठा रही है।

मंत्रियों के सार्वजनिक भाषण

* 24. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मंत्रिमंडल के सदस्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक मामलों पर अपने विचार सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने से पूर्व प्रधान मंत्री से उनके बारे में परामर्श करते हैं अथवा मंत्रिमंडल में उन पर चर्चा करते हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) सामान्यता महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी मामलों पर मंत्रिमंडल में चर्चा की जाती है। मन्त्रिमन्डल में समितियों में मंत्रणा के अतिरिक्त यदि आवश्यक होता है तो मंत्रीगण प्रधान मंत्री की सलाह लेते हैं।

नीति सम्बन्धी आवश्यक प्रश्नों पर मंत्रीगण अपने विचार स्वतन्त्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। संयुक्त दायित्व के सिद्धान्त के अनुसार सरकार द्वारा केवल नीतियां स्वीकृत की जाती हैं।

सितम्बर 1967 में उप प्रधान मंत्री की ब्रिटेन की यात्रा

* 25. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन के समाचार पत्र-पत्रिकाओं ने सितम्बर, 1967 में उप प्रधान मंत्री की यात्रा के बारे में किसी भी समाचार को पत्र-पत्रिकाओं में कोई स्थान नहीं दिया था;

(ख) क्या बी० बी० सी० जिसने टेलीविजन पर अपने '24 अवर प्रोग्राम' के लिए श्री देसाई का इन्टरव्यू लिया था, उसको प्रयोग नहीं किया तथा क्या डा० कर्ण सिंह के साथ, भी, जिनका बी० बी० सी० ने पहले इन्टरव्यू लिया था, ऐसा ही अशिष्ट व्यवहार किया गया था; और

(ग) ब्रिटेन के समाचार पत्र-पत्रिकाओं की, भारत के बारे में रुचि उत्पन्न करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :

(क) जी नहीं। इस यात्रा का समाचार बहुत-से दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था।

(ख) स्वयं उप प्रधान मंत्री के कहने पर बी० बी० सी० ने इस भेंट को टेलिविजन पर प्रसारित नहीं किया। डा० कर्ण सिंह की भेंट टेलिविजन पर दिखायी गयी थी ।

(ग) भारत में दिलचस्पी पैदा करने और बनाए रखने के सभी व्यावहारिक कदम उठाए जा रहे हैं।

दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का संगठन

* 26. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के हाल में बने संगठन में शामिल हो गई है ;

(ख) इस नये संगठन का मुख्यालय कहाँ है; और

(ग) इस संगठन में शामिल होने के बारे में सरकार ने क्या वचन दिए हैं ?

वदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :

(क) जी नहीं।

(ख) इस एसोसियेशन का स्थायी मुख्यालय नहीं है । इसमें क्रम से विभिन्न देशों में विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठकों की व्यवस्था है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

चीन द्वारा पाकिस्तान को सहायता

* 27. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली सैनिक और आर्थिक सहायता के बारे में सरकार का नवीनतम अनुमान क्या है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सितम्बर 1965 से, ऐसा ज्ञात हुआ है कि चीन ने पाकिस्तान को दो इन्फेन्ट्री डिवीजनों के लिए पूरा सामान, लगभग 250 टैंक, 120 मिग विमान और आई एल-28 बम्बर्षकों के 2 स्क्वाड्रन दिए हैं। इनके अतिरिक्त चीन ने उन्हें बड़ी संख्या में तोपें और बड़ी गाड़ियाँ तथा बहुत बड़ी मात्रा में गोलाबारूद और टैंको तथा विमानों के पेच पुर्जे दिए हैं। पाकिस्तान में आर्डनेंस कारखानों की स्थापना में मिलने वाली चीनी सहायता भी हमारे ध्यान में आई है।

ऐसा ज्ञात हुआ है कि चीन ने पाकिस्तान को मुख्य रूप से सैनिक उपस्कर और नये भण्डार खरीदने के लिए 1965 से सैकड़ों करोड़ों डालरों की आर्थिक सहायता दी है ।

(ख) चीन ने जो सहायता पाकिस्तान को दी है वह सरकार के ध्यान में है।

पंजाब के लिये परमाणु बिजलीघर संयंत्र

*28. श्री रा० रा० सिंह देव : श्री बेदब्रत बरुआ:
श्री राममूर्ति : श्री रमानी :
श्री नम्बियार : श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री बीरेन्द्र कुमार शाह : श्री इसहाक सामभली :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में परमाणु बिजलीघर बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस प्रस्ताव संबंधी तकनीकी बातें अन्तिम रूप में तय कर ली गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क), से (ग) पंजाब सरकार से राज्य में एक परमाणु बिजलीघर स्थापित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। जैसे ही परमाणु विभाग द्वारा किया गया शक्यतता सम्बन्धी अध्ययन समाप्त हो जायेगा वैसे ही पांचवीं योजना में परमाणु बिजलीघर स्थापित करने के सम्बन्ध में विस्तार से जांच की जायेगी।

नाइजीरिया में भारतीय लोग

*29. **श्री चेंगलराया नायडू**: क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपद्रवग्रस्त पूर्वी तथा मध्य-पश्चिमी नाइजीरिया में भारतीय लोगों का जीवन खतरे में बताया जाता है।

(ख) यदि हां, तो वहां कुल कितने भारतीय हैं ; और

(ग) उनकी सुरक्षा के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) नाइजीरिया की सारी लड़ाई में गड़बड़ी वाले सारे इलाकों में भारतीयों के सुरक्षित होने की रिपोर्ट मिली है। अभी तक किसी भारतीय के हताहत होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) पूर्वी तथा मध्य-पश्चिमी नाइजीरिया में भारतीयों की कुल संख्या कोई 400 है। इनमें से बहुतों को वहां से निकाल लाया गया है हालांकि कुछ ने वहां ठहरना पसंद किया है। इस समय यह बताया जाता है कि पोर्ट हारकोर्ट, पूर्वी नाइजीरिया में कोई 30 भारतीय हो सकते हैं।

(ग) भारत सरकार ने लागोस स्थित अपने हाई कमीशन को निर्देश दिए हैं कि वह गड़बड़ी वाले क्षेत्रों से बाकी भारतीयों को निकालने में सुविधा प्रदान करे। इस समय, यह बताया जाता है कि पोर्ट हरकोर्ट पहुँचना असम्भव है। किंतु हमारे मिशन ऐसे हर मौके की तलाश में रहेगा जब कि भारतीय राष्ट्रिकों को वहां से निकाल कर लाया जा सकता हो।

राज्यों के मंत्रियों के बारे में समाचार

*30. **डा० रानेन सेन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने यह शिकायत की है कि राज्य के लिए अधिक खाद्यान्न प्राप्ति के बारे में दिल्ली आने के अवसर पर 21 अगस्त, 1967 को राज्य के मन्त्रियों ने जो सम्वाददाता सम्मेलन आयोजित किया था उसका समाचार आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र ने प्रसारित नहीं किया ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या उत्तर दिया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह):

(क) और (ख) कुछ समाचार-पत्रों में हाल ही में पश्चिम बंगाल के सूचना मंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से लगाए गए इस आरोप की खबरें छपी थीं कि पश्चिम बंगाल के मंत्रियों ने दिल्ली में अपने प्रस्तावित 'धरने' के लिए जाने से पहले कलकत्ता में जो संवाद-दाता सम्मेलन आयोजित किया था, उसका समाचार आकाशवाणी ने प्रसारित नहीं किया। तथ्यों की जांच करने पर यह पता लगा है कि कलकत्ता संवाददाता सम्मेलन को प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में, जो 21 अगस्त, 1967 की रात्रि के 7.50 बजे और 10.05 बजे आकाशवाणी, कलकत्ता से प्रसारित किए गए थे, और उसी तारीख के रात के 9 बजे के दिल्ली के समाचार बुलेटिन में पर्याप्त स्थान दिया गया था।

खाद्य पदार्थों का नियंत्रण

*33. **डा० प० मंडल :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य पदार्थों के नियंत्रण की नीति पर पुनर्विचार किया गया है अथवा किये जाने की सम्भावना हैं ;

(ख) जिन नगरों में नियंत्रण या राशन व्यवस्था लागू है, उनमें नियंत्रण के परिणाम-स्वरूप कुल कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ है; और

(ग) नियंत्रण तथा राशन व्यवस्था पर कितना वार्षिक व्यय होता है और क्या इस व्य-वस्था को चलाने पर होने वाले व्यय का भार उपभोक्ताओं पर पड़ता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) खाद्यान्नों पर दूसरे तरीके से नियंत्रण रखने के सम्बन्ध में समय-समय पर मुख्य मंत्रियों के होने वाले सम्मेलन में चर्चा की जाती हैं और उनकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की जाती है। सितम्बर, 1967 में हुए सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और बफर स्टाक को चलाये रखने के लिये आन्तरिक प्राप्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर अनाज ले जाने के प्रतिबन्ध को जारी रखा जाना चाहिये।

(ख) वैधिक तथा अनौपचारिक राशन के परिणामस्वरूप 23.98 करोड़ व्यक्तियों को लाभ होता है।

(ग) नियंत्रण आदेशों को क्रियान्वित करने पर लगभग 8 करोड़ रुपया प्रशासनिक व्यय होता है । आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों को छोड़कर, जिनका व्यय उपलब्ध नहीं है, राशन का वार्षिक व्यय 2·71 करोड़ रुपये है । जैसे ही उन राज्यों में होने वाले व्यय उपलब्ध होंगे, उन्हें सभा पटल पर रख दिया जायेगा । मद्रास को छोड़कर अन्य राज्यों में राशन पर होने वाले व्यय सामान्यता उपभोक्ताओं पर डाल दिये जाते हैं । राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे माल देने के उचित मूल्य बढ़ा दें ताकि नियंत्रण उपायों और राशन को क्रियान्वित किये जाने पर हुए प्रशासनिक सम्बन्धी व्यय को वसूल किया जा सके ।

चीन सम्बन्धी नीति

* 38. **श्री काशीनाथ पांड़े :**
श्री रवि राय :
श्री यशपाल सिंह :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री इसहाक सम्भली :
श्री गाडिलिंगन गौड़ ।
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री देवराव पाटिल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में घोषित की गई चीनी सम्बन्धी नीति में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खाद्यान्न का रक्षित भण्डार

* 39. **श्री कृष्णमूर्ति :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य ।

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खुले बाजार से खाद्यान्न खरीद कर अथवा राज्य सरकारों द्वारा अनाज की वसूली के द्वारा खाद्यान्न का भण्डार जमा करना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(क) जी, हां ।

(ख) यह निर्णय किया गया है कि 1967-68 की फसल और आयात से 1968 के अन्त तक आन्तरिक अधिप्राप्ति द्वारा लगभग 20-30 लाख टन बफर स्टाक किया जायेगा ।

Law Ministers' Conference.

*41. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Ram Sewak Yadav :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Vasudevan Nair :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Sradhakar Supakar :

Will the **Minister of Law** be pleased to state :

(a) whether the question of switching over to the Indian languages as the medium of

instruction in legal education was discussed at the Law Ministers' Conference held recently in Delhi ,

(b) if so, whether some fresh decisions have been arrived at ; and

(c) the time by which those decisions are likely to be implemented :

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri D. R. Chavan) :

(a) and (b) The question of adopting the regional languages as the media of intruction in legal education was generally discussed at the Law Ministers' Conference held in New Delhi on the Ist September, 1967. Certain views were expressed by the representatives of the States but no conclusion was reached in the matter. As 'University education' is a State Subject, it was felt that it was for the different State Governments to consider what should be done in this respect.

(c) Does not arise.

COARSE GRAIN CULTIVATION

* 42. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Dr. Surya Prakash Puri :

Will the **Minister of Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to increase the area under coarse grain cultivation ; and

(b) if so, the time by which a final decision is likely to be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) and (b) There is at present no specific programme to increase the area under coarse grains cultivation in the country. The increase in production of coarse grains is, however, expected to be achieved mainly through intensive cultivation and introduction of hybrid varieties of jowar, bajra, maize etc. Besides, as a result of encouragement to the introduction of double or multiple cropping, changes may take place in the area under coarse grains and other crops.

चुनावों सम्बन्धी मामले

* 43. **श्री श्रद्धाकार सूपकार :** **श्रीमती तारा सप्रे :**

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य विधान सभा तथा संसद के चुनावों के सम्बन्ध में कितने चुनावों सम्बन्धी मामले 6 मास से अधिक समय से अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ख) जो मामले निपटाये जा चुके हैं, उनकी संख्या कितनी है ?

विधि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क) विधान सभा और संसद के निर्वाचनों के सम्बन्ध में जो निर्वाचन अर्जियां छह मास से अधिक समय से लम्बित हैं उनकी संख्या 281 है।

(ख) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार, जो अर्जियाँ निपटाई जा चुकी हैं उनकी कुल संख्या 113 है।

"बन्ध" और "घेरावों" का परिणाम

* 44. **श्री श्री चन्द्र गोयल :** **श्री समर गुह :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी : **श्री न० स्व० शर्मा :**
श्री शारदानन्द : **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा**

श्री न० कु० सालवे :
श्री ओ० प्र० त्यागी :
श्री प्रेम चन्द्र वर्मा :
श्री सा० चं० सामन्त :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री० सीताराम केसरी :
श्री देवकीनन्द पाटोदिया :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के औद्योगिक उत्पादन तथा सामान्य आर्थिक स्थिति पर 'बन्धों' और 'घेराओं' के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) औद्योगिक क्षेत्र में सामान्य स्थिति लाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) इस प्रभाव के व्यवस्थित सर्वेक्षणों से निकाले जाने वाले कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ; लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन कार्यवाहियों का औद्योगिक उत्पादन पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है । सरकार औद्योगिक अशांति के कारणों को दूर करने के उपायों और उत्पन्न होने वाले विवादों का शान्तिमय और व्यवस्थित समझौता कराने के लिये राज्य सरकारों से लगातार सम्पर्क कायम रखती आई है ।

चावल का मूल्य निर्धारित करना

* 45. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संबंधित राज्यों के परामर्श से चावल की वसूली के लिये कोई मूल्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) मूल्य निर्धारित करने की क्या कसौटी है ;

(ग) क्या वसूली का मूल्य निर्धारित करते समय व्यापारी फसलों के साथ कोई समानता की जाती है ;

(घ) किसानों को दिये जाने वाले मूल्य और बाजार में चावल के बिक्री मूल्य में अधिक अन्तर न हो, इस बात के लिये क्या कोई कार्यवाही की जाती है ; और

(ङ) क्या समूचे देश में सब राज्यों में यह कार्य भारतीय खाद्य निगम को सौंपा गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) राज्य सरकारों से परामर्श के पश्चात उन्हें चावल की वसूली के मूल्यों के सुझाव दिये गये हैं । उनसे चावल की वसूली के आधार पर चावल के मूल्य पता लगाने के लिये अनुरोध किया गया है ।

(ख) वसूली मूल्य निर्धारण की सिफारिश करते समय मौसमी स्थितियों और कुल उत्पादन से होने वाले मूल्यों पर ध्यान दिया जाता है ।

(ग) कृषि मूल्य आयोग ने अपनी वसूली मूल्यों सम्बन्धी सिफारिशों में इसे एक तरीका बताया है ।

(घ) मूल्यों का उचित स्तर पर निर्धारण करने के लिए लागत और चावल की खरीद और सरकार द्वारा चावल के बेचे जाने से होने वाले अन्तर का राज्य सरकारों, भारत सरकार और विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण किया जाता है ।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम को बिहार, आसाम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और मद्रास में चावल की वसूली और क्रय करने का कार्य सौंपा गया है । वह मैसूर, पंजाब, हरियाना और उत्तर प्रदेश में भी खुले बाजारों में चावल, धान का क्रय करेगा ।

चीन तथा पाकिस्तान को खाद्यान्न की तस्करी

* 46. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री शारदा नन्द :
श्री वणीशंकर शर्मा :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री मणीभाई जे० पटेल :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री सीताराम केसरी :
श्री राम गोपाल शालवाले :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में समाचार पत्रों में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि नेपाल के रास्ते पश्चिमी बंगाल से चीन को तथा कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान को चोरी छिपे बड़ी मात्रा में चावल ले जाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) सरकार को नेपाल के रास्ते चीन को पश्चिमी बंगाल से चोरी छिपे चावल भेजने के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं मिली है । परन्तु सरकार ने चोरी छिपे कश्मीर को चावल भेजे जाने के सम्बन्ध में समाचार देखे हैं ।

(ख) पश्चिमी बंगाल और जम्मू और कश्मीर सरकारों से इस सम्बन्ध में रिपोर्टें मांगी गई हैं।

दिल्ली दुग्ध योजना के उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

* 47. **श्री म० ला० सोंधी :** **श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना के प्रबन्धकों ने किन करणों से प्रेरित होकर 31-8-1967 से घी और मक्खन के मूल्यों में वृद्धि की थी;

(ख) क्या एक सरकारी एजेंसी द्वारा तैयार किये गये उत्पादों के मूल्यों में की गई वृद्धि से नगर में घी और मक्खन के मूल्यों में और अधिक वृद्धि हो जायेगी;

(ग) क्या मूल्यों में इस वृद्धि से औसत आय वाले उपभोक्ताओं को होने वाली कठिनाइयों का सरकार को पता है; और

(घ) क्या सरकार का विचार निर्णय पर पुनर्विचार करने और मूल्यों को अधिक उचित स्तर पर रखने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) विशेषकर दुग्ध के क्रय मूल्य में वृद्धि होने के कारण ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) उत्पादन मूल्य में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप मूल्य में वृद्धि करने के सिवा कोई चारा न था ।

(घ) जी, नहीं । मूल्य उचित है । वास्तव में ये मूल्य बड़ी-बड़ी प्रसिद्ध फर्मों के घी व मक्खन के मूल्यों से कम हैं ।

औद्योगिक मजदूरों के लिये परिवार पेंशन

*48. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** **श्री गणेश :**
श्री एस्थांस : **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री उमानाथ :**

क्या **श्रम तथा रोजगार मंत्री** 2 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 602 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन संबंधी कार्यकारी दल का प्रतिवेदन इस बीच सरकार को प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने, इस पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस योजना से किस-किस श्रेणी के श्रमिकों को लाभ पहुँचा है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) अभी ब्यौरा तैयार करना है ।

Amendment of Election Law to solve defection problem

* 49. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri Shri Chand Goel :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether Government have received any suggestions regarding the amendment of the Election Law and the Constitution to solve the problem created by changing affiliation to parties by the Legislators ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri D. R. Chavan) :

(a) and (b) : In a letter dated 2nd April, 1967, addressed to the Chief Minister of Maharashtra, one gentleman had made certain suggestions for suitable legislation to solve the defection problem. He had suggested :—

(i) an elected member of an Assembly or the Lok Sabha belonging to a particular party intending to change his party allegiance should resign his seat in the Assembly or the Lok Sabha and seek re-election on the ticket of the new party he intends to join ; and

(ii) a candidate elected as an independent intending to join any political party should resign his seat and seek re-election on the ticket of the party which he intends to join.

No other suggestion has been received by this Ministry.

(c) The Government have not taken any decision in the matter.

घेराव तथा बन्ध

* 50. **श्री समर गुह:**
श्री ना० स्व० शर्मा:
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा:
श्री सीताराम केसरी:
श्री प्रेमचन्द वर्मा:
श्री स० चं० सामन्त:
श्री जु० कि० मंडल:
श्री जगन्नाथ राव जोशी:
श्री शारदा नन्द:
श्री ओ० प्र० त्यागी:
श्री न० कु० सांधी:
श्री देवकी नन्दन पादौदिया:
श्री रा० रा० सिंह देव:

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल में, 'हड़तालों', 'घेराओं' और 'बन्धों' के कारण औद्योगिक उत्पादन एवं उद्योगों का विस्तार रुक गया है तथा औद्योगिक क्षेत्र में असुरक्षा की भावना फैल रही है;

(ख) क्या सरकार ने इसका विश्लेषण किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) और (ख) यह कहना सही नहीं होगा कि औद्योगिक उत्पादन रुक गया है। यद्यपि व्यवस्थित अध्ययन और सर्वेक्षण से विस्तृत आंकड़े एकत्र नहीं किये गये हैं, तथापि इसमें कोई सन्देह नहीं हैं कि औद्योगिक उत्पादन में गतिरोध हुआ है। नियोजकों द्वारा शिकायतें की गई हैं कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रबन्धकों में असुरक्षा की भावना है।

(ग) और (घ) इस विषय पर स्थायी श्रम समिति की मई, 1967 में हुई बैठक में विचार किया गया। इस समिति ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें देश में त्रिपक्षीय चर्चा और परामर्श द्वारा बनाए गए व्यवस्थित श्रम-प्रबन्ध सम्बन्धों की नींव हिलाने वाला कहकर "घिराव" की निन्दा की गयी थी। सरकार ने नियोजकों को भी श्रमिकों के प्रति अनेक कानूनों व द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय समझौतों के अन्तर्गत अपना दायित्व पूरा करने की आवश्यकता का महत्व बताया।

पाकिस्तान के साथ दूर संचार सम्पर्क

* 51. **श्री इसहाक साम्भली :**
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान दोनों देशों के बीच बन्द कर दिये दूर-संचार सम्पर्क का पुनः चालू करने के बारे में बातचीत करने के लिये भारत से डाक तथा तार विभाग के अधिकारियों का एक दल हाल में पाकिस्तान गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी हां।

(ख) भारत और पाकिस्तान के बीच काम करने वाले अधिकांश टेलीफोन ट्रक परिपथों को फरवरी, 1967 में फिर से चालू कर दिया गया था। शेष मार्ग पर ट्रक टेलीफोन परिपथों और सभी मार्गों पर तार परिपथों को फिर से चालू करने के लिए पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया गया था।

खरीफ की फसल के अनाजों के समाहार मूल्य

*52. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री मयावन : **श्री अदिचन :**
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : **श्री शिव चन्द्र झा :**
श्री प्र० न० सोलंकी : **श्री गाडिलिंगन गौड़ :**
डा० रानेन सेन : **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री देवराव पाटिल : **श्री एस्थोस :**
डा० अ० ग० सोनार : **श्री निलिराज सिंह चौधरी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खरीफ की इस फसल के दौरान विभिन्न अनाज खरीदने के लिये क्या मूल्य निर्धारित किये गये हैं;

(ख) राज्यवार, कितनी-कितनी मात्रा में विभिन्न अनाज खरीदे जायेंगे; और

(ग) राज्यों को इनके लिये किस रूप में मूल्य का भुगतान किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है [देखिये एल. टी. संख्या 1500/67]

(ख) कृषि मूल्य आयोग द्वारा दिये गये लक्ष्यों सम्बन्धी एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है [देखिये एल० टी० संख्या 1500/67]

(ग) केन्द्र और राज्यों के लिये उत्पादकों, मिल मालिकों या व्यापारियों को सीधे भुगतान कर खरीफ की वसूली की जाती है। केन्द्र के लिये वसूली करने के लिये राज्य सरकारों को वसूली पर होने वाले प्रशासनिक व्ययों और प्रोत्साहन देने के लिये बोनस के रूप में भुगतान किया जाता है।

बेरोजगारी बीमा योजना

*53. **श्री अब्राहम :**
श्री एस्थोस :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री रा० बरुआ :
श्री सत्यनारायण सिंह :
श्री उमा नाथ :
श्री रमानी :
श्री देवकी नन्दन पाटौदिया :

क्या **श्रम तथा रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक बेरोजगारी बीमा योजना तैयार की है जिसको पहले पहल कोयला उद्योग में प्रयोगालय आधार पर लागू किया जायगा ;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) योजना को कब आरम्भ करने का सरकार का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) इस प्रकार का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) एक विवरण, जिसमें बेरोजगारी बीमा की ड्राफ्ट योजना और कोयला खान भविष्य निधि के सदस्यों की मार्गदर्शी योजना की मुख्य बातें दी गई हैं, सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1501/67]**

(ग) इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड

*54. **श्री राममूर्ति :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री उमानाथ :
श्री रमानी :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस बोर्ड के क्या कार्य होंगे ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) इस बारे में एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) इस प्रस्ताव के अनुसार बोर्ड का पुनर्गठन किया जायेगा, जिसमें 36 सदस्य होंगे, 12 नियोजकों के, 12 अनुसूचित रोजगारों में नियोजित श्रमिकों के प्रतिनिधि और 12 स्वतंत्र । स्वतंत्र व्यक्ति निम्न होंगे :—

(1) अध्यक्ष ।
(2) एक संसद सदस्य ।
(3) राज्य विधान सभाओं के दो सदस्य बारी-बारी से ।
(4) एक अर्थ शास्त्री ।

(5) राज्य सलाहकार बोर्डों में से किसी एक बोर्ड का अध्यक्ष बारी-बारी से।

(6) एक ऐसा सदस्य, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये औद्योगिक न्यायाधिकरण का अधिष्ठाता हो या रहा हो अथवा किसी वेतन बोर्ड का अध्यक्ष हो।

(7) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 में निर्दिष्ट क्षेत्रों में सम्मिलित राज्यों में से राज्य सरकारों के पांच प्रतिनिधि, बारी-बारी से।

(ग) मजूरी की न्यूनतम दरों के संशोधन और नियतन के मामले और न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आने वाले अन्य मामलों में तथा इस अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत स्थापित सलाहकार बोर्डों के कार्य के समंजन के बारे में केन्द्रीय और राज्य सरकारों को सलाह देना।

शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण

*55. **श्री श्रीधरन :**

श्री कामेश्वर सिंह :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यवसाय-प्रधान काम पद्धति को तथा शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है

(ख) यदि हाँ, तो उसे कब से कार्यरूप दिया जायेगा; और

(ग) इस पद्धति से कुल कितने शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को लाभ पहुँचने की संभावना है ?

श्रम बेरोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) जी हाँ। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में सुशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों के लिए जो 'व्यापार प्रबन्ध और उद्यमकर्ता' का प्रशिक्षण चाहते हैं, प्रशिक्षण सुविधा प्राप्त है।

(ख) प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ग) जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

नया नारा "वसूली करो या मरो"

*56. **श्री पार्थसारथी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने राष्ट्र को एक बहुत ही सराहनीय नारा "वसूली करो या मरो" दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो राज्यों में यह आन्दोलन कैसा चल रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) 26 सितम्बर, 1967 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भाषण देते हुए खाद्य और कृषि मंत्री ने यह कहा था कि आगामी वर्ष में हमारा नारा होगा "वसूली करो या मरो।"

(ख) राज्यों में वसूली कार्य तेज कर दिये गये हैं।

ऐस्सो स्टैंडर्ड ईस्टर्न में छंटनी

*57. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐस्सो स्टैंडर्ड ईस्टर्न ने अपने कलकत्ता के कार्यालय को बन्द करने का निश्चय किया है जिसके परिणामस्वरूप बड़ी-संख्या में कर्मचारियों की छंटनी हुई है;

(ख) क्या कम्पनी अपने कलकत्ता कार्यालय को इसलिए बम्बई ले जा रही है कि वहाँ कार्य इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटरों द्वारा किया जाता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा नियुक्त जाँच आयोग को तेल कम्पनियों में स्वचालित मशीनों के लगाये जाने के कारण बढ़ती हुई छंटनी की जानकारी पहले से है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) यह मामला पश्चिम बंगाल सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है, जो कि स्थिति के बारे में कार्यवाही कर रही है।

(ग) जी हाँ।

(घ) आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उस पर कार्यवाही की जायेगी।

कृषि ऋण निगम

*58. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :**
श्री बेदव्रत बरुआ :
श्री जनार्दनन :
श्री रणधीर सिंह :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में जहां सहकारी आन्दोलन कृषि कार्यों के लिए वित्त की व्यवस्था करने में बहुत कमजोर था, कृषि ऋण निगम स्थापित करने की योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं, तथा उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिनमें ये निगम स्थापित करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) आसाम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान और केन्द्र शासित मनीपुर और त्रिपुरा राज्यों के लिए कृषि ऋण निगम स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित निगमों की मुख्य बातों के सम्बन्ध में अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

चीनी का उत्पादन और खपत

*59. **श्री बाबू राव पटेल :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में चीनी की वार्षिक खपत 25 लाख

टन से अधिक नहीं है, जबकि देश में 35 और 42 लाख टन के बीच चीनी का उत्पादन होता है ;

(ख) यदि हां, तो देश में चीनी की कमी होने के क्या कारण हैं, और सरकार द्वारा चीनी पर नियन्त्रण क्यों लगाया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि देश में उत्पादित चीनी का 60 प्रतिशत भाग सरकार के नियन्त्रण में है और उत्पादकों को 40 प्रतिशत भाग अपनी मर्जी के अनुसार बेचने की अनुमति है; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्पादित चीनी का यह 40 प्रतिशत भाग चीनी मिलों द्वारा चोर बाजारी में बेच दिया जाता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) वास्तव में देश में चीनी की कमी का कारण देश में आवश्यकता से कम चीनी का उत्पादन है । चीनी पर नियंत्रण उपभोक्ताओं के हित में समस्त देश में चीनी की उपलब्ध सप्लाई को समान रूप से सारे साल उचित मूल्यों पर वितरित करना है ।

(ग) इस समय देश में उत्पादित समस्त चीनी पर नियंत्रण है और खुली बिक्री के लिये अभी तक कोई चीनी नहीं दी गई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी उपक्रमों में ठेका पद्धति

*60. **श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या **श्रम तथा रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में ठेका पद्धति समाप्त करने के सम्बन्ध में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनको क्रियान्वित करने के लिए आदेश जारी कर दिये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) विधेयक के संबंधित उपबन्धों के अन्तर्गत ऐसे वर्गों के बारे में जो संबंधित सरकार द्वारा अधिसूचित किये जायं और ऐसे श्रम के रोजगार के विनियमन के बारे में जहां कि यह पद्धति पूर्ण रूप से समाप्त नहीं की जा सकती, ठेका श्रम के उन्मूलन के बारे में कार्यवाही करने का विचार है। यह विधेयक पहली बार 1 नवम्बर, 1966 को लोक सभा में पेश किया गया । तीसरी लोक सभा के विघटन से यह व्यपगत हो गया । इसे 31-7-67 को फिर लोक सभा में पेश किया गया और अभी तक सभा के सामने विचारार्थ नहीं आया है ।

विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों/मिशनों पर व्यय

EXPENSES ON INDIAN EMBASSIES/MISSIONS IN FOREIGN COUNTRIES

1. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय

रुपये के अवमूल्यन के बाद विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों/दूतावासों के व्यय में कितनी औसत वार्षिक वृद्धि हुई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : अवमूल्यन के कारण 310 लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च बढ़ गया है, जो अवमूल्यन से पहले की अवधि, 1965-66 के खर्च से 47.5 प्रतिशत अधिक बैठता है ।

पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं का सामूहिक निष्क्रमण

2. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : **श्री आत्म दास** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1967 से पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं का सामूहिक निष्क्रमण पुनः आरम्भ हो गया है; और

(ख) क्या इस सामूहिक निष्क्रमण के कारणों में से एक कारण यह है कि वहां महिलाओं का अपहरण किया जा रहा है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी, नहीं । चालू वर्ष में प्रव्रजन की गति में, जो जुलाई के महीने में चरम सीमा पर थी, अगस्त से मामूली सी गिरावट आई है ।

(ख) 1967 में स्त्रियों पर किये गए अत्याचारों के मामलों में वृद्धि हो जाना, पूर्व पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों के प्रव्रजन का एक प्रमुख कारण प्रतीत होता है । यह स्थिति पूर्व पाकिस्तान के अधिकारियों तथा नई दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन के ध्यान में लाई गई है और उनसे अपराधियों को दंड देने के लिए समुचित कदम उठाने के लिए और अल्पसंख्यकों में विश्वास पैदा करने के लिए कहा गया है जिसपर वे 1950 के नेहरू लियाकत पैक्ट के अंतर्गत सहमत हुए थे ।

कूच विहार और रंगपुर के उपायुक्तों की बैठक

3. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : **श्री आत्म दास** :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा पर व्याप्त तनाव को कम करने के लिए कूच बिहार के उपायुक्त और रंगपुर के उपायुक्त की पिछले अगस्त में पश्चिम बंगाल में तीनबीघा के स्थान पर कोई बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) दोनों डिप्टी कमिश्नर इस बात पर राजी हुए कि सीमाओं पर तनाव दूर करने के लिए, दोनों तरफ से सीमा संबंधी भू-नियमों का इमानदारी से पालन किया जाए । वे इस बात पर भी सहमत हुये कि सीमा कर्मचारियों की बैठकें अक्सर होनी चाहिये । दोनों तरफ के जिला पुलिस अधिकारियों ने सीमा सम्बन्धी अपराधों के मामलों पर बातचीत की और अपने-अपने

क्षेत्र में इन्हें रोकने के लिए तरीके अपनाने के लिए राजी हुए । बैठक मित्रतापूर्ण वातावरण में हुई ।

अरब देशों में पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार

4. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने अगस्त 1967 में अरब देशों में भारत विरोधी प्रचार अभियान आरम्भ किया था;

(ख) क्या अरब देशों ने पाकिस्तान के कुछ प्रचार साहित्य पर रोक लगा दी थी;

(ग) क्या पाकिस्तान की कीचड़ उछालने की इस गतिविधि में इसरायल ने पाकिस्तान की सहायता की थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) पश्चिम एशिया में लड़ाई शुरू हो जाने के बाद पाकिस्तान ने अरब देशों में भारत-विरोधी प्रचार तेज कर दिया । सरकार ने पाकिस्तान के प्रचार का प्रतिकार करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) सरकार के पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि इसराइल ने भारत-विरोधी प्रचार में पाकिस्तान की सहायता की ।

चलचित्र वित्त निगम

5. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चलचित्र वित्त निगम किस तारीख को आरम्भ हुआ था तथा उसे चलचित्र निर्माताओं द्वारा ऋण अदा न किये जाने के कारण रुपयों में कुल कितना नुक्सान हुआ है;

(ख) 1965-66 और 1966-67 में चलचित्र निर्माताओं को कुल कितना ऋण दिया गया था;

(ग) चलचित्र वित्त निगम के धन से तैयार किये गये कितने तथा कौन-कौन से चलचित्र रिलीज किये गये हैं तथा उन चलचित्रों के निर्माता कौन-कौन से हैं;

(घ) ऐसे चलचित्र निर्माताओं की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं और प्रत्येक द्वारा 31 मार्च, 1967 को चलचित्र वित्त निगम को कितना धन दिया जाना शेष था;

(ङ) क्या चूककर्ताओं के मामले में कोई कानूनी कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो कब तथा कितने धन के लिए तथा उसका क्या परिणाम निकला है तथा चूककर्ताओं के नाम क्या हैं;

(च) वसूल न होने वाले ऋण के रूप में अब तक रुपये में कुल कितनी राशि बट्टे खाते में डाली गई है;

(छ) इस हानि के बावजूद भी चलचित्र वित्त निगम का कितने समय तक काम करते रहने का विचार है; और

(ज) आवर्ती हानियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) 25 मार्च, 1960 से निगम ने अब तक ऋणियों द्वारा ऋण अदा न किए जाने के परिणामस्वरूप 12,66,089 रुपये बट्टे खाते में डाले हैं।

(ख) 1965-66 ... ... 27,81,676/–रुपये
1966-67 ... . 11,94,269/–रुपये

(ग) एक विवरण 1 जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है, सदन की मेज पर रख दिया गया है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 1502/67]

(घ) जानकारी विवरण 2 में दी हुई है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 1502/67]

(ङ) 26 चूककर्ताओं में से 11 चूककर्ताओं के मामले में कानूनी कार्रवाई की गई है। उनका ब्यौरा विवरण 3 में दिया हुआ है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 1502/67]

(च) 12,66,089/–रुपये ।

(छ) सरकार का विचार फिल्म वित्त निगम को बनाये रखने का है, क्योंकि प्रोत्साहन देने के काम में आरम्भ में कुछ हद तक हानियां अनिवार्य हैं ।

(ज) सरकार का निगम की आर्थिक क्षमता बढ़ाने के उपाय खोजने का प्रस्ताव है । ऋण से खरीदे गए नए सिनेमा उपकरणों का गिरवी रखने की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त, सिनेमा थियटरों की शृंखला स्थापित करने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है । इनसे निर्माताओं और वितरकों को अतिरिक्त सुविधाएं प्राप्त होगी जिसका अर्थ अतिरिक्त आय होगी जिससे निगम हानियां पूरी कर सकेगा ।

भारत चलचित्र संस्थान

6. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूना के चलचित्र संस्थान में किस तारीख से कार्य आरम्भ किया गया था, इसका वार्षिक व्यय कितना है तथा आय कितनी है, उसमें कितने विद्यार्थी हैं और संस्थान की स्थापना से लेकर विद्यार्थियों को किन किन पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया गया है;

(ख) सरकार को प्रति विद्यार्थी कितना खर्च करना पड़ता है;

(ग) कितने प्रशिक्षित विद्यार्थियों को भारतीय चलचित्र उद्योग द्वारा काम पर लगाया गया है और किन किन विभागों में;

(घ) चलचित्र संस्थान में कितनी पुस्तकें हैं तथा पुस्तकें भेंट कर्ताओं के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक भेंटकर्ता द्वारा कितनी-कितनी पुस्तकें दी गई हैं;

(ङ) क्या चलचित्र संस्थान, देश में अब तक निर्मित चलचित्रों का एक पुस्तकालय स्थापित करना चाहता है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) से (च) भारतीय फिल्म इन्स्टीट्यूट अप्रैल, 1960 में स्थापित की गई थी। इन्स्टीट्यूट में नियमित पाठ्यक्रम 1961 से चालू हुए थे। विभिन्न बातों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और वह यथासमय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

घग्घर नदी का बाढ़ का पानी

7. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने सितम्बर में घग्घर नदी का बाढ़ का पानी, जो उसके राज्यक्षेत्र में फैल गया था, पुनः भारत की ओर मोड़ना आरम्भ कर दिया था ;

(ख) क्या पाकिस्तान ने बाढ़ के पानी को भारत की ओर वापस मोड़ने के लिए एक ऊंचा बांध बनाया था, यद्यपि उसे रेगिस्तानी क्षेत्र में इस पानी की आवश्यकता थी;

(ग) क्या इस कार्यवाही का उद्देश्य राजस्थान सीमा पर भारत के लिये समस्या उत्पन्न करना था; और

(घ) भारतीय हितों की रक्षा के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :

(क) से (घ) घग्गर के जलग्रह क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण, इसमें अगस्त के मध्य से लेकर सितम्बर 1967 के पहले सप्ताह तक बाढ़ रही। बाढ़ का पानी राजस्थान के क्षेत्रों को डुबाता हुआ 31 अगस्त, 1967 को पाकिस्तानी प्रदेश में घुस गया। इसके बाद यह पानी भारत-पाकिस्तान सीमा के पास नीचे की जमीन में भारतीय प्रदेश में 6-9-67 को फिर घुस आया। 1964 में कभी यह बताया गया था कि पाकिस्तान सरकार ने हाकरा क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान सीमा से कोई 5-6 मील दूर एक पुश्ता बनाया है। इस वर्ष सितम्बर में पानी के भारतीय प्रदेश में पुनः घुस आने से कोई नुकसान होने की खबर नहीं है। लेकिन, भारी वर्षा होने पर यह पुश्ता मुश्किल खड़ी कर सकता है। सरकार स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है।

स्टाफ आर्टिस्टों की पदोन्नति

8. **श्री गं० च० दीक्षित :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी में काम कर रहे स्टाफ आर्टिस्टों की पदोन्नति करने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित की है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या निम्नलिखित स्टाफ आर्टिस्टों की नियुक्ति करने में भी इस प्रक्रिया का पालन किया गया है :

(1) मुख्य संगीत सलाहकार,

(2) निर्देशक (नाटक), मुख्य निर्माता (टेलीविजन),

(3) निर्माण (प्रोडक्शन) सहायक/सहायक निर्माता, आकाशवाणी से शिक्षा प्रसार व्यवस्था, दिल्ली केन्द्र ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) (क) जी, हां।

(ख) जब भी कोई पद रिक्त होता है, उसकी आवश्यकताओं पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाता है और यह निर्णय लिया जाता है कि रिक्त स्थान को वर्तमान कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाए या खुले बाजार से विज्ञापन द्वारा। सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए पदोन्नति समितियां निर्धारित की है। जहां पदोन्नति का रास्ता स्पष्ट है और केवल एक ही व्यक्ति पात्र है, पदोन्नति लगभग स्वतः होती है। पदोन्नति समिति उसी हालत में गठित की जाती है जब एक से अधिक पात्र व्यक्तियों पर विचार किया जाना हो। सामान्यतः उच्चतर फीस स्केलों वाले पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं, जबतक कि निम्न श्रेणियों में से कोई भी व्यक्ति विचारार्थ उपलब्ध नहीं हो।

(ग) (1) और (घ) इसका सही पदनाम "संगीत, संस्कृत और बृज भाषा कार्यक्रमों के मुख्य सलाहकार" है। नियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई थी।

(ग) (2) जी, हां।

(ग) (3) इन रिक्त स्थानों के लिए अभी तक कोई भर्ती नहीं की गई है।

आकाशवाणी में संगीत के निर्माता तथा सलाहकार

9. **श्री गं० च० दीक्षित :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी महानिदेशालय में संगीत के दो मुख्य निर्माता और दो उप-मुख्य निर्माता हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इनके अतिरिक्त संगीत के लिए एक मुख्य सलाहकार की नियुक्ति भी हाल में की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जुलाई, 1966 तक, हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तीसरे मुख्य प्रोड्यूसर थे। अगस्त 1966 से उन्हें संस्कृत और बृज भाषा के कार्यक्रमों की देख रेख करने का अतिरिक्त उत्तर-दायित्व दिया गया। अतः उन्हे संगीत और बृज भाषा के कार्यक्रमों का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया।

जम्मू और काश्मीर में प्रतिरक्षा सम्बन्धी कार्य के लिये भूमि का अर्जन

10. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नवम्बर, 1947 से जम्मू और काश्मीर राज्य प्रतिरक्षा कार्यों के लिए कोई भूमि अथवा सम्पत्ति का अर्जन कर रखा है,

(ख) यदि हां, तो उन जमीनों और सम्पतियों का ब्यौरा क्या है तथा उनके मालिकों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या उनको कोई मुआवजा दिया गया हैं;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में कितना-कितना मुआवजा दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जम्मू तथा काश्मीर में निम्न प्रयोजनाओं के लिए 31.23 लाख रूपये की लागत पर 892 एकड़ 10 कनाल भूमि अर्जित करली गई है :—

(1) श्रीनगर हवाई अड्डे के रनवे के प्रसार के लिए।

(2) अवन्तिपुर हवाई अड्डे के लिए भूमि के लिए।

(ख) से (ङ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सभा के पटल पर रख दी जायगी।

सरकार द्वारा अर्जित अफगान राष्ट्रजनों की सम्पत्ति

11. **श्री अब्दुल गनी दार**: क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में उन अफगान राष्ट्रजनों के साथ हुए अन्याय के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिनकी सम्पति सरकार द्वारा अपने हाथ में ले ली गई थी;

(ख) यदि हां, तो भारत में ऐसे अफगन राष्ट्रजन कितने हैं जिनकी सम्पत्ति भारत में है और जिनकी सम्पत्ति का अर्जन सरकार ने किया था ; और

(ग) अर्जित सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

पश्चिम एशिया में संघर्ष

13. **श्री काशी नाथ पाण्डे** :
श्री मयाबन :
श्रीमती सुशीला रोहतगी :
श्री अंधारकर सूपकार :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
श्रीमती तारा सप्रे :
श्री मधु लिमये :
श्री पार्थ सारथी :
श्री चरणजीत राय :
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री मोलहू प्रसाद :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी एशिया में मिस्र और इसराइल के बीच शत्रुता को समाप्त करने के लिये क्या सरकार किसी नये सूत्र का अनुसरण कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या स्वेज नहर के पुनः खोले जाने के बारे में मिस्र से कोई बातचीत हुई है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई सफलता मिली है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) पश्चिम एशिया में संकट शुरू होने के समय से ही भारत दूसरे देशों के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र में तथा अन्यत्र ऐसा समाधान खोजने में बराबर सहायता देने की कोशिश करता रहा है जिससे इस क्षेत्र में स्थायी आधार पर शांति और स्थिरता आ सके। भारत, माली और नाइजीरिया ने 7 नवम्बर, 1967 को सुरक्षा परिषद में सम्मिलित रूप से निम्नलिखित सिद्धान्तों के प्रस्ताव का मसौदा पेश किया :

(i) संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत सैनिक विजय द्वारा प्रदेश पर कब्जा या अधिकार नहीं किया जा सकता और तदनुसार इसराईल की सशस्त्र सेनाओं को उन सभी प्रदेशों से हट जाना चाहिए जहाँ उन्होंने हाल के संघर्ष के परिणामस्वरूप कब्जा किया है ;

(ii) इस तरह हर राज्य को शांतिपूर्वक पूरी सुरक्षा में युद्ध के खतरे और कार्यवाइयों से मुक्त रहने का अधिकार है और इस क्षेत्र के सभी राज्यों को लड़ाई की स्थिति अथवा दावा छोड़ देना चाहिए और अपने आंतरिक झगड़ों को शांतिपूर्ण तरीकों से निपटाना चाहिए।

(iii) इसी तरह इस क्षेत्र के प्रत्येक राज्य को अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने का अधिकार है और इस क्षेत्र के सभी सदस्य राज्यों के लिए यह जरूरी है कि वे एक दूसरे की प्रभुसत्ता, प्रादेशिक एकता और राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करें।

(ग) और (घ) : स्वेज नहर का फिर खुलना पश्चिम एशिया का समूचा संकट निपट जाने पर निर्भर करती है जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भारत इस निपटारे के लिए प्रयत्नशील है।

वाणिज्यिक प्रसारण

14. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री न० कु० सांघी :
श्री धीरेन्द्रनाथ देव :
श्री बेदव्रत बरुआ :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी की वाणिज्यिक सेवा आरम्भ कर दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका मोटे तौर पर ब्योरा क्या है;

(ग) क्या वाणिज्यिक प्रसारण के सम्बन्ध में कोई प्राथमिकता निश्चित की गई है; और

(घ) वाणिज्यिक प्रसारण पर प्रति वर्ष अनुमानतः कितना खर्च करना पड़ेगा और उससे कितनी आय होगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्रारम्भ में यह सेवा पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है। वाणिज्यिक प्रसारण बम्बई, पूना और नागपुर के लघु-शक्ति वाले ट्रांसमिटरों से एक साथ प्रतिदिन 75 मिनट की अवधि के लिये प्रसारित होते हैं। किसी भी भाषा में केवल व्यापारिक सुरखियाँ ही स्वीकार की

जाती हैं। प्रत्येक सुरखी की अवधि 15 सेकेन्ड से लेकर 2 मिनट तक होती है। इस सेवा को सलाह देने के लिये सरकार ने 19 सदस्यों का एक सलाहकार बोर्ड स्थापित किया है।

(ग) विज्ञापनों के मालले में अभी तक कोई प्राथमिकता निश्चित नहीं की गई है।

(घ) इस पायलेट प्राजेक्ट से 37·5 लाख रुपये की वार्षिक आय होने का अनुमान है। (15 प्रतिशत एजेन्सी कमीशन और लगभग 1 लाख रुपये की इकट्ठी कटौती काटने के बाद) प्राजेक्ट पर फिलहाल आवर्ती खर्चा 7·4 लाख रुपये और अनावर्ती खर्चा 7 लाख रुपये होने का अनुमान है।

नागाओं के साथ बातचीत

15. **श्री काशी नाथ पांडे :**
श्री हेमराज :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री शारदा नन्द :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री गणेश :
श्री प्रेम चन्द वर्मा :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री जो० ना० हजारिका :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री नम्बियार :
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री देवकी नन्दन पाटौदिया :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री अड्डाकर सूपकार :
श्री सीताराम केसरी :
श्री रणजीत सिंह :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री न० कु० सांघी :
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री धीरेन्द्रनाथ देव :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री मधु लिमये :
श्री आत्म दास :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के साथ अपनी हाल की बातचीत के दौरान नागाओं ने भारत के साथ अपने सम्बन्धों के बारे में अपना दृष्टिकोण बता दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उनके साथ हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :

(क) और (ख) छिपे नागा नेताओं ने स्वतंत्र नागालैंड की अपनी माँग फिर दोहराई थी। उन्हें बता दिया गया कि नागालैंड का भविष्य और उनका मंगल भारत संघ में रहने में ही है, और नागा प्रश्न का कोई भी समाधान भारत संघ के ढाँचे में ही हो सकता है। कोई सहमत और ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। बहरहाल, छिपे नागा नेताओं ने अपनी यह इच्छा प्रकट की कि वे इस समस्या को शांतिपूर्वक निपटाना चाहते हैं।

उड़ी क्षेत्र में पाकिस्तानी हमला

16. **श्री काशीनाथ पांडे :** **श्री मधु लिमये :**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री क० प्र० सिंह देव : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 अक्तूबर, 1967 को जम्मू और काश्मीर के उड़ी क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना ने एक भारतीय गश्ती टुकड़ी पर गोली चलाई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्योरा क्या है और इससे जान और माल की कितनी हानि हुई ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) जी, हां ।

(ख) 9 अक्तूबर, 1967 को प्रातः पाक अधिकृत कश्मीरी सेना ने उड़ी क्षेत्र में अपनी ओर युद्धविराम रेखा पर सुदृढ़ मोर्चों से छोटे और स्वचालित हथियारों से अचानक ही हमारे गश्ती दल पर गोलाबारी कर दी । भारतीय गश्तीदल ने, जो कि युद्ध-विराम रेखा के इधर अपनी तरफ चल रहा था, आत्मरक्षा में गोलियाँ चलाई। सुबह लगभग एक घंटे तक परस्पर काफी गोलाबारी होने के बाद थोड़ी शान्ति हुई । उसके बाद दूसरे सुबह तक छुट-पुट गोलाबारी होती रही । इस गोलाबारी में हमारे दो जवान मारे गए और तीन जख्मी हुए । पाकिस्तान की तरफ, ऐसा विश्वास है, 7 से 9 तक सिपाही मारे गए या जख्मी हुए । उनकी ओर सम्पत्ति की कितनी क्षति पहुँची, उसका विवरण ज्ञात नहीं है ।

(ग) युद्ध-विराम उल्लघंन सम्बन्धी शिकायत संयुक्त राष्ट्र के सैनिक प्रेक्षकों के पास दर्ज करा दी गई है । युद्ध-विराम रेखा पर अपनी ओर हमने आवश्यक ऐहतियाती उपाय कर लिये हैं ।

लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग की सूचना सेवा

17. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 सितम्बर, 1967 के "ओपिनियन" में लन्दन स्थिति भारतीय उच्चायोग के कार्यकरण के बारे में "ताया जिनकिन" के 'व्हाई वेस्ट मनी' नामक लेख की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है ; और

(ख) क्या इस बीच लन्दन स्थिति भारतीय उच्चायोग की सूचना सेवा को सुधारने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) इस मामले की जांच-पड़ताल की गई है और इस लेख के कथनों में कोई तत्व नहीं पाया गया है । फिर भी, लन्दन में तथा दूसरी जगहों पर सूचना सेवा को सुधारने के लिए बराबर कदम उठाए जाते हैं ।

कुवैत में औद्योगिक उद्यम

18. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 22 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 36 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारस्परिक लाभदायक संयुक्त सहयोग के लिये उद्योगों के सर्वेक्षण के बारे में भारत सरकार और कुवैत सरकार के बीच इस बीच विचार विमर्श हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस दिशा में कुछ प्रारम्भिक कार्य पहले ही किया जा चुका है और अब कुवैत में ऐसे उद्योगों की स्थापना की सम्भावनाओं का सर्वेक्षण करने के प्रबन्धों पर विचार किया जा रहा है जिनमें दोनों देश मिलकर कार्य कर सकते हैं।

मांडले जेल में स्मारक कक्ष

19. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 22 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 19 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मांडले जेल में स्मारक कक्ष में फ़लक लगाने के प्रश्न से सम्बन्धित ब्यौरा रंगून स्थित भारतीय दूतावास की सलाह से इस बीच तैयार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) रंगून स्थिति भारतीय राजदूतावास फलक तैयार करवा रहा है और बर्मा सरकार की सलाह से उन्हें लगाने के लिए समुचित कार्यवाई करेगा।

भूतपूर्व आज़ाद हिन्द फौज के सैनिक

20. **श्री हेमराज :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भूतपूर्व आज़ाद हिन्द फौज के सैनिकों के 1942 से लेकर 1946 तक की अवधि के वेतन और भत्ते की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए तैयार हो गई है ;

(ख) यह बकाया राशि कितने सैनिकों को मिलेगी ;

(ग) क्या उन सैनिकों की बकाया राशि, जो इस अवधि में मर गये हैं, उनके वारिशों को दी जायेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। इस सम्बन्ध में आपका ध्यान इस विषय पर 12 अगस्त, 1967 को सदन के पटल पर रखे गए विवरण की ओर आकृष्ट किया जाता है। अब तक यह निर्णय किया गया है कि बकाया राशि की अदायगी निम्नलिखित रूप से की जायगी :

(1) **अफसर**

धनराशि का 75 प्रतिशत (100 रुपये की निकटतम धनराशि तक) 10 वर्षीय सेविंग सर्टीफिकेटों के रूप में और शेष नकद।

(2) **अफसर पद से नीचे के कार्मिक**

धनराशि का 50 प्रतिशत (100 रुपये की निकटतम धनराशि तक) 10 वर्षीय सेविंग सर्टीफिकेटों के रूप में और शेष नकद। इस धनराशि की अदायगी किस तरह से की जाय, इसके सम्बन्ध में ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं और यथाशीघ्र उनका प्रकाशन किया जायगा।

(ख) लगभग 15,000 व्यक्तियों को यह बकाया राशि मिलेगी।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

चौथी पंचवर्षीय योजना

21. **श्री राम चरण :**

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'चौथी पंचवर्षीय योजना' के आयव्ययक में निर्धारित लगभग सारी राशि 'तीसरी पंचवर्षीय योजना परियोजनाओं' को पूरा करने पर खर्च की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत व्यवस्था नई योजनाओं के लिए की गई है जिनके चौथी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ARMS FROM CHINA AND PAKISTAN FOR NAGAS

22. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri S. S. Kothari :
Shri J. N. Hazarika :
Shri Sitaram Kesri :
Shri K. P. Singh Deo :
Shri C. K. Bhattacharyya :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the so-called 'Parliament of Naga Rebels' have decided to go in for arms from China and Pakistan after their return from Delhi ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the counter measures taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The Government of India have no authentic reports about the decision taken by the so-called 'Parliament of Underground Nagas' regarding procurement of arms etc. from abroad. However, according to information available with the Government of India some sections of the Underground Nagas have had contacts with Pakistan and China for sometime past and Pakistan has supplied some arms and equipment to the Underground Nagas.

(b) The action of the Underground Nagas to secure assistance in arms and ammunition

from abroad is a violation of the Agreement on the Suspension of Operations voluntarily accepted by them, quite apart from the consideration that such action is in violation of our laws. They have been warned accordingly. The Government of India have taken measures within the limits of their resources in men and money to prevent contact with and help from Pakistan and China reaching Underground Nagas. However, due to the difficult terrain and vastness of the area some Underground Nagas do manage to sneak in and out of India.

सैनिक कर्मचारियों को पेंशन

23. **श्री विश्वम्भरम :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवानिवृत्ति पर सशस्त्र सेना के कर्मचारियों को वेतन का कितने प्रतिशत भाग पेंशन के रूप में जा रहा है ;

(ख) क्या सशस्त्र सेना के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन सिविल सेवाओं से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन से कम है;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर 'हां' हो तो सशस्त्र सेना के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन की कम दर देने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार सेना के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन बढ़ा कर सिविल सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन की दरों के समान करने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों की पेंशन उनके/अपने ओहदे, ट्रेड और ग्रुप तथा उनकी सेवा अवधि के अनुसार तदर्थ आधार पर निर्धारित की गई है । सामान्य रूप से जूनियर कमीशंड अफसरों और अन्य जवानों की पेन्शन उनकी 15 वर्ष की सेवा के दौरान उनकी कुल वेतन का 13/16 के आधार पर निर्धारित की गई है और शेष सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिये उसमें एक वेतन वृद्धि और जोड़ी जाती है । अफसरों की पेंशन दरें उनके ओहदे और निश्चित सेवाकाल के आधार पर निर्धारित की गई हैं ।

(ख) सशस्त्र सेना कार्मिकों और सिविल सरकारी कर्मचारियों की पेंशन दरों के बीच में कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि उनकी पेंशनें अलग-अलग हिसाब से निर्धारित की जाती हैं। सिविलियन सरकारी कर्मचारी की पेन्शन उसकी सेवा के प्रत्येक वर्ष के कुल वेतन का 1/80 के हिसाब से निर्धारित होती है और इसके अतिरिक्त उसे इकमुश्त मृत्यु एवं निवृत्ति उपदान भी दिया जाता है। जूनियर कमीशंड अफसरों और अन्य जवानों की 15 वर्ष की सेवा के बाद जो पेन्शन निर्धारित की जाती है वह उसके कुल वेतन का 13/60 के आधार पर होती है । 20 वर्ष या उससे अधिक सेवा करने पर रिटायर होने वाले अफसरों के लिये, समय से पूर्व सेवानिवृत्त होने और रिजर्व में रहने के दायित्व के लिए उनकी पेन्शन में कुछ अतिरिक्त वृद्धि भी शामिल होती है । उन्हें पेन्शन के अतिरिक्त कोई इकमुश्त उपदान नहीं दिया जाता। 15 वर्ष की सेवा करने के बाद रिटायर होने वाले जूनियर कमीशंड अफसरों / अन्य जवानों की उतनी ही सेवा-अवधि वाले सिविलियन सरकारी कर्मचारियों की अपेक्षा कम पेंशन मिलती है ।

(ग) सशस्त्र सेनाओं के अफसर पद से नीचे के पद के कार्मिकों के लिए इस कारण पेन्शन की दरें अपेक्षाकृत कम हैं कि वे 15 वर्ष की अर्हता सेवा करने के बाद ही पेन्शन पाने के

अधिकारी हो जाते हैं जब कि सिविलियन सरकारी कर्मचारियों को निवृत्ति-पेन्शन पाने के लिए सामान्यरूप से 30 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करनी होती है ।

(घ) इस सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

पंचवर्षीय योजना की अवधि

24. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** **श्री शारदा नन्द :**
श्री ना० स्व० शर्मा : **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग में यह महसूस किया जा रहा है कि प्रत्येक पंच-वर्षीय योजना की पांच वर्ष की अवधि का सख्ती के पालन करने से अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं तथा नई पंचवर्षीय योजना का चुनाव-वर्ष से संबंध होना उचित नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बी विभाग

25. **श्री इंद्रजीत गुप्त :** **श्री पार्थसारथी :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय नौसेना में एक प्रभावशाली पनडुब्बी विभाग खोलने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस संबंध में उचित पग उठाए जा रहे हैं । विस्तार प्रकट करना लोकहित में न होगा ।

भारतीय नौसेना के पास विध्वंसक जहाज

26. **श्री इंद्रजीत गुप्त :**

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अरब सागर में हाल में किये गये नौसैनिक अभ्यास से यह बात सामने आई है कि भारतीय नौसेना के कुछ विध्वंसक जहाज पुराने हो गये हैं और उनमें कारगर तोप-व्यवस्था नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके स्थान पर आधुनिकतम तोप व्यवस्था वाले विध्वंसक जहाज लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) **तथा (ख) :** नौसेना के कुछ ध्वसंक पुराने हैं, उनका गनरी सिस्टम इतना कारामद नहीं है, कि जितना आधुनिक ध्वसंकों का ।

सरकार ने आधुनिक आयुधों से सुसज्जित कुछ फ्रिगेटों के निर्माण के लिए पग उठाए हैं, और वह युक्तिसंगत अवधि में इन ध्वंसकों के स्थान पर, आधुनिक पोतों की व्यवस्था के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

Exchange of Films with Yugoslavia

27. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government have since taken a final decision regarding the mutual exchange of films with Yugoslavia ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay :

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The general question of import of films from traditional areas which is linked with the availability of resources and the ability of these countries to buy Indian films is under consideration and specific requests will be considered only after a policy decision has been taken on the general question.

FIRE IN NAGALAND SECRETARIAT

28. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4335 on the 3rd July, 1967 and state :

(a) the details of the report of the experts deputed by the Central Government to look into the causes of fire which broke out in the Nagaland Secretariat ;

(b) the number of employees, if any, against whom action has been taken by Government ; and

(c) the nature of action taken then ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) As indicated in reply to unstarred question No. 4335, on 3rd July, 1967, the matter is primarily the concern of the State Government of Nagaland. The report of the experts investigating into the causes of the fire which gutted the Nagaland Secretariat has not yet been finalised, but would, in any case, be submitted to the Nagaland Government.

(b) and (c) Do not arise.

VALVES MANUFACTURED AT B. E. L.

29. **Shri Molahu Prasad** :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the value of valves manufactured so far consequent upon the agreement signed between the Bharat Electronics Ltd. and M/s Philips of Holland in May, 1959 ; and

(b) the total amount of foreign exchange paid as royalty thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) :

(a) and (b) : The total value of valves manufactured by M/s Bharat Electronics Ltd. upto 30.9.1967 was Rs. 458.05 lakhs. Under the agreement with M/s Philips of Holland technical assistance fee, and not royalty, is payable on the valves sold by M/s Bharat Electronics Ltd. The value of valves sold upto 30.9.1967 is Rs. 430 lakhs. The net amount payable/paid after deduction of tax etc. to M/s Philips on these sales is Rs. 13.84 lakhs.

देसी टेलीविजन सेटों का निर्माण

30. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** **श्री तुलसी दास दासप्पा :**
श्री स० कुण्डू :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 12 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2131 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में देसी टेलीविजन सेटों के निर्माण के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :

जिन दो फर्मों को टेलीविजन रिसीवर सेट बनाने के लिये लाइसेंस दिये गए थे उनसे पूंजीगत माल के आयात के लिए प्राप्त अर्जियों पर पूंजीगत माल समिति ने अपना निर्णय दे दिया है। वे अब 1968 के मध्य से टेलीविजन सेट बनाने आरम्भ करने लगेंगे।

लेफ्टीनेंट जनरल कौल द्वारा लिखित 'अनटोल्ड स्टोरी' नामक पुस्तक

31. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** **श्री गणेश घोष :**
श्री सत्य नारायण सिंह : **श्री रमानी :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री नायनार :**
श्री एस्थोस : **श्री अब्राहम :**
श्री उमानाथ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 22 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लेफ्टीनेंट जनरल कौल द्वारा लिखित 'अनटोल्ड स्टोरी' पुस्तक का परीक्षण कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह निर्णय किया गया है कि लेफ्टि० जनरल बी० एम० कौल के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

दिल्ली में जवानों का स्मारक

32. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 29 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 720 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेना के उन जवानों की स्मृति में, जिन्होंने भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान देश की सुरक्षा के हेतु अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया था, दिल्ली में एक स्मारक बनाने की योजना का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) **तथा (ख) :** एक युद्ध स्मारक तथा रक्षा सेवाओं के संबंधी संग्रहालय के लिए मिश्रित प्रायोजना के विस्तार अभी निर्धारित नहीं किए गए। दिल्ली

में एक स्थान चुन लिया गया है, और प्रायोजना के लिए योजनाएं तथा अनुमान तैयार करने के लिए एक समिति स्थापित की गई है। आठ विदेशों से युद्ध संग्रहालय के विस्तार प्राप्त हो चुके हैं, और इन डाटा की काट छांट के लिए तथा मुख्य समिति को अपनी सिफारिशें देने के लिए एक छोटी समिति बनाई गई है ।

आकाशवाणी से राजनैतिक प्रसारणों संबंधी संहिता

33. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री नायनार :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री तुलसी दास दासप्पा :
श्री प० गोपालन :
श्री गणेश :
श्री भगवान दास :
श्री प्रेम चन्द वर्मा :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री जनार्दनन :
श्री शिव कुमार शास्त्री

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी से प्रसारणों के विनियमन के लिये, जिनमें राजनैतिक व्यक्तियों द्वारा प्रसारण भी सम्मिलित है, आकाशवाणी द्वारा अपनाई जाने वाली संहिता तैयार कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) : मुख्य मन्त्रियों और राज्यों के सूचना मन्त्रियों से विचार-विमर्श करने के बाद, हमने संहिता की मुख्य बातों को मन्जूर कर लिया है और उन्हीं के आधार पर मसौदा तैयार किया जा रहा है और उसे अन्तिम रूप दिया जा रहा हैं। संहिता की मुख्य बातें ये हैं :—

1. मित्र देशों की आलोचना न करना ;
2. धर्म या जातियों पर प्रहार न करना ;
3. अश्लील या अपमानजनक बातों का न होना ;
4. हिंसा को न भड़काना या कानून एवं व्यवस्था के विरुद्ध कुछ न होना;
5. अदालत की मान-हानि से सम्बन्धित कोई बात न करना,
6. राष्ट्रपति, राज्यपालों या न्यायपालिका की न्यायनिष्ठा के विरुद्ध किसी भी आक्षेप का न होना ;
7. किसी भी दल पर नाम लेकर प्रहार न करना ;
8. किसी भी राज्य या केन्द्र के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण आलोचना का न होना; और
9. संविधान के सम्बन्ध में अपमानजनक बात या हिंसात्मक ढंग से संविधान में परिवर्तन करने की वकालत करने की आज्ञा न दी जाए, परन्तु संविधान में संवैधानिक ढंग से परिवर्तन करने की वकालत करने को मना न किया जाए ।

BROADCASTS FROM RADIO MOSCOW

34. **Shri Y. S. Kushwah :** **Shri G. C. Dixit :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Moscow controlled "Radio Peace and Progress" has interfered in the internal affairs of India by its anti-Indian propaganda;

(b) if so, whether a protest note has been sent to the U. S. S. R. Government in this regard ; and

(c) whether any reply has been received by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :

(a) The Government are aware of the broadcasts made by "Radio Peace and Progress."

(b) and (c) : The objectionable aspects of the broadcasts have been brought to the notice of the appropriate Soviet authorities, and they have promised to give due consideration to our representations.

Exhibition of Hindi Films in South

35. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the anti-Hindi Council in Madras have issued notices to the cinema owners to discontinue exhibiting Hindi films in Madras State from the 10th October, 1967 onwards ; and

(b) if so, Government's reaction thereto :

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) and (b) : Exhibition of films is a subject which is the responsibility of the State Governments but our enquiries reveal that the Tamilnad Students' Anti Hindi Council served notices on the cinema houses in the Madras State to suspend exhibition of Hindi films but the agitation was withdrawn on the advice of the local Government.

Indian Ship Destroyed by Israeli Forces

37. **Shri Y. S. Kushwah** : **Shri P. N. Solanki** :
Shri R. S. Vidyarthi : **Shrimati Jyotsna Chanda** :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an Indian Ship was destroyed by the Israeli forces in the Suez Canal ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the loss of life and property suffered thereby ; and

(d) the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) (a) to (c) : On 4th September, 1967, an Indian ship, S. S. 'Parvati Jayanti' was damaged by an Israeli shell at Port Tewfik. The Israeli shell made a hole abreast of the hatch (3 feet x 2 feet approx.) in the Tween Deck. Also a part of the Degausing wire (about 15 feet) was destroyed in No. 4 Tween Deck starboard side in the vicinity where the vessel was holed. There was no loss of life or injury to anyone on the ship.

(d) An official of the Embassy of India, Cairo visited this ship and our Embassy rendered all necessary help to the Master of the ship.

कारगिल में पाकिस्तान की तैयारियां

38. **श्री भरंडी** : **श्री राम सेवक यादव** :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान युद्ध-विराम रेखा के पार कारगिल क्षेत्र में बंकर (भूमिगत मोर्चे) खोद कर अपनी सैनिक मोर्चाबंदी सुदृढ़ कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान ने लगभग चार वर्ग मील क्षेत्र को जिस पर पाकिस्तान ने कारगिल कमान के अन्तर्गत 1965 में कब्जा कर लिया था, भारत को अभी तक नहीं लौटाया है जो ताशकन्द समझौते का उल्लंघन है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उस क्षेत्र पर पुनः कब्जा करने के लिये तथा कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी मोर्चाबंदी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) : पाकिस्तान कारगिल क्षेत्र में युद्ध विराम रेखा के उधर अपनी तरफ नए बंकरों का निर्माण कर रहा है तथा उस सीमा पर एक दावार भी बना रहा है। युद्ध विराम के उल्लंघन सम्बन्धी शिकायतें संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों के पास दर्ज करा दी गई हैं। अपनी ओर हम आवश्यक ऐहितियाती कार्यवाही भी कर रहे हैं।

(ग) तथा (घ) : पाकिस्तान कारगिल क्षेत्र में युद्ध विराम रेखा के साथ-साथ कुछ अलग-थलग पड़े हुए स्थानों पर कब्जा किए हुए है जो सब मिला कर एक सुसंहत क्षेत्र नहीं बनता। इस प्रकार वह 1949 के युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों के पास इस सम्बन्ध में शिकायत करने पर यह मान लिया गया है कि वे स्थान युद्ध विराम रेखा के इधर हमारी ओर पड़ते है, इसलिए मुख्य सैनिक प्रेक्षक ने पाकिस्तान को उसे खाली करने के लिए कहा है। ताशकन्द समझौते के अधीन समय-समय पर हुई भारत और पाकिस्तान के थल सेनाध्यक्षों की बैठकों में इस मामले पर भी विचार हुआ। दोनों थल सेनाध्यक्षों की पिछली बैठक में पाकिस्तान ने उनमें से कुछ स्थानों को खाली करना स्वीकार कर लिया है। अन्य स्थानों के बारे में पाकिस्तान को सन्देह होने के कारण यह स्वीकार किया गया है कि भारत, पाकिस्तान और संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त रूप से फिर से उनका संयुक्त सर्वेक्षण किया जाय।

भारत-चीन सम्बन्धों के बारे में श्री के० पी० एस० मेनन का लेख

39. **श्री भरंडी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'इंडियन एण्ड फौरेन रिव्यू' में प्रकाशित श्री के० पी० एस० मेनन के लेख की ओर दिलाया गया है, जिसमें उसने पेकिंग से राजदूत को वापिस बुला लिये जाने तथा तिब्बत संबन्ध 1954 के पंचशील समझौता समाप्त किये जाने के लिये भारत पर आरोप लगाया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :

(क) जी हाँ।

(ख) कुल मिलाकर इस लेख से ऐसा आभास मिलता हैं कि शुरू में श्री के० पी० एस० मेनन की चाहे कुछ भी शंकाएं रही हों, बाद की घटनाओं से उनकी यह धारणा बनी कि भारत ने चाहे कुछ किया होता या न किया होता, चीन भारत का मित्र नहीं रहता।

कोरापुत के मिग विमान कारखाने के कर्मचारी

40. **श्री रविराय** :

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कोरापुत जिले में स्थित मिग विमान कारखाने में इस समय कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ; और

(ख) इन कर्मचारियों से संबंधित ब्यौरा क्या है, और वे किन-किन राज्यों के रहने वाले हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 1157 ।

(ख) हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड एक स्वायत्तशासी निकाय है और भर्ती उसके भर्ती सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत की जाती है जो कि सामान्य रूप से अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के भर्ती नियमों के अनुसार हैं। कोरापुत कारखाने के लिये भर्ती, रोजगार दफ्तर (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उड़ीसा राज्य के रोजगार दफ्तरों द्वारा की जाती है । भर्ती की राज्यवार जांच करना वांछनीय नहीं समझा जाता है । तथापि यह कहा जा सकता है कि 1157 कर्मचारियों में से 310 उड़ीसा के हैं ।

Sino-Indian Talks at Officers' Level

41. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received any reply from the Chinese Government to the proposal for talks between the Officers of the two Governments after the recent clash with the Chinese army near the Nathula pass and whether the talks have started ;

(b) if so, the result thereof ; and

(c) if not, the further action being taken by Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) (a) to (c) : The Government of India have received no reply to their suggestion of the 11th September proposing a cease-fire followed by a meeting of Sector Commanders at Nathu La. Without replying to the Government of India's note, the Chinese forces did in effect cease fire on the 13th September.

भू-परिवेष्टित देशों के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिसमय

42. **श्री भोगेन्द्र झा**: क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने भू-परिवेष्टित देशों तक व्यापार तथा आवागमन की सुविधायें प्रदान करने के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय की पुष्टि की है ;

(ख) यदि नहीं, तो अभिसमय की पुष्टि करने में देरी होने के क्या कारण हैं : और

(ग) इस अभिसमय की पुष्टि अब तक कितने देशों ने की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

(ग) 20 सितम्बर 1967 तक दस देश इस अभिसमय के पक्षधार बन चुके थे । इन देशों के नाम हैं: छाड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, मलावी, मंगोलिया, नेपाल, नाइजर, नाइजीरिया, यूगोस्लाविया और जंबिया।

भारतीय विदेश सेवा के सम्बन्ध में पिल्ले समिति का प्रतिवेदन

43. **श्री भोगेन्द्र झा:** **श्री शशि भूषण वाजपेयी :**

क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** 22 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विदेश सेवाओं सम्बन्धी पिल्ले समिति की सिफारिशों पर इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार का निर्णय किया गया है?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) बहुत-सी सिफारिशों पर अंतिम निर्णय ले लिया गया है, और दूसरी सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय तथा अन्य संबद्ध मंत्रालयों की सलाह से विचार किया जा रहा है।

(ख) विदेश मंत्रालय और विदेश-स्थित मिशनों की कार्य पद्धति को सुधारने से संबद्ध अधिकांश सिफारिशों को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन वित्तीय कठिनाइयों के कारण हो सकता है कि उनका क्रियान्वयन कुछ वर्षों की अवधि में कई चरणों में किया जाए।

रोडेशिया

44. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा रोडेशिया पर लगाया गया आर्थिक प्रतिबन्ध नितान्त असफल रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो रोडेशिया में अल्प संख्यक श्वेत लोगों की सरकार शीघ्र अपदस्थ हो, इसके लिए भारत का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :

(क) सुरक्षा परिषद् के 16 दिसम्बर 1966 के प्रस्ताव द्वारा जो चुने हुए आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए गए थे, वे रोडेशिया की गैर-कानूनी सरकार को गिराने में असफल रहे हैं, विशेषकर इसलिए कि दक्षिणी अफ्रीका और पुर्तगाल ने इस प्रस्ताव पर अमल करने से अस्वीकार कर दिया है और उन्होंने रोडेशिया की गैर-कानूनी तथा अल्पसंख्यक सरकार को अपनी अर्थ-व्यवस्था को जमाए रखने में खुले तौर पर सहायता दी है।

(ख) रोडेशिया के सवाल पर महासभा के 22 वें अधिवेशन में विचार किया गया था जिसमें भारत के प्रतिनिधि ने घोषणा की थी कि रोडेशिया का विद्रोह समाप्त करने के लिए ब्रिटेन के पास एक ही तरीका है कि वह ताकत का इस्तेमाल करे। महासभा ने 3 नवम्बर 1967 को एक प्रस्ताव पास किया जिसमें यह माँग की गई है कि ब्रिटेन को विद्रोही रोडिशियाई सरकार को जल्दी और कारगर तरीके से गिराने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि सुरक्षा परिषद् ने दिसम्बर 1966 में आर्थिक प्रतिबन्धों पर जो बहुमत प्रकट किया था वह असफल रहा है।

पश्चिमी जर्मनी द्वारा पाकिस्तान को अमरीका में बने टैंकों की सप्लाई

45. **श्री तुलसी दास दासप्पा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम जर्मनी द्वारा पाकिस्तान को अमरीका में बने टैंकों की सप्लाई किए जाने के बारे में समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों की सत्यता का पता लगाया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है;

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या इस मामले में पिछले तीन महीनों में कोई और नई बात हुई है?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :

(क) से (घ) : सरकार ने पश्चिम जर्मन द्वारा पाकिस्तान को अमरीकी टैंकों की कथित सप्लाई के प्रश्न को जर्मन संघीय गणराज्य और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकारों के साथ उठाया था। इन दोनों सरकारों ने हमें विश्वास दिलाया है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को ऐसी कोई सप्लाई नहीं की गई है और न ही की जावेंगी।

सुरक्षा परिषद् की गुप्त बैठक

46. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा परिषद् की गुप्त बैठक के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव की प्रस्तावित योजना की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) : जी हाँ। सुरक्षा परिषद ने अभी इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है और इसलिए भारत सरकार ने इस पर अपने विचार प्रकट नहीं किए हैं।

तिब्बत में भारतीय सम्पत्ति के बारे में चीन के साथ बातचीत

47. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री निहाल सिंह :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री प्र० न० सोलंकी :**
श्री श्रीचन्द्र गोयल :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने तिब्बत में ल्हासा, गरतोक तथा यातुंग में भारतीय सम्पत्ति चीन सरकार द्वारा लिए जाने की शर्तें निर्धारित करने के लिए भारत से बातचीत करने को कहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :

(क) से (ग) : पुराने भारतीय प्रधान कौंसलावास को पट्टे वाली जमीन और संपत्ति तथा यातुंग और गरतोक को भारतीय व्यापार एजेंसी लेने के बाद, चीन सरकार ने इसकी कीमत पर विचार करने की पेशकश की। भारत सरकार ने चीन सरकार द्वारा इकतरफा तथा मनमाने

ढंग से इन संपत्तियों को अपने हाथ में लेने के खिलाफ उससे विरोध प्रकट किया था और कहा था कि वह आगे समुचित कार्रवाई करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखती है।

चीन के साथ बातचीत

48. **श्री दी० चं० शर्मा:** **श्री हरदयाल देवगुण:**
श्री ओ० प्र० त्यागी : **श्री रामावतार शर्मा :**
श्री आत्म दास :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन द्वारा कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार किए बिना ही उसके साथ बातचीत करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) : जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

फ्रांस द्वारा पाकिस्तान को पनडुब्बियों और लड़ाकू विमानों की सप्लाई

49. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने फ्रांस से जिन तीन 'किलर' (विध्वंसक) पनडुब्बियों को लेने का सौदा किया था वह उनमें से दो पनडुब्बियाँ निकट भविष्य में प्राप्त कर रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पकिस्तान ने कुछ मिराज-III सुपरसॉनिक लड़ाकू विमान खरीदने के लिये भी फ्रांस से करार किया है;

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) और (घ), पकिस्तान द्वारा बिना सोचे-समझें हथियारों का संग्रह करते जाने से जो खतरा है उसके प्रति भारत सरकार पूरी तरह सजग है। अपनी सुरक्षा की हिफाजत के लिए समुचित कदम उठाए जा रहे हैं।

भारतीय वायुसेना के कर्मचारियों के लिये चिकित्सा की सुविधायें

50. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) क्या सरकार भारतीय वायु सेना के कर्मचारियों को रूस में विमान चालकों को मिलने वाली चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने के लिये किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) यू०एस० एस०आर० में वायु सेना के पाइलटों को दी गई चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

शत्रु के विमानों द्वारा वायु-सीमा का अतिक्रमण

51. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शत्रु के विमानों द्वारा वायुसीमा का अतिक्रमण किये जाने का पता लगाने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या डिस्टेंस वर्किंग लाइनें स्थापित कर ली गई हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) अतिलंघन की सीमा किसी विदेशी विमान के भारतीय भूक्षेत्र के अन्दर देखे जाने वाले स्थान से अन्तर्राष्ट्रीय युद्धविराम रेखा पर निकटतम स्थान से दूरी से निर्धारित की जाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय राज्यक्षेत्र में चीनियों की घुसपैठ

52. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **प्रतिरक्षा-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन महीनों में चीनी सेना ने कितनी बार भारतीय राज्य-क्षेत्र में घुसपैठ की;

(ख) क्या इन घुसपैठों के परिणामस्वरूप चीनियों ने कुछ भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया है और यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इन घुसपैठों में भारत को जान और माल की कितनी क्षति उठानी पड़ी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) पहली अगस्त और 31 अक्तूबर 1967 के बीच चीनी सशस्त्र कार्मिकों ने सिक्किम प्रदेश में दस बार घुसपैठ की।

(ख) जी नहीं।

(ग) घुसपैठ के परिणाम-स्वरूप किसी की जान नहीं गई। 11 और 14 सितम्बर के बीच नाथूला में तथा पहली अक्तूबर को चोला में बिना उत्तेजनात्मक कार्यवाही के चीनियों द्वारा गोलाबारी करने के बाद दोनों ओर से गोलाबारी होने के परिणाम-स्वरूप 88 भारतीय जवान मारे गए और 163 जख्मी हुए। इसके अतिरिक्त हमारे रक्षात्मक स्थानों और उपस्करों को भी कुछ क्षति पहुँची।

कच्छ न्यायाधिकरण

53. **श्रीमती सुशीला रोहतगी: श्री श्रद्धाकर सूपकार: श्रीमती तारा सप्रे:**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ न्यायाधिकरण ने अपना निर्णय दे दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस न्यायाधिकरण के सामने अपना मामला प्रस्तुत करने में भारत का कुल कितना खर्च हुआ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :

(क) इस ट्रिबुनल ने अभी तक अपना निर्णय नहीं दिया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वास्तविक खर्च का हिसाब अभी तैयार नहीं किया गया है।

टेलीविजन सेटों का निर्माण

54. **डा० रानेन सेन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि यूगोस्लाविया ने टेलिविजन सेटों के निर्माण के लिये भारत को तकनी की जानकारी प्रदान करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हाँ, तो उस प्रस्ताव की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस पेशकश को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो भारत में टेलिविजन सेटों का निर्माण करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :

(क) **से (घ)** : देशीय ज्ञान द्वारा सी० ई० ई० आर०आई० पिलानी द्वारा विकासित टेलीवीजन रिसीवर सेटों के निर्माण के लिए अब तक दो फर्मों को लाइसेंस दिए गए हैं। आशा है यह फर्में मध्य 1968 तक निर्माण आरम्भ कर देंगी।

इस वर्ष अगस्त सितम्बर में नई दिल्ली में हुई त्रिदलीय बातचीत के दौरान युगोस्लाविया के प्रतिनिधि ने बताया था कि अगर भारतीय निर्माताओं को आवश्यकता पड़े तो यूगोस्लाविया टी० वी० रिसीवरों के निर्माण के लिए तकनीकी ज्ञान की पेशकश करेगा। चूंकि सी० ई० ई० आर० आई० पिलानी द्वारा पहले से विकसित तकनी की ज्ञान के आधार पर टेलीवीज़न रिसीवरों का सफल निर्माण प्रत्याशित है, यूगोस्लाविया की पेशकश के प्रयोग की शायद आवश्यकता न पड़े।

गैर-सरकारी क्षेत्र में आयुध कारखाना

55. **डा० रानेन सेन** : **डा० कर्णी सिंह:**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गैर सरकारी क्षेत्र में एक आयुध कारखाना स्थापित करने के एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो देश में गैर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में शस्त्रास्त्र के निर्माण की अनुमति देने के क्या कारण हैं;

(ग) गैर सरकारी क्षेत्र के इस कारखाने में किस प्रकार के शस्त्रास्त्र बनाने का विचार है;

(घ) क्या यह सच है कि गैर सरकारी क्षेत्र के प्रस्तावित आयुध कारखानों में हथियारों के उत्पादन से विदेशी फर्मों का सम्बन्ध होगा ;

(ङ) यदि हाँ, तो प्रस्तावित आयुध कारखानों से किन-किन विदेशी फर्मों का सम्बन्ध होगा; और

(च) इन विदेशी फर्मों के साथ किए गए सहयोग सम्बन्धी करारों की शर्तें क्या हैं?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (च) : प्रश्न ही नहीं उठते।

परिवहन सम्बन्धी समस्यायें

56. **डा० रानेन सेन** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता की परिवहन सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने वाले महानगर परिवहन दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किए गए हैं?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्यमंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी):

(क) जी हाँ, दल ने अपना अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है।

(ख) और (ग) एक विवरण जिसमें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशें और निर्णय सम्मिलित हैं, सभा पटल पर रख दिया गया है। [देखिए एल० टी० संख्या 1503/67]

Return of Indians kidnapped by Pakistan

57. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : **Shri Ramavtar Sharma** :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan has returned 20 Indians out of those kidnapped by her five years ago ;

(b) whether these persons have given an account of their experiences and the hardship of harassment to which they were subjected there ;

(c) if so, the full details in this regard and the reaction of Government thereto; and

(d) the action taken by Government for the late return of these persons ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) A batch of 20 Indians interned in Pakistan was repatriated to India on the 19th August, 67, but none of them was found to have been kidnapped or had been there for more than two to three years.

(b) They are reported to have stated that they were moved from one jail to another and were also tortured during their detention in Pakistan.

(c) There have been earlier reports of torture and harassment of Indian internees in Pakistan and enquiries made by the Government of India in this regard revealed that the treatment meted out to Indian internees in Pakistan subsequent to the outbreak of hostilities between India and Pakistan in 1965 was generally unsatisfactory. A number of protests have been lodged with the Government of Pakistan on the subject.

(d) The Government have been taking prompt action as and when they are made available for repatriation by the Government of Pakistan.

Censorship of Films

58. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to bring about some further changes in the system of censorship of Films ;

(b) whether Government have received any suggestions to ensure that films are not inconsistent with the Indian traditions and standards ;

(c) whether it is a fact that the English films are having very adverse effect on the Indian films ; and

(d) if so, whether Government propose to appoint a high-power Committee to look into this matter ?

The Minister of Information and Broadcasting (**Shri K. K. Shah**) : (a) and (d) : Government propose to set up an Enquiry Committee to review the existing regulatory procedures, laws and machinery for certification of films both Indian and Foreign and recommend measures for improvement.

(b) No specific suggestion to this effect has been received.

(c) It is debatable. Some hold that opinion. Others do not.

Export of Indian Films

59. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : **Shri Ram Gopal Shalwale** :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian films are very popular in the neighbouring countries, particularly in Iran, Afghanistan and Arab countries ;

(b) whether it is also a fact that some private individuals are purchasing these films and are earning huge profits therefrom ; and

(c) if so, the reasons for Government for not taking over the distribution of these films in their own hands with a view to earn a good amount of foreign exchange ?

The Minister of Information and Broadcasting (**Shri K. K. Shah**) : (a) and (b). Yes, Sir. There is however no evidence to show that the Importers of Indian Films are earning huge profits ; and

(c) Canalisation of export of Films through the Indian Motion Picture Export Corporation which was introduced last year has had to be abandoned due to legal difficulties.

जल प्रांगण की सीमाओं के बारे में लंका के साथ बातचीत

60 **श्री न० कु० साल्वे** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि लंका सरकार ने लंका की जल प्रांगण सीमा को १२ मील तक बढ़ाने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सीमा के इस विस्तार का प्रभाव भारत और लंका के बीच भारतीय जल प्रांगण सीमा पर पड़ेगा ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने लंका की सरकार के साथ इस बारे में कोई बातचीत शुरू की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :

(क) से (ग) : 20 दिसम्बर 1957 के एक अध्यादेश द्वारा, श्रीलंका के गर्वनर-जनरल ने यह घोषणा की थी कि समुद्र तल पर और साथ लगने वाले प्रदेश के कंटीनंटल अथवा इन्सुलर शेल्फ के नीचे की जमीन पर और श्रीलंका के प्रादेशिक समुद्र के परे तक श्रीलंका का प्रभु सत्तात्मक अधिकार रहा है और रहेगा। भारत सरकार को इस बारे में श्रीलंका सरकार के किसी अन्य अध्यादेश के विषय में जानकारी नहीं है। राष्ट्रपति के 30 अगस्त १९५५ के अध्यादेश द्वारा भारत ने भी कन्टीनेंटल शेल्फ की सीमाएं स्पष्ट बताए बिना इस पर अपने प्रभु सत्तात्मक अधिकारों की घोषणा कर दी है। ३० सितम्बर १९६७ को राष्ट्रपति ने संख्या एफ० एल० / III (1)/67 का एक और अध्यादेश जारी किया है जिसमें समुद्र में भारत के प्रादेशिक जल को समुचित आधार रेखा से 12 समुद्री मील बढ़ा दिया है।

आम तौर से यह स्वीकार किया जाता है कि जहाँ दो राज्यों के कन्टीनेंटल शेल्फ एक दूसरे के ऊपर पड़ते हों, वहाँ दोनों के बीच की सीमा आपसी समझौते से निर्धारित की जानी चाहिए। इस मामले में भारत और श्रीलंका के कन्टीनेंटल शेल्फ एक-दूसरे को छूते हैं। भारत और श्रीलंका के कन्टीनेंटल शैल्फों के बीच की सीमा को तय करने के लिए अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है।

राज्यों में योजना बोर्ड

61. **श्री न० कु० साल्वे :** **श्री दामानी :**

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में योजना बोर्ड स्थापित करने का निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इन योजना बोर्डों द्वारा क्या काम किया जायेगा और उक्त योजना आयोग द्वारा क्या काम किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) और (ख) प्रशासन आयोग ने अपनी योजना के लिए मशीनरी सम्बन्धी अन्तरिम प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि प्रत्येक राज्य में योजनाओं को क्रियान्वित करने और उनके कार्यों को मापने के लिए योजना बोर्डों को स्थापित किया जाना चाहिये। प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों और इस विषय पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में हुई चर्चा को ध्यान में रखते हुए यह राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे देखें कि राज्य या निम्न स्तरों पर योजना की व्यवस्था के लिए और क्या उपाय किए जा सकते हैं।

कलकत्ता स्थित पाकिस्तानी उप-उच्चायुक्त की सहायता से पाकिस्तानी नागरिकों का सीमा पार करना

63. **श्री म० ल० सोंधी:** **श्री देवेन सेन:**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता स्थित पाकिस्तानी उप-उच्चायुक्त की सहायता से तीन पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा अवैध रूप से सीमा पार करने के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से पूरी सूचना सरकार को मिल गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इस बात की सूचना भी सरकार को मिली है कि कलकत्ता स्थित पाकिस्तानी दूतावास की सहायता से पहले भी पश्चिम बंगाल पूर्व पाकिस्तान सीमा का अवैध रूप से कई बार उल्लंघन किया गया है ; और

(घ) कलकत्ता स्थित पाकिस्तानी दूतावास की अवैध गतिविधियों के रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :(क) और (ख) जी हाँ। इसके तथा इस दुर्घटना के बारे में प्राप्त दूसरी रिपोर्टों की सावधानीपूर्वक जाँच करने के बाद, भारत सरकार अब इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि पाकिस्तान के कलकत्ता-स्थित उप-हाई-कमिश्नर ने कलकत्ता की सीमा से बाहर इस प्रकार की यात्रा के लिए पश्चिम बंगाल को आवश्यक सूचना नहीं दी जो कि जरूरी होती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाकिस्तान की जेलों में भारतीय प्रत्यावर्तक

64. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पाकिस्तान की जेलों में भारतीय प्रत्यावर्तकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) वे लोग कितनी-कितनी अवधि का कारावास भुगत रहे हैं और;

(ग) उनमें से कितने व्यक्तियों को गत छः महीनों में रिहा किया गया है?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख): भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से कई बार यह प्रार्थना की है कि वह पाकिस्तान में नजरबन्द भारतीयों की संख्या बताए और उनका पूरा ब्यौरा दे, यानी यह बताए कि उन पर क्या आरोप लगाए गए हैं, जिन पर मुकदमा चलाया जा चुका है, उन्हें कितने-कितने साल की क़ैद की सजा दी गई है, उन्हें कहाँ नजरबन्द किया हुआ है आदि-आदि ; लेकिन बार-बार याद दिलाए जाने के बावजूद अभी तक यह ब्यौरा हमें नहीं मिला है। इसके विपरीत पाकिस्तान सरकार केवल उन लोगों की सूची देती रही है जिन्होंने पश्चिम पाकिस्तान में अपनी क़ैद की मियाद पूरी कर ली है और जिन्हें भारत वापस लाया जा सकता है। अक्तूबर 1967 के अंत तक लाहौर नज़रबन्दी शिविर से ऐसे 146 व्यक्ति मिले थे । इनमें से 39 तो ऐसे थे, जो कि

पाकिस्तानी राष्ट्रिक थे या जिनकी राष्ट्रिकता संदेहास्पद थी और 54 व्यक्ति गूँगे, बहरे और पागल थे। बाकी 53 व्यक्तियों के राष्ट्रीय दर्जे की संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा जाँच की जा रही है और भारत सरकार इस कोशिश में है कि इन मामलों की जल्दी जाँच हो जाए। इसके अलावा 21 ऐसे व्यक्तियों के बारे में भी मालूम है जो पूर्वी पाकिस्तान में या तो जेल में हैं या नज़रबन्द हैं।

(ग) भारत सरकार के पास सुलभ सूचना के अनुसार, पाकिस्तान सरकार ने पिछले 6 महीनों में 75 व्यक्ति रिहा किए, जो भारतीय राष्ट्रिक बताए जाते हैं और उन्हें लाहौर नज़रबन्दी शिविर में भेज दिया गया।

पूर्वी पाकिस्तान में चीनी विशेषज्ञ

65. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ चीनी विशेषज्ञ आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा के साथ-साथ सीमावर्ती सड़कों के निर्माण-कार्य में पूर्वी पाकिस्तान के अधिकारियों की सहायता कर रहे हैं;

(ख) क्या इनमें से कुछ सड़कें सेना की भारी गाड़ियों को लाने ले जाने के लिए तैयार की जा रही हैं; और

(ग) क्या सरकार भारत की पूर्वी सीमा पर स्थिति का मुक़ाबला करने के लिये समुचित कार्यवाही कर रही है?

प्रतिरक्षा-मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) से (ग) सरकार आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा के इस पार संचार साधनों में सुधार के लिए प्रक्रिया और उसके सैनिक महत्त्व से अवगत है। सरकार पाकिस्तान की सैनिक सामर्थ्य के सुधार के लिए चीन सरकार द्वारा दी जा रही विस्तृत सहायता से भी परिचित है। देश की सुरक्षा की रक्षा के लिए ऐसी सभी प्रक्रिया का उचित ध्यान रखा जाता है।

बाल चलचित्र संस्था

66. **श्री अदिचन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल चलचित्र संस्था के काम-काज की जाँच करने के लिये नियुक्त किए गए अध्ययन-दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संस्था के काम-काज में सुधार करने के लिये इस दल ने क्या सिफ़ारिशें की हैं; और

(ग) इन सिफारिशों पर क्या निर्णय किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) और (ग): प्रश्न ही नहीं उठते।

दाहाग्राम क्षेत्र के बारे में भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की बैठक

67. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही**: क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पाकिस्तान अधिकृत दाहाग्राम क्षेत्र तथा तीस्ता पयास्थी नामक भारतीय गाँव

के निवासियों के बीच झगड़े रोकने के लिए नए नियम तय करने के लिये क्या भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की कोई बैठक हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो जो समझौता हुआ है उसका ब्यौरा क्या है?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह):

(क) और (ख): पाकिस्तानी बस्ती दाहाग्राम के निवासियों तथा दाहाग्राम के पास के तीस्ता पयास्थी नामक भारतीय गाँव के भारतीय राष्ट्रिकों और भारतीय सीमा सुरक्षा सेनाओं में गम्भीर मुठभेड़ हो जाने पर 16 अगस्त 1967 को कूचबिहार (भारत) के उप-कमिश्नर और रंगपुर (पूर्वी पाकिस्तान) के उप-कमिश्नर के बीच एक बैठक हुई थी। इस बैठक में इस बात पर सहमति हुई थी कि सीमा पर तनाव खत्म करने के लिए वर्तमान भूनियमों का ईमानदारी के साथ पालन किया जाना चाहिये। इस बैठक में सीमा पर होने वाली मुठभेड़ों को बचाने के लिए कोई नए नियम नहीं बनाए गए थे।

पाकिस्तान को रूस द्वारा हैलीकोप्टरों की सप्लाई

68. **श्री चितामणि पाणिग्रही:** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस द्वारा पाकिस्तान को हैलीकोप्टरों की सप्लाई के सम्बन्ध में, सरकार को रूस की सरकार से कोई उत्तर प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में रूस की सरकार का दृष्टिकोण क्या है?

वैदेशिक-कार्य-मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह):

(क) और (ख) यह रिपोर्ट मिलने पर कि सोवियत संघ पाकिस्तान को हैलीकोप्टर बेचने पर विचार कर रहा है, सोवियत संघ का ध्यान इन हैलीकोप्टरों का इस्तेमाल सैनिक उद्देश्यों के लिए किए जाने की सम्भावना की ओर आकर्षित किया था। सोवियत सरकार ने कहा कि पाकिस्तान को कोई घातक हथियार सप्लाई नहीं किए जा रहे हैं। वे **हैलीकोप्टर** को सिविलियन आइटम मानते हैं, जिनकी बिक्री पर सोवियत संघ की "एविया एक्सपोर्ट" नामक वाणिज्यिक संगठन का नियंत्रण है। इनकी बिक्री सोवियत संघ द्वारा दूसरे देशों को सैनिक उपकरण की बिक्री या उपहार देने पर लगाए गए प्रतिबन्धों के अंतर्गत नहीं आती।

भारी पानी संयंत्र

69. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही:** क्या **प्रधान**-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान और मद्रास के प्रयोग के लिये भारी पानी संयंत्र की स्थापना का मामला किस अवस्था में है;

(ख) इस संयंत्र की क्षमता कितनी होगी;

(ग) संयंत्र को स्थापित करने में कितनी लागत आयेगी?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मती इंदिरा गांधी):

(क) और (ख) विभिन्न स्थानों पर जहाँ मँहगी बिजली उपलब्ध है, भारी पानी संयंत्र स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में लागत और समय सम्बन्धी विस्तृत जाँच करने के पश्चात् परमाणु

शक्ति आयोग ने हाल ही में 100 टन शक्ति का एक भारी पानी संयंत्र राजस्थान परमाणु शक्ति परियोजना के निकट राणा प्रताप सागर में स्थापित करने का निर्णय किया है।

(ग) उस पर लगभग 15 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है।

Setting up a Centre in Chhatisgarh Division for Manufacture of Defence Material.

70. **Shri Lakhan Lal Gupta**: Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a centre in Chhatisgarh Division of Madhya Pradesh for producing defence material ; and

(b) if so, when ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) No, sir.

(b) Does not arise.

प्रतिरक्षा तथा सेना सम्बन्धी अध्ययन

71. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंस्टीच्यूट आफ स्टेटजिक स्टीड्ज़, लन्दन द्वारा किए गए प्रतिरक्षा तथा सेना सम्बन्धी महत्वपूर्ण अध्ययनों से लाभ उठाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या सरकार ने भारत में भी ऐसी ही एक संस्था स्थापित करने के लिये कोई प्रयास किए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है तथा क्या अनुभव प्राप्त हुआ है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) इन्स्टीच्यूट आफ स्ट्रेटजिक स्टीड्ज़,लन्दन के प्रकाशनों की प्रतियाँ अध्ययन के लिए विभिन्न रक्षा संस्थानों द्वारा प्राप्त की जाती हैं।

(ख) सरकार ने दिल्ली में 1860 के सोसाईटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 के अन्तर्गत पंजीयबद्ध, स्वायत्त संस्था के तौर पर'दी इन्स्टीच्यूट आफ डिफेन्स स्टडीज़ एण्ड अनेलिसिज़' स्थापित किया है, और उसका पंजी यबंधन 11-11-1965 को हुआ था।

(ग) उपरोक्त इन्स्टीच्यूट द्वारा रक्षा विषयों पर अध्ययन किए जाते हैं और जब भी अध्ययन सम्पूर्ण हुए, मोनोग्राफ प्रकाशित किए जायेंगे।

शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिये परमाणु बिजली

72. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या प्रधान-मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिये परमाणु बिजली का प्रयोग करने के बारे में ब्रिटेन द्वारा की गई प्रगति का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) भारत ने इस दिशा में कितनी प्रगति की है ; और

(ग) ऐसे प्रयोजनों के उपभोग के लिए परमाणु बिजली तैयार करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) इस विषय पर प्रकाशित तत्संगत साहित्य नियमित तौर पर प्राप्त हो रहा है और इसका अध्ययन हमारे इंजीनियरों द्वारा किया जाता है।

(ख) जैसा कि उसकी वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि 'परमाणु शक्ति' विभाग हाल ही में तीन अणु शक्ति स्टेशन स्थापित कर रहा है—(1) नागपुर अणु शक्ति स्टेशन (2) राजस्थान अणु शक्ति स्टेशन (3) मद्रास अणु शक्ति स्टेशन।

(ग) इस बीच यह विभाग और अणु शक्ति स्टेशनों की स्थापना की सम्भावना के सम्बन्ध में अध्ययन कर रहा है।

Pak. Defence Day

73. **Shri R. S. Vidyarthi** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have sent any protest letter against the Defence Day celebrated by Pakistan on the 6th September ;

(b) the names of countries in which Pakistani Embassies celebrated Defence Day ;

(c) whether the Government propose to celebrate a "Victory Day" ; and

(d) if so, the time when it would be celebrated and if not, the reasons therefor.

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) According to our information, Pakistani Missions in the following countries held receptions to celebrate it :—

1. Soviet Union
2. Tanzania
3. Iran
4. Turkey
5. Afghanistan
6. Saudi Arabia
7. Burma
8. China
9. West Germany
10. Indonesia
11. United States
12. U. K.
13. Japan

(c) No, Sir.

(d) The Government of India believe that such a celebration though warranted would not be in keeping with the Tashkent spirit and may not promote the larger cause of Indo-Pakistan amity.

Fire in Air Headquarters Building, New Delhi

74. **Shri R. S. Vidyarthi**: Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 17th August, 1967, fire broke out in the second storey of the Air Headquarters building situated in Block No. 6 Sector 4 of Ramakrishnapuram, New Delhi ;

(b) whether it is also a fact that fire broke out in this office two or three times earlier as well ; and

(c) if so, the action taken against the persons responsible for the fire ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) It is a fact that fire broke out in Block No. VI, Second Floor, Wing No. 4. Ramakrishna Puram on 16.8.67 and not on 17.8.67 as stated in the question.

(b) There were two earlier occasions when fire broke out in Block No. VI, Second Floor viz. on 10.3.67 in Wing No. 4 and on 23.5.67 in Wing No. 7.

(c) Courts of Enquires were held in all the three cases. The cause of the fire in the second case has been attributed to short circuit and not to negligence or mischief on the part of any person. In the other two cases also, the Courts have not been able to pin-point responsibility for the fire on any particular person and have only suggested certain remedial measures for the future.

पूर्वी पाकिस्तान में खुल्ना के निकट पाकिस्तानी हवाई अड्डा

75. **श्री रा० रा० सिंह देव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 अक्तूबर, 1967 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है कि पाकिस्तान सरकार भारतीय सीमा के दूसरी ओर पूर्वी पाकिस्तान के जिला मुख्यालय में खुल्ना के निकट एक नया हवाई अड्डा बना रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) : जी हाँ, इस प्रगति को नोट किया गया है।

आकाशवाणी के आर्टिस्टों की सेवा की शर्तें

77. **श्री स० मो० बनर्जी**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी के आर्टिस्टों की सेवा की शर्तों में कोई सुधार हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हाँ।

(ख): अक्टूबर, 1964 के बाद आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों की सेवा की शर्तों में जो सुधार हुए हैं, उनका विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 1504/67]।

सर्वे आफ इंडिया सेल

78. **श्री गणेश**: क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार "सर्वे आफ इंडिया सेल" बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके कार्य क्या होंगे?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) मोटे तौर पर इस सर्वे सेल के काम निम्नलिखित होंगे:

(1) सीमा विवादों पर और भारत तथा पड़ोसी देशों के सीमांकन के बारे में सलाह देना।

(2) हमारी सीमाओं को दिखाने वाले विदेशों में प्रकाशित सरकारी और गैर-सरकारी नक्शों का अध्ययन और मूल्यांकन।

(3) भारत की सीमाओं को दिखाने वाली भारत में प्रकाशित की जाने वाली अथवा आयात की जाने वाली नक्शा संबंधी सामग्री की जाँच।

(4) भारत और पड़ोसी देशों के बीच की सीमा के विषय में हमारे पक्ष का उद्-घाटन करने वाले नक्शे तैयार करना।

(5) विदेश मंत्रालय में एक अच्छा-सा मानचित्र पुस्तकालय तैयार करना।

उड़ी क्षेत्र में पाकिस्तानी आक्रमण

79. **श्री बलराज मधोक:** **डा० सूर्य प्रकाश पुरी:**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने अक्तूबर, 1967 के आरम्भ में भारतीय गश्तीदल पर उस समय आक्रमण किया जब श्रीनगर में भारत-विरोधी तथा पाकिस्तान समर्थक विधि-व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर रहे थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान युद्ध-विराम रेखा के साथ-साथ भारी सैनिक जमाव कर रहा है;

(ग) क्या सरकार ने इसकी सम्भावनाओं का पता लगाया है कि पाकिस्तान की युद्ध जैसी तैयारी तथा घाटी में पाकिस्तानी एजेन्टों की गतिविधियों में गँठजोड़ है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) तथा (ग) : उड़ी की घटना और अन्दरूनी गड़बड़, जिनमें कि पाकिस्तानी एजेन्ट के हाथ का सन्देह है, समकालीन थीं, परन्तु ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि जिससे पता चले कि दोनों का परस्पर कोई संबंध था।

(ख) युद्धविराम रेखा के साथ-साथ पाक सेनाओं के व्यापक विन्यास संबंधी पाकिस्तान की स्थिति पिछले सत्र में सभा में स्पष्ट की गई थी। स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

(घ) अपनी प्रभुसत्ता और एकता की रक्षा के लिए उचित पग उठाए गए हैं।

काश्मीर के बारे में पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब की टिप्पणी

80. **श्री बलराज मधोक:** **श्री शारदानन्द:**
श्री ना० स्व० शर्मा: **श्री अटल बिहारी वाजपेयी:**
श्री जगन्नाथ राव जोशी: **श्री वेणी शंकर शर्मा:**
श्री श्रीचन्द गोयल:

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां ने अपने हाल के रूस के दौरे के पश्चात् राष्ट्र के नाम रेडियो से अपने भाषण में यह कहा था कि जब तक शेख अब्दुल्ला और मिर्जा अफजल बेग को रिहा नहीं किया जाता, काश्मीर में शान्ति नहीं हो सकती;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इससे भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप हुआ है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रधान-मंत्री ने राष्ट्रपति अयूब खां द्वारा इस प्रकार ताशकंद घोषणा का उल्लंघन किए जाने पर विरोध प्रकट करने की अपेक्षा उनके इस भाषण पर उनकी प्रशंसा की है?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) पाकिस्तान के समाचार-पत्र में प्रकाशित प्रसारण के मूलपाठ के संबद्ध अंश सदन की मेज पर रख दिए गए हैं। **[पुस्तकालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 1505/67]।**

(ख) पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा शेख अब्दुल्ला और अफजल बेग का उल्लेख दुर्भाग्य-पूर्ण है क्योंकि उनका संबंध भारत के आन्तरिक मामलों से है।

(ग) प्रधान-मंत्री ने जब राष्ट्रपति अयूब खां द्वारा किए इन उल्लेखों पर टिप्पणी करने को कहा गया तो उन्होंने मित्रतापूर्ण संबंधों की इच्छा प्रकट करते हुए कहा,—"अगर कोई मित्रता प्रदर्शित करता है, तो बदले में हम भी मित्रता करेंगे" और कहा,—"मैं आशा करती हूँ कि उनके मन और वचन एक-से हैं।"

विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के विरुद्ध शिकायतें

81. **श्री बलराज मधोक:** **श्री सं० कुण्डू:**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद् सदस्यों ने विदेश-स्थित दूतावास, के कार्य-संचालन के विरुद्ध शिकायत की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि विदेशों में दौरा करने वाले अन्य भारतीयों ने भी समय-समय पर ऐसी शिकायतें की हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) और (ख): कुछ शिकायतें मिली हैं। ये शिकायतें अधिकांशतः संसद के यात्री सदस्यों की ओर पर्याप्त ध्यान न दिए जाने के बारे में हैं।

(ग) विदेशों में भारतीय यात्रियों की आवभगत के बारे में और सरकारी खर्च से उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में स्थायी निर्देश हैं। जब कभी संसद सदस्यों से उनके विदेश आने के बारे में पहले और समय से सूचना मिल जाती है तब संबद्ध मिशनों से प्रत्याशा की जाती है कि वे उनका स्वगात-सत्कार करें और नियमानुसार उन्हें हर सम्भव सहायता प्रदान करें।

विदेश मंत्रालय ने विशेष शिकायतों में जाँच की है। संबद्ध मिशनों ने सफाई के रूप में मंत्रालय को बताया गया है कि कुछ मामलों में सदस्य समय से मिशनों को सूचना नहीं दे पाए और न ही उन्होंने कोई पता बताया जिस पर कि उनसे सम्पर्क स्थापित किया जा सकता था। ऐसा लगता है कि इसी कारण से कुछ सदस्यों को दिक्कत हुई। संबद्ध मिशनों से कहा गया है कि वे यात्री संसद सदस्यों के प्रति पूरा शिष्टाचार बरतें।

पेकिंग स्थित भारतीय दूतावास

82. **श्री शशि भूषण बाजपेयी:** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 24 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6556 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चीन की सरकार द्वारा बार-बार किए जा रहे अमैत्रीपूर्ण कार्यों को ध्यान में रखते हुए क्या पेकिंग स्थित भारतीय दूतावास को इस बीच एक ऐसा स्थान घोषित कर दिया गया है जहाँ दूतावास के कर्मचारी अपने परिवारों को अपने साथ नहीं रख सकते; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) और (ख): पेकिंग में भारतीय राजदूतावास के अमले के सदस्यों और अधिकारियों के परिवारों को भारत सरकार ने यह छूट दे दी है कि वे चाहें तो सरकार के खर्चे पर भारत वापस चले आएँ। अब जो अधिकारी पेकिंग भेजे जा रहे हैं उन्हें भी यह छूट दी जा रही है कि अगर वे चाहें तो अकेले ही पेकिंग चले जाएँ। अकेले जाने वाले अधिकारियों के परिवारों को यहाँ सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं।

जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ राजनयिक सम्बन्ध

83. **श्री इसहाक साम्भली:**
श्री देवेन सेन:
श्री कृष्णमूर्ति:
श्री मोहन स्वरूप:
श्री रामावतार शास्त्री:

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) और (ख): इस प्रश्न पर भारत सरकार की नीति कई बार संसद के दोनों सदनों में स्वर्गीय प्रधान मंत्री नेहरू द्वारा तथा बाद में सरकार के दूसरे सदस्यों द्वारा बताई जा चुकी है। इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

यूनिसन–१९६७

84. **श्री इसहाक साम्भली :** **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने ब्रिटेन में हाल में हुए राष्ट्रमण्डलीय अन्तर्सेवा अध्ययन 'यूनिसन–1967' में भाग लिया था;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई थी तथा उन पर क्या-क्या निर्णय किए गए; और

(ग) ऐसे सम्मेलनों में भाग लेनें का क्या लाभ है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) जिन विषयों पर बातचीत की गई वह थी यू० एन० ईजिस जिसके अन्तर्गत शान्ति स्थापना, उच्च स्थानों पर युद्ध, राज्य प्रतिरोध को दबानें के लिये संक्रियाओं, संक्रियात्मक विश्लेषण के कार्य, निर्णय लेनें सम्बंधी तकनी की, रक्षा अधिप्राप्ति, रक्षा में सहयोग संबंधी समस्याएँ तथा निजी क्षेत्र के सामनें आनें वाली समस्याएँ, जब उसे रक्षा उत्पादन में अंशदान देना हो। अध्ययन सूचनादायक तथा शैक्षिक थे। कोई निर्णय अन्तग्रस्त न थे।

(ग) अन्य देशों के नए अनुभवों और अग्रगतियों की जानकारी सदा आवश्यक है। ऐसे अभ्यासों में भाग लेना इस उद्देश्य के लिए अवसर प्रदान करता है।

अर्थव्यवस्था को मजबूत बनानें के लिए योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव

86. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित करनें अर्थात् मंदी का मुकाबला करनें, निर्यात बढ़ानें, कृषि उत्पादन बढ़ानें और बढ़ते हुए मूल्यों को रोकनें के उद्देश्य से हाल में गठित योजना आयोग नें क्या ठोस सुझाव दिए हैं ;

(ख) क्या सरकार नें इन सुझावों पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इनमें से किन-किन सुझावों को कार्यान्वित करनें के लिये स्वीकार किया गया है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी):

(क) ये समस्याएँ योजना आयोग का ध्यान आकर्षित कर रही हैं और इसके साथ व्यवहार करनें सम्बन्धी उनकी सिफारिशें तैयार होनें वाली 1968–69 की वार्षिक योजना में दी जायेंगी।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

योजना आयोग

87. **श्री क० लक्कप्पा :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों की हाल में हुई नियुक्ति के पश्चात् सरकार नें योजना आयोग का पुनर्गठन किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो योजनाओं को प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से क्या विशेष परिवर्तन किए गए हैं तथा क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त तय किए गए हैं?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) और (ख): गत सितम्बर में योजना आयोग के पुनर्गठन के पश्चात् इसने योजना सम्बन्धी बहुत सी समस्याओं की जाँच की है और आयोग इस समय 1968–69 की वार्षिक योजना को बनाने में लगा है। आर्थिक विकास के कार्यक्रम को निर्धारित करते समय स्वभावतः देश की रक्षा के लिए अर्थव्यवस्था के आधार को मज़बूत बनाने की आवश्यकता पर लगातार ध्यान दिया जाता है।

Monopoly of Newspapers

88. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a monopoly of either capitalists or of certain particular political parties on ownership of newspapers and periodicals published in the various Indian languages in India ;

(b) whether it is also a fact that the views and opinions of persons other than those mentioned above do not find place in the newspapers and periodicals ; and

(c) if so, whether Government are considering the question of their nationalization ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) and (b) : One of the functions of the Press Council is to study developments which may tend towards monopoly or concentration of ownership of newspapers, including a study of the ownership or financial structure of Indian newspapers, and, if necessary, to suggest remedies therefor. The Press Council is seized of the matter and has issued a questionnaire to elicit facts and opinions. Only after processing the replies would the Council be in a position to say whether or not there is a general tendency in the language press to refuse publication of views and opinions of persons other than those of persons or parties owning or controlling the various publications.

(c) No, Sir. Not in any case till the Press Council's findings are known.

Chinese Behaviour Towards Diplomats in Peking

89. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Chinese Government have behaved discourteously with the Indian diplomats stationed in Peking ;

(b) if so, whether Government propose to take some steps in collaboration with other countries in this regard ; and

(c) if so, the nature thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :

(a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

लोक सभा की बैठक में उत्तर दिए जाने के लिए दलाई लामा

90. **श्री जी० ना० हजारिका :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दलाई लामा ने हाल में किन-किन देशों की यात्रा की है;

(ख) क्या उन्हें पर्याप्त विदेशी मुद्रा दी गई थी, ताकि वह विदेशों में अपनी मर्यादा और हैसियत को बनाये रख सकें;

(ग) क्या उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में सरकार को कोई प्रतिवेदन दिए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) जापान।

(ख) परम पावन दलाई लामा बुद्धिस्ट मिशनरी एसोसियेशन के अतिथि थे और उसने उनकी पूरी आवभगत की। परम पावन की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा और अन्य सुविधाएँ प्रदान की गई थीं।

(ग) चूंकि परम पावन सरकारी कर्मचारी नहीं हैं इसलिए उनके सरकार को रिपोर्ट देने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

चीनी दूतावास द्वारा आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह

91. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास को कहा था कि वह चीन के राष्ट्रीय दिवस समारोह के सम्बन्ध में भेजे जाने वाले सभी निमन्त्रण पत्र उनके मंत्रालय की मार्फत भेजें;

(ख) यदि हाँ, तो क्या चीनी दूतावास ने इस सम्बन्ध में सरकार के इन अनुदेशों का उल्लंघन किया; और

(ग) यदि हाँ, तो चीनी दूतावास की इस कार्यवाही के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह):

(क) जी हाँ, भारत सरकार ने प्रत्याशित राजनयिकों को छोड़कर बाकी अन्य सभी आमंत्रित व्यक्तियों के लिए।

(ख) चीनी राजदूतावास ने उस तरीके पर अमल नहीं किया जो उन्हें बताया गया था।

(ग) भारत सरकार ने चीनी राजदूतावास द्वारा बताए गए तरीके पर अमल न किए जाने के बारे में उसका ध्यान आकर्षित किया है और उसे सावधान किया है कि भारत सरकार उससे यह प्रत्याशा करती है कि भविष्य में वह इस तरीके का पालन करेगा।

राजस्थान सीमा

93. **श्री यज्ञदत्त शर्मा:** **श्री अमृत महाटा:**
श्री ओ० प्र० त्यागी: **श्री मोलहू प्रसाद:**
श्री धीरेन्द्रनाथ देव:

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया है कि राजस्थान सीमा बिल्कुल असुरक्षित है जबकि पाकिस्तान में युद्ध जैसी तैयारियाँ की जा रही हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सीमा के उस पार से किसी सम्भावित आक्रमण का सामना करने के लिए राजस्थान सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था दृढ़ करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

प्रतिरक्षा-मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) तथा (ख): राजस्थान सरकार ने भारत सरकार का ध्यान पाकिस्तान की ओर राजस्थानी सीमा के अन्दर कुछ प्रगतियों की सुरक्षा संबंधी समस्याओं की ओर दिलाया है। राजस्थान सरकार को विश्वास दिलाया गया है कि अपनी रक्षा योजना राजस्थान सीमा के उस पार प्रगतियों समेत, अपनी सीमा के उस पार हो रही अपनी सुरक्षा सम्बन्धी प्रगतियों का ध्यान रखती है। राजस्थान सरकार द्वारा दिए गए कुछ विशिष्ट सुझावों पर ध्यान दिया जा रहा है।

पुर्तगाल की जेल से श्री मोहन रानाडे की रिहाई का प्रश्न

94. **श्री बीबू राव पटेल**: क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 24 जुलाई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 1340 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पुर्तगाल की जेल से श्री मोहन रानाडे की रिहाई के लिये इस बीच और क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) कितने पुर्तगाली नागरिक भारत के निवासी हैं और इस वर्ष कितने पुर्तगाली भारत से होकर गुजरे हैं; और

(ग) क्या कारण है कि इन पुर्तगालियों से एक दर्जन पुर्तगलियों को श्री मोहन रानाडे की रिहाई के लिए जामिन के रूप नजरबन्द नहीं किया गया?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम ही है, भारत सरकार द्वारा अपने मित्रों के जरिए बार-बार कोशिश करने के बावजूद पुर्तगाल की सरकार ने मेक्सिको के लिस्बन-स्थित राजदूतावास को, जो कि पुर्तगाल में भारत के हितों की देखभाल कर रहा है, यही सूचना दी कि वे श्री रानाडे को छोड़ना स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन मेक्सिको के राजदूतावास ने यह भी बताया है कि पुर्तगाली कानून के अनुसार रानाडे जब अपनी कैद की आधी मियाद पूरी कर लें उसके बाद रिहाई अथवा माफी के लिए पुर्तगाली अधिकारियों के सम्मुख अर्जी दी जा सकती है। हमारी सूचना के अनुसार श्री रानाडे ने अपनी कैद की आधी मियाद पूरी कर ली है। इसलिए, हमने मेक्सिको के लिस्बन-स्थित राजदूतावास से फिर प्रार्थना की है कि वह पुर्तगाल के साथ इस अर्जी के बारे में बातचीत चलाएँ।

(ख) 1 जनवरी 1967 को भारत में रजिस्टरशुदा पुर्तगाली राष्ट्रिकों की संख्या 788 थी। किन्तु, वे अधिकांश गोआनी मूल के पुर्तगाली पासपोर्टधारी व्यक्ति हैं। भारत से होकर जाने वाले विदेशियों की राष्ट्रिकतावार ठीक-ठीक ब्यौरा इस समय सुलभ नहीं है।

(ग) सरकार इस तरह की कार्यवाई को पसन्द नहीं करेगी।

उत्तर प्रदेश के लिए ट्रांसमिटर

96. **श्री यशपाल सिंह:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में दो ट्रांसमिटर लगाने का निर्णय किया है, जिनमें से एक नजीबाबाद में होगा जिसका स्टूडियो देहरादून में होगा; और

(ख) यदि हाँ, तो वे कब तक कार्य आरम्भ कर देंगे?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) और (ख): चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में उत्तर प्रदेश में उच्च शक्ति वाले दो ट्रांसमिटर एक गोरखपुर में और दूसरा कुमायूं-गढ़वाल क्षेत्र में लगाने की व्यवस्था है (फिलहाल प्रस्ताव नजीबाबाद में ट्रांसमिटर और देहरादून में स्टूडियो का है)। पूर्वोक्त के लगाने का निर्णय लिया जा चुका है और उम्मीद है कि ट्रांसमिटर 1970 की दूसरी छमाही में चालू हो जाएगा। जहाँ तक उपरोक्त का सम्बन्ध है, इसका लगाना साधनों की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पुनर्गठन

97. **श्री मेघ चन्द्र:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के पूरे ढांचे का पुनर्गठन करने के प्रश्न पर सरकार ने विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) और (ख): चन्दा समिति ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पुनर्गठन के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों पर, प्रशासनिक सुधार आयोग की भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के पुनर्गठन पर सिफारिश के प्राप्त होने के बाद ही विचार करने का प्रस्ताव है।

लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग

98. **श्री जनार्दनन:** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी सेवा निरीक्षणालय दल ने, जिसने लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग मेंने मितव्ययता लाने के प्रश्न पर विचार किया था, अपना प्रतिवेदन दे दिया है।

(ख) यदि हाँ, तो उस दल ने क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की थीं; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किए हैं?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) जी हाँ।

(ख) निरीक्षकों ने इस हाई कमीशन में पदों को कम करने तथा उसके विभिन्न विभागों में काम के कुछ पक्षों को युक्तिसंगत बनाने का सुझाव दिया है।

(ग) संबद्ध मंत्रालयों की सलाह से इस रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति की रूस की यात्रा के बाद जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति

99. **श्री हेम बरूआ:** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रपति अयूब खां की रूस की यात्रा के बाद जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का यह विचार है कि काश्मीर के बारे में रूस के रुख में कोई परिवर्तन हुआ है?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं। इस सम्मिलित विज्ञप्ति में काश्मीर का कोई उल्लेख नहीं है। सोवियत सरकार ने हमें बार-बार यह आश्वासन दिलाया है कि काश्मीर पर उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है और पाकिस्तान के साथ उनके संबंधों में किसी तरह के सुधार से भारत के साथ उनकी मित्रता में कोई अन्तर नहीं आएगा।

पाकिस्तान-अधिकृत काश्मीर को चीन से मिलाने वाली सड़क का निर्माण

100. **श्री हेम बरुआ :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चीन और पाकिस्तान दोनों ने पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर को चीन से मिलाने वाली सड़क संयुक्त रूप से बनाने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) इस आशय की अखबारी खबरें सरकार के देखने में आई हैं।

(ख) हमारी सूचना के अनुसार कराकोरम राजमार्ग पर काम चल रहा है। यह मार्ग पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर को चीन से जोड़ेगा। बताया जाता है कि यह काम पाकिस्तान के सैनिक इंजीनियरों के हाथ में है। इस राजमार्ग पर दोनों ओर से काम शुरू किया गया है यानी गिलगित की तरफ से और उत्तर में मिस्गर क्षेत्र से भी। मोटे तौर पर, इस राजमार्ग का रास्ता पुराने कारवाँ रास्ते पर होगा।

(ग) जम्मू और काश्मीर राज्य के उत्तरी इलाके बहुत वर्षों से पाकिसतान के गैर-कानूनी कब्जे में हैं। हमने समय-समय पर बार-बार इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाया है।

हिन्दी एवं अहिन्दी भाषी लोगों के पारस्परिक संबंध सुदृढ़ करने वाला चलचित्र

101. **श्री राम किशन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हिन्दी भाषा-भाषी तथा हिन्दी से भिन्न भाषा-भाषी लोगों के बीच पारस्परिक संबंध तथा सद्भावना बढ़ाने के लिये कोई वृत्त चित्र अथवा रूपक चल चित्र तैयार किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) और (ख) उक्त विषय पर कोई फ़ीचर फिल्म नहीं बनाई गई है परन्तु फिल्म विभाग ने भावात्मक समन्वय और राष्ट्रीय एकता के विषय पर अनेक डाकूमेंट्री फिल्में बनाई हैं। जहाँ तक फ़ीचर फिल्मों का सम्बन्ध है, उद्योग गैर सरकारी क्षेत्र में है और निर्माता अपनी फिल्मों के विषयों को चुनने में स्वतंत्र हैं।

छिपे हुए नागाओं की भारत विरोधी गतिविधियाँ

102. **श्री श्रीधरन :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि छिपे हुए नागाओं की भारत-विरोधी गतिविधियों में निरन्तर वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी गतिविधियों की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख): जी हाँ। छिपे नागाओं के उग्रतावादी तत्वों द्वारा हथियारों की, गोला-बारूद तथा छापामार प्रशिक्षण की सुविधाओं की सहायता के लिए पाकिस्तान और चीन से संपर्क स्थापित करने से उनके भारत-विरोधी रुख को एक नया आयाम मिला है। नागा समस्या को शान्तिपूर्वक और सौहार्द की भावना के साथ निपटाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने छिपे नागाओं के प्रतिनिधियों के साथ कई बार बातचीत की है, इस आशा और विश्वास के साथ कि अंततः नागालैंड का कोई शान्तिपूर्ण समाधान सम्भव हो सकेगा। इसी भरोसे पर वह विश्वास करती है कि छिपे नागाओं में जो पथभ्रष्ट उग्रतावादी तत्व हैं वे शान्ति और विवेक के मार्ग पर लौट आयेंगे और राष्ट्र विरोधी कार्रवाइयां करना छोड़ देंगे।

अखबारी कागज की कमी

103. **श्री श्रीधरन**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ समाचारपत्रों के मालिक अखबारी कागज की कमी के कारण अपने समाचारपत्रों की पर्याप्त प्रतियाँ छापने में असमर्थ हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में राज्य सरकारों तथा समाचार-पत्रों के मालिकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) किसी समाचार-पत्र के मालिक के अखबारी कागज की कमी के कारण अपने समाचार-पत्र की पर्याप्त प्रतियाँ छापने में असमर्थ होने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। चालू वर्ष के लिए अखबारी कागज़ की नियतन सम्बन्धी नीति को सामान्य स्वीकृति मिली है और इससे अखबारी कागज़ के बारे में जो खराबियाँ थीं वे काफी हद तक दूर हो गई हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आकाशवाणी में प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव

104. **श्री श्रीधरन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी में प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव का पद समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसे कब अन्तिम रूप दिया जायेगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मद्रास परमाणु शक्ति केन्द्र

105. **श्री पार्थसारथी** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मद्रास के लिए कलपक्कम में परमाणु शक्ति केन्द्र स्थापित करने में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या उसे पूरा करने और चालू करने के लिए कोई अन्तिम निर्णय किया है?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) :

(क) परमाणु शक्ति केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में स्थान की जाँच, जल सर्वेक्षण, स्थान की योजना और प्लान्ट का विन्यास, गोदाम का निर्माण, कंक्रीट की प्रयोगशाला और आवास कालोनी का प्रथम चरण पूरा हो गया है। एक शस्य मौसम विज्ञान स्टेशन जिसके साथ प्रयोगशाला भी जुड़ी है, की भी स्थापना की गई है। प्रगति कर रहे कार्य में सड़कों, पुलों और आवास कालोनी का दूसरा चरण और सामान्य सुविधाओं, तट से दूर छिद्रण और समुद्र जल के अन्तर्गत निर्माण करने के सम्बन्ध में जाँच का किया जाना है। परमाणु स्टेशन के सम्बन्ध में रूपांकन तैयार किया जा रहा है और आवश्यक और दूर से आने वाली वस्तुओं को प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(ख) प्रथम 200 मैगावाट के यूनिट पर बड़े निर्माण का कार्य 1971–72 तक पूरे हो जाने की सम्भावना है।

वियतनाम के बारे में पाँच देशों के बीच बातचीत

106. **श्री सीताराम केसरी:** **श्री देवेन सेन:**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वियतनाम के प्रश्न पर पाँच देशों के बीच बातचीत कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र एसोसिएशन के विश्व संघ के सभापति श्री एलिस बेवलर से सरकार को कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस बातचीत में भाग लेने के लिए सहमत हो गई है; और

(ग) बातचीत का सम्भावित स्थान कौन सा होगा और इस मामले में नवीनतम स्थिति क्या है?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) इस विषय पर डा० बेब्लर को प्रधान-मंत्री के उत्तर की एक प्रति सदन की मेज़ पर रख दी गई है। [पुस्तकालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० 1506/67]

(ग) डा० बेब्लर ने जिन-जिन को इस बारे में लिखा था उनमें इस तरह की बैठक के बारे में समझौता नहीं हुआ है।

नागालैंड-बर्मा सीमा पर चीनी कुली और खच्चर-वाहक

107. **श्री सीताराम केसरी:** **श्री राम किशन:**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल के सप्ताहों में नागालैण्ड-बर्मा सीमा पर अनेक चीनी कुली और खच्चर-वाहक देखे गए हैं;

(ख) क्या भारत सरकार ने इस प्रश्न पर बर्मा सरकार से बातचीत की है; और

(ग) नागालैण्ड क्षेत्र में इन चीनी तत्वों की सम्भावित घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) इस विषय में भारत सरकार के पास कोई अधिकृत सूचना नहीं है। इसके अलावा, यह ध्यान देने की बात है कि दूसरे राज्य के साथ मिलने वाली अपनी सीमा को हमेशा फलाँ-फलाँ देशों के साथ भारत की सीमा की संज्ञा दी जाती है, न कि भारत संघ के किसी एक राज्य को सीमा की।

(ख) और (ग): प्रश्न ही नहीं उठते।

भारत और बर्मा के बीच की सीमा का रेखांकन

109. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत और बर्मा के बीच की सीमा का रेखांकन करने के लिए एक संयुक्त आयोग बनाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आयोग द्वारा कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) से (ग) 10 मार्च 1967 के भारत-बर्मा सीमा समझौते में जैसी कि व्यवस्था थी, सम्मिलित सीमा आयोग स्थापित करने के प्रश्न पर बर्मा के अधिकारियों के साथ विचार किया गया है और जल्दी ही एक आयोग स्थापित किया जाएगा। उम्मीद है कि इसकी पहली बैठक दिसम्बर में नई दिल्ली में होगी। इस आयोग को दोनों देशों के बीच की सीमा अंकित करने की योजना बनाने और उसे अंकित करने, सीमा नक्शे तैयार करने तथा सीमा संधि का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा जाएगा। अभी से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि यह आयोग कब तक अपना काम पूरा कर लेगा।

विकलाँग सैनिकों को रोजगार दिलाना

111. **श्री राममूर्ति:**
श्री उमानाथ:
श्री प० गोपालन:
श्री ज्योतिर्मय वसु:
श्री चक्रपाणि:
श्री चन्द्र शेखर सिंह:

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) युद्ध क्षेत्र में जख्मी होने वाले तथा सैनिक सेवा के लिए स्थायी रूप से अयोग्य घोषित होने वाले सैनिकों को विशेष अनुदान मंजूर करने के बारे में सरकार ने क्या कसौटी निर्धारित की है;

(ख) क्या सरकार स्थायी रूप से अपंग हो जाने वाले सैनिकों के पुनर्वास के लिये किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) युद्ध क्षेत्र में जख्मी होने वाले और सैनिक सेवा के लिए स्थायी रूप से अयोग्य घोषित होने वाले सैनिकों को अशक्तता पेन्शन दी जाती है।

अशक्तता पेंशन देने के लिए मुख्य कसौटी यह है कि सैनिक सेवा के कारण ही अशक्तता हुई हो और वह भी 20 प्रतिशत या उससे अधिक निर्धारित की गई हो। लड़ाई में जख्मी होने के कारण सैनिक सेवा के लिए अयोग्य हो जाने वाले अफसरों को 1000 रुपए तक और अन्य जवानों तथा लड़ाकू (भर्ती किए गए) सैनिकों को 200 रुपए तक आर्मी रिलीफ फंड से तुरन्त आर्थिक सहायता दी जाती है।

(ख) तथा (ग) : उनकी शैक्षिक योग्यताओं अनुभव और अवशेष कार्यक्षमता के अनुसार उन्हें उनके ही अपने राज्य/जिला में सामान्य डाक्टरी मानों में ढील देते हुए उपयुक्त सिविल नौकरी दिलाने का प्रयत्न किया जाता है। शत्रु के विरुद्ध की गई संक्रियाओं में या विक्षुब्ध क्षेत्रों में अपंग हुए सैनिकों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर उनके द्वारा भरे जाने वाले प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों पर नियुक्त करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। वे उन प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्त हो सकते हैं जो कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर भरे जाते हैं। इसमें उनके लिए आयु की शर्त में ढील होती है। रोजगार दफ्तरों द्वारा भरे जाने वाले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए अपंग सैनिकों को तृतीय प्राथमिकता के अन्तर्गत भी सबसे प्रथम स्थान दिया जाता है। रोजगार दफ्तरों द्वारा भरे जाने वाले तृतीय श्रेणी के पदों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं की शर्तों में भी ढील दी जाती है। ऐसे सैनिकों के लिए जो पूरी तरह से अपंग है और सैनिक अस्पतालों से विमुक्त होने के बाद अपनी देखभाल स्वयं नहीं कर सकते; एक पैराप्लेजिक होम बनाने के प्रस्ताव पर भी सरकार विचार कर रही है।

कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट के कर्मचारियों की माँगें

112. **श्री राममूर्ति:** **श्री मुहम्मद इस्माइल:**
श्री उमानाथ: **श्री चक्रपाणि:**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकर को पता है कि कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया) के कर्मचारियों ने हड़ताल करने के बारे में हाल में निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या हैं; और

(ग) इस विवाद को सुलझाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार को सी० एस० डी० (आई०) कर्मचारी संघ कार्मिक एसोसिएशन द्वारा हड़ताल के लिए किसी हाल के मतदान का ज्ञान नहीं है। सी० एस० डी० (आई) कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के लिए अन्तिम मतदान अगस्त १९६७ को हुआ था। इसका संबंध गजेन्द्रगदकर आयोग की सिफारिश के अनुसार मंहगाई भत्ते के अदायगी से था। बाद में हड़ताल का नोटिस वापिस ले लिया गया था।

(ख) तथा (ग) : जो कुछ ऊपर (क) में कहा गया है कि उसे सामने रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

जख्मी जवानों को वेतन का भुगतान

113. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री विश्वनाथ मेनन:**
श्री एस्थोस: **श्री सत्यनारायण सिंह:**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या युद्ध क्षेत्र में जख्मी होने वाले सैनिकों को उनकी बीमारी के दौरान पूरा वेतन मिलता है;

(ख) यदि नहीं, तो उन्हें किस रूप में भुगतान किया जाता है;

(ग) क्या उनकी बीमारी के दौरान उनको दी गई धनराशि उनके भावी वेतन में से काट ली जाती है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सशस्त्र सेना मुख्यालय (नई दिल्ली) के कर्मचारियों की हड़ताल

114. **श्री अ० क० गोपालन:** **श्री प० गोपालन:**
श्रीमती सुशीला गोपालन:

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सेना मुख्यालय, दिल्ली के कर्मचारियों ने 22 और 23 सितम्बर, 1967 को भूख हड़ताल की थी;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या थीं; और

(ग) इस विवाद को मिटाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालयों की समिति के महामंत्री ने जो सेना मुख्यालयों का एक कर्मचारी है, 22–9–67 को भूख हड़ताल की थी; उसने उसी संध्या को उसे समाप्त कर दिया था।

(ख) रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालयों के असैनिक कर्मचारियों को, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए, जायंट कन्सल्टेटिव मशीनरी तथा कम्पल्सरी आर्बिट्रेशन योजना के अन्तर्गत संघटित रक्षा मंत्रालय के विभागीय परिषद में प्रतिनिधित्व दिया गया है। हड़ताल सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालयों की समिति की माँग पर जोर देने के लिए की गई थी, कि उन्हें रक्षा मंत्रालय के विभागीय परिषद में नहीं बल्कि गृहमंत्रालय के विभागीय परिषद् में प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिये; यह समिति सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालयों के असैनिक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली 4 समितियों में में से एक है।

(ग) मामला विचाराधीन है।

सैनिकों को मँहगाई भत्ता देना

115. **श्री अ० क० गोपालन:** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सैनिकों को किस आधार पर मँहगाई भत्ता दिया जाता है;

(ख) क्या सीमा सड़क संगठन के कर्मचारियों तथा सैनिकों के मँहगाई भत्ते की दरों में कोई अंन्तर है;

(ग) क्या सरकार सैनिकों की मँहगाई भत्ता दरें बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सैनिक अफसरों को (कमीशंड अफसरों के रूप में अनैतनिक ओहदे प्राप्त जूनियर कमीशंड अफसरों सहित) उन्हीं शर्तों और दरों पर मँहगाई भत्ता मिलता है जो कि सिविल में उनके समकक्ष पद के सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू हैं। गैर लड़ाकू (भर्ती किए गए) सैनिकों सहित अफसर पद के नीचे के सेना-कार्मिकों को भी मँहगाई भत्ता उन्हीं दरों और शर्तों पर मिलता है जो कि सिविल में सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू हैं लेकिन सिविलियनों पर समय-समय पर लागू होने वाली दरों का दो-तिहाई ही उन्हें दिया जाता है। इस प्रकार की धनराशि पूरे रुपए में होती है। सेना कार्मिकों को निम्नतर दर पर मँहगाई भत्ता इसलिए दिया जाता है कि जीवन निर्वाह के खर्चे में वृद्धि से जितना प्रभाव सिविलयन सरकारी कर्मचारियों पर पड़ता है उतना सैनिकों पर नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी सेना की शर्तों के अनुसार उन्हें कुछ रियायतें नकद चीज़ों के रूप में मिलती हैं (या उसकी जगह पर उन्हें पैसे मिलते हैं) (नामतः राशन, आवास, वस्त्र, हजामत और कपड़े आदि धोने का भत्ता और सफाई भत्ता)।

(ख) सीमा सड़क संगठन के सिविलयन कर्मचारियों को उन्हीं दरों पर मँहगाई भत्ता मिलता है जो सिविल में सरकारी कर्मचारियों के लिये लागू है सीमा सड़क संगठन के जो कर्मचारी समेकित दर पर वेतन प्राप्त करते हैं वे मंहगाई भत्ता पाने के अधिकारी नहीं हैं। सीमा सड़क संगठन में काम करने वाले सेना कार्मिकों को वही मंहगाई भत्ता मिलता है जोकि नियमित थल सेना कार्मिकों को मिलता है।

(ग) रक्षा सेवाओं के कार्मिकों को मिलने वाले मंहगाई भत्ते के सहित अन्य कुछ भत्तों और रियायतों पर पुनर्विचार करने के लिये कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बम्बई इंजीनियरिंग ग्रूप ऐंड सेंटर, किरकी, पूना

116. **श्री अ० क० गोपालन:** **श्री रमानी:**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बम्बई इंजिनियरिंग ग्रूप एण्ड सेंटर, किरकी, पूना के मुख्यालय के कर्मचारियों ने 24 जुलाई, 1967 को हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या थीं; और

(ग) इस विवाद को निपटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी नहीं। बम्बई इंजीनियरिंग ग्रुप एण्ड सेंटर किरकी, पूना के कर्मचारियों ने 24 जुलाई 1967 को हड़ताल नहीं की।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

प्रेस सूचना विभाग के अधिकारियों द्वारा पत्रकारों का मनोरंजन

117. **श्री नायनार:** **श्री नम्बियार:**
श्री भगवान दास: **श्री चक्रपाणि:**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1965, 1966 और 1967 में प्रेस सूचना विभाग के मुख्य सूचना अधिकारी ने भारतीय तथा विदेशी पत्रकारों के मनोरंजन पर कितना धन व्यय किया तथा क्या एक ऐसी सूची सभा पटल पर रखी जायेगी जिसमें यह दिखाया गया हो कि मुख्य सूचना अधिकारी ने किन पत्रकारों को तथा उनमें से प्रत्येक पत्रकार को कितने अवसरों पर मनोरंजन के लिए आमंत्रित किया था;

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक वर्ष में इस प्रयोजन के लिए कितनी-कितनी धनराशि मंजूर की गई थी;

(ग) क्या इस प्रकार का मनोरंजन केवल मुख्य सूचना अधिकारी द्वारा ही आयोजित किया जाता है या अन्य उप-प्रमुख सूचना अधिकारी तथा सूचना अधिकारी भी मुख्य सूचना अधिकारी की स्वीकृति से पत्रकारों का मनोरंजन कर सकते हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उप-मुख्य सूचना अधिकारियों तथा सूचना अधिकारियों ने अपने इस अधिकार का प्रयोग करने के लिये मुख्य सूचना अधिकारी से कितनी बार स्वीकृति ली?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क):

	1965–66	1966–67	1967–68 (अप्रैल से सितम्बर 1967 तक)
	रुपए	रुपए	रुपए
(1) मुख्यालय	13.050	19,984	7,362
(2) प्रादेशिक और शाखा कार्यालय	2,171	3,192	790

सूची संकलित की जारही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ख) मूल रूप से मंजूर किया गया बजट अनुदान

	1965–66	1966–67	1967–68
	रुपए	रुपए	रुपए
(1) मुख्यालय	7,500	15,000	15,000
(2) प्रादेशिक और शाखा कार्यालय	2,700	3,550	3,150

मंजूर हुए अनुदान से हुआ अधिक व्यय साल के अंत तक हुई पत्र सूचना कार्यालय की कुल बचतों में से वहन किया गया।

(ग) कुछ उप प्रधान सूचना अधिकारियों और सूचना अधिकारियों को आतिथ्य अनुदान में से, विशिष्ट सीमा तक, खर्च करने का अधिकार दिया हुआ है। अन्य अधिकारी भी प्रधान सूचना अधिकारी की स्वीकृति से पत्रकारों का मनोरंजन कर सकते हैं।

(घ)

1965–66	1966–67 (अप्रैल से सितम्बर, 1967 तक)	1967–68
2	4	42

जूनियर कमीशंड अफसरों का राष्ट्रीय छात्र सेना दल में प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में काम करना

118. **श्री उमानाथ:**
श्री भगवान दास:
श्री अब्राहम:
श्री विश्वनाथ मेनन:
श्रीमती सुशीला गोपालन:

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वे जूनियर कमीशंड अफसर जो आनरेरी लेफ्टिनेंट-कैप्टन हैं, राष्ट्रीय छात्र-सेना दल में प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो 1967 में अब तक इस रूप में काम करने वाले जूनियर कमीशंड अफसरों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) उनकी सेवा की शर्तें क्या हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि बहुत से जूनियर कमीशंड अफसरों को उनकी सेवा की अवधि की समाप्ति से पहले ही सेवा मुक्त कर दिया जाता है;

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार सेवा मुक्त जूनियर कमीशंड अफसरों को अन्यत्र रोजगार देने की किसी योजना पर विचार कर रही है;

(छ) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी हाँ।

(ख) 129।

(ग) सभा के पटल पर रखे हुए विवरण में सेवा की शर्तें दी गई हैं। (**पुस्तकालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी०** 1507/67)।

(घ) जी नहीं। उनकी सेवा अवधि यथा आवश्यक आधार पर होती हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) से (ज): राष्ट्रीय कैडेट कोर में प्रशासकीय अधिकारियों के रूप में लेफ्टिनेंट-कैप्टन के अवैतनिक ओहदे प्राप्त सेवा-विमुक्त जूनियर कमीशंड अफसरों को रोजगार देना उन्हें जीवन में पुनः स्थापित करने का ही एक उपाय है। राष्ट्रीय कैडेट कोर में पुनः नियुक्त होने के बाद फिर सेवा-विमुक्त होने पर वे भी कमीशंड अफसरों को छोड़ शेष सेवा निवृत सेवा-विमुक्त सेना कार्मिकों के लिए मौजूदे पुनः स्थापन उपायों के अन्तर्गत आ जाते हैं।

भूतपूर्व सैनिक कल्याण परिषद, वेल्लोर

119. **श्री उमानाथ:** **श्री भगवान दास:**
श्री अब्राहम: **श्री विश्वनाथ मेनन:**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भूतपूर्व सैनिक कल्याण परिषद्, वेल्लोर के महासचिव से हाल में कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हाँ, तो इस ज्ञापन में मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी हाँ।

(ख) स्मरणपत्र के साथ सेवाओं के 6 भूतपूर्व सेविवर्ग या उनके कुटुम्बों से कुटुम्ब पेन्शन अथवा निर्योग्यता पेन्शन या वित्तीय सहायता इत्यादि की अदायगी संबंधी प्रत्यावेदन संलग्न थे, और राष्ट्रपति से प्रार्थना की गई थी कि उन्हें भेंट के लिए अनुमति दी जाय।

(ग) भेंट के लिए प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई थी। प्रत्यावेदनों में की गई प्रार्थनाओं पर पहले ही ध्यान किया जा चुका है, परन्तु उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया था। तदापि, उनकी पुनः जाँच की जा रही है।

सैनिकों की परिवार पेंशन

120. **श्री एस्थोस:** **श्री चक्रपाणि:**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1965 में भारत-पाकिस्तान संघर्ष में शहीद हुए सैनिकों की परिवार पेंशन बढ़ा दी है;

(ख) क्या 1962 के बाद शहीद हुए सैनिक कर्मचारियों के परिवारों को भी पेंशन बढ़ी दरों पर दी जाती है;

(ग) क्या सरकार 1962 से पहले नागा पहाड़ियों तथा मिज़ो पहाड़ियों में शहीद सभी सैनिकों के परिवारों की पेंशन दर बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह):(क) जी हाँ।

(ख) विशेष कुटुम्ब पेंशनी अवार्डों के बढ़े दर 8-9-1962 और 22-11-1962 के बीच चीनी आक्रमण के विरुद्ध संक्रियाओं तथा 9-4-1965 और 1-7-1965 के बीच कच्छ संक्रियाओं में संग्राम में मारे गए, रक्षा सेवाओं के अफसरों और सेविवर्ग पर लागू कर दिए गए हैं। वह मई से जुलाई 1965 मासों में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं में संग्राम में मारे गए रक्षा सेवाओं के अफसरों और सेविवर्ग पर भी लागू कर दिए गए हैं।

(ग) तथा (घ): सशस्त्र विद्रोहियों जैसे कि नागा और मिज़ोओं के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए सशस्त्र सेवाओं के अफसरों और सेविवर्ग की हालत में बढ़े पेन्शनरी अवार्ड 16-9-1966 से लागू किए गए हैं, अर्थात् सरकारी आदेश जारी होने की तिथि से 16-9-1966 से पहले ऐसे सेविवर्ग पर बढ़े दर लागू करने के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया गया था, परन्तु ऐसा करना संभव न पाया गया।

Foreign Exchange on Films

121. **Shri S. M. Joshi** :Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the total amount of foreign exchange given for the production of films like 'Around the World', 'Sangam', 'Guide' and others, the shooting of which was wholly or partly done in foreign countries ;

(b) the total amount of foreign exchange earned by these films ; and

(c) the rules framed for allocating foreign exchange to film companies going abroad for shooting ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) A statement showing the amount of foreign exchange released for location shooting of films abroad since the year 1962 is placed on the Table of the House. [Placed in Library See, No. LT-1508/67] No foreign exchange was released to the producers of the film 'Guide' ;

(b) Information is being collected and will be placed on the Table of the House ; and

(c) A note explaining the administrative procedure for the processing of requests for release of foreign exchange for location shooting abroad is placed on the Table of the House.

Radio Kashmir

122. **Shri S. M. Joshi**: Will the Minister of **Information and Broadcasting be** pleased to state :

(a) whether Radio Stations at Jammu and Srinagar are parts of All India Radio ;

(b) if so, the reasons for publishing the programmes of the above-mentioned Radio Stations under a separate heading 'Radio Kashmir' in the 'Akashvani' Magazine brought out by his Ministry and the reasons for announcing the programmes broadcast from these stations as from "Radio Kashmir" instead of from "Srinagar station of the All India Radio" ; and

(c) whether Government propose to chalk out a plan for amalgamating Radio Kashmir with the All India Radio at the earliest ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah):

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) These stations have been operating as "Radio Kashmir" for the last 20 years and the name has become popular with the large number of listeners outside India. The residents in the occupied part of Kashmir Valley are habituated to this name and for the time being it will not be wise to change it. Radio Kashmir is part of the net work of All India Radio, the question of amalgamation does not arise.

Newspapers and Magazines published by Government of India

123. **Shri S. M. Joshi**: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the total number of newspapers and magazines published in English and Hindi respectively by the various Departments, Ministries and autonomous institutions, which receive cent per cent grants from Government ;

(b) the sale proceeds thereof in English and in Hindi, separately ;

(c) the percentage of copies sold and the percentage of the complimentary copies out of the total circulation ; and

(d) the toal expenditure incurred on their publication including the cost of preparing manuscripts, editing, printing etc. in respect of the English and Hind imagazines and newspapers separately ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) :

Information in respect of the journals brought out by the Ministry of Information and Broadcasting is given below :—

(1966 — 1967)

Total No. of journals		*Sale proceeds*	*Revenue from advertisements*	*% of copies sold*	*% of complimentary copies*	*Total expenditure*
(1) Journals brought out by the Publications Division.						
English	5	Rs. 1,93,628	Rs. 57,974	49.25	50.75	Rs. 7,04,907
Hindi	4	Rs. 1,34,059	Rs. 14,042	68.69	31.31	Rs. 4,84,187
(2) Journals brought out by All India Radio.						
English	1	Rs. 80,248	Rs. 8,970	96	4	Rs. 2,86,766
Hindi	1	Rs. 18,827	Rs. 2,595	98	2	Rs. 92,505

Note :—The journals brought out by the Publications Division are primarily meant for publicity purposes. Except for "Ajkal" and "Bal Bharati", all the other journals are brought out by the Division on behalf of other Ministries/authorities and are intended for publicising the Plan in its various aspects, the Community Development and Co-operative movement and Panchayati Raj or for explaining India's point of view to overseas countries. The policy, content, distribution targets etc. of these journals are decided by the sponsoring authorities, 6,38,152 copies of the journals were distributed free for publicity purposes.

(3) Similar information in regard to journals brought out by the other Departments/ Ministries of the Government of India and autonomous bodies is being collected and will be placed on the Table of the House as early as possible.

कर्मचारियों को दूसरा विवाह करने की अनुमति

124 **श्री एस० एम० जोशी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों/आयोगों में काम करने वाले कितने ऐसे कर्मचारियों ने पिछले पाँच वर्षों में दूसरा विवाह करने के लिये सरकार से अनुमति माँगी थी, जिनकी पहली पत्नियाँ जीवित थीं;

(ख) उक्त अवधि में दूसरा विवाह करने की अनुमति कितने कर्मचारियों को दी गई; और

(ग) जिन कर्मचारियों को दूसरा विवाह करने की अनुमति दी गई, उनमें राजपत्रित कर्मचारी कितने प्रतिशत थे ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) कोई नहीं।

Indians in Peking

125. **Shri Ram Sewak Yadav : Shri Shiva Chandra Jha :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the wives and children of the staff of Indian Embassy in Peking have been asked to return to India ;

(b) whether some women and children are still there and if so, the reasons therefor ;

(c) whether some Indian citizens besides the staff of the Embassy are also living in China and that they want to come back to India; and

(d) if so, their number and the nature of obstacles in bringing them back ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) The Government of India have given them the option and facilities for those who wish to send their families back.

(b) Yes, Sir. Some family members of the staff of Indian Embassy are continuing to stay in Peking of their own accord.

(c) **and** (d) : Yes, Sir. According to Government of India's information there are at present 21 Indians in China most of them resident in Shanghai. Of these some have expressed their desire to leave China but on account of regulations and arbitrary restrictions imposed by the Chinese Government they have found it difficult to do so.

Princes appointed in High Positions in External Affairs Ministry

126 **Shri Shashibhushan Bajpai**: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of princes appointed in high positions in his Ministry ;

(b) whether these positions were given to them on the basis of any agreements ;

(c) if so, the details of those agreements ; and

(d) the number amongst them who have been sent to foreign countries as Ambassadors?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Three princes in receipt of privy purses are holding positions of the rank of Counsellor and above under this Ministry.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) Two (including one as High Commissioner).

मैसूर राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों का सैनिक स्कूलों में प्रवेश

127. **श्री सिद्दय्या** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में सैनिक स्कूलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए कोई आरक्षण किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1966–67 और 1967–68 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने उम्मीदवारों ने आवेदन पत्र भेजे और उनमें से कितने उम्मीदवारों को दाखिला मिला; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) : आवश्यक सूचना सैनिक स्कूल बीजापुर से इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात में आयुध कारखाना

129. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **प्रतिरक्षा**-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् के "दि इंडस्ट्रियल प्रोग्राम आफ गुजरात ड्यूरिंग दी फोर्थ प्लान" नामक प्रकाशन की ओर दिलाया गया था जिसमें यह कहा गया है कि प्रस्तावित पेट्रो-रसायन उद्योग का उपोत्पाद "टोलुअल", जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है, प्रतिरक्षा के काम के लिए सर्वोत्तम कच्चा माल है;

(ख) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय गुजरात में एक आयुध कारखाने की स्थापना की संभावना की खोज करने के लिये तैयार हो गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो प्रस्तावित कारखाने की स्थापना के स्थान, पूंजी परिव्यय और इसमें लगने वाले समय के सम्बन्ध में क्या अनुमान है?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हाँ। "इंडस्ट्रियल प्रोग्राम फार फोर्थ प्लान-गुजरात" नामक प्रकाशन में टॉल्युईन को विस्फोटकों के लिए एक बहुत ही अच्छा कच्चा माल बताया गया है।

(ख) इस समय एक ऐसा नया आर्डनेन्स कारखाना खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है जिस पर कि पहले ही कोई काम आरम्भ नहीं किया गया हो।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Radio Station at Darbhanga

130. **Shri Yamuna Prasad Mandal** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether preliminary preparations have been completed for setting up a Radio Station at Darbhanga in North Bihar ;

(b) if so, when the actual broadcasts would start ;

(c) whether it is a fact that the voice of the Patna Broadcasting Station becomes feebler for the listeners in areas, like Monghyr etc. ;

(d) if so, whether any proposal to raise the power of these Transmitters is under consideration ;

(e) whether the Chinese Radio has always been indulging in propaganda in Mathili language ; and

(f) if so, whether any programme has been chalked out by the All-India Radio to counter-act this propaganda ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) and (b) : The proposal to set up a Radio Station at Darbhanga is included in the draft Fourth Five Year Plan of A. I. R. The implementation of the project will, however, be subject to the availability of resources and foreign exchange. It is therefore not possible to indicate when the actual broadcasts would be started.

(c) No Sir. Listeners in areas like Monghyr etc., can hear the transmitters operating both at Patna and Bhagalpur which radiate common programmes.

(d) Does not arise.

(e) No information is available regarding the Chinese broadcasts in Maithili language.

(f) Does not arise, but the proposed station at Darbhanga will be able to counteract any propaganda in which the Chinese may indulge in Maithili.

Election to the Cantonment Boards

131. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the **Minister of Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that elections to the Cantonment Boards are held after every three years instead of five years as is done in the case of Municipal Corporations and Municipal Committees ;

(b) whether it is also a fact that the Denapur Cantonment Board and some other Boards have passed Resolutions requesting Government to extend the term of a Cantonment Board to five years ; and

(c) if so, Government's reaction thereto and the action proposed to be taken to bring uniformity in the term of the local bodies.

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) According to Section 15 of the Cantonments Act, the normal term of office of a member of Cantonment Board is three years. The normal term of office of persons selected to Municipalities varies from State to State and ranges from three years to five years.

(b) A proposal to extend the term of office of the Cantonment Board from three years to five years has been received from Dinanpore and two other Cantonment Boards.

(c) The acceptance of the proposal will not achieve uniformity between Cantonment Boards and all Municipalities. However, the proposal to amend Section 15 of the Cantonments Act to enlarge the normal term of office of a member of Cantonment Board is under consideration.

Mortal Remains of Maharaja Dalip Singh

132. **Shri Baswant** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether any proposal to get back the mortal remains of Maharaja Dalip Singh, the last king of Sikhs, is under consideration ; and

(b) if so, whether any negotiations are going on with the British Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : **(a) and (b)** : Some non-official Indians have raised this matter. The matter is under consideration.

भारत में अरब लोगों के लिए राजनयिक दर्जा

133. **श्री मृत्युंजय प्रसाद** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अरब लीग के प्रतिनिधियों को राजनयिक दर्जा दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि अरब लीग कोई सरकार नहीं है और इसका अपना कोई राज्य-क्षेत्र नहीं है;

(ग) इस लीग के मामले में ऐसा अपवाद किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऐसी कोई और संस्थायें भी हैं, जिनका अपना न तो कोई राज्यक्षेत्र है न ही उनके पीछे कोई सरकारी प्राधिकार है, जिन्हें ऐसी ही मान्यता दी गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उनके नाम क्या हैं?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ङ) अरब लीग का स्वतंत्र कार्यालय स्थापित करने और इस लोग के प्रतिनिधियों को इस देश में कतिपय उन्मुक्तियाँ और विशेषाधिकार प्रदान करने के बारे में 12 जुलाई 1965 को अरब लीग के प्रधान सचिव के साथ पत्रों का आदान-प्रदान हुआ था। ये विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ वैसी ही हैं, जैसी कि संयुक्त राष्ट्र और उसकी संबद्ध एजिसियों जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को प्रदान की जाती हैं।

भारत-लंका करार, 1964

134. **श्री सम्बन्धन** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लंका से भारत मूलक राज्य-विहीन व्यक्तियों के स्वदेश लौटने से सम्बन्धित 1964 के भारत-लंका करार की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों के पहले जत्थे को बसाने के प्रबन्ध कर लिये हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) श्रीलंका में भारतीय मूल के ऐसे व्यक्तियों से नागरिकता की, जिन पर 1964 का भारत-श्रीलंका करार लागू होता है, अर्जियाँ माँगने के सिलसिले में दोनों सरकारों में प्रारम्भिक कार्य शुरू हो गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार भारत सरकार को यह अधिकार है कि वह इस करार

के अन्तर्गत आने वालों को भारतीय नागरिकता प्रदान कर दे। इस करार के अन्तर्गत आने वालों में से कोई 12,000 व्यक्तियों को भारत का श्रीलंका-स्थित हाई कमीशन भारतीय नागरिकता पहले ही प्रदान कर चुका है। श्रीलंका को, इस करार के अन्तर्गत श्रीलंका की नागरिकता प्रदान करने के लिये विशेष विधान की आवश्यकता थी और उसने इस तरह का एक विधान जून, 1967 में पास किया और यह समझा जाता है कि श्रीलंका अधिनियम के अन्तर्गत नियम और विनियम जल्दी ही श्रीलंका की संसद में पेश किए जायेंगे। इसलिए, दोनों पक्ष यह चाहते हैं कि भारत और श्रीलंका को नागरिकता के लिए बाकायदा अर्जियाँ एक साथ माँगी जाएँ।

(ख) और (ग) : इस करार के अन्तर्गत भारत आने वाले देश प्रत्यावर्तियों को फिर से बसाने के लिए पुनर्वास विभाग ने कुछ प्रारम्भिक कार्य किया है और संबंद्ध राज्य सरकारों के परामर्श से कुछ योजनाएँ तैयार की हैं। इस सिलसिले में अब तक बरते गए उपायों का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। (पुस्तकालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 1509/67)

चीन के परमाणु आक्रमण से बचाव

135. **श्री चरणजीत राय** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पर चीन के संभाव्य परमाणु आक्रमण से बचाव के लिए भारत ने पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार भारत की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था करना चाहती है?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) और (ख) सम्भावित परमाणु आक्रमण से अपनी सुरक्षा का पर्याप्त सुनिश्चय करने के उपायों और तरीकों पर बराबर विचार किया जाता रहता है । इस सिलसिले में रक्षा मंत्री का 21 जून, 1967 का वक्तव्य दृष्टव्य है जो कि उन्होंने लोकसभा में दिया था।

राष्ट्रपति अयूब खां द्वारा प्रकाशित पुस्तक

136. **श्री चरणजीत राय**: क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने राष्ट्रपति अयूब खां द्वारा हाल में प्रकाशित पुस्तक पढ़ी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इसमें कुछ गम्भीर गलत-बयान हैं जिनका खण्डन किया जाना चाहिये; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार उनका खण्डन एक समुचित पुस्तकाकार रूप में करने का है?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) से (ग) विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब द्वारा लिखी पुस्तक "फ्रैंड्स नाट मास्टर्स" की सावधानीपूर्वक जाँच की है। जैसी कि उम्मीद की जा सकती है, इस किताब में भारत के बारे में बहुत सी गलत बातें कही गई हैं और भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों पर राष्ट्रपति अय्यूब के चिर-परिचित विचारों का प्रतिपादन किया गया है । यह पहला मौका नहीं है जबकि ये विचार प्रकट किए हैं और भारत सरकार इस प्रकार के गलत बयानों का खण्डन करने और उन्हें सही रूप में प्रस्तुत करने के लिए समुचित कदम उठाती रही है और भविष्य में भी ऐसा करती रहेगी। इस पुस्तक में जो

गलत-बयान दिए गए हैं उनका खण्डन करने वाली सामग्री का संकलन निकालने का सरकार का विचार नहीं है।

विमान उद्योग

137. श्री पार्थसारथी: श्री क० लकप्पा:

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार एक विस्तृत अध्ययन करने का है कि विमान उद्योग के भावी विकास के बारे में, असैनिक और सैनिक प्रयोजनों के लिए अगली एक दशाब्दी अथवा दो दशाब्दियों में कितने तथा किस प्रकार के विमानों की आवश्यकता होगी;

(ख) तथा इस बारे में एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की जा रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?।

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत):

(क) से (ग) जी हाँ। विमानों और तत्सम्बन्धी उपस्करों के डिजाइन, विकास और उत्पादन के लिए दीर्घकालीन योजना बनाने के लिये अध्ययन करने और सिफारिशें देने के लिये 10 नवम्बर 1967 को एक उच्चस्तरीय समिति बनाई गई है। इस समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:—

(1) देश की विमानों और उनसे सम्बन्धित उपस्करों की आवश्यकताओं को निर्धारित करना।

(2) सप्लाई के वर्तमान और सम्भाव्य स्रोतों का सर्वेक्षण करना तथा देशी स्रोतों का कितनी अच्छी तरह से उपयोग किया जा सकता है और उत्पादन क्षमता का प्रसार कैसे किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में सिफारिश करना।

(3) अनुसंधान तथा विकास कार्य सहित एरोनाटिक्स उद्योग में आयोजित विकास के लिए कौन से उपाय किए जाएं उसके लिए सिफारिश करना, जिससे कि सम्पूर्ण देश यथासम्भव कम से कम समय में और कम से कम खर्चे पर इस क्षेत्र में आत्म-निर्भर बन जाय।

फ्रांस द्वारा ईरान को हथियारों का बेचा जाना

138. **श्री स० चं० सामन्त:** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि ईरान ने फ्रांस से बहुत बड़ी मात्रा में हथियार खरीदे हैं;

(ख) क्या सरकार ने फ्रांस की सरकार से यह आश्वासन लेने का प्रयास किया है कि जो हथियार ईरान द्वारा खरीदे गए हैं, उन्हें भारत के विरुद्ध प्रयोग किए जाने के लिए पाकिस्तान को न दिया जाये; और

(ग) यदि हाँ, तो फ्रांस सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उपग्रह से टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण

*139. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपग्रहों से प्रसारित टेलीविज़न कार्यक्रम का यदि भारतीय टेलीविजन सेवायें कोई लाभ उठा रही हैं तो कितना;

(ख) उपग्रहों सेप्रसारित कार्यक्रमों का भारत में लाभ उठाने के लिये यदि कोई अंशदान दिया जाना अपेक्षित है, तो कितना और किन अभिकरणों को; और

(ग) यदि इस समय यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो यह सुविधा कब आरम्भ होगी और इसके निबन्धन और शर्तें क्या होंगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) भारतीय टेलीविजन फिलहाल उपग्रहों से प्रसारित टेलीविजन कार्यक्रमों का लाभ नहीं उठा सकता क्योंकि हिन्द महासागर के क्षेत्र की अन्धमहासागर और शान्त महासागर की तरह जहाँ दो उपग्रहों की सेवा पहले ही उपलब्ध हैं, अभी अपने उपग्रह से सुसज्जित करना है।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय उपग्रह संचार पद्धति' 'इन्टेलसट' (Intelsat) नाम के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा संचालित होती है। भारत इस संस्था का सदस्य है। उपग्रह का, जब इसको ग्रहपथ में छोड़ा जाय, प्रयोग करने के लिये इस एजेन्सी को दिया जाने वाला अंशदान, उन शर्तों के अनुसार होगा जो 'इन्टेलसट' के साथ मिलकर तय की जाएंगी।

(ग) आशा है कि हिन्द महासागर में उपग्रह 1968 के शुरू में छोड़ा जायेगा। तीसरे उपग्रह को छोड़ने के उपरान्त, भारत दूसरे देशों के टेलीविजन के कार्यक्रमों को ग्रहण कर उन्हें प्रसारित करने और दूसरे देशों को अपने कार्यक्रम देने योग्य हो सकेगा। ये उपग्रह किन शर्तों पर प्रयोग किए जा सकते हैं, इनको 'इन्टेलसट' जो संसार की उपग्रह संचार पद्धति का प्रबन्ध कर रहा है, के द्वारा तय किया जायेगा।

शंघाई में चीनियों द्वारा गुरुद्वारों का अपने अधिकार में लिया जाना

*140. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शंघाई में चीनी अधिकारियों ने तीन गुरुद्वारे अपने कब्जे में ले लिए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) भारत सरकार ने चीन सरकार को अनुचित और मनमानी कार्रवाई के खिलाफ उससे विरोध प्रगट किया है और माँग की है कि इन पूजा स्थानों को धार्मिक उद्देश्यों के लिए वापस लौटा दिया जाए और आगे आवश्यक कार्रवाई करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा है।

भारत के विरोध-पत्र की एक प्रति सदन की मेज़ पर रख दी गई है। [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०** 1510/67]।

Training of Staff of Indian Missions Abroad

141. Shri Ramji Ram : Dr. Surya Prakash Puri :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether any scheme

regarding imparting of training to the Officers and staff of different Indian Missions abroad is under consideration ;

(b) whether Government have received some complaints from time to time regarding officers and staff of Missions not having proved much useful in the absence of such training ; and

(c) if so, the action taken so far in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) Under the existing arrangements, all I.F.S. Officers, recruited through the U.P.S.C. competitive examination receive training for 21 months in India. Thereafter they are sent abroad for the study of the compulsory foreign languages allotted to them. They are then confirmed in service on their qualifying in the departmental examinations. Recently some officers of the junior branch of I.F.S. have been deputed for training in specialised courses including public administration, foreign trade, archives, and accounts. Information Service Officers are also given a short period of training in External Publicity Work.

Apart from these training programmes there is no other scheme of general training under consideration at present.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

केन्द्रीय सूचना सेवा

*142. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार केन्द्रीय सूचना सेवा को एक तकनीकी सेवा घोषित करने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस सेवा में काम करने वाले कर्मचारियों को क्या लाभ पहुँचेगा; और

(ग) इस सेवा को कब तक तकनीकी सेवा घोषित करने का सरकार का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

Allotment of Land to Sainik Co-operative Housing Societies

143. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 400 acres of land in the capital will be allotted to the Sainik Co-operative Housing Society for the construction of houses for Defence personnel ;

(b) if so, where and at what cost ; and

(c) whether such schemes would be introduced in other States also ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) 100 acres will be allotted to the Society in Pitampura area (near Shakurbasti) and 300 acres at Narela. The cost of the land has not yet been worked out. It will, however, be the cost of acquisition plus additional charges as prescribed by the Delhi Administration.

(c) It is proposed to encourage setting up of similar Sainik Cooperative Housing Societies in selected towns in other States also if sufficient response is forthcoming from ex-service personnel.

इमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारी

*145. **श्री चरणजीत राय:** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड ने उनके मंत्रालय के अनुदेशों पर एक बड़ी संख्या में उन इमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को अस्वीकार कर दिया जो इसके सामने स्थायी कमीशन के लिए उपस्थित हुए थे;

(ख) क्या शार्ट सर्विस रेगुलर कमीशन के लिए नई भर्ती हो रही है, जबकि इमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों की छँटनी की जा रही है; और

(ग) क्या उन इमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को जो सैनिकों तथा अन्य पदों से पदोन्नत हुए थे उन्हें पदोन्नति पूर्व के अपने पदों पर जाने के लिए कहा जा रहा है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हाँ।

(ग) सैनिक ओहदों से पदोन्नत हुए आपाती कमीशंड अफसर सामान्य ड्यूटी संवर्ग के अतिरिक्त विशेष सूची संवर्ग में स्थाई कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। जो अफसर स्थाई कमीशन के लिए चुने जाने में असफल हो जाते हैं वे अगर चाहें तो अपने पहले वाले ओहदों में वापस जा सकते हैं। यह स्थिति उन्हें स्पष्ट कर दी गई है।

राष्ट्रीय छात्र सेना दल के कैडेटों के लिए जलपान की व्यवस्था

*147. **श्री ओंकार लाल बेरवा:** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में पोलिटेक्निक तथा अन्य कालेजों में राष्ट्रीय छात्र सेना दल के कैडटों को परेड के बाद पर्याप्त जलपान नहीं कराया जाता;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रकार की जलपान की व्यवस्था के लिए कोई एक समान दर निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) से (घ) : 1963 में भारत सरकार ने यह सिफारिश की थी कि राज्य सरकारें प्रत्येक कैडेट को जलपान के लिए 20 पैसे प्रति घंटा परेड के हिसाब से दे। व्यावहारिक रूप में राज्य सरकारों और संघ प्रदेशों ने 19 पैसे से 30 पैसे तक प्रति परेड के हिसाब से यह भत्ता देना मंजूर किया। दिल्ली प्रशासन ने शायद यह सोचते हुए दिल्ली के सभी कालेजों के लिए 20 पैसे प्रति परेड की दर निर्धारित की कि आवश्यक जलपान का खर्चा इससे पर्याप्त रूप में पूरा हो जाता है।

मध्य प्रदेश में भूमि का अर्जन

148. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में वार्धा के समीप अर्जित की गई भूमि का कब्जा सरकार कब तक ले लेगी ;

(ख) क्या अर्जित क्षेत्र के आसपास बसे गाँव भी वहाँ से उठाए जायेंगे ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या उन गाँवों के निवासियों को अपने गाँवों से उठने के कारण कोई मुआवजा दिया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) यद्यपि ऐसी हालतों में कोई परिशुद्ध अनुमान संभव नहीं है, वर्तमान अनुमान यह है कि इसमें लगभग एक वर्ष लगेगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) **तथा** (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

इमरजेंसी कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारी

149. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने इमरजेंसी कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारियों को सेवा मुक्त किया गया है ;

(ख) अगले ६ महीनों में कितने इमरजेंसी कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारियों के सेवा मुक्त किए जाने की संभावना है;

(ग) उपरोक्त अधिकारियों में से कितने अधिकारियों को इस बीच अन्यत्र रोजगार दिया गया है;

(घ) क्या सेवा मुक्त किए गए शेष इमरजेंसी कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारियों को सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सुरक्षा अधिकारियों के रूप में काम दिलाने के लिये सरकार ने प्रयत्न किये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 1526 (मेडिकल और वेटेरिनरी अफसरों को छोड़कर)। इनमें 37 अफसर वे हैं जिनकी सेवाएँ उनकी अकुशलता के कारण या अनुशासनिक कारणों से समाप्त कर दी गई, 38 अफसरों ने त्याग-पत्र दिए और 270 अफसर ऐसे हैं जो यद्यपि स्थायी कमीशन के लिए जा सकते थे लेकिन सेना में और आगे रहने के लिए वे इच्छुक नहीं थे।

(ख) इमरजेंसी कमीशन प्राप्त जिन अफसरों को स्थायी कमीशंड अफसरों के रूप में नहीं लिया जा सका है उन्हें 1967 से 1970 के बीच 4 वर्षों में सेवाविमुक्त किया जाएगा। 1967 में सेवाविमुक्त होने वालों की सूची (केवल उन अफसरों को छोड़कर जिनके मामले अभी विचाराधीन हैं) तैयार हो चुकी है। 1968 में सेवाविमुक्त होने वालों की सूची अगले अप्रैल से बननी आरम्भ होगी।

(ग) अब तक सेवाविमुक्त इमरजेंसी कमीशन प्राप्त 662 अफसरों को अन्यत्र रोजगार दिलाया गया। इमरजेंसी कमीशन प्राप्त 943 अफसरों को स्थायी कमीशंड अफसरों के रूप में सेना में ही बनाए रखा जा रहा है।

(घ) जी हाँ। सरकार ने उनसे सम्पर्क स्थापित किया है ताकि सेवाविमुक्त इमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिक से अधिक अफसरों को उनके यहाँ उन विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाय जिनके लिए वे योग्य हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय वायु-सेना के विमान का दमिश्क में विवश होकर उतरना

151. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय वायुसेना के विमान को अक्तूबर 1967 के आरम्भ में दमिश्क में किन कारणों से विवश होकर उतरना पड़ा;

(ख) क्या भारतीय वायुसेना के विमानों को पहले भी कभी सीरिया में उतरने के लिए विवश किया गया था;

(ग) यदि हाँ, तो कितनी बार; और

(घ) क्या अन्य देशों में भी विमानों को इस तरह से विवश करके उतारा जाता है?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) से (घ) प्रधान मंत्री की पूर्वी योरपीय देशों की यात्रा के सिलसिले में 4 अक्तूबर 1967 को भारतीय वायुसेना का एक विमान पूर्वाभ्यास उड़ान पर भेजा गया था। सीरिया में प्रवेश होने से पूर्व उस देश से आवश्यक उड़ान और राजनयिक परवानगी नहीं ली गई थी। इन परिस्थितियों में सामान्य प्रणाली के अनुसार सीरिया के अधिकारियों के अनुरोध पर इस विमान को दमिश्क में उतरना पड़ा। वहाँ से पुनः तेल भर कर वह विमान अपनी आगे की उड़ान पर चल पड़ा। 10 वर्ष से अधिक समय पूर्व भारतीय वायुसेना के एक विमान को पूर्व परवानगी न लेने के कारण सीरिया में उतरना पड़ा था।

बिना उड़ान परवानगी लिए यदि कोई विदेशी विमान किसी दूसरे देश की वायु-सीमा से होकर जाता है तो अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार उसे उस देश में उतरना पड़ता है।

चिटगांव पहाड़ी क्षेत्र तथा गारों क्षेत्र का भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल किया जाना

152. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चिटगाँव पहाड़ी क्षेत्र तथा मैमनसिंह जिले के गारो क्षेत्र के निवासियों की ओर से उनके क्षेत्र को भारत संघ में मिलाने जाने के बारे में रेडक्लिफ आयोग तथा बैमे न्यायाधिकरण के समक्ष कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उनके हितों के संरक्षण के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) और (ख) आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

आकाशवाणी में ड्राफ्टसमैन

*153. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आकाशवाणी में ऐसे कितने ड्राफ्ट्समैन हैं, जो अपने वेतनमान की अधिकतम राशि ले रहे हैं ;

(ख) क्या आकशवाणी में सेलेक्शन ग्रेड ड्राफ्ट्समैन के पद बनाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;और

(ग) यदि हाँ, तो उसपर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) दो।

(ख) जी हाँ।

(ग) आकाशवाणी में सेलेक्शन ग्रेड ड्राफ्ट्समैन के पद बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

आकाशवाणी की विभागी समिति

*154. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 29 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 709 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के महानिर्देशक द्वारा नियुक्त विभागीय समिति की सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के कर्मचारियों को प्रतिवेदन की एक प्रति देने से इन्कार कर दिया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) आकाशवाणी के महानिर्देशक द्वारा नियुक्त विभागीय समिति की सिफारिशों पर निर्णय शीघ्र लेने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं।

(ख) और (ग) रिपोर्ट की प्रति नहीं दी गई है क्योंकि रिपोर्ट केवल सरकारी इस्तेमाल के लिए है।

आकाशवाणी में काम करने वाले मेकेनिक

*155. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 29 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 707 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी के मेकेनिकों के लिए निर्धारित योग्यताओं में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में इस बीच क्या निर्णय किया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मामला अभी विचाराधीन है।

इलेक्ट्रॉनिक समिति

*156. **श्री नन्दकुमार सोमानी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्गीय डा० भाभा की अध्यक्षता में बनी इलेक्ट्रांनिक समिति की सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) वर्ष 1966-67 में कितनी पूंजी लगाई गई थी तथा अब प्रतिवर्ष कितने मूल्य के माल का उत्पादन हो रहा है तथा विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत प्रतिवर्ष कितना आयात हो रहा है; और

(ग) क्या प्रतिवेदन के अनुसार 1975 तक 170 करोड़ रुपए की पूँजी लगाने के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निर्णय किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) : डा० विक्रम ए० साराभाई की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त "इलेक्ट्रानिक्स समिति" सितम्बर 1966 से इलेक्ट्रानिक्स की प्रगति के संबंध में काम कर रही है। भाभा समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए यह समिति इलेक्ट्रानिक्स के शीघ्र विकास के सिलसिले में उसकी अत्यधिक तुरन्त आवश्यकताओं का पता लगाती है, जो अनुसंधान कार्य इस सम्बंध में चल रहे होते हैं उनसे जानकारी बनाए रखती है, उन क्षेत्रों का पता लगाती है जहाँ देशी उत्पादन की व्यवस्था हो सकती है तथा ऐसी क्षमताओं को तेजी से स्थापित करने के लिये कार्य करती है।

निजी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे और रेडियो बनाने की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिए जा चुके हैं जिनसे 1970–71 तक वर्तमान वार्षिक उत्पादन में 200 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा है। इलेक्ट्रानिक पुर्जों और उपस्करों को बनाने के लिए वर्तमान यूनिट का प्रसार किया जा रहा है तथा नई यूनिटें स्थापित की जा रही हैं । बहुत सी नई अनुसंधान परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं और उन पर अनुसंधान संस्थाएँ विश्वविद्यालय तथा उद्योग काम कर रहे हैं ।

इलेक्ट्रानिक्स के सारे क्षेत्र के लिए लगाई जाने वाली धनराशि और आयात पर खर्च किए जाने वाले आँकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी इतना कह सकते हैं कि इस उद्योग पर और अतिरिक्त धनराशि लगाई जा रही है और जिस गति से इस उद्योग पर काम किया जा रहा है उससे ऐसी आशा है कि 1975 तक इसकी वार्षिक कुल व्यवसाय की रकम उतनी तक पहुँच जाएगी जितनी कि भाभा समिति रिपोर्ट में निर्दिष्ट की गई है।

रूसी अन्तरिक्षयान का भारत में उतरना

*157. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रूस सरकार का विचार एक अन्तरिक्षयान छोड़ने का है, जिसकी भारत में उतरने की संभावना है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रूस सरकार ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि यदि यह अन्तरिक्षयान भारत में उतरता है तो उसकी प्राप्ति के लिए उन्हें सहयोग दिया जाये तथा इस यान के उतरने से जो नुकसान होगा उसकी क्षतिपूर्ति करने की भी उन्होंने पेशकश की है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) सोवियत संघ की सरकार ने हमें सूचित किया है कि वह जटिल रचना वाला एक अंतरिक्ष यान मनुष्य सहित छोड़ने का विचार रखता है और इसे सोवियत संघ में उतारने के लिए हालांकि सभी उपाय किए जायेंगे, फिर भी यह सम्भव है कि इन प्रयोगों को जटिल प्रकृति के कारण प्रतिकूल परिस्थितियों में यह अंतरिक्ष यान सोवियत संघ से बाहर कहीं उतरे। सोवियत सरकार ने प्रार्थना की है कि अगर इस यान को मजबूरी में भारतीय प्रदेश में अथवा हिन्द महासागर के क्षेत्र में उतरना पड़े तो सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों को और अंतरिक्ष यान का पता लगाने और वापस पाने में

भारत सरकार उन्हें हर तरह की सम्भव सहायता प्रदान करे। सोवियत सरकार ने यह भी कहा है कि इस कार्य पर जो खर्च आएगा उसे वह बर्दाश्त करने को तैयार है।

(ग) भारत सरकार इस बात के लिए राजी हो गई है कि अगर अंतरिक्ष यात्रियों को और उनके यानों को मजबूरन भारत में उसके प्रादेशिक समुद्र में उतरना पड़ा तो वह हर तरह की सम्भव सहायता देने को तैयार है।

लन्दन में एक नये उच्चायुक्त की नियुक्ति

*158. **श्री क० कु० नायर:** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व न्यायाधीश श्री एस० एस० धवन लन्दन में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने उच्च न्यायालयों के भूतपूर्व न्यायाधीशों को सरकारी लाभ वाले पदों पर नियुक्त न करने के सिद्धान्त को तिलांजलि दे दी है; और

(ग) क्या इस पद पर कार्य करने के लिए अन्य योग्य व्यक्ति न मिलने के कारण ही इस व्यक्ति को इस पद के लिए चुनना आवश्यक हो गया था?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) जी हाँ।

(ख) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को सार्वजनिक हित के लिए नियोजित करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ग) यह चयन इस पद के लिए वांछित उपयुक्तता के आधार पर की गई है।

तुलीहाल हवाई अड्डा, मनीपुर

*159. **श्री मेघचन्द्र:** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मनीपुर में तुलीहाल हवाई अड्डे का विस्तार करने के लिये जिन 76 विस्थापित परिवारों की भूमि ली गई थी क्या उन्हें भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत यथोचित नकद मुआवजा दे दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो देरी होने के क्या कारण हैं?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) तथा (ख) आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम और दुकान तथा संस्थान अधिनियम का छावनी क्षेत्रों में लागू होना

*160. **श्री जार्ज फरनेंडीज:** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यूनतम मजूरी अधिनियम और दुकान तथा संस्थान अधिनियम के उपबन्धों को देश के विभिन्न भागों में छावनियों के क्षेत्राधिकारों में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू किया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि अहमदनगर छावनी बोर्ड के अधिकारियों ने बम्बई दुकान तथा संस्थान अधिनियम और न्यूनतम मजूरी अधिनियम के उपबन्धों को छावनी क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू करवाने के लिये दुकान तथा संस्थान निरीक्षक नियुक्त करने से इंकार कर दिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या दुकान तथा संस्थान निरीक्षक नियुक्त करने के लिए अहमद नगर छावनी बोर्ड के अधिकारियों को तुरन्त आदेश जारी करने का सरकार का विचार है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम उन सभी नियुक्तियों पर लागू होता है (भले ही वे छावनी क्षेत्रों के अन्तर्गत हों) जो कि अधिनियम की सूची में उल्लिखित हैं। विभिन्न राज्य सरकारों ने दुकानों और अन्य संस्थाओं के संबंध में जो अधिनियम बनाए हुए हैं वे छावनी क्षेत्रों पर भी उस स्थिति में लागू होते हैं जबकि वे संबंधित अधिनियम की सीमा के अन्दर आ जाते हैं और उन अधिनियमों के अधीन अधिसूचनाएँ आदि जारी की गई होती हैं।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने के उद्देश्य से अहमदनगर छावनी बोर्ड के अधीन अनुसूचित नियुक्तियाँ श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) पूना और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) बम्बई के अधिकार क्षेत्र में पड़ती हैं। इन दोनों अधिकारियों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन "निरीक्षक" घोषित किया गया है। अन्य क्षेत्रों में निरीक्षकों की नियुक्ति राज्य सरकारें स्वयं करती हैं।

महाराष्ट्र में दुकानों तथा अन्य संस्थाओं संबंधी अधिनियम को लागू करना, उन क्षेत्रों का निर्णय करना जिनपर कि वह लागू होना चाहिए तथा उसके अधीन निरीक्षकों की नियुक्ति का काम स्वयं राज्य सरकार का है। इस समय इस अधिनियम की व्यवस्थाएँ अहमदनगर छावनी क्षेत्र पर लागू नहीं हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उद्योगों में जबरी छुट्टी

*161. **श्री म० ला० सोंधी:** **श्री नीतिराज सिंह चौधरी:**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने उद्योगों ने जबरी छुट्टी घोषित की है;

(ख) कुल कितने श्रमिकों को जबरी छुट्टी की गई है तथा किन राज्यों में बहुत अधिक श्रमिकों की छँटनी की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार श्रमिकों को उनकी बेरोजगारी की अवधि में सहायता देने का है, और

(घ) क्या सरकार ने प्रत्येक मामले में इसकी जाँच की है कि कर्मचारियों की छँटनी करना अथवा उन्हें जबरी छुट्टी देने की प्रबन्धकों की कार्यवाही उचित थी?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क), (ख) और (घ) यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है।

(ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत श्रमिक जबरी छुट्टी और छँटनी मुआवजे के हकदार हैं।

Shifting of F. C. I. Headquarters

162. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the time by which the Head Office of the Food Corporation of India located at present in Madras is likely to be shifted to Delhi and the place where it will be located in the Capital ; and

(b) the total expenditure likely to be incurred on shifting ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The shifting of the Head Office of the Food Corporation of India from Madras to New Delhi with effect from 1st July, 1967 was notified on 20th June, 1967. The actual shifting of the various sections, excepting a few, has laready been completed. It is located at 'Eka Bhavan', No. 1, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-1.

(b) About Rupees eighty thousand.

ट्रैक्टरों की अनुपलब्धता

163. **श्री दामानी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्रैक्टरों की अनुपलब्धता के कारण कृषि उद्योग को बहुत हानि हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो औसतन कितने किसान बिना ट्रैक्टरों के कार्य कर रहे हैं ;

(ग) क्या उन्हें ट्रैक्टर खरीदने के लिये आसान शर्तों पर ऋण दिये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है तो क्या उनको ट्रैक्टर उपलब्ध कराने के लिये किराया खरीद अदायगी की कोई योजना सरकार ने बनाई है; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान किसानों को कितने ट्रैक्टर उपलब्ध कराने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ) : यह सच है कि ट्रैक्टरों के लिए माँग तेजी से बढ़ रही है और इस समय बड़ी माँग ऐसी है जो पूरी नहीं हो सकी। ऐसे किसानों की संख्या बहुत कम है जिनके पास अपने ट्रैक्टर हैं। देशीय ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए हर सम्भव प्रयत्न किए जा रहा है। इस समय 5 यूनिटों को लाइसेंस दिए गए हैं जो 30,000 एक वर्ष में बनाते हैं। 1966 में उत्पादन 7520 था जबकि 1962 में 1627 था। ऐसी आशा है कि 1967 में लगभग 10,500 तक उत्पादन बढ़ जाएगा और लाइसेंस प्राप्त यूनिटों को उत्पादन बढ़ाने में सहायता की जा रही है।

अब तक कृषि मशीनरी के लिए ऋण कम है किन्तु कोआपरेटिव सैक्टर ऐसे ऋण की वृद्धि कर रहा है। एग्री इंडस्ट्रीज कारपोरेशन से अधिकतम सहायता मिलने की आशा है

मुख्य उद्देश्यों में से एक यह है कि कृषि मशीनरी जिसमें ट्रैक्टर शामिल हैं के लिए किराया-खरीद सुविधाओं को बढ़ाया जाये।

(ङ) जैसा कि पहले जिक्र किया गया है कि देश में लगभग 10,500 ट्रैक्टर बनाए जाने की सम्भावना है। जैकोस्लोवाकिया से 2000 ट्रैक्टर और रूस से 4,000 ट्रैक्टर आयात करने के प्रबन्ध किए गए हैं।

वनस्पति का उत्पादन और निर्यात

164. **श्री बाबूराव पटेल:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के वनस्पति की खपत होती है तथा प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के वनस्पति का निर्यात होता है और उन कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा वे किस-किस ब्राण्ड का निर्यात करती हैं;

(ख) वनस्पति निर्माताओं को प्रति वर्ष कितनी तथा किस विशिष्ट प्रयोजन के लिये विदेशी मुद्रा दी जाती है;

(ग) वनस्पति निर्माताओं के कम्पनीवार कितने कर्मचारी हैं तथा कर्मचारियों के वेतन आदि पर वार्षिक व्यय कितना होता है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक निर्माता ने प्रति वर्ष आयकर, अधि-कर तथा अन्य करों के रूप में कितनी राशि दी?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) 1965, 66, और 67 में भारत में खपत होने वाले और भारत से निर्यात जाने वाले वनस्पति का मूल्य नीचे दिया गया है। जुलाई, 1964 से इसके निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है:—

	खपत		निर्यात		
वर्ष	मात्रा ('000 टनों में	मूल्य (करोड़ों में)	मात्रा ('000टनों में)	मूल्य	
1965	421.1	143.3	1.7	जानकारी एकत्रित	
1966	360.6	173.2	1.0	की जा रही है और	
1967 (सितम्बर तक)	271.1	132.7	0.25	सभा पटल पर रख दी जायेगी	

इस समय केवल एक कम्पनी मेसर्स हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड, बम्बई इस उत्पाद (डालडा) का निर्यात कर रही है।

(ख) 1965–66 और 1966–67 में इस उद्योग को रासायनिक और मशीन के घिसे पुर्जों को बदलने के लिये क्रमश: 0.70 लाख और 9.26 लाख कीमत की विदेशी मुद्रा दी गई;

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) चूँकि अधिकतर कारखाने संयुक्तकारक एकक हैं अत:.उन्होंने जो वास्तव में वनस्पति उद्योग पर कर दिए हैं उनका ब्यौरा अलग-अलग उपलब्ध नहीं है।

वनस्पति में रंग मिलाना

165. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शुद्ध घी और वनस्पति घी में अन्तर स्पष्ट करने के लिये वनस्पति घी में रंग मिलाने के प्रस्ताव के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख) इस सम्बन्ध में स्थापित की गई विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट विचाराधीन है।

खाद्यान्नों का समाहार

166. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम की स्थापना से अब तक प्रतिवर्ष इस निगम ने कितनी मात्रा में तथा किन-किन दरों पर गेहूँ, चावल तथा अन्य खाद्यान्न खरीदे;

(ख) खरीदे गए ये खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम में किस प्रकार तथा किन-किन दरों पर बेचे ;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम के उपरोक्त सौदे में मुनाफाखोरी के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ) भारतीय खाद्य निगम से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

"केयर" दूध का पकड़ा जाना

167. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 24 अगस्त, 1967 को समस्तीपुर के पास कियास निजामत गाँव में बिहार की पुलिस ने लगभग १ लाख रुपए के मूल्य के "केयर" दूध के 52 थैले पकड़े हैं;

(ख) क्या यह दूध दरभंगा से लाया गया था और आसाम ले जाया जा रहा था; और

(ग) क्या कोई जाँच की गई है और किसी को गिरफ्तार किया गया है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

महाराष्ट्र की कोयला खानों की भविष्य निधि अंशदान की बकाया राशि

*168. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) **महाराष्ट्र** के चाँदा जिले की बल्लारपुर, फुफुस और महामाली कोयला खानों की भविष्य निधि के अंशदानों की कितनी रशि बकाया है ;

(ख) उसकी वसूली के लिए शीघ्र कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार मजदूरों से इकट्ठी की गई भविष्य निधि की राशियों के दुरुपयोग के लिए मालिकों पर मुकदमा चलाना चाहती है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

Sugar Price in Bihar

169. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the price of sugar in the open market in Bihar has reached upto five to six rupees a kilogram ;

(b) whether it is also a fact that this increase in price of sugar is due to its short supply ; and

(c) if so, the steps taken to bring down the price of sugar in Bihar ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : **(a) to (c)** : In Bihar, no sugar is yet given to dealers for sale in the open market. It is sold through fair price shops on ration cards or family lists at prices fixed by the District Authorities who have instructions to keep strict vigilance to prevent malpractices in the distribution of sugar.

Seed Requisitioned by Bihar Government

170. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of seeds of gram and wheat requisitioned by the Government of Bihar this year ;

(b) the quantity of seeds supplied by the Central Goverment and the source thereof ; and

(c) the reasons for not supplying the required quantity of seeds ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahinb Shinde) : **(a) to (c)** : The Government of Bihar had requested for an allotment of 7,000 tonnes of Mexican wheat seeds and 4,000 tonnes of gram seed for sowing during Rabi-67. Subsequently, due to floods in certain areas of the State, Bihar Government asked for a further supply of 5,000 tonnes of wheat seeds, 5,000 tonnes of gram seed and 3,500 tonnes of barley seed. Taking into consideration the local availability of Mexican wheat seed with the cultivators, and the availability of gram and wheat seeds in other States, arrangements were made to make allocations of wheat and gram seeds from Punjab State and the Central Mechanized Farm, Suratgarh. As only 900 tonnes of barely seeds could readily be procured, Bihar requested that they may be given wheat seed in lieu of the balance of 2,600 tonnes of barely seeds.

Against their above requirements the following quantities of seeds were allocated to Bihar from Punjab and the Central Mechanized Farm, Suratgarh.

(a) **Punjab :**

1.	Wheat seeds	12,600 tonnes.
2.	Gram seeds	8,000 tonnes.
3.	Barley seeds	900 tonnes.

(b) **Suratgarh :**

1.	Gram seeds.	160 tonnes.
2.	Wheat seeds.	452 tonnes.

हैदराबाद में सुपर बाजार

*171. **श्री वि० नरसिंह्हा राव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1966–67 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद, विशाखापटनम और विजयवाड़ा में सुपर बाजार खोलने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितना ऋण मंजूर किया है; और

(ख) इस ऋण के चुकाये जाने की क्या शर्त है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) 1966–67 में केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार को बहु-विभागी भण्डारों (सुपर बाजार) को धन सुलभ करने के लिये निम्न ऋण मंजूर किए थे:—

जिस-जिस के लिए ऋण मंजूर किया गया

बहु-विभागी भण्डार का नाम	अंश पूंजी में अंशदान	फर्नीचर, फिक्शचर्स फिटिंग्स आदि	योग
	रु०	रु०	रु०
हैदराबाद	10,00,000	3,75,000	13,75,000
विशाखापटनम	3,00,000	1,50,000	4,50,000
विजय वाड़ा	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) उपर्युक्त ऋणों को चुकाने की शर्तें अनुबन्ध में दी गई हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिए संख्या एल०टी०** 1511/67]

डाक और तार विभाग में उपस्थिति रजिस्टर

*172. **श्री रमेशचन्द्र व्यास :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि डाक और तार विभाग के विभागीय कार्यालयों में विभागीय-अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए कोई उपस्थिति रजिस्टर नहीं रखा जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो उनके वास्तविक काम के घंटों का अनुमान कैसे लगाया जाता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि विभागीय अतिरिक्त कर्मचारियों को वास्तव में विभाग द्वारा निर्धारित 5 घंटे से भी अधिक समय तक काम करना पड़ता है परन्तु हिसाब में उनका पाँच घंटे का ही काम दिखाया जाता है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री ० कु० गुजराल):(क) तथा (ख) अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के लिए विभागीय डाकघरों में उपस्थिति रजिस्टर रखा जाना जरूरी है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय राजकीय फार्म

174. **श्री दामानी** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक नया केन्द्रीय राजकीय फार्म हिसार में और दूसरा मैसूर में, जिनके लिए स्थान पहले ही चुन लिया गया है, स्थापित करने के काम में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) **और (ख)** : मामला अभी संबंधित राज्य सरकारों के विचाराधीन है।

Protein from Grass

175. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether a proposal to extract protein from grass for human consumption is under consideration ;

(b) whether it is a fact that research is being conducted in foreign countries in this direction ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development, and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Two experimental Research Projects for extracting protein from lush vegetation for human consumption are in operation at the Assam Agricultural College, Jorhat and Agricultural College & Research Institute, Coimbatore. Besides the work at these Centres, the CFTRI Mysore is also engaged in carrying out studies on this Project. The Projects are still in an experimental stage.

In foreign countries, according to information available with the Government, the main work concerning research from leaf protein for human consumption is being conducted at Rothamsted Experimental Station in UK and Department of Biochemistry, University of Wisconsin, in USA.

Demand for Tiger Skin

176. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that due to increasing demand of tiger skin in foreign countries, tigers are being killed in large numbers in jungles ;

(b) whether any proposal is under consideration to stop this indiscriminate destruction of tigers ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : **(a) to (c)** : Government of India are not aware of any of such large sacle killing of tigers. "Protection of Wild animals and birds" is a State subject and the States have already enacted legislation under which killing of tigers in forest areas is controlled.

Institute of Horticulture

177. **Shri Baswant** : **Shri Ishaq Sambhali** :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to establish an Institute of Horticulture in the country;

(b) if so, the benefits likely to accrue therefrom ; and

(c) the criteria for deciding its location ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) Researches would be conducted in this Institute to improve fruits, vegetables and ornamental plants by selection and hybridization. Agro-techniques and pest and disease control measures would also be standardised for these crops with a view to improving their production. These studies would be most helpful for the country, particularly the Southern Regions.

(c) The Institute would be located at Hessaraghatta, which is 16 miles from Bangalore (Mysore State). The Mysore Govt. has agreed to transfer the 62 acre National Hortorium located there, alongwith 500 additional acres of fertile land for the use of the Institute. The climate and soil of this place are most suitable for cultivation of vegetables, ornamental plants and a number of important fruits like grapes, mango, banana, sapota, litchi, guava, pineapple etc. The location of the Institute was decided keeping in view the above factors.

Agricultural Universities

178. **Sri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a decision has been taken to establish at least one Agriculture University in each State ; and

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the names of the States where such Universities have been established so far along with their locations ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The Education Commission (1964-66) have recommended that there should be at least one Agricultural University in each State. The Standing Committee on Agricultural Education have supported this view. Government would be willing to extend full co-operation to States in establishing these Universities.

(b) So far 8 Agricultural Universities have been established as given below :—

1. Uttar Pradesh Agricultual University, **Pant Nagar** (Uttar Pradesh).
2. Punjab Agricultural University, **Ludhiana** (Punjab).
3. Orissa University of Agriculture and Technology, **Bhubaneswar** (Orissa).
4. University of Udaipur, **Udaipur** (Rajasthan).
5. Andhra Pradesh Agricultural University, **Hyderabad** (Andhra Pradesh).
6. Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, **Jabalpur** (Madhya Pradesh).
7. The University of Agricultural Sciences, **Hebbal** (Mysore).
8. University of Kalyani, **Kalyani** (West Bengal).

The Maharashtra State Legislature have passed the Maharashtra Agricultural University Act, 1967, for the establishment of an Agricultural University in that State. The location of the University is yet to be decided.

मेरठ छावनी में शरणार्थी

179. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि मेरठ छावनी में रहने वाले शरणार्थियों को अपने उन मकानों को खाली करने को कहा जा रहा है जिनमें वे पिछले बीस वर्ष से रह रहे हैं और अपनी कमाई उन मकानों की मरम्मत पर व्यय कर रहे हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कितने परिवारों को मकान खाली करने के लिये कहा जा रहा है ; और

(घ) उन्हें किस प्रकार तथा कितना प्रतिकर दिया गया है तथा उनके पुनर्वास का क्या कार्यक्रम है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) यह मंत्रालय जो निष्क्रान्त सम्पत्ति के हस्तान्तरण और बिक्री से सम्बंधित है, के कहने पर ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

केरल को चावल की सप्लाई

180. **श्री विश्वम्भरन :** **श्री वासदेवन नायर :**

श्री नायनार : **श्री जनार्दनन :**

श्री एस्थोस : **श्री प० गोपालन :**

श्री चक्रपाणि : **श्री अ० क० गोपालन :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून से अक्टूबर, 1966 के दौरान केरल को कुल कितना चावल सप्लाई किया गया;

(ख) 1967 की उसी अवधि के दौरान सरकार द्वारा केरल को कुल कितना चावल और गेहूँ सप्लाई किया गया; और

(ग) नवम्बर, 1967 के लिये केरल को कितना चावल आवंटित किया गया है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 3.05 लाख टन

(ख) 4.67 लाख टन

(ग) लगभग 37,500 टन चावल को आयात करने के प्रबन्ध किए गए हैं।आंध्र और मद्रास से भेजे जाने वाले चावल की मात्रा का पता नहीं चला है।

पशुओं के चारे के रूप में चावल की बिक्री

181. **श्री विश्वम्भरन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि भारतीय खाद्य निगम ने केरल राज्य में कालीकट तथा अन्य स्थानों पर अच्छा चावल बड़ी मात्रा में पशुओं के चारे के रूप में बेचा था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस शरारत के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने केरल में अच्छी किस्म का चावल पशुओं को चारे के रूप में नहीं दिया।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भविष्य निधि की राशि का का गबन

182. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री राममूर्ति : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान साप्ताहिक ब्लिट्ज के 30 सितम्बर, 1967 के अंक में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि देश के 80 से अधिक गैर-सरकारी कारखानों पर भविष्य निधि की साढ़े पाँच करोड़ रुपए की राशि का गबन करने का आरोप लगाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे कौन-कौन से गैर-सरकारी कारखाने हैं;

(ग) भविष्य निधि की राशि को वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) सरकार ने दोषी नियोजकों को दण्ड देने के लिये क्या कार्यवाही की है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हाँ।

(ख) एक विवरण, जिसमें ऐसे प्रतिष्ठानों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने (31 अगस्त, 1967 को) एक लाख या इससे अधिक रुपये की भविष्य निधि की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है, सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1512/67**].

(ग) कई एक दोषी प्रतिष्ठानों के विरुद्ध राजस्व वसूली कार्रवाइयों द्वारा कानूनी कार्यवाही की गई हैं। ऐसे प्रतिष्ठानों के बारे में जो परिसमापन की अवस्था में पहुँच गये है ; दावे परिसमापकों के सामने विचाराधीन पड़े हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ तय की गई अदायगी की योजनाओं के अनुसार, कुछ प्रतिष्ठानों ने बकाया राशि की वर्तमान राशि के साथ अदायगी करने के बारे में समझौते कर लिये हैं।

(घ) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत कई दोषी नियोजकों के विरुद्ध अभियोजन कार्यवाहियाँ चलाई गई है। कुछ दोषी नियोजकों के विरुद्ध न्यायालयों में विश्वास-भंग के फौजदारी मामले भी शुरू किये गये हैं।

काकिनाडा और कांडला बन्दरगाहों पर खाद्यान्नों का लादना तथा उतारना

183. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : **श्री प० गोपालन** :

श्री अब्राहम : **श्री सत्यनारायण सिंह**:

श्री उमानाथ : **श्री चक्रपाणि** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि काकिनाडा और कांडला बन्दरगाहों पर अनाज लादने तथा उतारने में खाद्यान्नों की बरबादी होती है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जाँच कराई है;

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नसाहिब शिन्दे) : (क) काकिनाडा बन्दरगाह से अनाज का आयात नहीं होता। कांडला बन्दरगाह पर बहुत बड़ी मात्रा में अनाज को उतारते समय बहुत मामूली सी हानि हुई। इतनी बड़ी मात्रा में अनाज को उतारने में ऐसी मामूली सी हानि को नहीं रोका जा सकता। इन हानियों को कम करने के लगातार प्रयत्न किए जाते हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

चीनी पर शुल्क लगाने के लिये आधार वर्ष

184. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री नम्बियार : **श्री नायनार**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चीनी पर शुल्क लगाने के प्रयोजनार्थ आधार वर्ष 1966–67 के बजाय 1967–68 कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में चीनी मिलों से कोई अभ्यावेदन मिले हैं; और

(घ) यदि हाँ तो उनके अभ्यावेदनों में क्या-क्या मुख्य शिकायतें की गई हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हाँ ।

(ख) ऐसा सब कारखानों पर यथासम्भव समान रूप से शुल्क लगाने के लिए किया गया था।

(ग) जी हाँ

(घ) ये अभ्यावेदन मुख्यतया चीनी कारखानों को चीनी पर लगे शुल्क का उत्पादन 1966–67 या 1967–68 को चुनने की अनुमति के लिये दिए गए थे।

सूरतगढ़ स्टेट फार्म के कर्मचारी

186. **श्री अब्राहम :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूरतगढ़ स्टेट फार्म के कर्मचारी 11 अक्तूबर, 1967 से हड़ताल पर हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या हैं; और

(ग) उनके विवाद को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) 11 अक्तूबर, 1967 को केन्द्रीय यांत्रिक फार्म सूरतगढ़ के कर्मचारियों ने कोई हड़ताल नहीं की थी।

निगमित खेती

187. **श्री भगवान दास :** **श्री नायनार :**
श्री रमानी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ की ओर से निगमित खेती के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों पर विचार किया है; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ के जुलाई 1965 वाले पत्र को छोड़ कर निगमित खेती के लिये भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ से कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु समाचार पत्रों में और भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ द्वारा आयोजित एक सेमीनार की रिपोर्टों में प्रकाशित खबरों से सरकार को पता लगा है कि संघ ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनियों के द्वारा बड़े पैमाने पर फार्मिंग का समर्थन करता है। गैर सरकारी सैक्टरों में ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनियों द्वारा फार्मिंग सम्बन्धी प्रस्तावों के लाभ-हानियों पर बड़ी सावधानी से विचार किया गया है और यह अनुभव किया गया है कि देश की परिस्थितियों के लिए यह उपयुक्त नहीं है।

खाद्यान्नों का दिल्ली से बाहर ले जाया जाना

188. **श्री सत्यनारायण सिंह :** **श्री नम्बियार :**
श्री नायनार : **श्री चक्रपाणि :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नई दिल्ली से निकलने वाले 26 सितम्बर 1967 के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली प्रशासन ने खाद्यान्नों पर से सभी प्रतिबन्ध हटाने की सहमति प्रकट की है किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये गए प्रतिबन्धों के कारण वह इन प्रतिबन्धों को नहीं हटा सकती;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस मामले की जाँच की है और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हाँ। सरकार ने अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी संस्था, दिल्ली के एक प्रवक्ता-द्वारा दिए गए वक्तव्य सम्बन्धी खबर को देखा है। दिल्ली प्रशासन से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

खाद्यान्नों का चोरी छिपे लाना ले जाना

189. **श्री सत्य नारायण सिंह :** **श्री राममूर्ति :**
श्री चक्रपाणि :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 सितम्बर, 1967 के "पैट्रियाट" में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि तस्कर व्यापारी गाजियाबाद से दिल्ली को खाद्यान्नों की तस्करी लिए प्रति ट्रक 3000 रुपए लेते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस मामले की जाँच की है और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) तस्कर व्यापार की रोकथाम के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हाँ। सरकार ने निर्दिष्ट खबर को देखा है।

(ख) कोई जाँच नहीं की गई है क्योंकि सरकार को किसी विशिष्ट मामले की सूचना नहीं दी गई है।

(ग) आवश्यक तस्कर व्यापार विरोधी उपाय लागू हैं।

किसानों के लिए ट्रैक्टर सेवा

190. **श्री सत्य नारायण सिंह :** **श्री एस्थोस :**

श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 अक्तूबर, 1967 के "इकोनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि सरकार छोटे किसानों को निश्चित दरों पर ट्रैक्टर सेवा की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) राज्य सरकारों को एक ऐसी योजना का प्रारूप भेजा गया है जिसके अन्तर्गत विभागीय कृषि मशीनरी की स्थापना के लिए भारत सरकार पूँजी गत व्यय के लिए रुपया देगी। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारें किराया देकर केन्द्र की सेवायें प्राप्त कर सकेंगी। ये केन्द्र कृषि कार्यों के लिए निर्धारित मूल्यों पर ट्रैक्टर, बुलडोज़र तथा पावर टिलर किराये पर देंगे। अभी इस योजना के लिए अन्तिम स्वीकृति नहीं दी गई है।

विभिन्न उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड

191. **डा० रानेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यवहारिक आर्थिक अनुसन्धान की राष्ट्रीय परिषद् ने यह सुझाव दिया है कि भविष्य में उद्योगों सम्बन्धी सभी मजूरी बोर्डों को, देश में उद्योगों के विभिन्न धंधों के लिये मजूरियों के मानकीकरण का काम सौंपा जाना चाहिए;

(ख) क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) परिषद् द्वारा जारी किए गए प्रकाशन में इस प्रकार का एक सुझाव दिया गया है।

(ख) और (ग) : मजूरी बोर्डों सम्बन्धी विभिन्न अन्य सुझावों के साथ-साथ इस सुझाव पर भी सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य

*192. **डा० रानेन सेन :** **श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :**
श्री देवेन सेन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की पुनर्वास सम्बन्धी से समस्याओं को हल करने के लिये एक व्यापक योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उसपर कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ) 1964 से नए प्रव्रजकों के भारी संख्या में आने के कारण इन क्षेत्रों में पैदा हुई कठिनाइयों को दूर करने के लिये राज्य सरकार ने भारत सरकार को कुछ प्रस्ताव भेजे हैं जिनमें अतिरिक्त शैक्षिक चिकित्सीय और प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाएँ देने की योजनाएँ हैं। योजनाएँ संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है :—

(एक) विस्थापित व्यक्तियों के लड़कों के लिए विशेष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का स्थापित किया जाना।

(दो) विस्थापित व्यक्तियों की लड़कियों को नर्सों के रूप में प्रशिक्षण दिया जाना और एक बी० एस० सी० नर्सिंग कालिज का स्थापित किया जाना।

उपरोक्त योजनाओं पर कुल मिलाकर लगभग 1 करोड़ रुपया खर्च होगा। ये योजनाएँ पश्चिमी बंगाल में पुनर्वास कार्य सम्बन्धी पुनर्विलोकन समिति को भेजी गई हैं। समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा है।

दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के औषधालय

193. **डा० रानेन सेन :** **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के औषधालयों के स्टाकों की हाल ही में हुए एक लेखा परीक्षण के दौरान यह पता लगा कि इन औषधालयोंमें आने वाले लोगों को एक लाख से भी अधिक ऐसे टीके लगाये गए जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी थी ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई जाँच की है;

(ग) यदि हाँ, तो उसकी उपपत्तियाँ क्या हैं; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) 1965-66 की लेखा रिपोर्ट में यह कहा गया था कि निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद लिवर एक्सट्रेक्ट के 2645 विअल्ज और एमिनोफिलीन के 41 विअल्ज इस्तेमाल किए गए।

(ख) जी हाँ।

(ग) और (घ) निर्धारिति अवधि समाप्त होने के बाद लिवर एक्सट्रेक्ट के 2687 विअल्ज और एमिनोफिलीन के 118 विअल्ज इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल किए गए। अधिकाँश लिवर एक्स्ट्रेक्ट इंजेक्शन निर्धारित अवधि के बाद 2 मास के अन्दर-अन्दर इस्तेमाल किए गए। डाक्टरी राय यह है कि ये इंजेक्शन निर्धारित अवधि की समाप्ति के शीघ्र ही बाद इस्तेमाल किए जाने पर हानिकारक नहीं होंगे और यदि इनकी शक्ति कुछ कम भी हो जाए तब भी ये नुकसान नहीं कर सकते। इनमें से किसी भी मामले में विषालु प्रतिक्रिया की कोई शिकायत नहीं आई। औषधालयों के इंचार्ज अधिकारियों का ध्यान इन अनुदेशों की ओर आकर्षित कर दिया गया है कि ऐसे कोई भी विअल्ज इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिये जिनकी निर्धारित अवधि समाप्त हो गई हो।

आयातित खाद्यान्न के बारे में राज सहायता

194. **डा० रानेन सेन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयातित खाद्यान्न को दी जाने वाली राज सहायता बन्द करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नाहिब शिन्दे) : (क) आयातित चावल और माइलो पर राज्य सहायता कम करने और आयातित गेहूँ पर राज्य सहायता समाप्त करने का फैसला किया गया है।

(ख) आयातित और देशी खाद्यान्नों की कीमतों के बीच अन्तर को कम करने और राष्ट्रीय राजकोष पर भार को कम करने के लिये राज्य सहायता का समाप्त किया जाना या घटाया जाना आवश्यक हो गया है।

मजूरी बोर्डों की कार्य प्रणाली

*195. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** **श्री जनार्दनन :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 14 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 493 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले दस वर्षों में मजूरी बोर्ड व्यवस्था के कार्य-संचालन का पुनरीक्षण किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जैसा कि 14 जून, 1967 को प्रश्न संख्या 493 के उत्तर में कहा गया था, राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा मजूरी बोर्डों के कार्य के पुनरीक्षण के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति की रिपोर्ट अभी तक आयोग को प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

संविधान का हिन्दी रूपान्तर

*196. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान के हिन्दी रूपान्तर की विधिक मान्यता के बारे में सन्देह उत्पन्न हो गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री(श्री दा० रा० चव्हान) : (क) संविधान के प्राधिकृत तथा अधिप्रमाणीकृत हिन्दी रूपान्तर की विधिक मान्यता पर अब तक किसी न्यायालय में आक्षेप नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी में छंटनी

*197. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) क्या मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों की छँटनी की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

दिल्ली में टेलीफोनों की मांग

*198. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में इस समय कई हजार टेलीफोनों की माँग है: और

(ख) यदि हाँ, तो टेलीफोनों की समूची माँग शीघ्र ही पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हाँ।

(ख) दिल्ली में टेलीफोन प्रणाली के विस्तार की योजना उसके लिए उपलब्ध होने वाले साधन और उपस्करों को दृष्टि में रखकर बनाई गई है। चौथी योजनावधि के दौरान 65,000 लाइनों की वृद्धि कर देने का प्रस्ताव है।

सचेतक सम्मेलन, शिमला

*199. **श्री कंशी नाथ पाण्डे**: **श्री इसहाक साम्भली**:
श्री कंवर लाल गुप्त: **श्री स० मो० बनर्जी**:

क्या **संसद्-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अक्तूबर, 1967 में शिमला में राज्यों के सचेतकों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) इस सम्मेलन में क्या निर्णय किए गए ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हाँ, छठा अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन 4 अक्तूबर से 6 अक्तूबर, 1967 तक शिमला में हुआ था।

(ख) इस सम्मेलन में गृहीत की गयी सिफारिशों की एक प्रति सदन की मेज़ पर रखी जाती है। **(पुस्तकालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० 1513/67)**।

(ग) ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

खाद्य उत्पादन संसाधनों सम्बन्धी खाद्य तथा कृषि संगठन का कार्यक्रम

*200. **श्री दामानी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने खाद्य उत्पादन संसाधनों सम्बन्धी खाद्य तथा कृषि कार्यक्रम में संशोधन करने की माँग की है; और

(ख) इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों के नाम क्या हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) खाद्य तथा कृषि संगठन सम्मेलन के चौदहवें अधिवेशन में सम्मिलित होने वाले प्रतिनिधि मण्डल में दो मंत्री, आठ अधिकारी और एक गैर सरकारी अधिकारी हैं और इसका नेतृत्व खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्री द्वारा किया जा रहा है। मद्रास सरकार में खाद्य तथा राजस्व मंत्री प्रत्यावर्ती नेता नामज़द किए गए हैं।

सूरतगढ़ स्थित सरकारी फार्म

*201. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री नम्बियार :**
श्री अ० क० गोपालन : **श्री रमानी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1967 में सूरतगढ़ स्थित सरकारी फार्म के प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के बीच कोई समझौता हुआ था ;

(घ) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या उस समझौते को क्रियान्वित किया गया था; और

(घ) यदि नही, तो उसके क्या कारण थे?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) फरवरी, 1967 में 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। पहले समझौते की शर्तें निम्न प्रकार हैं:—

1. दोनों पक्षों ने यह स्वीकार किया कि वे "कोड आफ डिसिपलिन इन इण्डस्ट्री एण्ड दी इण्डस्ट्रियल ट्रूस रेज़ोल्यूशन" में विश्वास रखते हुए 28 फरवरी, 1967 तक समस्त प्रश्नों पर विचार करके आपसी समझौता करेंगे। यदि कोई समझौता न हो सके तो कोई भी पक्ष रीजनल लेबर कमिश्नर (सी) अजमेर से सम्पर्क स्थापित कर सकेगा और वह झगड़ों के निपटारे के बारे में उचित कदम उठायेगा।

2. सरकार 16 फरवरी, 1967 तक यूनियन को ड्राफ्ट ग्रीवेन्सेस प्रोसीजर की एक प्रतिलिपि देगी और यूनियन उस पर 23 फरवरी, 1967 तक प्रबन्ध को अपनी टिप्पणियाँ भेंजेगी। उसके पश्चात् दोनों पक्ष आपस में मिलकर 7 मार्च, 1967 तक ग्रीवेन्सेस प्रोसीजर को अन्तिम

रूप देंगे। यदि कोई समझौता न हो सके तो पक्ष 15 मार्च, 1967 तक रीजनल लेकर कमिश्नर (सी), अजमेर को मामला सौंप देंगे और कमिश्नर का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

3. जिन कर्मचारियों ने अपनी फोटो पहले ही सरकार के पास भेजे हुए हैं उनको सरकार 13 फरवरी, 1967 तक पहचान पत्र दे देगी। अन्य व्यक्तियों के फोटों की कापियाँ फोटो भेजने के 7 दिन के अन्दर पहचान पत्र दे दिए जायेंगे।

4. जिन व्यक्तियों को छुट्टी देने से इन्कार किया गया था उन्हें 3 मास के अन्दर कम्पेन्सेटरी छुट्टी दे दी जायेगी। सरकार कार्यकर्ताओं की सलाह से रविवार व छुट्टियों की डियुटियों के बदले कम्पेन्सेटरी छुट्टी देने को भी सहमत हो गई है।

5. श्री भुरचुमल की मुअत्तली के आदेश तुरन्त रद्द कर दिए जायेंगे और उन्हें 10 फरवरी 1967 से डियूटी पर ले लिया जायेगा।

6. यूनियन ने हड़ताल न करने का आश्वासन दिया है।

7. पक्ष 20 मार्च, 1967 तक डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर (सी), नई दिल्ली के समझौते की क्रियान्विति के बारे में सूचना देंगे :

दूसरे समझौते की शर्तें निम्न प्रकार हैं :—

1. डेली पेड श्रमिक श्री कनौजी लाल को 10 फरवरी, 1967 से काम पर वापिस ले लिया जायेगा।

2. 20 जनवरी, 1967 से 9 फरवरी, 1967 तक की अवधि को बिना वेतन गैरहाजरी स्वीकार कर लिया जायेगा।

3. पक्ष 28 फरवरी, 1967 तक एसिसटेन्ट कमिश्नर (सेन्ट्रल), अजमेर को समझौते की क्रियान्विति के बारे में सूचना देंगे।

(ग) और (घ) समस्त शर्तों को कार्यरूप दिया जा चुका है।

अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी संस्था का ज्ञापन पत्र

*202. **श्री प० गोपालन :** **श्री उमानाथ :**
श्री द० ब० राजू : **श्री ना० स्व० शर्मा :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी संस्था संघ की संयुक्त कार्य समिति से हाल ही में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो ज्ञापन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) सितम्बर 1967 में संस्था के महामंत्री से एक ज्ञापन पत्र प्राप्त हुआ था इस ज्ञापनपत्र में राष्ट्रीय खाद्य नीति बनाने सम्बन्धी बहुत सी बातें दी गई थीं, इनमें से महत्वपूर्ण बातें खाद्य जोनों को समाप्त करने, खाद्यान्नों के स्वतन्त्र रूप से लाने ले जाने, उत्पादकों से अनिवार्य वसूली को समाप्त करने और खाद्यान्नों आदि में राज्य व्यापार को जारी न रखने के सम्बन्धों में थीं। राष्ट्रीय खाद्य नीति बनाते समय सरकार द्वारा इन बातों को ध्यान में रखा जायेगा।

नई दिल्ली नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

*203. **श्री प० गोपालन :** **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री रमानी :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका के कर्मचारियों ने अपनी माँगों के समर्थन में 27 सितम्बर, 1967 को 'टाउन हाल' के बाहर प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या हैं; और

(ग) इस विवाद को हल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हाँ।

(ख) माँगें निम्नलिखित के बारे में हैं:—

(1) मँहगाई भत्ते की बढ़ी हुई दरें।

(2) पेंशन योजना को क्रियान्विति।

(3) अनुग्रहपूर्वक अदायगी।

(4) चिकित्सा सुविधाएँ।

(5) आवास।

(6) प्रतिनियुक्ति पद्धति की समाप्ति।

(7) अतिरिक्त बिजली प्रभाग स्थापित करना।

(8) सवारी भत्ते के अनिर्णीत मामले तय करना।

(9) उपस्थिति नामावली के श्रमिकों की दरों में वृद्धि।

(10) मल-नाली मार्जक, मल-पम्प चालक आदि को गंदे काम के भत्ते की अदायगी।

(11) सविराम श्रमिकों को भत्ता।

(12) मेहतर-एवं-चौकीदार को 8 घंटे से अधिक समय का भत्ता।

(13) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मकानों में छत के पंखे।

(14) एक साल की सेवा के बाद पक्का करना।

(15) कुछ बरखास्त और मुअत्तल कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति।

(16) श्रमिकों के शोषण की समाप्ति।

(ग) समझौता कार्यवाही जारी है।

दिल्ली में देशी गेहूं का दिया जाना

*204. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का दिल्ली के नागरिकों को पुन: देशी गेहूँ देने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब से?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) 27 जुलाई, 1967 से दिल्ली में राशन की दुकानों द्वारा कार्डधारियों को देशी गेहूँ दिया जा रहा है।

सहकारी बैंक

*205. **श्री राम कृष्ण गुप्त**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा सहकारी बैंकों को दिये जाने वाले ऋण के ब्याज तथा प्राथमिक बैंकों द्वारा कृषकों से लिये जाने वाले ब्याज की दरों में अन्तर है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस अन्तर को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरूपदस्वामी) : (क) जी हाँ।

(ख) सहकारी ऋण ढाँचे के विभिन्न स्तरों पर जो मुनाफा लिया जाता है, यह अन्तर उसको बताता है। चूंकि सहकारी समितियों द्वारा कृषकों को दिये जाने वाले ऋणों का लगभग 60 प्रतिशत उनके अपने संसाधनों से ही आता है, और लगभग 40 प्रतिशत रिज़र्व बैंक से आता है, इसलिये मुनाफे में संचालन व्यय और अन्य स्रोतों से प्राप्त ऋणों की लागत को भी शामिल करना पड़ता है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे सहकारी बैंकों की कार्यकुशलता में सुधार करके ब्याज दरों को यथासंभव अधिक युक्तिसंगत बनायें।

जापान के साथ कृषि-सम्बन्धी सहयोग

*206. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 13 जून 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2193 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि सहयोग सम्बन्धी नया करार करने के बारे में जापान के साथ बातचीत में कहाँ तक प्रगति हुई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मामला अभी तक जापान सरकार के विचाराधीन है।

चेकोस्लोवाकिया से ट्रैक्टरों का आयात

*207. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चेकोस्लोवाकिया सरकार हाल में हुए समझौते के अनुसार भारत को 2,000 ट्रैक्टर कृषि उपयोग के लिए देने को तैयार है; और

(ख) यदि हाँ, तो समझौते की शर्तें क्या हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) चेकोस्लोवाकिया से 1,000 ट्रैक्टर तैयार स्थिति में आयात किए जायेंगे। सी० के० डी० पैक में 1,000 ऐसे ट्रैक्टरों का आयात किया जायेगा जिन्हें भारत में असैम्बल किया जाएगा। एक पूर्ण ट्रैक्टर का सी० आई० एफ० मूल्य 9,373 रुपए होगा जबकि सी० के० डी० पैक के ट्रैक्टर का सी० आई० एफ० मूल्य 9,017 रुपए होगा। ये ट्रैक्टर राज्य व्यापार निगम द्वारा मनोनीत संस्थाओं के माध्यम से वितरित किए जायेंगे। इस समय राज्य व्यापार निगम ने एग्रो-इंण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन को मनोनीत किया हुआ है और उनके माध्यम से ही ट्रैक्टरों का विक्रय व वितरण होगा।

हरियाना में कृषि विश्वविद्यालय

*208. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को हरियाना सरकार से इस आशय का कोई प्रस्ताव मिला है कि हरियाना में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) हरियाना में एक कृषि विश्व-विद्यालय की स्थापना के लिए हरियाना सरकार से अभी तक कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ही जिसके लुधियाना (पंजाब), हिसार (हरियाना) और पालमपुर (हिमाचल प्रदेश) में तीन कालिज हैं, सारे पंजाब राज्य के क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Supply of Rice to Kerala

209. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Chief Minister of Kerala, while in Delhi, on his visit lately, had given suggestions for solving the food problem of Kerala on a permanent basis ; and

(b) if so, the decision taken thereon by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The Chief Minister of Kerala did make certain suggestions regarding the systems of procurement and distribution of foodgrains.

(b) These suggestions were considered by the Conference of Chief Ministers. It was agreed that each State Government should be allowed to choose the method of procurement and distribution of foodgrains considered most suitable for that State.

Price of Sugarcane

210. **Shri Shiv Kumar Shastri** : **Shri Ram Avtar Sharma** :
Shri Srinibas Misra : **Shri Randhir Singh** :
Shri Ramavatar Shastri : **Shri Amrit Nahata** :
Shri V. Krishnamoorthi :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that sugar mills are not getting sugarcane even after its prices have been raised ;

(b) whether Government propose to further raise the prices of sugarcane ; and

(c) if not, whether sugar production is likely to suffer on this account ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No such complaint has been received except from some factories in West Uttar Pradesh.

(b) and (c) Government have fixed only a minimum price for sugaracane, but under the new sugar policy for 1967-68, the sugar factories are expected to pay prices higher than the minimum to attract supplies of sugarcane.

Sugar Production

211. **Shri Prakash Vir Shastri** : **Shri Y. S. Kushwah** :
Shri S. S. Kothari : **Shri Shiva Chandra Jha** :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the extent of success achieved so far in achieving the target fixed for the current year for the production of sugar ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : No target of production of sugar has been fixed for the current year.

Hindi Teleprinters

212. **Shri Prakash Vir Shastri** :

Will the Minister of **Communications** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 352 on the 7th June, 1967 and state :

(a) the further progress made in developing the Hindi Teleprinter ;

(b) whether the M/s Hindustan Telepritners Limited are manufacturing only English teleprinters at present, ; and

(c) if so, the reasons for being apathetic towards the manufacture of Hindi Teleprinter ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) The agreement between Hindustan Teleprinters Limited, Madras and M/s Olivetti of Italy for the supply of tooling and know-how required for the manufacture of Hindi teleprinters was concluded on 1st August, 1967 and the Hindi teleprinters are expected to be manufactured by the Hindustan Teleprinters Limited, by July, 1968.

(b) Yes.

(c) So far, there has been a large-scale demand mainly for English teleprinters. The demand for Hindi teleprinters has arisen only during the last few years. Based on the demand, the manufacture of Hindi teleprinters is now being taken up by the Hindustan Teleprinters limited.

Rotten Flour Supplied by Ration Shops in Delhi

213. **Dr. Surya Prakash Puri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state ?

(a) whether the attention of Government has been drawn to the reports regarding the supply of rotten flour from ration shops in Delhi in August last 1967 ;

(b) whether Government have investigated the reasons for supplying such rotten flour in the ration, and

(c) if so, the action taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) **and** (b) : The Chairman, Health Committee, Municipal Corporation of Delhi, informed the Delhi Administration in August '67 that the quality of atta issued by the ration depots in some cases was unwholesome and unfit for human consumption. He was requested immediately to intimate specific instances to substantiate the complaint. No specific case was brought to notice. No other complaint was received by the Delhi Administration or Government.

(c) : Does not arise.

Atta Supplied to U. P.

214. **Dr. Surya Prakash Puri :** **Shri Ramavtar Sharma :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Atta supplied to Uttar Pradesh recently for distribution through rationing was absolutely unifit for human consumption ;

(b) whether it is also a fact that the complaints in this regard have been made to the Central as well as State Governments from Hapur and surrounding areas.

(c) whether it is also a fact that on the 21st August, 1967 eighteen persons were rendered unconscious in Varanasi due to this rotten Atta and had to be admitted in the hospital;

(d) whether Government have constituted any enquiry in this matter ; and

(e) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) : Atta for distribution through the rationing system is obtained by the State Government from the local flour mills. Only one complaint regarding the atta supplied has been received from the Meerut district by the State Government. No complaint has been received by the Central Government from this area.

(c) : It has been reported by the State Government that some persons were admitted to the hospital but, on enquiry, it was revealed that they had consumed atta other than the one being distributed by the State Government.

(d) **and** (e) : The complaint received by the State Government is under their investigation. The results of the investigation are awaited from the State Government.

खरीफ फसल के प्राक्कलन

*215. **श्री श्रद्धाकर सुपकार :** **श्रीमती सुशीला रोहतगी :**
श्रीमती तारा सप्रे : **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री वाल्मीकि चौधरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में खरीफ की फसल की पैदावार के अन्तिम प्राक्कलन अब उपलब्ध हैं; और

(ख) क्या खाद्यान्न के कुल उत्पादन के 7 करोड़ टन के अनुमानित लक्ष्य तक पहुँचने की संभावना है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अभी नहीं। समस्त राज्यों में फसलों की कटाई होने के पश्चात् ही 1967–68 की खरीफ के अन्तिम अनुमान प्राप्त हो सकेंगे।

(ख) अभी 1967–68 की अवधि के लिए खाद्यान्नों के ठीक--ठीक अनुमान लगाना कठिन है। मौजूदा संकेतों के अनुसार खरीफ की फसल अच्छी होने की संभावना है और रबी के लिए भी मौसमी परिस्थितियाँ अच्छी रहीं तो 1967–68 में खाद्य का कुल उत्पादन 900 लाख टन होने की आशा है।

कमी वाले राज्यों के लिये अनाज

*216. **श्री श्रद्धाकर सूपकार : श्रीमती सुशीला रोहतगी : श्रीमती तारा सप्रे :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के कमी वाले और सूखाग्रस्त राज्यों को वर्ष 1967 के पहले दस महीनों में कुल कितना अनाज दिया गया है; और

(ख) क्या उपरोक्त मात्रा से राज्यों की माँग पूरी हो गई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) लगभग 71 लाख टन।

(ख) जी नहीं।

बाढ़ तथा भयंकर तूफान के कारण कुछ जिलों में अनाज की क्षति

217. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें इस बारे में कोई समाचार प्राप्त हुए हैं कि बालासोर, कटक तथा पुरी में भारी बाढ़ तथा भयंकर तूफान के कारण अनाज की फसलों को कितने प्रतिशत क्षति पहुँची ;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में वैकल्पिक अनाज उत्पादन या द्वितीय फसल के रूप में चावल के अतिरिक्त उत्पादन के लिए कोई नई योजनाएँ चालू की गई हैं; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या समस्या के अध्ययन के लिये केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी ने इन क्षेत्रों का दौरा किया था?

खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हाँ।

(ख) खाद्यान्नो के उत्पादन की वृद्धि के उद्देश्य से चालू वर्ष के दौरान एक वृद्धि क्रांपिग कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रबी समर 1967–68 के दौरान

3.78 लाख एकड़ भूमि में खेती करने की योजना है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएँ प्राप्त हो सकती हैं, वहाँ एक या दो अतिरिक्त फसलें उगाई जायेंगी।

(ग) जी, हाँ।

टेलीफोन पर हिन्दी अनुवाद सेवा

218. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :** **श्री शारदानन्द :**
श्री ना० स्व० शर्मा : **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री श्रीचन्द्र गोयल :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जयपुर (राजस्थान) में हाल ही में टेलीफोन पर हिन्दी अनुवाद सेवा चालू की गई है:

(ख) क्या सरकार दिल्ली सहित अन्य राज्यों की राजधानियों में भी इस सुविधा का विस्तार करना चाहती है; और

(ग) यदि हाँ, तो कब?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :(क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा मानकीकृत दूध की बिक्री

219. **श्री म० ला० सोंधी :** **श्री प्रेम चन्द्र शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण : **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री श्रीचन्द गोयल : **श्री शारदानन्द :**
श्री ना० स्व० शर्मा : **श्री अदिचन :**
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा अक्तूबर, 1967 में मानकीकृत दूध की बिक्री बन्द करने के क्या कारण थे;

(ख) क्या अधिकारी इस स्थिति का पहले पता लगाकर उचित कार्यवाही नहीं कर सकते थे;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना दूध के मूल्य में वृद्धि करने की बात सोच रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो ऐसा करने का क्या औचित्य है और क्या सरकार का विचार कम-से-कम टोन्ड और डबल टोन्ड दूध के, जिसका उपयोग कम आय वाले तथा गरीब व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, वर्तमान मूल्यों को स्थिर रखने का है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अक्तूबर में श्राद्ध, दशहरा, दीपावली आदि त्योहारों के कारण दूध की कमी होने से दिल्ली दुग्ध योजना को मानकीकृत दूध का विक्रय बन्द करना पड़ा।

(ख) योजना को ठेकेदारों के माध्यम से जितना दूध प्राप्त होने की आशा थी उतना दूध प्राप्त न हो सकने का पूर्वानुमान न लगाया जा सका।

(ग) यह विचाराधीन है।

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा क्रय होने वाले कच्चे दूध का भाव बढ़ गया है और आगे भी बढ़ने की आशंका है। दुग्ध सप्लाई करने वालों का कमीशन भी बढ़ गया है।

अप्रैल से अक्तूबर 1967 की अवधि में भैंस के दूध के क्रय मूल्य तथा पिछले साल की इसी अवधि के क्रय मूल्य के बारे में जानकारी निम्न प्रकार है:—

	1966 (क्विन्टल)	1967 (क्विन्टल)
अप्रैल	76.20	90.27
मई	85.37	98.25
जून	89.20	103.42
जुलाई	84.32	104.34
अगस्त	75.56	93.46
सितम्बर	70.44	86.28
अक्तूबर	70.80	89.40

सरकार ने दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बेचे जाने वाले विभिन्न प्रकार के दूध के मूल्य के बारे में कोई निर्णय नहीं किया है।

इंजीनियरी स्नातकों में बेरोजगारी

220. **श्री म० ल० सोंधी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में लगभग 300 बेरोजगार इंजीनियरी स्नातकों ने "बेरोजगार इंजीनियर समिति" बनाई है;

(ख) क्या उनमें से कुछ स्नातकों का विद्या सम्बन्धी रिकार्ड बहुत अच्छा रहा है परन्तु इसके बावजूद वे छः मास से भी अधिक समय से बेरोजगार हैं;

(ग) क्या कुछ बेरोजगार इंजीनियरों को विक्रेता, बीमा एजेन्ट, अध्यापक जैसी नौकरियाँ देने की पेशकश की गई थी जो बिल्कुल ही गैर-तकनीकी प्रकार की थी; और

(घ) उन्हें उपयुक्त स्थानों पर लगाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) दिल्ली के नियोजन कार्यालयों में दर्ज कुछ बेरीजगार इंजीनियरों को, इंजीनियरिंग प्रतिष्ठानों में विक्रय-प्रतिनिधि और तकनीकी संस्थाओं में प्राध्यापक/अध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए भेजा गया था। नियोजकों ने, इन पदों के लिए, इंजीनियरिंग की योग्यता निश्चित की थी।

(घ) आशा है पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन चल रहे विभिन्न विकास कार्यक्रमों के कारण बेरोजगार लोगों को जिनमें इंजीनियरिंग स्नातक भी शामिल हैं, बढ़े हुए रोजगार अवसर मिलेंगे।

दिल्ली में दालों के मूल्य

*221. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में इस समय दालों के जो मूल्य हैं वह गत वर्ष इन्हीं दिनों में उनके मूल्य से लगभग दुगुने हैं;

(ख) क्या मूंग और उड़द की अच्छी फसल होने के बावजूद इन अत्यावश्यक खाद्य पदार्थों के मूल्य बढ़ गए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो मूल्यों में इतनी तेजी से वृद्धि होने के क्या कारण हैं तथा इस वृद्धि को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सितम्बर-अक्तूबर, 1966 और 1967 के दौरान दिल्ली में दालों के सप्ताहान्त मूल्य बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०** 1514/67]।

(ख) और (ग) दालों के मूल्यों में अधिक वृद्धि होने का मुख्य कारण यह है कि भारत में 1966-67 में 1965-66 की अपेक्षा इसका कुल उत्पादन कम रहा और इसके निर्यात में वृद्धि हुई। देश में दालों के लाने ले जाने पर कोई रोक नहीं है। न ही इस सम्बन्ध में कोई रोक लगाने का विचार है। दालों के निर्यात पर रोक लगा दी गई है।

दिल्ली टेलीफोन डाइरेक्टरी में टेलीफोन के गलत नम्बर

*222. **श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष की दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी में तथा इसके अनुपूरक अंक में बहुत से टेलीफोन नम्बर गलत दिए गए हैं जिससे अभिदाताओं को बहुत असुविधा हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या गलत नम्बरों को ठीक करने के लिये कार्यवाही की गई है, और उक्त गलती के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) टेलीफोन डायरेक्टरी (अगस्त 67 के संकस्रण में) गलतियों की संख्या पिछले वर्षों में प्रकाशित डायरेक्टरियों की गलतियों से अधिक रही है। राजपथ के टेलीफोन केन्द्र के चालू हो जाने, एक टेलीफोन केन्द्र के क्षेत्रों के दूसरे टेलीफोन केन्द्र में स्थानान्तरित हो जाने तथा 5 अंकों वाले कुछ टेलीफोन नम्बरों के 6 अंकों वाले टेलीफोन नम्बरों की प्रणाली में बदल जाने के कारण इस टेलीफोन डायरेक्टरी में 25,000 प्रविष्टियों में परिवर्तन करने पड़े। ये परिवर्तन प्रत्येक संस्करण में सामान्यतः होने वाले उन 15% परिवर्तनों के अलावा थे जो कि बहुत से सरकारी तथा गैर-सरकारी टेलीफोन कनेक्शनों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने के कारण किए जाते हैं।

(ख) अगस्त 1967 की टेलीफोन डायरेक्टरी का कोई अनुपूरक अंक नहीं निकाला गया है। डायरेक्टरी के आगामी संस्करण में उपयुक्त संशोधन करने के लिये गलत नम्बरों की वे

भूलें नोट कर ली गई हैं जिनका पता चला है या जिनकी सूचना प्राप्त हुई है। साथ ही यह देखने के लिए कि डायरेक्टरी के आगामी संस्करणों में गलतियों की संख्या कम से कम रहे, बेहतर तौर तरीके निकाले जा रहे हैं। दिल्ली की टेलीफोन डायरेक्टरी का आगामी संस्करण मार्च 1968 तक निकल जाने की संभावना है।

Automatic Telephone Exchange in Raipur

223. **Shri Lakhan Lal Gupta** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an automatic telephone exchange is proposed to be installed in Raipur (Madhya Pradesh) ; and

(b) if so, when this work is likely to be completed ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes.

(b) The proposed Automatic Telephone Exchange is likely to be installed at Raipur in 1972.

मध्य प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति

224. **श्री मणीभाई जे० पटेल** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1967 को समाप्त होने वाले अर्ध वार्षिक अवधि में मध्य प्रदेश में विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में कितने शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के नाम दर्ज थे;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति थे; और

(ग) उक्त अवधि में मध्य प्रदेश में इन काम दिलाऊ दफ्तरों के माध्यम से कितने शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिल सका है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में 30 जून, 1967 को नौकरी चाहने वाले 71,136 शिक्षितों (मैट्रिक और इससे अधिक) के नाम दर्ज थे।

(ख) 31 दिसम्बर, 1966 को अनुसूचित जाति के 4,477 और अनुसूचित आदिम जाति के 1,772 उम्मीदवारों के नाम चालू रजिस्टरों में दर्ज थे। **

(ग) जनवरी से जून 1967 के बीच 8964 उम्मीदवारों को नियुक्ति सहायता दी गई।

समुद्र तट पर काम करने वाले श्रमिकों की शिकायतें

225. **श्री मणीभाई जे० पटेल** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 24 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 115 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न पत्तन न्यासों के नियंत्रण में समुद्र तट पर काम करने वाले 'बी' वर्ग के श्रमिकों की शिकायतों पर विचार करने के लिए नियुक्त जाँच न्यायालय ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

**जानकारी वर्ष में एक बार दिसम्बर माह में इकट्ठी की जाती है।

(ख) यदि हाँ, तो उसमें क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हाँ।

(ख) रिपोर्ट की एक प्रति सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) उसमें की गई सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

पश्चिम बंगाल में पुनर्वास सम्बन्धी काम का पुनरीक्षण

226. **श्री मणीभाई जे० पटेल** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में पुनर्वास सम्बन्धी काम का पुनरीक्षण करने वाली समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है और अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) समिति के कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) बंगाल में पुनर्वास कार्य निरीक्षण समिति ने अभी अपना कार्य समाप्त नहीं किया है। ऐसा समझता हूँ कि समिति शीघ्र ही एक अन्तरिम प्रतिवेदन सरकार को देगी।

(ग) समिति के विधान सम्बन्धी संकल्प में समिति से यथाशीघ्र प्रतिवेदन देने को कहा गया है।

"Roses in India" Published by I. C. A. R.

227. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a book "Roses in India" has been brought out by the Indian Council of Agricultural Research ;

(b) whether the said book has been priced at Rs. 38.50 and that 250 complimentary copies of the same valued at Rs. 10,000 approximately have been distributed ; and

(c) whether Government have tried to ascertain the utility of the book ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes. The book is entitled 'The Rose in India'.

(b) The sale price of the book is Rs. 36.50. The total number of complimentary copies of the book, distributed, is 87 only.

(c) 'The Rose in India' was sponsored on the recommendation of the Floriculture Committee, the Board of Research and the Advisory Board of the Indian Council of Agricultural Research, since it was felt that the work on rose in India had advanced sufficiently to merit compilation of the results of practical value. There was earlier no such publication available. Therefore, the book was published to meet the persistent demand from floriculturists, gardeners and rose enthusiasts for a comprehensive manual on rose culture. 'The Rose in India' is the first book of its kind that gives detailed information on all

aspects of rose growing in India and commercial manufacture of perfumes of rose products. The Rose is the most important floricultural crop of the country and the book, having great practical utility to the growers, the industry and libraries, has been widely welcomed specially by the rose lovers.

Cultivation of Food Crops

228. **Shri Raghuvir Singh Shastri** :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have allocated Rs. 2 crores approximately during the current year to assist the States in preventing the cultivation of foodgrains on land where commercial crops were grown previously ; and

(b) if so, the propriety of such a step, keeping in view the food shortage in the country?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Lions in Gir Forest

229. **Shri Maharaj Singh Bharti**: **Shri K. P. Singh Deo** :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the main attraction of the foreign tourists is 250 lions living in the Gir Forest ;

(b) whether Government are aware that the farmers whose cattle are killed by these lions poison these lions ; and

(c) if so, the advice and the help given by the Central Government to the Government of Gujarat to preserve and develop this Centre of tourist attraction ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) Yes, Sir. Precise information about the number of lions is, however, not available.

(b) Yes. Recently on the basis of a news item an enquiry was made from the Government of Gujarat about the death of lions. The State Government reported that one lioness and four cubs had died as a result of suspected poisoning. The alleged culprit had been apprehended and necessary action was instituted against him.

(c) "Protection of Wild Life and Birds" is a 'State Subject' under the Constitution. The State Government have, however, not approached the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation for any advice or help in this connection, in the recent past.

Engines for Fishing Boats

230. **Shri Maharaj Singh Bharti** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state ?

(a) whether it is a fact that good quality engines for fishing boats are not being manufactured in the country ;

(b) if so, the steps taken by Government in this connection ; and

(c) whether it is also a fact that the Ruston engine has proved to be the best for this purpose and if so, the progress made so far to manufacture complete Ruston engines in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde):

(a) Marine diesel engines manufactured in the country are almost entirely high revolution engines. More than 50% of the engines required for the mechanization programme are for trawling for which low revolution engines are more suitable and are preferred by users.

(b) As the main problem is to meet the need of low revolution engines, a proposal for establishment of a company in the public sector with foreign collaboration is under consideration. In the meantime the feasibility of indigenous producers diversifying their production so as to cover the requirement of low revolution engines is also being examined.

(c) Ruston engines are also high revolution engines and, as explained in the answer to part (a) of the question, the shortfall in indigenous production is in the category of low revolution engines. The percentage of indigenous components in Ruston engines varies from 83 to 93 per cent for their four models.

Development of Fisheries in Gujarat

231. **Shri Maharaj Singh Bharti**: Will the Minister of **Food & Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that with a view to develop fisheries in the sea of Gujarat, some American firms have sought permission for fishing, canning, preparing other by-products of fish and to export them ;

(b) if so, the decision taken by Government in this regard ; and

(c) whether it is also a fact that the Government of Gujarat are not in favour of the development of fisheries there ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, and Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) An American firm has made inquiries regarding the feasibility of establishing a fish processing plant in the country. They have also visited Gujarat in this connection and are in correspondence with the Govt. of Gujarat on the subject.

(b) No formal proposal has been received from the firm.

(c) No. It is not correct to say that Government of Gujarat is not in favour of development of fisheries. The Government of Gujarat had planned an outlay of Rs. 129.14 lakh in the Third Five Year Plan ; the actual expenditure in the Third Plan on development of fisheries actually exceeded this amount. In the Fourth Five Year Plan the Government of Gujarat have proposed an expenditure of Rs. 461 lakhs. The programmes of the State include mechanisation of fishing boats, establishment of refrigeration plants and provision of transport and landing and berthing facilities, and significant progress has already been made in all these spheres.

कंटाई उपखण्ड (पश्चिम बंगाल) में खाद्यान्न की कमी

232. **श्री समर गुह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में कंटाई उपखंड तथा मिदनापुर जिले के अन्य स्थानों में, जहाँ हाल में भीषण बाढ़ आई थी, दस लाख से अधिक व्यक्ति भयानक खाद्य संकट तथा बड़े पैमाने पर भुखमरी का शिकार हो रहे हैं और क्या इस क्षेत्र में हाल में खेती की गई लगभग 4 लाख एकड़ भूमि पूरी तरह नष्ट हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो कटाई उपखंड तथा आसपास के अन्य क्षेत्रों ने बाढ़ से उत्पन्न खाद्य संकट तथा भुखमरी की स्थिति को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को सहायता देने के हेतु राहत कार्यों के रूप में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या सरकार ने इन बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के किसानों को पश्चिम बंगाल सरकार के माध्यम से अपेक्षित बीज, उर्वरक, कृषि ऋण, पम्प आदि देकर उनकी सहायता करने के लिए कोई उपाय किए हैं, ताकि वे स्वयं अपने पुनर्वास के उपाय करने और अपने बाढ़ग्रस्त धान के खेतों में कोई दूसरी फसलें पैदा करने का प्रयत्न कर सकें?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) यह सच है कि सितम्बर 1967 में बाढ़ के परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार द्वारा सहायता कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार ने सूचना दी है कि वह स्थानीय अधिकारियों से इन कार्यों का विस्तृत ब्यौरा इकट्ठा कर रही है। यह ब्यौरा प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को बाढ़ सहायता के लिए 50 लाख रु० का ऋण दिया है। केन्द्रीय दल ने पश्चिम बंगाल का दौरा कर लिया है और राज्य सरकार को अग्रतर सहायता दल का प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् दी जायेगी।

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में निःशुल्क वितरण के लिए खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकार को 2000 टन मकई आवंटित की है। बाढ़ और सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में मुफ्त खाना खिलाने के लिये अक्तूबर में पश्चिमी बंगाल को उपहार स्वरूप प्राप्त गेहूँ में 500 टन गेहूँ दिया गया था। बाढ़ सहायता के लिये भारतीय लोगों की अकाल न्यास निधि में से भी 25000 रु० की रकम दी गई है।

'अर्गट' रोग लग संकर बाजरे के बीज

*233. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : **श्री मोहन स्वरूप** :
श्री प्र० न० सोलंकी:

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संकर बाजरे के बीजों का, जिन्हें अर्गट लगा पाया गया, कहाँ विकास किया गया था;

(ख) इसके मूल्य का उचित मूल्यांकन किए बिना इसे बोने के लिए क्यों बाँटा गया;

(ग) इस गलती के कारण फसल की क्षति के रूप में कुल कितनी हानि होगी; और

(घ) इन्हें किन राज्यों में उगाया गया था और उपरोक्त गलती के कारण किस हद तक उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) संकर बाजरा नं० 1 को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में विकसित किया गया था और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सेन्ट्रल वैरायटीज़ रिलीज़ कमेटी ने इसे मार्च 1965 में बुवाई के लिए जारी किया था।

(ख) कृषकों को बीज का वितरण करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। जिन प्लाटों में यह बीज उत्पन्न किया गया था उनमें अर्गट का कोई प्रभाव देखने में नहीं आया। बीज को साफ करके हवा तथा स्क्रीन मशीन से उसका वर्गीकरण किया गया और उसके पश्चात् फफून्दनाशक व कीटनाशक घोल से उसका उपचार किया गया था। हाल ही में एच० बी० 1 बीज के मौजूदा स्टाक के सैम्पलों की जाँच से पता चला है कि बीज पर अर्गट का कोई प्रभाव न था।

(ग) और (घ) बाजरा उत्पादन करने वाले राज्यों में 1967 के पिछले खरीफ मौसम में हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मद्रास तथा दिल्ली संघ क्षेत्र में अर्गट का प्रभाव देखा गया। केन्द्रीय कृषि विभाग के प्रतिनिधियों ने रोग के प्रभाव का पता लगाने, उस के कारण जानने तथा उसकी रोकथाम के उपाय सुझाने के लिए रोगग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण किया था। उनकी रिपोर्ट से पत चला है कि इस रोक का प्रभाव संकर बाजरे तथा बाजरे की स्थानीय किस्मों पर एक-सा पड़ा है परन्तु मद्रास में केवल संकर बाजरे पर रोग का प्रभाव पड़ा है। समस्त राज्यों में अर्गट से एक सी हानि नहीं हुई है। रोग से प्रभावित राज्यों में स्थिति यह रही है कि संकर बाजरे व स्थानीय बाजरे की बुवाई के क्षेत्र का 0·1 से 18 प्रतिशत भाग रोग से प्रभावित हुआ। ऐसा कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है जिससे पता चले कि उत्पादन को कितनी हानि हुई है।

खाद्यान्न का निर्यात

234. **श्री जार्ज फरनेन्डीज़** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में भारत द्वारा कौन-कौन सा अनाज तथा कितनी-कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ख) यह निर्यात किन-किन देशों को किया गया;

(ग) खाद्यान्न का निर्यात किस-किस मूल्य पर किया गया; और

(घ) खाद्यान्न के निर्यात द्वारा कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ) पूछी गई जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

इण्डिया स्टीमशिप कम्पनी तथा इण्डियन शिपिंग कम्पनी में नौकरी की शर्त

235. **श्री अब्राहम** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि इण्डिया स्टीमशिप कम्पनी के लिपिक कर्मचारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों की तथा अमेरिकन एक्सपोर्ट आई स्ब्रांटसेन लाइन्स के, जिसका प्रबन्ध अभिकर्ता इण्डियन शिपिंग कम्पनी है, लिपिक कर्मचारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों की नौकरी की शर्तों में अन्तर है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस भेदभाव को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :(क) इंडियन शिपिंग कम्पनी से अभिप्राय संभवतः इंडिया स्टीमशिप कंम्पनी से है। यह कम्पनी अमेरिकन एक्सपोर्ट आईस्ब्रांटसेन लाइन्स की प्रबन्ध अभिकर्ता नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली दुग्ध योजना का घी

236. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा घी तैयार किया जाता है जबकि वह मानकीकृत दूध के लिए लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा तैयार किया गया घी केवल संसद सदस्यों अथवा कुछ चुने हुए अधिकारियों को दिया जाता है और यदि हाँ, तो इस विभेद के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) जी हाँ। अचानक दूध की उपलब्धि कम हो जाने के कारण दिल्ली दुग्ध योजना अक्तूबर/नवम्बर, 1967 में लगभग 22 दिन तक मानकीकृत दूध सप्लाई न कर सकी। इसके स्थान पर कम चिकनाई वाला टोन्ड दूध सप्लाई किया गया। खट्टे हो जाने वाले दूध की क्रीम से तथा उस अवधि में तैयार किये गये टोन्ड दूध से प्राप्त होने वाली फालतू चिकनाई से 2,932 किलोग्राम घी तैयार किया गया।

(ग) उत्तर नहीं में है।

विभिन्न मंत्रालयों की अनौपचारिक सलाहकार समितियों का गठन

237. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **संसद-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) कितनी अनौपचारिक सलाहकार समितियों का अब तक गठन किया गया है;

(ख) किन-किन मंत्रालयों में ऐसी समितियों की व्यवस्था नहीं है और उसके क्या कारण हैं और उनका गठन करने में कितना समय लगेगा; और

(ग) जिन सलाहकार समितियों का गठन हो चुका है, क्या उनकी बैठक कम से कम एक बार हो चुकी है अथवा नहीं ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा०राम सुभग सिंह) : (क) 30 अनौपचारिक सलाहकार समितियों (23 समितियों का गठन बजट अधिवेशन में तथा 7 समितियों का गठन उसके बाद किया गया) ।

(ख) पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की अनौपचारिक सलाहकार समिति का गठन अभी तक नहीं किया जा सका है क्योंकि इसकी सदस्यता के इच्छुक सदस्यों की संख्या कम थी। इस समिति का गठन सदस्यों की यथेष्ट मात्रा में इच्छा व्यक्त करने पर कर दिया जायेगा।

(ग) 23 समितियों में से 17 समितियों की बैठकें पिछले अधिवेशन में हो चुकी हैं। मंत्रालयानुसार अब तक की गयी बैठकों की संख्या इस प्रकार है:—

क्रम संख्या	मंत्रालय का नाम	बैठकों की संख्या
1	वाणिज्य	1
2	प्रतिरक्षा	1
3	शिक्षा	1
4	वैदेशिक कार्य	1
5	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार	2
6	स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन	1
7	गृह	1
8	श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास	1
9	विभिन्न क्षेत्रीय रेलें (9 समितियाँ)	9
	योग	18

Damage to wheat in Transit from Bombay to Moradabad.

238. **Shri Nihal Singh**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that imported wheat in 600 bags, consigned on the 31st May 1967 from Bombay to Moradabad, became rotten on account of carelessness of the Railway Department ;

(b) if so the action taken by Government in this connection ; and

(c) the amount of loss to Government as a result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) to (c) : The State Government of U. P. have reported that a consignment of wheat containing 600 bags was sent from Bombay to a flour mill in Moradabad in an open wagon which reached the destination on the 21st July 1967, after transhipment at Mughal Serai. The consignment was found to have been affected by rain. Delivery of 230 bags from this consignment was taken by the Mill and the remaining 370 bags of damaged grain left with the Railways. The Mill has lodged a claim direct with the Railways for over Rs. 18,600 being the value of wheat contained in the 370 bags. Further details are awaited.

Recovery of Telephone Wire in Prayag

239. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that telephone wire weighing eight maunds was recovered in Prayag in August, 1967 ;

(b) if so, the action taken by Government against the persons involved and the number thereof ; and

(c) the place from which this wire had been brought ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (**Shri I. K. Gujral**) : (a) It is a fact that telephone wire weighing 235 kgs. has been recovered in Prayag (Allahabad town) Keetganj Police Thana.

(b) Three persons have been arrested in this connection and proceedings are going on in the court of the city magistrate, Allahabad.

(c) The truck carrying the copper wire was proceeding from Lucknow towards Varanasi via Pratapgarh and was caught at Allahabad. It has not yet been established as to where-from the wire was brought.

Rayon Factories

240. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6718 on the 26th July, 1967 and state :

(a) whether Government have since collected information regarding the rayon factories in States which have implemented the recommendations and also of those which have not implemented the recommendations made by the erstwhile organisation of the Chief Adviser of Factories ;

(b) if so the details thereof ; and

(c) if not, the time likely to be taken for the same ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (**Shri Hathi**):

(a) Yes.

(b) A statement is laid on the Table of the Sabha. [**Placed in library, Sec No. LT—1515/67**]

(c) Does not arise.

न्यू कैसरे-हिन्द मिल्स, बम्बई द्वारा भविष्य निधि की राशि का भुगतान

241. **श्री श्रीधरन :** **श्री कामेश्वर सिंह :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 9 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8496 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स न्यू कैसरे-हिन्द मिल्स, बम्बई ने इस बीच कर्मचारी भविष्य निधि में देय बकाया राशि जमा कर दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) इस प्रतिष्ठान के प्रबन्धकों ने आर्थिक कठिनाइयाँ बताकर भविष्य निधि का बकाया राशि जमा नहीं की।

(ग) भविष्य निधि की बकाया राशि वसूल करने के लिए राजस्व वसूली और अभियोजन कार्यवाहियाँ शुरू कर दी गई हैं। महाराष्ट्र सरकार को भी भविष्य निधि की बकाया राशि को भूराजस्व के बकाया की तरह वसूल करने के लिए लिख दिया गया है। विश्वास-भंग का एक फौजदारी मामला भी न्यायालय में विचाराधीन है।

गोदी कर्मचारियों की माँगें

242. **श्री श्रीधरन :** **श्री कामेश्वर सिंह :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 9 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1694 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) क्या अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी कर्मचारी संघ (फेडरेशन) की माँगों की जाँच इस बीच पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनकी माँगों को पूरा करने के मामले में सरकार का विचार किस हद तक हस्तक्षेप करने का है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) इन माँगों पर अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ अगस्त, 1967 में विचार-विमर्श किया गया और 10 अगस्त, 1967 को संघ के प्रतिनिधियों के साथ एक समझौता किया गया। इस समझौते को लागू करने के लिए पहले ही कदम उठाए गए हैं।

वन शिक्षा निर्देशालय द्वारा धन का दुरुपयोग

243. **श्री श्रीधरन :** **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) क्या केन्द्रीय जाँच विभाग ने वन शिक्षा निर्देशालय द्वारा धन के दुरुपयोग के बारे में जाँच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) सी० बी० आई० की रिपोर्ट पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सम्मति की प्रतीक्षा की जा रही है।

डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की सुविधायें

244. **श्री क० लक्कप्पा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक तथा तार विभाग नें बंगलौर से बम्बई, दिल्ली, पूना और हैदराबाद को डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की सुविधायें देने का कोई कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसे कब क्रियान्वित किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो मुख्य नगरों में सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की सुविधाओं की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हाँ।

(ख) बंगलौर से बम्बई, दिल्ली तथा पूना के लिए डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन मिलाने की सुविधा 1968-69 के दौरान उपलब्ध हो जाने की संभावना है। बंगलौर और हैदराबाद के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन मिलाने की सुविधा पाँचवीं योजना में उपलब्ध हो जाने की संभावना है।

(ग) जैसा कि देखा जा सकता है बंगलौर को महत्वपूर्ण स्थानों से जोड़ने की योजनाएँ बनाई गई हैं। फिर भी इसमें भारी पूंजी लगाने की जरूरत पड़ेगी। अतः इस कार्यक्रम को कई चरणों में कार्यान्वित करना पड़ेगा।

मैसूर में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र

245. **श्री क० लकप्पा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मैसूर राज्य में बड़े स्वचालित टेलीफान केन्द्रों की संख्या क्या है;

(ख) यदि वहाँ पर बड़े स्वचालित टेलीफोन केन्द्र नहीं हैं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस मामले में कोई योजना बद्ध कार्यक्रम है?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) तीन (बंगलौर, हुबली और मंगलौर)।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जो, हाँ। मैसूर स्वचल टेलीफोन केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। दूसरे 12 मुख्य स्वचल टेलीफोन केन्द्रों को कई चरणों में स्थापित करने की योजनाएँ तैयार की गई हैं।

अनाज के मामले में आत्म निर्भरता

246. **श्री पार्थसारथी** : **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्री ने 8 सितम्बर, 1967 को लन्दन के एक संवाददाता सम्मेलन में यह कहा था कि आशा है कि 1975 या 1976 तक भारत अनाज के मामले में आत्म-निर्भर हो जायेगा: और

(ख) क्या अनाज के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर होने के सम्बन्ध में यह हमारी नई समय-सीमा है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख): जी नहीं। वित्त मंत्री ने कहा था कि व्यापार तथा जलवायु अनुकूल रहे तो भारत 1975 तक आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो जायेगा।

मछली पालन प्रशिक्षण केन्द्र

247. **श्री पार्थ सारथी**: क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मछली उद्योग में प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी को पूरा करने के लिए जापान की सहायता से जहाँ का मछली उद्योग बहुत ही आधुनिक है, एक मछली पालन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के बारे में सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो देश में मछली पालन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिये कौन-कौन से स्थान चुने गये हैं?

खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) और (ख) : जी नहीं। मत्स्यों के विकास के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने बम्बई में मत्स्य अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र

स्थापित किया है जो सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ फिशरीज़ एजूकेशन, कहलाता है और इसकी छोटे अधिकारियों के लिए कलकत्ता (बैरकपुर) में इसकी एक शाखा भी है। विभिन्न राज्यों में फील्ड स्टाफ के लिए उनके प्रशिक्षण केन्द्र हैं और आगरा और हैदराबाद में भारत सरकार ने हाल ही में देशीय कार्यों के लिए दो संस्थायें खोली हैं। भारत सरकार ने जहाजरानी प्रशिक्षण के लिए एर्नाकुलम में सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ फिशरीज आपरेटिव्ज की स्थापना की है और दूसरा यूनिट मद्रास में स्थापित किया जा रहा है। समुद्र तटीय राज्यों ने भी समुद्री कार्यों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र भी स्थापित किए हैं। मैसूर सरकार ने जापान के सहयोग से बंगलौर में मत्स्य प्रक्रिया के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया है। इन्डो नोर्वेजियन प्रोजेक्ट भी मत्स्य प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्रदान करता है।

बिहार में अनाज का उत्पादन

249. **श्री शशि भूषण बाजपेयी:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका तथा जापान से एक सर्वेक्षण दल बुलाने का सरकार का विचार है जो बिहार के किसानों कों ऐसे उपायों द्वारा सूखा तथा बाढ़ की स्थिति का सामना करके अनाज का उत्पादन बढ़ाने के बारे में बतायेंगे, जो उपाय 30 वर्ष पहले अपने देशों में ऐसी ही परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर उन्होंने किये थे;

(ख) यदि हाँ, तो इस दल के कब आने की सम्भावना है;

(ग) उसमें कौन-कौन व्यक्ति होंगें; और

(घ) इस दल पर होने वाला व्यय कैसे वहन किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि उपकरणका निर्माण

250. **श्री भूषण बाजपेयी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कृषि विभाग ने नये तथा उत्तम प्रकार के कृषि उपकरण बनाने की एक योजना काश्मीर सरकार को भेजी है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीअन्नासाहिब शिन्दे): (क) कृषि विभाग के विस्तार निर्देशालय में नये तथा सुधरे कृषि उपकरणों के निर्माण के लिए काश्मीर सरकार को कोई योजना नहीं भेजी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Prices of Sugarcane

251. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the minimum price of sugarcane and the controlled price of sugar in the year 1947-48;

(b) how the proportions between the minimum prices of sugarcane and controlled prices of sugar in the years 1947-48, 1948-49 and 1949-50 compare with their prices prevailing at present and the reasons for the difference, if any ; and

(c) the steps taken by Government to bring them at the same proportion ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) **and** (b) : The minimum price of sugarcane in 1947-48 in U. P. & Bihar was Rs. 5.36 per quintal. There was no control on the price of sugar in that year or in 1948-49. The minimum price of cane in 1949-50 was Rs. 4.34 per quintal in U. P. and Rs. 4.47 per quintal in Bihar and the controlled ex-factory price of sugar was Rs. 77.46 per quintal for D-29 grade. The proportions of constituents of sugar prices in 1949-50 and 1966-67 are as follows :

	1949-50	1966-67
	%	%
Cane price	56.2	41.8
Extra cost on cane	2.6	2.3
Taxes	16.0	29.9
Manufacturing expenses including return on capital employed.	25.2	26.0
	100.0	100.0

The differences in the figures for the two years is largely due to the increase in taxes and changes in cost structure of sugar.

(c) : The Government of India have increased the basic minimum price of sugarcane to Rs. 7.37 per quintal and reduced the excise duty by Rs. 8.35 per quintal on sugar produced in 1967-68. The effect of these will be an increase of about 9% in the proportion of cane price in the price of sugar.

कीटनाशक औषधि संवर्द्धन बोर्ड

252. **श्री भोगेन्द्र झा : श्री अदिचन :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान संबंधी राष्ट्रीय परिषद् ने सरकारी क्षेत्र में कीटनाशक संवर्धन बोर्ड और उर्वरक संवर्धन बोर्ड की स्थापना की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उसमें क्या निर्णय किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। 1964 में व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद् ने सिफारिश की थी कि उर्वरक के प्रयोग की वृद्धि के लिये एक स्वतन्त्र संगठन की स्थापना की जानी चाहिए और उसकी सेवाओं में तकनीकी सलाह तथा विक्रय वृद्धि को शामिल किया जाना चाहिए। 1965 में उर्वरकों सम्बन्धी समिति ने भी इसी प्रयोजन के लिए एक प्रोमोशन

कारपोरेशन की स्थापना की सिफारिश की थी । जुलाई 1967 में प्रकाशित पुस्तक में परिषद् ने कीटनाशक औषधि संवर्द्धन बोर्ड की स्थापना के लिए सुझाव दिया है।

(ख) उर्वरक प्रदर्शन तथा भूमि परीक्षण सेवा उर्वरक वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं । चौथी योजना में इन कार्यक्रमों को तीव्र करने के लिए व्यवस्था की जा रही है । इस प्रयोजन के लिए एक स्वतन्त्र एजेन्सी स्थापित करने के प्रश्न पर अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है । कीटनाशक औषधि संवर्द्धन बोर्ड की स्थापना के सम्बन्ध में परिषद के सुझाव पर भी विचार हो रहा है।

Samastipur Sugar Mills

253. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the enquiry committee set up under the Industries (Development & Regulation) Act 1951 to consider the taking over of the Samastipur Central Sugar Mills by Government has submitted its report ; and

(b) if so, when this mill is going to be taken over by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) : Yes, Sir

(b) : The report submitted by the enquiry committee is under consideration.

Damage of Wheat in Transit

254. **Shri Y. S. Kushwah**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that one thousand bags of imported wheat were damaged in transit from Bombay to Kanpur due to heavy rains ;

(b) whether it is also a fact that a large quantity of wheat meant for despatch from Bombay to other places was also damaged due to rains ;

(c) if so, whether Government have enquired into the matter with a view to know whether damage to wheat was caused by negligence on the part of officers ; and

(d) the value of the wheat damaged and the reaction of the Central Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) to (d) : In the absence of any indication about the period during which the alleged damage has taken place it is not possible to give any precise information. However, during the years 1966 and 1967 acute scarcity conditions prevailed in many parts of the country and enormous quantities of foodgrains had to be rushed from ports directly to the consuming centres. It was not possible for the Railways to provide the required number of covered wagons for the movement of all these quantities. In view of the urgent necessity for supplying foodgrains to some of these areas, part of the supplies had to be transported in open wagons even during the monsoons. Inspite of all precautions to cover the open wagons with tarpaulins properly lashed and frequent checks enroute some quantities of foodgrains did get affected by rain during transit. Despatches from Bombay to U. P. had also under these pressing circumstances to be made partly in open wagons. This was a calculated risk which had to be taken and was not a matter of negligence on the part of anyone. After drying and

salvaging of consignments of foodgrains affected by rain, the quantities found ultimately unfit for human consumption or even for animal or poultry feed are negligible.

Sugar Production

255. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of sugar mills in the country and the State-wise production of sugar in 1966 ;

(b) the quantity of sugar exported to foreign countries during the last five years and the amount of foreign exchange earned thereby ; and

(c) the rate at which sugar was sold to other countries ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) Statewise production of sugar during 1966-67 season (1st October, 1966 to 30th September, 1967) is as under :

State	*No. of factories in1966-67*	*Production (000 tonnes)*
Uttar Pradesh	71	711
Bihar	29	211
West Bengal	1	8
Assam	1	6
Haryana	3	48
Punjab	5	35
Rajasthan	2	8
Madhya Pradesh	5	8
Orissa	2	9
Maharashtra	33	638
Gujarat	3	42
Mysore	9	82
Kerala	3	10
Andhra Pradesh	19	145
Madras	15	178
Pondicherry	1	12
Total (All India)	201	2,151

(b) and (c) : The information is as under :—

Year (Jan-Dec.)	*Quantity of sugar exported (lakh tonnes)*	*Total Foreign exchange earned (Rs. crores)*	*Average foreign exchange relisation (Rs. per tonne)*
1962	3.73	14.76	396
1963	4.79	32.32	675
1964	2.34	19.08*	815*
1965	2.67	11.30*	423*
1966	4.41	18.02*	409*

*Provisional.

Wheat Production and Import

256. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state ;

(a) the quantity of wheat produced in the country during 1966 ;

(b) the quantity of wheat imported together with the names of the countries from which imported ;

(c) the amount of foreign exchange spent thereon ; and

(d) the expenditure incurred by Government on the transhipment of the imported wheat ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) 10.4 million tonnes during the agricultural year ending the 30th June, 1966.

(b) 7.8 million tonnes during the calendar year 1966. A statement indicating the countries from which the wheat and wheat flour were imported is laid on the Table of the House. **[Placed in Library, See. No. LT 1516/67]**.

(c) Rs. 9.3 crores in foreign exchange was spent on account of the cost alone of the commodity. Payment in respect of wheat imported from U.S.A. under PL-480 was made in rupees.

(d) : Rs. 63.9 crores.

दक्षिण भारत में संसद का सत्र

257. **श्री चन्द्रशेखर सिंह:**

क्या **संसद-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण में संसद का सत्र करने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

संसद-कार्य तथा संचार मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह):

(क) और (ख) दक्षिण में संसद का एक अधिवेशन कराने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

सुपर बाजार, नई दिल्ली

258. **श्री बाबू राव पटेल:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के सुपर बाजार में सरकार द्वारा कुल कितनी राशि लगाई गई है;

(ख) उन घटिया वस्तुओं की संख्या क्या है जिनको बाजार में बढ़िया किस्म की वस्तुएं बता कर बेच दिया जाता है ;

(ग) क्या यह सच है कि सुपर बाजार के महाप्रबन्धक, जो भारतीय सहकारी संघ के सचिव भी हैं, हाल ही में एक "अध्ययन दौरे" पर विदेश गए थे ;

(घ) इस विदेश यात्रा पर कितना धन खर्च हुआ है, उन्होंने किन-किन देशों का दौरा

किया है, उनको कितनी विदेशी मुद्रा दी गई है, उनके साथ कौन-कौन व्यक्ति गये, उन्होंने किन-किन विषयों का अध्ययन किया और उससे सुपर बाजार को क्या लाभ हुआ है ;

(ङ) क्या यह सच है कि सुपर बाजार के कर्मचारी प्रबन्धक ने अपनी पत्नी के नाम में जीवन बीमा निगम का शाखा कार्यालय स्थापित किया है ;

(च) इसके आरम्भ से सुपर बाजार को कितनी हानि हुई ; और

(छ) हानि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी): (क) सरकार ने अंश पूंजी तथा ऋण के रूप में कुल 37.75 लाख रुपए की राशि लगाई है ।

(ख) सुपर बाजार का उद्देश्य बढ़िया किस्म की वस्तुएं बेचना है और इस दृष्टि से बाजार ने लेडी इर्विन कालिज के सहयोग से नमूना-जाँच करने का प्रबन्ध किया है ।

(ग) जी हां । तथापि, सुपर बाजार के महा प्रबन्धक, भारतीय सहकारी संघ के सचिव नहीं हैं ।

(घ) सुपर बाजार ने इस यात्रा का कोई खर्च वहन नहीं किया है । महा प्रबन्धक ने इटली तथा यू० के० का दौरा किया । उन्हें कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी गई । उनके साथ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं गया था । गोष्ठी का विषय सीधा सुपर मार्केटों के कार्यकरण से सम्बन्धित था ।

(ङ) सरकार को इस तथ्य की कोई जानकारी नहीं है ।

(च) 15 जुलाई, 1966, जब सुपर बाजार खोला गया था, से लेकर 30 जून, 1967, जब अन्तिम सहकारी वर्ष समाप्त हुआ, तक सुपर बाजार को 5.64 लाख रुपए का घाटा हुआ यह संख्या अस्थायी है और इसका आडिट होता रहता है ।

(छ) हानियों को रोकने के लिए ये प्रबन्ध किए जा रहे हैं :—कर्मचारियों का नवीन व्यवस्थाकरण, नए विभाग खोल कर बिक्री में वृद्धि करना और परिचालन सम्बन्धी खर्च, जैसे पैकिंग सामग्री, आदि, में कमी करना ।

गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता

259. **श्री स० मो० बनर्जी**: क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गरीब लोगों को, जो कि खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते, निःशुल्क कानूनी सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या कोई योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण):

(क) न्याय का प्रशासन राज्य का विषय है और इसलिए विधिक सहायता की स्कीमें

बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व भी राज्य सरकारों का है । जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार का इस विषय से कोई ताल्लुक नहीं है । विधिक सहायता की एक स्कीम, कुछ संघ राज्यक्षेत्रों में शुरू की गई है।

(ख) विधिक सहायता के अनुदान के लिए स्कीमें, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, केरल, गुजरात, हरयाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल राज्यों में तथा दादरा और नागर हवेली, गोवा, दमण और दीव, हिमाचल प्रदेश, पाण्डिचेरी और त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्रों में बनाई जा चुकी हैं; और

(ग) उपर्युक्त राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रवृत्त विधिक सहायता की स्कीम की मुख्य बातें दर्शित करने वाला विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 1517/67]

खाद्य सम्बन्धी मुख्य मंत्री सम्मेलन

260. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री अदिचन :
श्री देवव्रत बरुआ :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री शिवचंद्र झा :
श्री राम चरण :
श्री देवराव पाटिल :
श्री क० लकप्पा :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री गणेश :
श्री कृष्णमूर्ति :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री धोरेन्द्र नाथ देव :
श्री ना० कु० सांघी :
श्री बलराज मधोक :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री द० ब० राजू :
श्री गाडिलिंगन गौड़ :
श्री हेम राज :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1967 में दिल्ली में हुए राज्य मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में खाद्य नीति का पुनर्विलोकन किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या निर्णय किया गया; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 1518/67]

अधिक उपज देने वाली किस्मों का उत्पादन

261. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67 में अधिक उपज देने वाले किस्म के अनाज का प्रयोग सफल रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या उनका प्रयोग करने के लिए कोई विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 1519/67]

औद्योगिक श्रमिकों के लिये निर्वाह भत्ता

262. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों को निलम्बन की अवधि में निर्वाह भत्ता मिला करेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां, औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत आने वाले केन्द्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को ।

(ख) इस सम्बन्ध में इस मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 1520/67]

चूहों द्वारा खाद्यान्नों की क्षति

263. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोदामों में रखने तथा लाने ले जाने की उचित व्यवस्था के अभाव के कारण खाद्यान्नों की वार्षिक उत्पादन का औसतन लगभग 10 प्रतिशत फसल की कटाई के बाद नष्ट हो जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस क्षति के मुख्य कारण चूहे और कीड़े हैं जो गोदामों में रखे रहने की अवधि में उत्पादित खाद्यान्नों का पाँच प्रतिशत खा जाते हैं ;

(ग) क्या इस भारी क्षति को रोकने की ओर कोई ध्यान दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या परिणाम रहे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति ने सरकार को दिये गये अन्तरिम प्रतिवेदन में यह अनुभव लगाया है कि फसल के कटने के पश्चात खाद्यान्नों के लाने ले जाने को उचित

व्यवस्था न होने के कारण 9.33 प्रतिशत खाद्यान्नों की हानि होती है। जहां तक सरकार द्वारा लाये ले जाने वाले खाद्यान्न का सम्बन्ध है, औसत वार्षिक हानि 1 प्रतिशत से भी कम है।

(ख) जी हां। विशेषज्ञों की समिति ने अनुमान लगाया है कि कीड़ों और चूहों द्वारा 5.05 प्रतिशत हानि होती है।

(ग) हानि को कम से कम करने के लिये भरसक प्रयत्न किया जा रहा है।

(घ) निम्न कदम उठाये गये हैं :—

(एक) यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि अनाज को कीड़ों से बचाने के लिये जिन दवाइयों की आवश्यकता होती है वे सब देश में ही बनाई जाती हैं और प्रयोगकर्ताओं को शीघ्र उपलब्ध हो जाती हैं।

(दो) नये गोदाम इस प्रकार के बनाये जाते हैं कि जिनमें नमी और चूहों का प्रभाव न हो सके।

(तीन) राष्ट्रीय स्तर पर एक "अनाज बचाव आन्दोलन" आरम्भ किया गया था जिसमें महत्त्वपूर्ण अनाज मण्डियों और कुछ ग्रामीण केन्द्रों में अनाज जमा करने के अच्छे तरीकों को प्रदर्शित किया गया था।

(चार) अनाज को जमा करने के सम्बन्ध में प्रशिक्षण और अनुसन्धान कार्य को प्रोत्साहन दिया गया है और संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष विकास निधि की सहायता से इन सुविधाओं का और विस्तार करने का विचार है।

(पांच) आटा मिलों, चावल मिलों और अनाज के व्यापारियों के लिये यह अनिवार्य बना दिया गया है कि वे अपने स्थानों पर कीटनाशी उपायों का प्रयोग करें।

(छः) राज्य सरकारों तथा अनाज का काम करने वाले विभिन्न अन्न अभिकरणों को अनाज जमा करने के वैज्ञानिक/आधुनिक तरीकों के महत्त्व को समझाया गया है और हानि को कम करने के लिए सक्रिय उपाय करने के लिये कहा गया है।

जन-दिनों की हानि

264. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1966 में 1965 की अपेक्षा अधिक जन दिनों की हानि हुई थी ;

(ख) वर्ष 1967 में अब तक कितने जन दिनों की हानि हुई है ;

(ग) उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) जन दिनों की हानि को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) जी हां।

(ख) जनवरी से जुलाई तक हानि हुए श्रम दिनों के कच्चे आंकड़े 59.17 लाख हैं।

(ग) 1956 के दौरान श्रम दिनों की हानि में वृद्धि मुख्य रूप से मजूरी भत्ते, बोनस आदि विषयों पर हुए विवादों के कारण हुई ।

(घ) राज्य श्रम मंत्रियों से प्रार्थना कर दी गई है कि वे अपने-अपने राज्यों में क्रियान्विति मशीनरी को सुदृढ़ बनाएं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि नियोजकों और श्रमिकों द्वारा अनुशासन संहिता का श्रद्धापूर्वक पालन किया जाता है ।

कोयला खनन उद्योग सम्बन्धी मंजूरी बोर्ड

265. **श्री तुलसी दास दासप्पा :** **श्री गणेश :**
श्री राम मूर्ति : **श्री अ० क० गोपालन :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खनन उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने में सहायता देने के लिए सरकारी प्रतिनिधियों, नियोजकों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों के बीच त्रिपक्षीय विचार-विमर्श किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) कितना कोयला खानों के प्रबन्धकों ने इस बीच मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित किया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) और (ख) : मजूरी बोर्डों की सिफारिशों को आसानी से क्रियान्वित करने के लिए जुलाई और अगस्त, 1967 के महीनों में संबंधित पक्षों के बीच त्रिपक्षीय बैठकें आयोजित की गई थीं । बैठकों के बाद भी विचार-विमर्श जारी रखा गया और यह मालूम हुआ है कि अधिकांश प्रबंधकों तथा उनकी यूनियनों के बीच क्रियान्विति के बारे में समझौता हो गया है ।

(ग) इस संबंध में सांख्यिकीय सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है ।

केन्द्रीय सरकारी प्रक्षेत्र (फार्म)

266. **श्री तुलसीदास दासप्पा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल, मद्रास और मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकारी प्रक्षेत्र स्थापित करने की पेशकश पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) और (ख) मद्रास सरकार ने अपना एक फार्म स्थापित करने का निर्णय किया है । जहाँ तक केरल तथा मध्य प्रदेश का सम्बन्ध है, इस मामले पर उन सरकारों के साथ अभी पत्र व्यवहार चल रहा है ।

डाक और तार सेवाओं के लिये निगम

267. **श्री मरंडी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय डाक और तार सेवाओं के लिये एक निगम बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है :

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार, ब्रिटेन में भी इसी प्रकार की कार्यवाही के लिए ब्रिटिश प्रस्ताव का अध्ययन कर रही है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा डाक और तार बोर्ड के सम्बन्ध में नियुक्त कार्यकारी दल ने कोई प्रतिवेदन दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर अन्तिम निर्णय कब किया जायेगा ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) तथा (ख) डाक-तार विभाग के प्रशासनिक ढाँचे और कार्यपद्धति की जाँच करने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग ने एक कार्यकारी दल स्थापित किया है । इस कार्यकारी दल से डाक-तार विभाग के लिये एक निगम बनाने की वांछनीयता की जाँच करने के लिए कहा गया है । निःसन्देह यह ब्रिटिश डाकघर के पुनर्गठन सम्बन्धी प्रस्तावों को भी ध्यान में रखेगा ।

(ग) जी नहीं । कार्यकारी दल को अपना प्रतिवेदन दिसम्बर, 1967 तक देना था किन्तु ऐसा पता चला है कि इस काम में कुछ और समय लग जाएगा ।

(घ) कार्यकारी दल का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस मामले की आगे जाँच की जाएगी ।

श्रीलंका से स्वदेश लौटे व्यक्ति

268. **श्री मरंडी** :
श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री प्र० के० देव :
श्रीमती सुशीला रोहतगी :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री लंका से भारत-मूलक लोगों ने भारत वापस आना शुरू कर दिया है ;

(ख) यदि हाँ , तो अब तक ऐसे कितने व्यक्ति आ चुके हैं ;

(ग) इन व्यक्तियों को पुनः बसाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) उन्हें किन किन राज्यों में बसाया जायेगा; और

(ङ) उन्हें पुनः बसाने में कुल कितनी राशि खर्च की जायगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) 1964 के भारत-श्रीलंका करार के अन्तर्गत नियमित रूप से भारतीयों का लौटना अभी आरम्भ नहीं हुआ है । तथापि श्रीलंका में उच्चायोग द्वारा 10288 भारतीयों को भारतीय नागरिकता दे दी गई है और इनमें से 2538 व्यक्ति 31·3. 1967 तक भारत आ चुके हैं ।

(ग) भारत लौटने वाले भारतीयों के पुनर्वास के लिए जो कदम उठाये गए हैं तथा जो प्रस्ताव विचाराधीन हैं उनको बसाने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 1521/67]

(घ) श्री लंका से लौटे भारतीयों के पुनर्वास को एक राष्ट्रीय समस्या समझा जा रहा है और सभी राज्य सरकारों से इसके लिए अपना सहयोग देने के लिये अनुरोध किया गया है।

(ङ) इस समय पुनर्वास की लागत का अनुमान लगाना संभव नहीं है क्योंकि पुनर्वास कार्यक्रमों की योजनाओं को अभी पूरा नहीं किया गया है।

कलकत्ता पत्तन से अनाज की चोरी

269. **श्री मरंडी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जाँच विभाग ने पता लगाया है कि कलकत्ता पत्तन से 70 से 75 टन चावल तथा गेहूँ प्रायः प्रतिदिन चोरी जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो इस चोरी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या कोई अधिकारी दोषी पाये गए हैं;

(घ) यदि हां, तो उत्तरदायी ठहराये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि चोरी गया चावल चीन तथा नेपाल भेजा जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज

270. **श्री मरंडी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जिस में अत्याधिक प्रतिस्पर्धा है, भारत में निर्मित टेलीफोन उपकरणों की काफी मांग है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इन्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज को दारुल सलाम शहर, तंजानिया के लिये 5000 लाइन का एक्सचेंज सप्लाई करने, लगाने तथा चालू करने का ठेका मिला है ;

(ग) यदि हां, तो ठेके की शर्तें क्या हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि 600 लाइनों के एक्सचेंज की सप्लाई के लिये और आर्डर प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां तो इनके लिए उपकरण कब तक सप्लाई किये जायेंगे ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी हां।

(ख) इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलोर ने तंजानिया के दारुलसलाम नगर में 5000 लाइनों वाला एक्सचेंज लगाने का ठेका लिया है। उपकरण को लगाने और उसको चालू

करने के लिये उन्होंने पूछ ताछ भी की है और इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज द्वारा विस्तृत जांच के पश्चात् आवश्यक पेशकश की जायेगी।

(ग) भुगतान की शर्तें इस प्रकार हैं :

(एक) ठेके का 90 प्रतिशत मूल्य सामान को जहाज में लादनें सम्बन्धी दस्तावेजों को दिखाने पर साखपत्र द्वारा चुकाया जायेगा ।

(दो) ठेके का 5 प्रतिशत मूल्य पूर्व अफ्रीकी डाक और तार प्रशासन से यह प्रमाणपत्र प्राप्त होने के पश्चात् चुकाया जायेगा कि उपकरण चालू कर दिया गया है और प्रशासन द्वारा स्वीकार कर लिया गया है ।

(तीन) ठेके के मूल्य का बकाया 5 प्रतिशत गारन्टी की अवधि समाप्त होने के पश्चात् चुकाया जाएगा ।

(घ) जी हां। 600 लाइनों वाली दो एक्सचेन्जें देने के लिए दो और क्रमादेश प्राप्त हुए हैं ।

(ङ) 5000 लाइनों वाली दारुस्सलाम की एक्सचेंज अप्रैल से जून, 1968 तक दी जानी है । भाग (घ) में दी गई 600 लाइनों वाली पहली एक्सचेंज मार्च से मई, 1968 की अवधि में और दूसरी सितम्बर/अक्तूबर 1968 की अवधि में दी जानी है।

चावल के समाहार की योजना

271. **श्री मरंडी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार भविष्य में चावल के समाहार के लिये एक नई योजना बना रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या योजना के ब्यौरे के बारे में केन्द्रीय सरकार के साथ बातचीत हुई है;

(ग) यदि हाँ, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार अन्य राज्यों से यह कह रही है कि वे आन्ध्र प्रदेश की सरकार की प्रस्तावित योजना जैसी ही योजना बनायें और उसको कार्यान्वित करें; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी, हाँ ;

(ख) जी हाँ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया , देखिये संख्या एल० टी०** 1522/67]

(घ) और (ङ) जी, नहीं। स्थानीय दशाओं को ध्यान में रखते हुए समाहार के तरीकों को प्रत्येक राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है।

कृषि मूल्य आयोग का प्रतिवेदन

272. **श्री वासदेवन नायर :** **श्री कृष्ण मूर्ति :**
श्री कं० हाल्दर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग ने खरीफ फसल के लिये मूल्य नीति के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उनके सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हाँ।

(ख) एक विवरण **सभा-पटल** पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 1523/67]

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये** संख्या एल० टी० 1524/67]

बागानों में बेरोजगारी की स्थिति

273. **श्री बासुदेवन नायर :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागानों में रोजगार की स्थिति अध्ययन करने के लिये जो एक सदस्यीय समिति नियुक्त की गई थी उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या निर्णय लिये गये हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री : **(श्री हाथी)** (क) जी हाँ।

(ख) यह केवल तथ्य मालूम करने वाली समिति थी। फिर भी इसने अपनी रिपोर्ट में अपने तथ्यों को लिखने के अतिरिक्त कुछ सुधार संबंधी उपाय भी सुझाये हैं। इसके मुख्य निष्कर्षों और सुझावों का एक विवरण अतारांकित प्रश्न संख्या 1359, दिनांक 2 मार्च, 1966 के उत्तर में प्रस्तुत किया गया था।

(ग) इस समिति की रिपोर्ट पर बागान संबंधी औद्योगिक समिति ने मद्रास में 19 और 20 अगस्त, 1967 को हुए अपने 12वें अधिवेशन में विचार किया था। एक सदस्यीय समिति के निष्कर्ष औद्योगिक समिति द्वारा स्वीकार किये गये। समिति के निष्कर्षों में से, इस बैठक में निम्नलिखित स्वीकार किया गया :–

(i) प्रबंधकों को श्रमिकों की संख्या कम करके कार्य–भार नहीं बढ़ाना चाहिए। कार्य–भार ऐसा होना चाहिए कि श्रमिक अपने बच्चों और आश्रितों की सहायता लिए बिना अपना कार्य एक सामान्य कार्य-दिन में पूरा कर सकें।

(ii) स्थायी रिक्तियाँ अनियत श्रमिकों द्वारा नहीं भरी जानी चाहिए।

(iii) अनियत श्रमिकों का क्वाण्टम बागान में नियोजित श्रमिकों की संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

(iv) बागानों में नियमित कार्य के लिए ठेके के श्रमिक नियोजित नहीं किये जाने चाहिए।

ये निष्कर्ष नियोजकों के संगठनों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजे गये हैं।

आसाम में खाद्यान्न की कमी

274. **श्री हेम बरुआ : श्री जो० ना० हजारिका :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इस समय आसाम राज्य में खाद्यान्न की कमी है तथा अत्यधिक बाढ़ आने के कारण स्थिति और खराब हो गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो राज्य में खाद्यान्नों की सप्लाई ठीक करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सरकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) और (ख) सूचनाएँ मिली हैं कि पर्याप्त मात्रा में सभी क्षेत्रों में सरकारी स्कन्ध से खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है। तथापि , खुले बाजार में अधिकांश क्षेत्रों में खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है यद्यपि मूल्य ऊँचे हैं। इस वर्ष बाढ़ भी इतनी भयानक नहीं रही जितनी कि पिछले वर्षों में। 1966-67 की अपेक्षा 1967-68 में आसाम में धान की अच्छी फसल होने की आशा है। केन्द्रीय पूल से आसाम को गेहूँ की सप्लाई यथासंभव स्थिर दर पर की जा रही है।

पश्चिम बंगाल को घटिया चावल की सप्लाई

276. **श्री रवि राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान उड़ीसा सरकार की इस प्रेस विज्ञप्ति की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल को घटिया चावल सप्लाई करने के लिए भारत का खाद्य निगम उत्तरदायी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस वक्तव्य के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) और (ख) समाचार मंत्रों में प्रकाशित समाचार देख लिया गया है। मामले पर राज्य सरकार और भारतीय खाद्य निगम के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

सामुदायिक विकास परियोजनायें

277. **श्री रवि राय** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी राज्य सरकारों ने सामुदायिक विकास परियोजनाओं को समाप्त करने

तथा खण्ड विकास अधिकारियों के पद समाप्त करने के पक्ष में विचार व्यक्त किये हैं और कितनी उन्हें बनाये रखने के पक्ष में हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार का अन्तिम निर्णय क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी): (क) और (ख) : किसी भी राज्य सरकार ने सामुदायिक विकास परियोजनाओं को समाप्त करने का सुझाव नहीं दिया है ? मध्य प्रदेश, जहाँ पहली जनवरी, 1966 से खण्ड विकास अधिकारियों के पद समाप्त किए गए थे, को छोड़कर किसी भी राज्य सरकार ने इन पदों को समाप्त करने के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं भेजा है।

ठेका श्रम पद्धति

278. **श्री रवि राय : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन उद्योगों में अभी तक ठेका श्रम पद्धति चालू है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस ठेका श्रम पद्धति को हमेशा के लिये समाप्त करने के संबंध में कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) ठेका श्रम प्रणाली अभी भी देश में प्रचलित है और अभी तक समाप्त नहीं हुई है। इस प्रणाली को ऐसे वर्गों के बारे में समाप्त करने के लिए जो संबंधित सरकार द्वारा अधिसूचित किये जायँ और ऐसे मामलों में ठेका श्रमिकों के रोजगार का विनियमन करने के लिए जहाँ यह प्रणाली पूर्ण रूप से समाप्त नहीं की जा सकती, ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) विधेयक के सम्बन्धित उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही करने का विचार किया गया है । यह विधेयक पहली बार लोक सभा में पहली नवम्बर, 1966 को पेश किया गया था । तीसरी लोक सभा के समाप्त होने से यह विधेयक व्यपगत हो गया । इसे 31 जुलाई, 1967 को पुनः लोक सभा में पेश किया गया, लेकिन यह अभी तक लोक सभा के सामने विचारार्थ नहीं आया है ।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में श्रम कानूनो का उल्लंघन

279. **श्री रवि राय :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के किन-किन उद्योगों ने उन श्रम कानूनों का पालन नहीं किया है जिनका अभिप्राय देश में श्रमजीवी वर्ग आन्दोलन के उद्देश्य को और अधिक बल देने का है : और

(ख) इन उद्योगों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी)

(क) देश भर के सरकारी और गैर-सरकारी उपक्रमों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए ऐसे उपक्रमों के नाम देना कठिन है जो एक या अन्य श्रम कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त, अधिकांश उपक्रमों के औद्योगिक श्रम सम्बन्ध राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं । अत : इसके बारे में अपेक्षित सूचना वे ही दे सकते हैं ।

(ख) जब कभी केन्द्रीय क्षेत्र के उपक्रमों में श्रम कानूनों के पालन न होने की विशिष्ट शिकायतें इस मंत्रालय में प्राप्त होती है तब उनकी जांच की जाती है और प्रमाणित होने पर, उन्हें ठीक करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

सुपर बाजार, नई दिल्ली

280. **श्री राम चरण :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के सुपर बाजार भारी घाटे में चल रहे हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो 30 सितम्बर, 1967 तक कुल कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सुपर बाजार में अनावश्यक और फालतू कर्मचारियों की भर्ती किये जाने और उसके क्रम विभाग में भ्रष्टाचार के कारण इस बाजार में घाटा हुआ है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस भारी हानि को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख); 15 जुलाई, 1966, अर्थात् जिस दिन सुपर बाजार खोले गए थे, से लेकर 30 जून, 1967, जब अन्तिम सहकारी वर्ष समाप्त हुआ, तक सुपर बाजार, नई दिल्ली और उसकी आई. एम. ए. तथा पटेल नगर की शाखाओं को मिलाकर 5.64 लाख रुपए का घाटा हुआ। यह संख्या अस्थायी है जिसका अभी आडिट होना रहता है। जहाँ तक जुलाई से सितम्बर, 1967 तक की अवधि का सम्बन्ध है, लाभ तथा हानि का लेखा तैयार नहीं किया गया है।

(ग) नई दिल्ली में सुपर बाजारों को जो घाटा हुआ उसका मुख्य कारण सुपर बाजार खोलने के प्रथम वर्ष किया गया प्रवर्तन तथा विकास सम्बन्धी खर्च और इमारतों के लिए दिया गया अधिक किराया है। प्रारम्भिक काल में फालतू कर्मचारी भी इस दृष्टि से भर्ती किए गए थे, क्योंकि बाद में खोली जाने वाली शाखाओं के लिए विक्रेता तथा प्रबन्धक प्रशिक्षित करने थे ;

(घ) भविष्य में हानि को रोकने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं—कर्मचारियों का नवीन व्यवस्थाकरण, नए विभाग खोल कर बिक्री बढ़ाने के प्रयत्न, परिचालन सम्बन्धी व्यय, जैसे पैकिंग सामग्री पर होने वाला खर्च, को कम करने के उपाय।

डाक घर बचत बैंक योजना का पुनर्गठन

281. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई प्रस्ताव है कि डाकखाना बचत बैंक का पुनर्गठन किया जाय जिससे जनता को अच्छी सुविधा मिल सके तथा वह उनमें अधिक धन जमा करने के लिये आकर्षित हो सकें :

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यह प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित हो जाने की आशा है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी हाँ ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण-पत्र रख दिया गया है, जिसमें इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें दे दी गई हैं । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी ।1525/67**]

(ग) पहले-पहल इस योजना को 1 फरवरी, 1968 से परीक्षण के तौर पर उत्तर प्रदेश डाक-तार सर्किल में लागू करने का प्रस्ताव है ।

पूर्वी पाकिस्तान, बर्मा तथा श्रीलंका से आने वाले लोग

282. **श्री मयाबन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले लोगों को तथा बर्मा और श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले लोगों को सरकार का विचार नौकरी में प्राथमिकता देने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने कुछ पदों में उनके लिए स्थान भी आरक्षित किए हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों को निर्देश दिये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में रोज़गार दिलाने के लिये पूर्वी पाकिस्तान से आये प्रव्रजकों तथा बर्मा और श्रीलंका से लौटे भारतीयों को प्राथमिकता पहले ही दी जा चुकी है जो कि इस प्रकार है :—

पूर्वी पाकिस्तान से आये प्रव्रजक

पूर्वी ज़ोन (आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा) में प्राथमिकता तीन में सब से अधिक प्राथमिकता ।

बर्मा तथा श्री लंका से स्वदेश लौटे भारतीय

उनके अपने राज्यों में सबसे ऊँची प्राथमिकता तथा अन्य राज्यों के कार्यालयों में प्राथमिकता तीन ।

(ख) से (घ) भारत सरकार के मंत्रालयों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने नियन्त्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रेणी तीन और चार के 50 प्रतिशत स्थान रक्षित रखें ।

खरीफ की फसलों के लिये समाहार मूल्य

283. **श्री मयाबन :** **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री गं० च० दीक्षित : **श्री लाखन लाल गुप्त :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिक अच्छे समाहर के लिए राज्यों को बोनस देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो कितने राज्यों को यह बोनस दिया गया है;

(ग) क्या उत्पादकों को सीधे यह बोनस देने का भी कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) अच्छे समाहार के लिये राज्यों को ऐसा कोई बोनस नहीं दिया जा रहा है। तथापि प्रोत्साहक बोनस योजना के अन्तर्गत फालतू मात्रा वाले राज्यों को, केन्द्रीय पूल को आन्तरिक समाहार द्वारा सप्लाई करने के लिये बोनस दिये जा रहे हैं।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरयाना बोनस के हकदार हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

फसल बीमा

284. **श्री अदिचन :** **श्रीमती तारा सप्रे :**
श्रीमती सुशीला रोहतगी : **श्री रणधीर सिंह :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने प्रस्तावित फसल बीमा विधेयक पर अपने विचार भेज दिये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो वे क्या हैं; और

(ग) प्रस्तावित विधेयक के संसद् में कब तक पेश किये जाने की आशा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रलय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) ड्राफ्ट बिल पर विचार होने से पहले केवल महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश ने फसल बीमा की प्रायोगिक योजना के विषय में अपनी टिप्पणियाँ भेजी हैं।

(ख) इन राज्यों ने आम तौर से बीमा योजना तथा ड्राफ्ट बिल से सहमति प्रकट की है परन्तु उन्होंने शुरू में योजना के वित्तीय भार को वहन करने के बारे में आशंकायें व्यक्त की हैं और उन्होंने केन्द्रीय सहायता के लिए जोर दिया है । उन्होंने योजना की क्रियान्विति के बारे

में संगठन विषयक कठिनाइयों के बारे में भी लिखा है और प्रायोगिक योजना की क्रियान्विति से पहले विस्तृत अध्ययन के लिए जोर दिया है ।

(ग) यदि राज्यों से यथासमय उत्तर प्राप्त हो जायें तो संसद के इसी अधिवेशन में बिल पेश करने का प्रयास किया जायेगा ।

खाद्यान्नों का रक्षित भण्डार

285. **श्री य० अ० प्रसाद :** **श्री वेदव्रत बरुआ :**
श्री धीरेन्द्रनाथ देव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1967 में अमरीकी राजदूतावास के अधिकारियों के साथ 20 से 30 लाख टन खाद्यान्न का रक्षित भण्डार बनाने के लिये बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) चर्चा अभी समाप्त नहीं हुई है ।

भेड़-पालन केन्द्र

286. **श्री य० अ० प्रसाद :** **श्री वेदव्रत बरुआ :**
श्री धीरेन्द्रनाथ देव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कच्छ जिले में एक भेड़-पालन केन्द्र खोलने का विचार है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस केन्द्र पर कितनी लागत आने का अनुमान है और इसकी अनुमानित क्षमता कितनी होगी ; और

(ग) क्या यह सच है कि इस केन्द्र पर रूसी भेड़ें पाली जायेंगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहाकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) से (ग) कच्छ जिले में एक भेड़े पालन फार्म खोलने का प्रश्न विचाराधीन है। अन्य सम्बन्धित विवरण को भी अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

दोषी नियोजकों से मजूरी तथा बोनस की वसूली

287. **श्री नम्बियार :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दोषी नियोजकों से मजूरी और बोनस की देय राशि की शीघ्र वसूली के लिये कार्यवाही करने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या देय बकाया राशि की वसूली के लिए बोनस अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) :

(क) से (घ) : इस मामले पर त्रिपक्षीय स्थायी श्रम समिति ने 30 सितम्बर, 1967 को हुई अपनी बैठक में विचार किया था और सर्वसम्मत राय यह थी कि मजूरी अदायगी अधिनियम तथा न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत अदा की जाने वाली मजूरी तथा बोनस अदायगी अधिनियम के अधीन दिए जाने वाले 4 प्रतिशत न्यूनतम बोनस की वसूली के लिए सर्टिफिकेट जारी करने के अधिकार नामोद्दिष्ट अधिकारियों को दिये जाने चाहिएं। इन सुझावों पर सरकार आगे विचार कर रही है ।

उत्तर प्रदेश में कृषि परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण

288. **श्री गणेश** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में कृषि परियोजनायें आरम्भ करने के लिए ऋण दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इन परियोजनाओं का ब्योरा क्या है ; और

(ग) ये परियोजनायें किन-किन जिलों में आरम्भ की जायेंगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : **(क) से (ग)**: जी नहीं। परन्तु नलकूपों तथा अन्य भूमिगत जल सम्बन्धी सुविधाओं पर आधारित सघन कृषि की योजनाओं को विचारार्थ विश्व बैंक के पास भेजा गया है । प्रस्ताव के विवरण के विषय में एक विवरण नीचे दिया जाता है ।

विवरण

उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि प्राप्त करने की दृष्टि से प्रस्ताव में वाराणसी और एटा जिलों में कृषि उत्पादन का एक व्यापक कार्यक्रम का उपबन्धन किया गया है। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के कुओं द्वारा भूमिगत जल संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करने का सुझाव दिया गया है। इसके अतिरिक्त नई सिंचाई सुविधाओं के उचित उपयोग के लिये कृषि साधनों और आवश्यक सेवाओं का एक सहायक कार्यक्रम भी दिया गया है ।

क्योंकि मामला अभी विश्व बैंक के विचाराधीन है, इसलिये अनुमानित व्यय, कृषकों को किस प्रकार की सहायता दी जायेगी, आदि के सम्बन्ध में ब्यौरा देना संभव नहीं है।

गोदामों में अनाज की क्षति

289. **श्री गणेश** :
श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खराब भण्डार व्यवस्था के कारण अनाज की क्षति के प्रश्न की जाँच करने के लिए नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने अपना अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद का अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यक्रम

290. **देवकी नन्दन पटौदिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पुनर्गठन के फलस्वरूप राजस्थान में कृषि और पशु-धन का विकास करने के लिए बनाई गई समन्वित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन योजनाओं के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा निर्मित निम्नलिखित समन्वित अनुसन्धान योजनाओं के अन्तर्गत राजस्थान में अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने हैं । एस्टरिस्क निशान वाली योजनाएँ पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं अन्य स्वीकृत की जाने वाली हैं :—

परियोजना का नाम	केन्द्र
1. कपास	(1) श्रीगंगानगर +
	(2) राजस्थान नहर ट्रैक्ट केन्द्र +
2. तिलहन	कोटा +
3. गेहूँ	दुर्गापुरा
4. जौ	दुर्गापुरा +
5. मक्का	अजमेर
6. सोरघूम	पाली
7. मोटे अनाज	(1) जोधपुर (सी०ए०जेड०आई० आई०)
	(2) अजमेर
8. फल	श्रीगंगा नगर
9. सब्जियाँ तथा मिर्चे	जोवनेर
10. आलू	एक सब-सेन्टर के लिये स्थान का निर्णय नहीं किया गया
11. समन्वित एग्रोनोमिक प्रयोग	(1) पाली +
	(2) खम्मरपुर +
	(3) श्रीगंगानगर + (अब हनुमानगढ़ में स्थापित हो गया है)
	(4) जोधपुर +
	(5) श्रीगंगानगर
	(6) भिलवाड़ा +
	(7) वदनावर +

12. माप मूल्यांकन तथा भूमि ढांचा सम्बन्धी समन्वित योजना	कोटा +
13. ऊन की किस्म को सुधारने के लिए भेड़ों के चर्म सम्बन्धी अध्ययन	जयपुर +

(ख) क्रॉप प्लान्टस की बेहतर किस्मों के विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए योजनायें तैयार की गई हैं। इन योजनाओं में उन्नत कृषि-तकनीकियां तथा पौद रक्षा तकनीकियों का विकास करना भी शामिल है ताकि उत्पादन प्रति एकड़ अधिक हो। अतः आशा है कि ये अनुसन्धान फसल उत्पादन की वृद्धि करेंगे।

राजस्थान से अनाज का निर्यात

291. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने राजस्थान सरकार को उस राज्य से अनाज के निर्यात के लिये "निर्यात प्रोत्साहन बोनस" देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस योजना में कोई ऐसी व्यवस्था की है जिससे राज्य सरकार उसे मिलने वाले बोनस में से स्थानीय अनाज के मूल्यों के लिये राज्य सहायता दे सके।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) राज्य की 1966-67 की फसल में से निर्यात किए गए चने पर 'निर्यात प्रोत्साहन बोनस' देने का निर्णय किया गया है।

(ग) इस सम्बन्ध कोई उपबन्ध नहीं किये गये हैं, परन्तु राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने योजना के लिये सुझाव भेजते समय कहा था कि सरकार को प्रशासनिक व्यय के रूप में दिये जाने वाले खर्च चने और चने की दाल के मूल्य कम करने के लिए प्रयोग किए जायेंगे।

आयातित अनाज की सप्लाई

292. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसी कार्यवाही पर्याप्त रूप से कर ली है जिससे अक्तूबर, 1967 से जनवरी, 1968 के दौरान भारत के मुख्य बन्दरगाहों पर आने वाला अनाज निश्चित कार्यक्रम के अनुसार वितरित किया जा सके और गोदी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण उसमें कोई बाधा न पड़े ;

(ख) क्या सरकार ने श्रमिकों की हड़तालों के परिणामस्वरूप होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए बन्दरगाहों पर यांत्रिक उपकरण लगाने की कोई पूर्व योजना बनाई है ; और

(ग) क्या रेलवे के साथ भी कोई व्यवस्था कर ली गई है जिससे देश के विभिन्न भागों में अनाज की सप्लाई निरन्तर बनी रहे ; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विका तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ) गत दो वर्षों में श्रमिकों की यदा कदा हड़तालों और कार्य के विस्थापन

के परिणामस्वरूप भी बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों के आयात को पत्तनों पर उचित रूप से उतारे जाने से यह उचित आश्वासन मिलता है कि नवम्बर, 1967 से जनवरी, 1968 तक अनाज को उतारने और उसको निश्चित कार्यक्रम के अनुसार वितरित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। गोदियों पर जब भी हल्की हड़ताल होने का खतरा उत्पन्न होगा दूसरे आवश्यक प्रबन्ध कर लिए जायेंगे ताकि निश्चित कार्यक्रम के अनुसार कार्य किया जा सके।

जहां कहीं भी बन्दरगाहों पर खाद्यान्नों को मशीन से उतारने के साधन उपलब्ध हैं, श्रमिकों की बजाय उन्हीं से काम लिया जाता है। फिर भी, मशीनी साधनों की उपलब्धता श्रमिकों को नियुक्त करने से नहीं रोक सकती। देश में विभिन्न पत्तनों पर उपलब्ध प्रबन्धों के अनुसार प्रतिमास 9 से 10 लाख टन आयातित अनाज का उतारा जाना सम्भव है। अनाज को पत्तनों से देश के विभिन्न गन्तव्य स्थानों पर पहुँचाने के लिए रेलवे उच्चतम प्रथमिकता दे रही है। वे प्रतिमास 6 से 8 लाख टन अनाज देश के विभिन्न भागों में पहुँचाती हैं और नवम्बर, 1967 से जनवरी 1968 तक भी प्रतिमास इतना ही अनाज पहुँचाती रहेगी।

मध्य प्रदेश वनरोपण कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता

293. **श्री रामावतार शर्मा :** **श्री गं० च० दीक्षित :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने सागौन के वनों और ताड़ के वनों को पुनः लगाने के लिए तथा जल्दी उगने वाले पेड़-पौधों को लगाने सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता दिये जाने के लिए हाल में प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है तथा प्रत्येक प्रस्ताव के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी हाँ।

(ख) मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने निम्नलिखित वन विकास कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार की सहायता माँगी है :

1—10,000 एकड़ भूमि पर फैले सागवान के बनों को फिर से ठीक-ठाक करने के लिए 20 लाख रुपये।

2—फार्म फौरेस्ट्री के लिए 10 लाख रुपए।

3—शीघ्र उगने वाली किस्मों की योजना के अन्तर्गत 200 रुपए प्रति एकड़ के उपदान को बढ़ाकर 250 रुपए प्रति एकड़ कर देना तथा 50 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ऋण प्रदान करना। अभी मध्य प्रदेश के वन विभाग ने भारत सरकार के विचार हेतु उपरोक्त योजनाओं का विवरण भेजना है।

मध्य प्रदेश में नलकूप लगाने के लिये केन्द्रीय सहायता

294. **श्री रामावतार शर्मा :** **श्री गं० च० दीक्षित :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार से मध्य प्रदेश में नलकूप लगाने के लिये वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उन प्रस्तावों का ब्योरा क्या है और क्या केन्द्रीय सरकार ने अपने निर्णय की सूचना मध्य प्रदेश सरकार को दे दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) 1967-68 के दौरान मध्य प्रदेश में सिंकिंग नलकूपों के लिए राज्य सरकार से वित्तीय सहायता देने सम्बन्धी प्रस्ताव की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

मध्य प्रदेश मे छोटे सिंचाई कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता

295. **रामावतार शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से मध्य प्रदेश में छोटे सिंचाई कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) 1967-68 की अवधि में लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिए 2 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के बारे में मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सामुदायिक विकास यथा पंचायती राज संस्थायें

296. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या सरकार ने राज्य सरकारों को नीति सम्बन्धी विवरण का एक प्रारूप परिचालित किया है और उनसे प्रार्थना की है कि सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज संस्थाओं के वर्तमान ढाँचे में परिवर्तन करने के लिये कोई कार्यवाही न करें ;

(ख) यदि हाँ, तो विभिन्न राज्य सरकारों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में जिला परिषद् समाप्त कर दिये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) :

(क) और (ख) : अक्तूबर, 1966 में हुए सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज के राज्य मंत्रियों के सम्मेलन ने सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज सम्बन्धी भावी नीति

के बारे में जिस उपागम की सिफारिश की थी, उसे शीघ्र अन्तिम रूप देने के प्रश्न पर नवम्बर, 1966 में राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा गया था । आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर और उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों से जो टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं, उनसे पता चलता है कि कुछ परिवर्तनों के साथ वे मोटे तौर पर उक्त उपागम से सहमत हैं; अन्य राज्यों से टिप्पणियाँ अभी प्राप्त नहीं हुई हैं । जो नीति अपनायी जानी है, उसके बारे में राष्ट्रीय मतैक्य प्राप्त करने के लिये दिसम्बर, 1967 के अन्तिम सप्ताह में राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज के मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाने का विचार है । अक्तूबर, 1967 में राज्य सरकारों को लिखा गया था कि वे इस दौरान खण्ड तथा पंचायती राज संगठनों में कोई आमूल हेर-फेर न करें ।

(ग) उड़ीसा में जिला परिषदें समाप्त नहीं की गई है ; तथापि, राज्य सरकार ने 10 अप्रैल 1967 से जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों तथा अध्यक्षों के स्थान पर जिलों के समाहर्ताओं को उनके अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में परिषदों तथा उनके अध्यक्षों के अधिकारों का प्रयोग करने व कार्यों को चलाने के लिए नियुक्त किया है । इसके अतिरिक्त, जिला परिषदों को समाप्त करने के लिए, राज्य सरकार ने उड़ीसा पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1967, पेश किया है। यह विधेयक राज्य विधान मण्डल के पास अनिर्णीत पड़ा हुआ है ।

चीनी उद्योग का मूल ढांचा

297. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी उद्योग के मूल ढाँचे की एक नई जाँच कराने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) अभी नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलवे कुली

298. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाइसेंस प्राप्त रेलवे कुलियों और खोन्चे वालों के रहन-सहन तथा काम करने की दशा के बारे में जाँच करने के लिये एक अध्ययन दल बनाया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं तथा इसके विचारार्थ विषय क्या हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) अध्ययन दल का गठन और उसके विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :—

गठन

(i) **श्री टी० बी० आनन्दन,** **सदस्य**
सदस्य, राज्य सभा ।

(ii) **श्री जे० बी० शर्मा,** **सदस्य**
सहायक निर्देशक यातायात,
(वाणिज्यिक) रेलवे बोर्ड,
रेल मंत्रालय ।

(iii) **श्री जे० एन० शर्मा,** संयोजक
उप निर्देशक,
श्रम और रोजगार विभाग ।

दल के विचारार्थ विषय

(i) रेलवे के विभागीय खान-पान प्रतिष्ठानों में कमीशन के आधार पर नियुक्त लाइसेंस प्राप्त रेलवे कुलियों, खोमचेवालों के काम और रहन सहन की दशाओं का अध्ययन करना और उनकी वैध शिकायत पर रिपोर्ट देना ।

(ii) श्रमिकों के तुलनात्मक वर्गों को उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखकर रेलवे या अन्य अभिकर्ताओं द्वारा उन्हें दी गई मूल सुविधाओं की पर्याप्तता की जांच करना ।

(iii) उनके काम और रहन-सहन की दशाओं में सुधार की सिफारिश करना ।

(iv) किसी अन्य सम्बन्धित विषय पर, जिसे अध्ययन दल उपयुक्त समझे, विचार करना और सुझाव देना ।

उड़ीसा में चलते फिरते डाकघर

299. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय चलते फिरते डाकघर कितने हैं ;

(ख) क्या सरकार 1967-68 में उस राज्य में ऐसे और डाकघर चालू करना चाहती है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी संख्या में ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) कोई नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Postal Savings Bank Accounts

300. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Communications** be pleased to State :

(a) whether Government are considering the question of creating a Department of Postal Savings Bank Accounts, separate from the General Post Office, in all the Post Offices in the country ; and

(b) if so, whether Government are also considering the question of providing some special facilities through this Department to the depositors of the Savings Bank ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) :

(a) There is a proposal to organise the Savings Bank branches in Head Post Offices and make them function independently of the post Offices from the administrative point of view, though continuing under the control of the P. T. Department. For this purpose, an experiment is shortly to be tried out in all the 52 Head Offices in U. P. Circle.

(b) The proposed re-organisation is primarily intended for improving the existing service to the public. It does not envisage provision of any additional facilities to the public at this stage, but public transactions are expected to be greatly facilitated by the employment of specialised staff solely on Savings Bank work.

दल बदलने पर रोक

301. **श्री विभूति मिश्र :**

क्या **संसद-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या **हाल** में शिमला में हुए मुख्य सचेतकों के सम्मेलन में दल बदलने के प्रश्न पर विचार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय किए गए ?

संसद-कार्य तथा संचार मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस सम्मेलन ने इस विषय पर निम्न शब्दों में सिफारिश की :

सम्मेलन ने बारम्बार "दल-बदल" से सारे देश में उत्पन्न स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की, जो सम्मेलन की राय में नैतिक रूप से अनुचित है और जो "दल-बदल" करने वाले कुछ सदस्यों द्वारा भी ऐसा ही माना गया है, जिन्होंने अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देकर दुबारा चुनाव लड़ा ।

सम्मेलन सब राजनैतिक दलों से आग्रह करता है कि वे इसके उलझाओं और भयंकर क्षमता को समझें और एक ऐसी आचार संहिता तैयार करें जो सम्मलित रूप से स्वीकार्य और नैतिक रूप से अनवार्य हो ।

DEEP SEA FISHING

302. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he had a talk with the Soviet Minister for Fisheries, about deep sea fishing ;

(b) whether the Soviet Union has agreed to provide all assistance in case it is decided to go in for deep sea fishing ; and

(c) if so, the nature of assistance to be provided ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) Mr. Ishkov, Minister of Fisheries, U.S.S.R visited India in August this year, and discussions were held with him in connection with deep sea fishing.

(b) The proposals discussed were for the charter of two types of fishing vessels for the purpose of determining their suitability under conditions in the seas around our coasts. On the results of the trials a further programme which would include arrangements for training of personnel would be worked out in detail.

(c) The assistance would be made available in terms of the agreement entered into between the two Governments in December, 1966 for technical co-operation in construction of industrial enterprises and other projects. The agreement provides for technical assistance and supply of equipment. The agreement also provides for rouble credit to be used by the Government of India in payment for supplies and other assistance. The specific terms and conditions under which the agreement will be operated in the field of fisheries have to be determined separately.

German Assistance for Agricultural Programme in Himachal Pradesh and Nilgiri.

303. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Govermnet of West Germany have provided assistance of about Rs. 4 crores for augmenting agricultural production in Mandi and Kangra (Himachal Pradesh) ;

(b) whether it is also a fact that similar grant has been given for Nilgiri also ; and

(c) if so, to what extent farmers have been benefited by it ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) The Government of the Federal Republic of Germany have provided assistance for the Indo-German Agricultural Development Project at Mandi since 1962 and Kangra since 1966 in the form of agricultural means of production of the total value of Rs. 119.55 lakhs of which Rs. 46.28 lakh was on rupee payment basis and the balance as outright gift. Besides, services of teams of technical experts and fellowships have been made available.

(b) The assistance so far committed for the Nilgiris Project is about Rs. 28.44 lakhs. Additional assistance is, however, expected during subsequent years.

(c) No survey as such has yet been carried out to determine exactly the benefit that the farmers have received ; but the production of foodgrains in Mandi has gone up considerably after the project had been started. Since 1962-63, when the project was started, the production of maize has registered an increase of 55% , wheat by 49% and paddy by 108%. The projects at Kangra and Nilgiris have been in operation since 1966 only and the results will be known after some time.

सड़क परिवहन उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड

304. **श्री जनार्दन :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क परिवहन उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड ने सड़क परिवहन कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में इस मजूरी बोर्ड ने क्या निर्णय किए हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) मजूरी बोर्ड की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय कृषि योजना

305. **श्री न० कु० साल्वे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान अमरीका के खाद्य सम्बन्धी राष्ट्रीय सलाहकार आयोग द्वारा व्यक्त इन विचारों की ओर दिलाया गया है कि भूख पीड़ित देशों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी और इसलिए विश्व के आगामी खाद्य संकट का हल अमरीका अथवा अन्य विकसित देशों के कृषि उत्पादन से नहीं हो सकता है ; और भारत के कृषि संकट के बारे में जो विचार आयोग ने व्यक्त किये हैं उनकी ओर भी उनका ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या 1970 में भारत में होने वाले सम्भावित भीषण खाद्य संकट का सामना करने के लिए कोई दीर्घ कालीन राष्ट्रीय कृषि योजना तैयार की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) (क) जी हां । अमरीका के खाद्य तथा सूत सम्बन्धी राष्ट्रीय सलाहकार आयोग की रिपोर्ट हमारे सामने आई है ।

(ख) भारत सरकार ने पहले ही निर्णय कर लिया है कि 1970-71 तक 120 मिलियन टन खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाएगा ताकि देश की आवश्यकताएं पूरी हो सकें ।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा तैयार किया गया गेहूं

307. **श्री न० कु० साल्वे :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा तैयार किए गये गेहूँ को, जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे गेहूँ का उत्पादन प्रति हैक्टेयर 3000 किलोग्राम से बढ़कर 6000 किलोग्राम हो जाता है, वाणिज्यक रूप से प्रयोग में न लाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा निर्णय किन कारणों से किया गया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं । भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकास की हुई गेहूँ की समस्त किस्मों को अखिल भारतीय समन्वित जाँच में शामिल किया जाता है । जिन किस्मों के परिणाम अच्छे निकलें उन्हें सामान्य कृषि के लिए सेन्ट्रल वैरायटी रिलीज कमेटी को सौंप दिया

जाता है। इस वर्ष भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था ने 'शर्बती सोनारा' किस्म को जारी करने के बारे में एक प्रस्ताव पेश किया है। यह किस्म अणु शक्ति के प्रयोग से तैयार की गई है जिसकी बुवाई से 6000 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर के हिसाब से उपज प्राप्त हो सकती है। इस वर्ष मई में सेन्ट्रल वायरायटी रिलीज कमेटी ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नलकूप

308. **श्री न० कु० साल्वे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अब तक कुल कितने नलकूप लगाये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय (कृषि विभाग) के अधीन समन्वेषी नलकूप संगठन नवम्बर, 1966 से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में उत्पादन नलकूप खोदने में बिहार तथा उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता करता रहा है। इस संगठन द्वारा अब तक किए गए कार्य की प्रगति निम्नलिखित है :—

	खोदे गये बोरों की संख्या	सफल बोरों की संख्या
बिहार	109	90
यू० पी०	38	36

बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सरकारें अपने कार्यक्रमों के अन्तर्गत सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नलकूप खुदवा रही हैं।

ई० टी० ओ० भी अभावग्रस्त क्षेत्रों में उत्पादन नलकूपों के निर्माण में राजस्थान तथा गुजरात की सरकारों की सहायता कर रही है। राजस्थान में जून, 1964 में कार्य शुरू हुआ जबकि गुजरात में दिसम्बर 1963 में शुरू हुआ। इन राज्यों में अब तक किया गया कार्य निम्न प्रकार है :—

	खोदे गये बोरों की संख्या	सफल बोरों की संख्या
राजस्थान	268	166
गुजरात	122	104

बिहार में गहन कृषि कार्यक्रम

309. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने गहन कृषि के लिए कुछ समय पहले एक जोरदार कार्यक्रम तैयार किया था;

(ख) क्या यह सच है कि यह कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार को निरीक्षण, स्वीकृति तथा अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए भेजा गया था;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के लिए कोई वित्तीय सहायता मंजूर की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो इससे कौन से लाभ हुए हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : बिहार सरकार से सामान्य प्लैन योजनाओं की अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रमों आदि के प्रस्ताव समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार से सघन कृषि तथा क्रैश कार्यक्रम के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

भूटान में डाक तथा तारघर

310. **श्री जी० ना० हजारिका :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश तथा भूटान के बीच किये गये करार के अन्तर्गत अब तक भूटान में कितने डाक तथा तारघर खोले गये हैं तथा कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या **संचार** सेवा के भूटानी कर्मचारियों को तकनीकी जानकारी के लिये कोई प्रशिक्षण सुविधायें दी गई हैं;

(ग) उस विभाग में इस समय स्थानीय कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(घ) वहाँ टेलीफोन प्रणाली का कहाँ तक विकास किया गया है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) भूटान के साथ की गई डाक-व्यवस्था के अन्तर्गत भारत द्वारा भूटान में कोई भी डाक या तार खोलना अपेक्षित नहीं। यह व्यवस्था केवल भारत और भूटान के डाक-विभागों के बीच डाक के आदान-प्रदान से सम्बन्धित है।

(ख) जी हाँ।

(ग) (क) के उत्तर की दृष्टि से यह प्रश्न भारतीय डाक-तार विभाग के अधिकार-क्षेत्र में नहीं आता।

(घ) भूटान में टेलीफोन प्रणाली का विकास भारतीय डाक-तार विभाग द्वारा नहीं किया गया।

ईराक को भारतीय टेलीफोन विशेषज्ञों का भेजा जाना

311. **श्री चेंगल राय नायडू :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईराक सरकार ने वहाँ के उत्तरी क्षेत्र में टेलीफोन लाइन का विस्तार करने के लिए भारतीय विशेषज्ञ भेजने के लिये भारत सरकार से प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) बगदाद और ईराक के अन्य भागों में टेलीफोन लाइनों के जाल के विस्तार के लिए ईराक सरकार से दो विशेषज्ञों की मांग प्राप्त हुई है।

(ख) स्वचल टेलीफोन केन्द्रों के डिजाइन और योजना बनाने और संस्थापनों की देखरेख करने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता है। ईराक भेजे जाने के लिए डाक-तार विभाग के दो अधिकारियों को चुना गया है। ईराक सरकार से आगे पत्र पाने की प्रतीक्षा की जा रही है।

चावल का आयात

312. **श्री मधु लिमये :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर 1967 में केन्द्रीय सरकार ने चावल के आयात के सम्बन्ध में कई करार किये थे ; और

(ख) मात्रा मूल्य तथा उन फर्मों के नाम जिनके माध्यम से ये करार किये गये थे, से संबंधित ब्यौरा क्या है तथा किन देशों से चावल का आयात किया जा रहा था और कितना चावल टूटा हुआ था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(क) जी, हाँ

(ख) एक विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 1526/67]

चीनी का मूल्य

313. **श्री मधु लिमये :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के महत्वपूर्ण नगरों/गांवों में काले बाजार में चीनी के मूल्यों के बारे में अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) दिसम्बर के पश्चात्, जब खुले बाजार में चीनी बेचना वैध हो जायेगा, तब खुले बाजार में चानी का मूल्य कितना होने की संभावना है ;

(घ) नई फसल के दौरान तैयार की जाने वाली चीनी के खुले बाजार में बेचे जाने वाले भाग पर मिलों को प्रति टन कितना अतिरिक्त मुनाफा होगा ; और

(ङ) विभिन्न राज्यों में अक्तूबर 1967 में उत्पादकों को वास्तव में कितना मूल्य मिल रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(क) और (ख): केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों को चीनी का मासिक कोटा निर्धारित किया है। इस निर्धारित चीनी के कोटे को राज्य में वितरित करने का दायित्व सम्बन्ध सरकारों का है। केन्द्रीय सरकार ने इसकी किस्म के सम्बन्ध में कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ग) इस समय यह बताना कठिन है कि जब दिसम्बर के पश्चात् खुले बाजार में चीनी बेचना वैध हो जायेगा तो उसका क्या मूल्य होगा।

(घ) चीनी के खुले बाजार में बेचे जाने पर मिलों को कितना अतिरिक्त लाभ होगा यह बात माँग, सप्लाई, निर्माण, लागत जिसमें गन्ने का मूल्य भी शामिल है, पर आधारित है। इस समय इस सम्बन्ध में कोई संकेत देना सम्भव नहीं है।

(ङ) अक्तूबर, 1967 में विभिन्न राज्यों में कार्य कर रही चीनी की मिलों ने गन्ने के मूल्य इस प्रकार दिये :—

	प्रति क्विन्टल (रुपयों में)
उत्तर प्रदेश	10.72
गुजरात	11.00
आंध्र प्रदेश	9.00 तथा फसल के अंत में दिया जाने वाला लांभाश
मैसूर	10.10 से 11.80
मद्रास	7.37
महाराष्ट्र	चीनी सहकारी कारखाने अपने सदस्य उत्पादकों को देने वाले गन्ने के मूल्य फसल के अन्त में निर्धारित करेगा वे पेशगी 7 रुपये से 12 रुपये प्रति क्विन्टल दे रहे हैं। जो इसके सदस्य नहीं हैं उन्हें 12.50 और 16.00 रुपये एक्सफील्ड क्विन्टल की दर से मूल्य दिया जाता है।

दिल्ली शासन को दिल्ली दुग्ध योजना के प्रबन्ध का हस्तान्तरण

314 **श्री हरदयाल देवगुण : श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली महानगर परिषद् ने केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया है कि दिल्ली दुग्ध योजना का प्रबन्ध दिल्ली प्रशासन को सौंप दिया जाये ; और

(ख) यदि हाँ, तो किन शर्तों पर और इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :(क) 27 मई, 1967 को मुख्य कार्यकारिणी परिषद की बातचीत गृह-मन्त्री के साथ हुई थी उस समय दिल्ली दुग्ध योजना का प्रबन्ध दिल्ली प्रशासन को सौंप देने के सम्बन्ध में भी प्रस्ताव रखा गया था।

(ख) दिल्ली प्रशासन इस समय योजना के प्रबन्ध को अपने हाथों में लेना नहीं चाहता।

उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच चावल का खुला व्यापार

315. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य : श्री हेम बरुआ :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार को यह सुझाव दिया है कि सितम्बर और अक्तूबर 1967 के दौरान उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के बीच खुला व्यापार होना चाहिये; और

(ख) यदि हाँ, तो उड़ीसा सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Drought-affected Areas in Bihar

316. **Shri Ramji Ram** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chairman of Bharat Sewak Samaj, who was looking after the relief work in drought-affected areas in Bihar, has in a report to Government stated that five lakh persons of drought stricken Districts in Bihar had sold their utensils, ornaments and other belongings with a view to sustain their living ;

(b) whether it is also a fact that farmers there have also sold their bullocks and other cattle on account of scarcity of fodder ;

(c) whether the arrangement to provide State loan to them was unsatisfactory and inadequate ; and

(d) if so, the steps taken by the Central and State Governments to ensure that the agricultural operations do not suffer ?

Thr Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) :

(a) No such report has been received by Government from the Chairman of Bharat Sewak Samaj.

(b) No specific report about unusual sale of cattle by farmers due to fodder scarcity has been received by the Govt. of Bihar. The State Govt. had made adequate arrangements for supply of fodder in the drought-affected areas.

(c) **and** (d) Adequate arrangements were made by the State Government for giving loans to farmers. A sum of Rs. 23 crores was disbursed as loans during the current year upto the end of October, 1967. Some of the steps taken to ensure that agricultural operations do not suffer are given below :—

(i) Additional irrigation potential was created by installing diesel and electric pumps, providing open borings, river pumping sets, shallow tubewells and other irrigation facilities.

(ii) Existing irrigation potential was exploited to the maximum.

(iii) Arrangements were made for suply of agricultural inputs like fertilizers, seeds and posticides.

(iv) 52,000 tonnes of paddy seeds were distributed.

(v) Intensive campaign for rabi production has started and about 10,000 tonnes of wheat seeds, 8000 tonnes of gram seeds and 3500 tonnes of barley seeds have been distributed.

Starvation Deaths

317. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 60 persons died of starvation in the Development Blocks of Ghaghra and Vishnupur in Ranchi District of Bihar during the period from June to August, 1967 ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) :

(a) The Bihar Government have reported that no starvation death has taken place in these blocks.

(**b**) Does not arise.

चीनी मिलों के लिये धन

318. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वाणिज्यक बैंकों के परामर्श से चीनी के स्टाक का मूल्यांकन करने के लिये मूल्य निर्धारित किया है, जिसके आधार पर चीनी मिलों को बैंकों द्वारा अधिविकर्ष (ओवर ड्राफ्ट) दिया जायेगा; और

(ख) इस बात के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है कि गन्ने का अधिक दर पर भुगतान करने के कारण अधिक धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंक चीनी मिलों को पर्याप्त रकम दें ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) चीनी के स्टाक का मूल्यांकन करने का कार्य वाणिज्यिक बैंकों का है, जिसके आधार पर चीनी मिलों कों वे उधार देने में समर्थ हो सकेंगे ।

(ख) इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से बातचीत की गई थी और उसने आश्वासन दिया है कि शैड्यूल बैंको को आवश्यक सुविधा और सहायता दी जायेंगी ताकि चीनी उद्योग की वास्तविक ऋण की आवश्यकता को पूरा किया जा सके ।

Export of Pulses from M. P.

319. **Shri Shashibhushan Bajpai** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government's assertion to the effect that the export of pulses to other States was done under instructions from the Central Government, which caused rise in prices of pulses, is correct ;

(b) whether it is a fact that the Central Government instructed that State to send all the pulses outside the State ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) No, Sir. Free movement of pulses is part of the food policy, reiterated at the Chief Ministers Conference. The proposal of the Madhya Pradesh Government to place restrictions on the movement of pulses was not agreed to.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

राशनिंग के लिये चावल की आवश्यकता

320. **श्री श्रीधरन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को एक राज्यीय खाद्य क्षेत्र बनाते हुये यह आश्वासन दिया था कि राशन की आवश्यकता को पूरा करने के लिये राज्यों को जितने चावल की आवश्यकता होगी, उतना चावल केन्द्र राज्यों को देगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपना आश्वासन पूरा किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) से (ख) एक राज्यीय खाद्य क्षेत्र राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों से परामर्श करने के बाद बनाया गया था। आत्मनिर्भर या आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने वाले राज्यों के मामले में राशन की चावल की आवश्यकता को स्थानीय वसूली द्वारा पूरा किया जाता है और दूसरे राज्यों के मामले में इसकी पूर्ति स्थानीय वसूली और कुछ केन्द्रीय साप्लाई द्वारा की जाती है।

किसी भी राज्य को उसकी राशन के चावल की पूरी आवश्यकता को पूरा करने का आश्वासन नहीं दिया गया था। विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय निकाय से यथासम्भव समानता के आधार पर चावल देने का प्रबन्ध किया जाता है।

रोजगार की स्थिति

321. **श्री न० कु० सांधी :** **श्री शिवपूजन शास्त्री :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में कुल कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं जो रोजगार की तलाश में हैं ;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों के नाम दो साल से अधिक समय से प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं और उनमें से कितने व्यकि तकनीकी अर्हता प्राप्त हैं ; और

(ग) काम दिलाऊ दफ्तर रोजगार दिलाने में औसतन कितना समय लेते हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में 30 सितम्बर, 1967 को 28,53,481 प्रार्थियों के नाम दर्ज थे।

(ख) 30 सितम्बर, 1967 को 3,95,604 प्रार्थियों के नाम 2 वर्ष से अधिक समय से दर्ज थे। इनमें तकनीकी योग्यता रखने वाले प्रार्थियों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ग) इस प्रकार की जानकारी नियोजन कार्यालयों से इकट्ठी नहीं की जाती है।

कर्मचारी भविष्य निधि

322. **श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के मज़दूरों से मालिकों द्वारा मज़दूरों की भविष्य निधि में अपना अंशदान न दिये जाने, छूट प्राप्त उपक्रमों के भविष्य निधि योजनाओं में शामिल न किये जाने और न्यसधारियों के बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के चुनाव में अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त करती रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) अनेक मामलों में, जहां अनियमितताएं नोट की गईं, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 17 (4) के अन्तर्गत छूट, रद्द करने और/या धारा 14(2ए) के अन्तर्गत दण्ड सम्बन्धी कार्यवाही की गई।

औद्योगिक संस्थानों में उचित मूल्य की दूकानें

323. **श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियोजकों के लिये औद्योगिक संस्थानों में उचित मूल्य की दूकानें खोलना अनिवार्य करने के उद्देश्य से एक योजना लगभग दो वर्ष पूर्व बनाई गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) कुछ समय से कानून बनाने की योजना पर विचार किया जा रहा है।

(ख) संबंधित पक्षों से आवश्यक विचार-विमर्श किया जा रहा है।

गुजरात को अनाज की सप्लाई

324. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर 1967 में गुजरात सरकार ने केन्द्र से कितना अनाज मांगा था ;

(ख) उपरोक्त अवधि में केन्द्रीय सरकार ने गुजरात राज्य को कितना अनाज दिया है ; और

(ग) गुजरात राज्य में केन्द्रीय खाद्य सहायता पूरी न मिलने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) 405,000 टन।

(ख) लगभग 185,000 टन।

(ग) केन्द्र से सब राज्यो की पूरी मागों को पूरा करने के लिये पर्याप्त मात्रा में अनाज का प्राप्त न होना। केन्द्र से प्राप्त अनाज को कमी वाले राज्यों में तथा सम्भवि समान रूप से बांट कर दिया गया है।

भारत के लिये अमरीका से उपहार के रूप में तम्बाकू के पार्सल

325. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरी की सरकार से यह अनुरोध किया है कि वे अपने डाकघरों को ऐसा आदेश दें कि वे भारत का पता लिखे हुए तम्बाकू के पार्सल स्वीकार न करें ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी नहीं। संयुक्त राज्य अमरीका से तम्बाकू के उपहार पार्सलों का भारत में आयात किया जा सकता है बशर्ते कि आयात किये जाने वाले तम्बाकू का मूल्य लागत-बीमा-भाड़े (सी० आई० एफ०) सहित किसी एक बार में 160 रुपये से अधिक न हो।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनाज की फसल वाली भूमि में पानी का जमा हो जाना

326. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा किये गये एक अध्ययन से यह पता चला है कि अनाज के पौधों में पानी जमा हो जाने से देश में प्रतिवर्ष अनाज के उत्पादन की 20 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक क्षति होती है;

(ख) यह पानी किन कारणों से जमा होता है; और

(ग) उपर्युक्त परिषद् के अध्ययन के अनुसार इन कारणों से होने वाली क्षति को यथासंभव कम करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) अनेक भारतीय तथा विदेशी कृषि वैज्ञानिकों के अध्ययनों से पता चलता है कि अनाज के पौधों के गिर जाने से 10 से लेकर 60 प्रतिशत से भी अधिक सीमा तक उत्पादन गिर जाता है।

(ख) पौधों के भूमि पर गिरने के कारण निम्नलिखित हैं :--

1--नाइट्रोजन उर्वरकों की अधिकता तथा अधिक बीज डालने से रासायनिक मिश्रण तथा सैलों के आन्तरिक परिवर्तनों के कारण तनों की मजबूती कम हो जाती है और यह बात विशेषकर उस समय होती है जबकि पौधे लम्बी किस्म के हों।

2--सिंचाई या वर्षा की नमी उत्पन्न होने के पश्चात् जब तेज वायु चले तो पौधे गिर जाते हैं।

(ग) अनुसन्धानों से पता चला है कि :-

1--फसल के बढ़ते समय यदि समय-समय पर नाइट्रोजनपूरक उर्वरक की थोड़ी मात्रा का प्रयोग किया जाए तो कुछ सीमा तक पौधे गिरने से बच जाते हैं।

2--यदि पौधों की किस्में ऐसी हों जिनके तने अधिक मजबूत हों कि वे बालों का भार आसानी से सहन कर सकें या रूट वेट / शूट वेट का अनुपात अधिक हो या ये तीनों बातें मौजूद हों तो पौधे गिरने से और भी अधिक बचे रहते हैं। परन्तु यदि भारी वर्षा हो और साथ ही तेज हवा चले तो भी ये किस्में भूमि पर गिर जाती हैं।

इससे बचने का उपाय यह है कि किस्में ऐसी हों जिनके पौधे छोटे और तने मजबूत हों। यह शर्त गेहूँ, चावल बाजरे तथा सरघम की बौनी किस्मों में पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार की किस्मों में यदि नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग किया जाए (जैसे नाइट्रोजन की 80 पौंड प्रति एकड़ या इससे अधिक मात्रा) तो ये किस्में गिरने से बच जाती हैं जबकि ऐसी स्थिति में लम्बे पौधों वाली किस्में पूर्णतः भूमि पर गिर जाती है। यही कारण है कि बौनी किस्मों से लम्बी किस्मों की तुलना में अधिक उत्पादन होता है।

केन्द्रीय क्षेत्र में उद्योगों द्वारा बोनस अधिनियम का उल्लंघन

327. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय क्षेत्र में कुछ उद्योगों ने बोनस अधिनियम का उल्लंघन किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन उद्योगों के राज्यवार, नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी):

(क) जी हाँ।

(ख) एक विवरण, जिसमें उन पक्षों के नाम दिए गए हैं जिनके विरुद्ध अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के कारण अभियोजन चलाए गए हैं या चलाये जा रहे हैं, सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 1527/67]

Link Line between Bamanwas and Lalsot P. C. Os. in Rajasthan

328. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Bamanwas P.C.O. and Lalsot P. C. O. in Rajasthan are only at a distance of 37 kilometres ;

(b) whether it is also a fact that to connect Bamanwas with Lalsot on telephone the call has to be routed through Gangapur, Sawai Madhopur, Jaipur and Dausa, a distance of 329 kilometres ;

(c) whether it is proposed to lay a link line between Bamanwas P.C.O. and Lalsot P.C.O. to overcome this difficulty ;

(d) if so, when ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes.

(b) Yes. The present routing of calls between Gangapur (Parent exchange for Bamanwas PCO) and Dausa (Parent exchange for Lalsot PCO) is via Hindon, Sawai Madhopur and Jaipur. Instructions have been issued to route these calls via Agra and Jaipur thereby eliminating one intermediate transit exchange.

(c) No.

(d) Does not arise.

(e) On an average there are only 2 calls in a month between Bamanwas and Lalsot Public Call Offices. Provision of a direct line between these two stations will, therefore, be highly unremunerative.

Direct Postal Service between Lalsot and Bamanwas Post Offices.

329. **Shri Meetha Lal Meena**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a postcard has to cover a distance of 329 kilometres to reach Lalsot Post Office from Bamanwas Post Office (Rajasthan) ;

(b) whether it is also a fact that these two Post offices are situated only at a distance of 38 kilometres from each other ;

(c) whether it is also a fact that traffic facilities or other facilities for carrying 'dak' in between these two post offices are available there ;

(d) whether direct postal service is also proposed to be started between these two post offices ; and

(e) if so, when, and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communi cations (Shri I. K. Gujral) :

(a) In the existing mail arrangement a postcard has to travel a distance of 429 kms. from Lalsot to Bamanwas whereas in the reverse direction from Bamanwas to Lalsot it has to cover a distance of 317 kms. as different train services, depending on the availability, are utilised.

(b) Lalsot and Bamanwas Post Offices are situated at a distance of 30 kms. on Bus route.

(c) Yes.

(d) and (e). The proposal to introduce a direct postal service between Lalsot and Bamanwas was so far found unjustified as the volume of traffic did not justify such introduction. However, the matter is being further examined.

Telephone Connections in Chaksu (Rajasthan)

330. **Shri Meetha Lal Meena** :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several parties in Chaksu District of Jaipur, Rajasthan have applied for new telephone connections ;

(b) whether some parties have deposited the money of the Demand Notices ;

(c) whether inspite of that they have not been provided with telephone connections ;

(d) if so, the reasons therefor ; and

(e) if the telephone connections are being installed, the time by which they will start functioning ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral):

(a) in all 17 applications were received for new connections at Chaksu. Out of these 11 were received on 14-10-67.

(b) None of the applicants has either been invited to pay the demand note or has made any payment.

(c) and (d). Do not arise in view of answer to (b) above.

(e) Installation of a 25 line automatic exchange has been sanctioned for Chaksu and all the applicants will be provided with telephone connections after installation of this exchange.

Telephone Link between Gangapur City and Sawai Madhopur.

331. **Shri Meetha Lal Meena :**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is fact that there is no direct telephone link between Gangapur City (W.Rly.) and Sawai Madhopur ;

(b) if so, the time by which this telephone link will be provided ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) There is no direct telephone link between Gangapur City & Sawai Madhopur.

(b) In about a year's time.

(c) Does not arise.

भू-राजस्व से छूट

332 **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत सी राज्य सरकारों ने हाल ही में भू-राजस्व से छूट देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 1528/67]

(ग) भू-राजस्व राज्य का विषय है, अतः राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से सलाह नहीं लेतीं । इसलिए इस मामले में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न ही नहीं होता ।

प्रादेशिक भाषाओं में विधियों का प्रकाशन

333. **श्री स० चं० सामन्त : श्री चन्द्रशेखर सिंह :**

क्या **विधि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विभिन्न प्रदेशिक भाषाओं में विधियों के प्रकाशन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की गई है;

(ग) क्या इस काम की गति को तेज करने के लिए कोई आवश्यक व्यवस्था बनाई गई है; और यदि हाँ, तो वह क्या है; और

(घ) क्या सारा अपेक्षित कार्य पाँच वर्षों में पूरा हो जाएगा ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण):

(क) से (घ)—केन्द्रीय विधियों तथा राज्य विधियों का विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद उन विषयों में था जिन पर 1 सितम्बर, 1967 को हुए राज्यों के विधि मंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श हुआ था। सम्मेलन में इस बात पर साधारणतया सहमति थी कि हिन्दी से भिन्न प्रादेशिक भाषाओं में, केन्द्रीय विधियों का अनुवाद केन्द्रीय स्तर पर, या केन्द्र के तत्वाधान में, राज्य स्तर के समुचित अभिकरण के निकट सहयोग से, किया जाना चाहिए, तथा राज्य विधियों के अपनी-अपनी प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद की, सम्बन्धित राज्य सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। केन्द्रीय विधियों के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद के लिए काम में लाई जाने वाली मशीनरी तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रक्रमबद्ध कार्यक्रम के निर्माण के विषय पर राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किए जाने की प्रस्थापना है। इस प्रक्रम पर यह कहना तो संभव नहीं है कि इस कार्य को पूरा करना कब तक संभव होगा।

साधारण निर्वाचन सम्बन्धी रिपोर्ट

334. **श्री स० चं० सामन्त : श्री श्रद्धाकर सूपकार :**

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चुनाव आयोग चौथे साधारण निर्वाचन सम्बन्धी रिपोर्ट सरकार को कब तक देगा;

(ख) क्या आयोग ने अन्तरिम रिपोर्ट अथवा अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, और यदि हाँ, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या आयोग को विभिन्न राज्यों के मुख्य निर्वाचन आफिसरों से रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं ?

विधि मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण):

(क) भारत में चौथे साधारण निर्वाचन, 1967 के बारे में निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट की जिल्द–II (सांख्यिकीय) प्रकाशित हो चुकी है और आज सदन के पटल पर रखी जा रही है; रिपोर्ट के वृतान्त वाले भाग (जिल्द–I) को अन्तिम रूप इस वर्ष के अन्त तक दे दिए जाने की संभाव्यता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) राज्य मुख्य निर्वाचन आफिसर साधारण निर्वाचनों के बारे में कोई भी रिपोर्ट तैयार नहीं करते हैं और न निर्वाचन आयोग को भेजते हैं क्योंकि उन से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं माँगी जाती है; किन्तु, निर्वाचनों के बारे में जानकारी तथा सामग्री देने को उनसे कहा जाता है। जानकारी तथा सामग्री कुछ राज्य मुख्य निर्वाचन आफिसरों से तो प्राप्त हो चुकी है तथा अन्य राज्य मुख्य निर्वाचन आफिसरों से जानकारी तथा सामग्री की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

Posts of Hindi Stenographers Reserved for S. C. & S. T. Persons.

335. **Shri Molahu Prasad :**

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) the number of posts of Hindi Stenographers in his Ministry ;

(b) the number of posts reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the directives of the Ministry of Home Affairs ;

(c) whether all the reserved posts had been filled up by the persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri D. R. Chavan) ;

(a) to (d) There is no post of 'Hindi Stenographer' in the Ministry of Law. There are, however, 26 posts of bilingual Stenographers (i. e. English-cum-Hindi and English-cum-regional languages). Out of these posts, four posts were reserved for Scheduled Castes and two posts for Scheduled Tribes according to the reservation orders in force. However, no qualified candidates were available for any of these reserved posts, despite all efforts for recruitment made through Employment Exchanges, open advertisement in the newspapers and direct requests to the respective organisations of Scheduled Castes/Tribes.

Hindi Stenographers

336. **Shri Molahu Prasad :**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of posts of Hindi Stenographers in his Ministry ;

(b) the number of posts reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the orders of the Ministry of Home Affairs ;

(c) whether all the reserved posts have been filled by persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) :

(a) to (d). There are only two temporary posts of Hindi Stenographers—one each on the personal staff of the Minister and Minister of State for Communications and Parliamentary Affairs. Of the two, only one post has so far been filled up. This post has been filled at the discretion of the Minister of State and the reservation orders are not applicable in such cases.

Central Labour Organisation, Gorakhpur

337. **Shri Molahu Prasad :**

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of persons working in the Central Labour Organisation, Gorakhpur ;

(b) the number of posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ;

(c) whether the persons from Scheduled Castes and Scheduled Tribes are working against all these reserved posts ; and

(d) if not, the reasons therefor ;

(e) the action taken in this regard ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) 165.

(b) Out of 165 posts, 109 are direct recruitment posts from which 12½% and 5% are reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively i.e. 13 for Scheduled Castes and 5 for Scheduled Tribes in accordance with the existing rules.

(c) Eight Scheduled Castes and Scheduled Tribes are working in the Labour Depot at present.

(d) and (e) Due to reduction of posts three junior-most and temporary Lower Division Clerks who happened to be scheduled castes have recently been retrenched according to existing rules. The short-fall will be made good in future recruitment.

Hindi Stenographers

338. **Shri Molahu Prasad :**

Will the Minister of **Labour and Rehabilitataion** be pleased to state :

(a) the number of posts of Hindi Stenographers in his Ministry ;

(b) the number of posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes under orders of the Ministry of Home Affairs ;

(c) whether members belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are working against all these reserved posts ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi):

(a) Two

(b) Nil

(c) and (d) : Do not arise.

Foodgrains Destroyed by Rats

339. **Shri Molahu Prasad :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of foodgrains stored in the Central Government and Food Corporation's godowns which was damaged by rats and rendered unfit for consumption during 1965-66 and 1966-67 ; and

(b) the action taken against those officers responsible for not taking necessary precautionary measures in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) Godowns constructed and used for storage of foodrgains by the Central Govern-

ment and the Food Corporation are rat-proof. In respect only of a small proportion of godowns taken on hire is there some possibility of damage by rats. In such godowns, however, necessary precautionary measures are invariably taken. It is not possible to work out separately the damage caused by rats from the losses in storage caused by other factors such as by driage, insects and birds. The percentages of storage losses in the godowns of the Central Government were 0.13 in 1965 and 0.07 in 1966-67.

(b) Since precautionary measures wherever required are invariably taken no action against any officer has been found to be necessary.

पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग में छंटनी

340. **श्री देवेन सेन :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के महीनों में पश्चिम बंगाल में कई पटसन मिलों के बन्द किए जाने के कारण एक बड़ी संख्या में मजदूरों की छटनी कर दी गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो 1967 के दौरान कितनी पटसन मिलें बन्द की गईं तथा उनके नाम क्या हैं और उनमें काम करने वाले मजदूरों की संख्या क्या थी; और

(ग) क्या बन्द पटसन मिलों को सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है ।

(ग) इस मामले पर 26 अक्तूबर, 1967 को नई दिल्ली में हुए जूट सम्बन्धी औद्योगिक समिति के चौथे अधिवेशन में विचार किया गया । एक सुझाव यह रखा गया कि जूट उद्योग को प्रस्तावित कपड़ा निगम के क्षेत्राधिकार में लाया जाना चाहिए ताकि जहां कहीं आवश्यक हो वहां ऐसी जूट मिलों का प्रबन्ध संभाला जा सके जोकि कुव्यवस्था के कारण बन्द हो गई हों। इस सुझाव को विचार-विमर्श के लिए वाणिज्य मंत्रालय के ध्यान में ला दिया गया है ।

श्रम विवाद

341. **श्री मोहन स्वरूप :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोई ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके द्वारा श्रम सम्बन्धी सभी विवादों को शीघ्र ही निपटाना सम्भव होगा ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना के कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री श्री हाथी : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Sugar Industry in U. P. and Bihar

342. **Shri Ram Sewak Yadav :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that sugar industry, in Uttar Pradesh and Bihar is facing crisis and as a result thereof, the economy of both these States is likely to suffer adversely ;

(b) if so, the reasons therefor and the measures being taken to avert this crisis ;

(c) whether Government are also aware that the cottage industry of Khandsari in Uttar Pradesh is also facing crisis ; and

(d) if so, whether Government are finalising any comprehensive scheme so that sugar, khandsari and gur industries might flourish side by side and the frequent fluctuations in the production of sugarcane and manufacture of sugar could be stopped ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) and (b) The sugar industry in North India, including U. P. and Bihar, has faced difficulties during the last 2 years in the matter of supplies of sugarcane. In order to enable the factories to purchase sugarcane in competition with gur and khandsari, the Government of India have announced the following measures for the season 1967-68 :

(1) The minimum price of sugarcane payable by sugar factories has been increased from Rs. 5.68 per quintal in 1966-67 to Rs. 7.37 per quintal in 1967-68, linked to a recovery of 9.4% or less. The premium for every 0.1% increase in recovery above 9.4 has also been increased from 4 paise to 5.36 paise per quintal.

(2) The factories will be permitted to sell about 40% of their production in the free market subject to periodical releases by Government.

(3) A rebate of 50% in the basic excise duty will be allowed on sugar produced during 1967-68 which is in excess of 80% of the production during the corresponding period in 1966-67.

(4) The excise duty on sugar produced in 1967-68 will be reduced by Rs. 8.35 per quintal.

The above measures are expected to enable factories to pay a much higher price for cane than the minimum fixed by the Government, and to purchase their requirements in competition with gur and khandsari.

(c) Khandsari prices are ruling very high and the khandsari industry does not seem to be facing any crisis.

(d) : The sugar policy announced by the Government for 1967-68 permits the sugar, khandsari and gur industries to flourish side by side.

Land Reforms Programme

343. **Shri Ram Sewak Yadav:**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the programme of land reforms proposed by the Planning Commission has been implemented in all the States, if so, the details thereof ;

(b) whether the attention of Government has been drawn to the facts contained in the book "Bhoomi Sudhar" (Land Reforms) published by the Planning Commission that the States have not implemented the laws pertaining to the consolidation of land holdings;

(c) if so, whether Government have sent any communication in this respect to the States ;

(d) the ceiling of land holdings fixed in different States ;

(e) whether attention of Government has been drawn to the fact that though the States have enacted the laws on ceiling land holdings but the garden, poultry farm, dairy farm and herbs farm have not been included in it ; and

(f) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) to (c) : The progress of land reform in the States has been briefly outlined in the chapter on land reform in the 'Fourth Five Year Plan—A Draft Outline' and set out in details in the review made by the Land Reforms Implementation Committee of the National Development Council. Certain definite recommendations have been made therein for expeditious implementation of land reform. Attention of State Governments has been drawn to these recommendations. Copies of these publications have already been made available to all Members of Parliament.

(d) to (f) : Information relating to level of ceiling fixed in different States and exemption provided from ceiling on holdings is contained in the Planning Commission publication 'Progress of Land Reforms'.

Agricultural Farms

344. **Shri Ram Sewak Yadav** : **Shri Ramesh Chandra Vyas** :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total acreage of land under the various Agricultural Farms run by the Central Government and the acreage of land of each farm ;

(b) whether these agricultural farms are showing profit or loss and the details of their accounts since their inception ; and

(c) the purpose for which these farms are being run ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) There are three Central State Farms, one at Suratgarh (Rajasthan), another at Jetsar (Rajasthan) and the third in the Hirakud Reservoir Periphery in Orissa. The acreage of the three farms is indicated below :—

Suratgarh Farm.	30,331	acres.	
Jetsar Farm	21,319	,,	
Hirakud Farm	2,900	,,	(This is the first phase of the transfer to the Central Govt. by the Orissa Govt. over the next few years of about 10,000 acres)

The profit/loss position of the three farms since their inception is indicated below :

Crop year	Gross profit	Gross loss	Net profit	Net loss
	(Rs. in lakhs)			
Suratgarh Farm				
1956-57	3.11	—	—	2.71
1957-58	1.59	—	—	5.09
1958-59	12.23	—	1.70	—
1959-60	10.35	—	—	2.25
1960-61	16.84	—	2.84	—

1961-62	12.43	—	—	6.23
1962-63	12.09	—	—	6.51
1963-64	9.41	—	—	11.77
1964-65	10.67	—	—	9.94
1965-66	—	6.50	—	24.17
1966-67	35.35	—	18.6	— (subject to final audit)

Jetsar Farm

1964-65	0.44	—	—	1.44
1965-66	—	0.96	—	3.68
1966-67	(Accounts yet to be finalised)			

Hirakud Farm.

The Hirakud Farm has not yet completed one year of its existence. No balance-sheet is, therefore, available.

(c) The main purpose, for which these farms are being run at present, is the production of improved seeds.

जम्मू तथा काश्मीर में केन्द्रीय श्रम कानून

345. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय श्रम कानून जम्मू तथा काश्मीर राज्य में लागू नहीं होते हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उन्हें जम्मू तथा काश्मीर राज्य में भी लागू करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) अन्य कौन कौन से केन्द्रीय कानून उक्त राज्य में लागू नहीं होते हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) ऐसे अधिकांश केन्द्रीय श्रम कानून, जिनके विषय का सम्बन्ध संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची (सूची तीन) की 22, 23, 24 और 36 प्रविष्टियों से है, जम्मू और काश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते ।

(ख) जम्मू और काश्मीर की संवैधानिक स्थिति के कारण ।

(ग) अधिकांश श्रम कानूनों को जम्मू और काश्मीर राज्य पर लागू करने के लिए शीघ्र ही कानून बनाने का विचार है ।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

पंजाब को उर्वरकों की सप्लाई

346. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगली रबी की फसल में गेहूँ का उत्पादन 11·5 लाख टन्स बढ़ाने के लिए पंजाब सरकार ने एक जोरदार कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त मात्रा में रासायनिक उर्वरक दिये जाने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी हां । पंजाब सरकार ने 15·00 लाख एकड़ भूमि को मैक्सिकन गेहूँ की अधिक उत्पादनशील किस्मों के अन्तर्गत लाने की योजना बनाई है। आशा है कि इससे 8 से 9 लाख मीटरी टन अतिरिक्त उपज होगी।

(ख) जी हां।

मजूरी बोर्डों की सिफारिशों को कानूनी तौर पर लागू करना

347. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मजूरी बोर्डों की सिफारिशों के कानूनी तौर पर प्रवर्तन के लिये उपबन्ध बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किए जाने की संभावना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) सितम्बर, 1967 में हुए स्थायी श्रम समिति के 27 वें अधिवेशन की सिफारिशों के अनुसार नियुक्त द्विपक्षीय समिति की सिफारिशें उपलब्ध होने के बाद इस मामले पर विचार विमर्श करने का इरादा है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

खेमकरण का पुनर्निर्माण

348. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खेमकरण में सरकारी इमारतें तथा एक रिहायशी बस्ती बनाने की पंजाब सरकार की योजना स्वीकृत कर ली है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्य के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) और (ख) जी हाँ । खेमकरण में सरकारी इमारतों और एक रिहायशी बस्ती बनाने के लिये 35 लाख रुपये के खर्च का अनुमोदन कर दिया गया है।

श्रमिकों को रियायतें

349. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इंजीनियरी संस्था ने यह निश्चय किया है कि भविष्य में संस्था का कोई भी सदस्य दबाव में आकर श्रमिकों को कोई भी रियायत नहीं देगा; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) श्रम मंत्रालय को यह मालूम नहीं है। इंजीनियरी उद्योग के औद्योगिक संबन्ध राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Non-Availability of Improved Seeds

350. **Shri Raghuvir Singh Shastri** :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the farmers particularly, the small farmers, are facing great difficulty in sowing the next crop due to the non-availability of the improved seeds ;

(b) whether the farmers are experiencing difficulty also in obtaining improved seeds produced by the Indian Agricultural Research Institute, New Delhi ; and

(c) the steps taken by Government to check the blackmarketing in improved seeds and to ensure timely adequate supply thereof to farmers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) The distribution of seeds to farmers is the responsibility of the State Governments. Requests of States, who wanted the assistance of the Government of India in procurement of seeds for Rabi sowings from other States, have generally been met.

(b) and (c) There have been demands for wheat seeds of the newly evolved varieties by the All-India Wheat Co-ordinated Research Programme. This Research Programme had been engaged for some time on the evolution of some new strains of wheat. The promising varieties were being tried by different Research Stations at several centres in the country. One of these new strains, viz., Sharbati Sonora, was released by the Central Vareties Release Committee in its meeting held on 11th May, 1967, for general cultivation in the country. Data of trials in respect of other varieties has since been collected and scrutinized by the All-India Wheat Research Workers' Conference. This Conference has recommeded the release of some of these varieties. These recommendations would now be considered by the Central Varieties Release Committee ; before the varieties are released for general cultivation in the country. In the meantime, steps are being taken to organise seed multiplication programmes of these varieties, so that quality seeds would become available to the cultivators during Rabi 1968-69.

Reports have been received that seeds of some of these varieties are being sold by certain farmers in some places. Before a new variety is released for general cultivation, it is tried for 2-3 years to find out its suitability from all points of view. Some of these trials are also held at the farmers fields. Apparently, some farmers took advantage of such trials and organised, on their own, seed multiplication from the seed given to them for trials, and started selling them to others, even before they were released. Steps are being taken to ensure that such things do not happen in future.

Reduction in Postal Rates

351. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Government propose to effect reduction in the postal rates ; and

(b) if so, the details in this regard ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (**Shri I. K. Gujral**) : (a) There is no such proposal at present .

(b) Does not arise.

दिल्ली के लिये चीनी और चावल का कोटा

352. **श्री हरदयाल देवगुण : श्री बलराज मधोक :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली महानगर परिषद ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि दिल्ली के चीनी और चावल के कोटे में वृद्धि की जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) सितम्बर, 1967 में चीनी का कोटा 60,000 क्विन्टल था जिसे बढ़ाकर 63,000 क्विन्टल प्रतिमास कर दिया गया है। पिछले कुछ महीनों में केन्द्र के पास चावल की उपलब्धता न होने के कारण दिल्ली में राशन में चावल की मात्रा में कमी कर दी गई है। जैसे ही पर्याप्त मात्रा में स्टाक जमा हो जायेगा इस कटौती को फिर से पूरा कर दिया जायेगा ।

ट्रैक्टरों और उनके पुर्जों का राजकीय व्यापार

353. **श्री रणधीर सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैक्टरों और उनके पुर्जों की बिक्री तथा किसानों को ट्रैक्टर और उनके पुर्जे उचित मूल्य पर देने का काम राजकीय व्यापार निगम के माध्यम से अपने हाथ में लेने का सरकार का विचार है ताकि देश में अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिये किसानों को प्रोत्साहन मिले ; और

(ख) यदि हा, तो कब से और, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) **और** (ख) : राज्य व्यापार निगम के माध्यम से 2000 ज़ेटर 2011 ट्रैक्टरों को चैकोस्लावेकिया से आयात किया जायेगा और एग्रो-इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन के माध्यम से उन्हें विभिन्न राज्यों में वितरित किया जाएगा । रूसी ट्रैक्टरों को एग्रो-इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन के माध्यम से मंगाने व वितरण करने का प्रस्ताव विचाराधीन है । ज़ेटर 2011 ट्रैक्टरों के पुर्जे राज्य

व्यापार निगम के माध्यम से आयात होंगे। अन्य स्रोतों से नाममात्र ही आयात होता है। अतः ऐसी योजना को समस्त आयातित ट्रैक्टरों पर लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं। जो ट्रैक्टर भारत में तैयार होते हैं वे विनिर्माताओं के एजेंटों के माध्यम से वितरित किये जाते हैं।

उर्वरकों के मूल्य

354. **श्री रणधीर सिंह :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उर्वरकों के वर्तमान अत्यधिक मूल्य किसानों को बहुत निराश करने वाले हैं क्योंकि वे देश में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्हें खरीद नहीं सकते हैं ;

(ख) क्या इस संकट से समय खाद्य उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए मूल्यों में पचास प्रतिशत तक राज सहायता देने का मूल्य पचास प्रतिशत तक घटा देने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) से (ग) : उर्वरक का प्रयोग वर्तमान उर्वरक-मूल्यों के बावजूद भी मितव्ययी है विशेषकर विदेशी तथा संकर किस्मों की फसलों के लिए जिन से प्रति एकड़ अधिक उपज प्राप्त होती है। कृषि जिन्सों की बढ़ी हुई कीमतों को देखते हुए वर्तमान मूल्यों के बावजूद भी किसान उर्वरक के प्रयोग को लाभदायक समझते हैं। उर्वरकों की मांग अब भी उपलब्ध सप्लाई से अधिक है और किसानों द्वारा उसका पूरा उपयोग होता है। उर्वरक के प्रयोग में बढ़ी हुई कीमतें रुकावट नही डालतीं। अतः उर्वरकों के मूल्यों में कमी करने का उनके लिये आर्थिक सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस समय मुरिस्ट-आफ पोटास और ग्राऊन्ड राकफौसफेट पर ही आर्थिक सहायता दी जाती है। फिर भी मनीपुर, त्रिपुरा अन्डेमान एवं निकोबार और लकाडीव एण्ड मिनिको ग्रूप आफ आइलैण्ड्स के संघ क्षेत्रों में निम्नलिखित रूप से आर्थिक सहायता दी जा रही है :—

क्षेत्र	1967-68 में सहायता का मूल्य नाईट्रोजन उर्वरक	फासफेटिक उर्वरक
मनीपुर त्रिपुरा तथा अन्डेमान ऐण्ड निकोवार आइलैण्ड	खुदरा मूल्य का 20 प्रतिशत	खुदरा मूल्य का 40 प्रतिशत
लकाडीव तथा मिनिको आइलैण्ड	खुदरा मूल्य का 25 प्रतिशत	खुदरा मूल्य का 50 प्रतिशत

आर्थिक सहायता अधिक मंहगी पड़ती है इस बात को दृष्टि में रखते हुए पहली अप्रैल, 1967 से उर्वरकों पर दी जाने वाली अन्य आर्थिक सहायताएं बन्द कर दी गई थीं।

काजू-बागान

355. **श्री सम्बन्धन :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काजू-बागान में वृद्धि करने के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) (क) जी हाँ।

(ख) चतुर्थ योजना में अतिरिक्त 6·00 लाख एकड़ का लक्ष्य रखा गया है । काजू के नये बाग केरल, मैसूर, मद्रास, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, गोआ, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के वन तथा बिना वन के क्षेत्रों में लगाये जायेंगे । प्रोत्साहन के लिए दीर्घकालीन ऋण देने की पेशकश की गई है और केरल, मैसूर तथा गोआ में अधिक उत्पादनशील पेड़ों की एयर लेयर्ज के विषय में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना मंजूर की गई है।

गांवों में डाकघर, बचत बैंक, तारघर तथा टेलीफोन एक्सचेंज

356. **श्री गं० च० दीक्षित :**

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चौथी पंच वर्षीय योजना अवधि में न केवल नगरों तथा कस्बों में अपितु ग्रामों में भी डाकघर, बचत बैंक, तारघर तथा टेलीफोन एक्सचेंजों का विचार कर रही है ;

(ख) क्या चौथी पंच वर्षीय योजना अवधि में महाराष्ट्र में 500 से अधिक डाकघर खोलने का भी सरकार का विचार है ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में ग्रामों में तथा मध्य प्रदेश में कितने डाकघर, बचत बैंक, तारघर तथा टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने की सम्भावना है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी हाँ ।

(ख) जी हाँ।

(ग) मध्य प्रदेश में खोले जाने वाले 920 प्रस्तावित डाकघरों में से 850 ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाने की सम्भावना है ।

250 तारघर, 55 सार्वजनिक टेलीफोन घर और 69 टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है । उनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जायेंगे ।

डाकघरों को बचत बैंक के अधिकार देने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

Restrictions on Production of Gur

357. **Shri Deorao Patil** :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government of Maharashtra have requested that restrictions be put on the production of Gur ; and

(b) if so, the action taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

उर्वरकों की ढुलाई

358. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न पत्तनों पर उर्वरकों की ढुलाई के लिये रेलवे डिब्बों की कमी का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) और (ख) : माननीय सदस्य शायद देश के विभिन्न भागों में उर्वरकों की ढुलाई के बारे में जिक्र कर रहे हैं । खाद्यान्नों तथा उर्वरकों के लिए वैगनों का एक मिला जुला कोटा है । ढके हुए वैगनों की कमी के कारण या खाद्यान्नों की ढुलाई को प्राथमिकता देने के कारण कभी-कभी उर्वरकों की ढुलाई के लिए पर्याप्त वैगन मिलने में कठिनाई हो जाती है । हाल ही में रेलवे बोर्ड ने खाद्यान्नों तथा उर्वरकों के लिए वैगनों के कोटा को बढ़ाना स्वीकार किया है । रेल द्वारा लाने ले जाने के साथ-साथ सड़क तथा ट्रालरों द्वारा ढुलाई भी की जाती है । फलस्वरूप बन्दरगाहों और कारखानों से उर्वरकों की ढुलाई इस समय संतोषजनक है ।

कृषि मूल्य आयोग के प्रतिवेदन

359. **श्री मधु लिमये** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि-मूल्य आयोग द्वारा प्रस्तुत किये गये कितने प्रतिवेदन अब तक प्रकाशित किये गये हैं ;

(ख) उन सभी प्रतिवेदनों को प्रकाशित न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार सभी प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) अब तक कृषि मूल्य आयोग की 6 रिपोर्टें प्रकाशित हो चुकी हैं ।

(ख) आयोग की समस्त रिपोर्टों को सरकारी टिप्पणियों के साथ प्रकाशित करने का निश्चय किया गया है ।

(ग) ज्यों ही रिपोर्टों के विषय में निर्णय हो जायेगा और वे प्रकाशित हो जायेंगी, उन्हें सदन के पुस्तकालय में रख दिया जायेगा ।

चीनी का उत्पादन

360. **श्री मधु लिमये :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू फसल में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और दूसरे गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में चीनी के उत्पादन और उसकी उपलब्धता की क्या स्थिति है ; और

(ख) आगामी वर्ष में गहन खेती के उपायों के द्वारा गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे)

(क) चालू फसल । अक्तूबर, 1967 से आरम्भ हुई है । 31, अक्तूबर, 1967 की अपेक्षित जानकारी का एक विवरण पुस्तकालय में रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी ०** 1529/67]

(ख) मुख्य चीनी उत्पादन करने वाले राज्यों में प्रत्येक चीनी कारखाने के 4,000 क्षेत्रों में गहन खेती के उपायों द्वारा गन्ने के उत्पादन बढ़ाने के लिये कार्य किए जा रहे हैं ।

कृषि सम्बन्धी अनुसंधान

361. **श्री मधु लिमये :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान करने वाली विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए गये काम और उन्हें मिली सफलता का पुनर्विलोकन किया है ;

(ख) धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास तथा पटसन मुख्य फसलों के लिए इन संस्थाओं में तैयार किए गये उन्नत बीजों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस अनुसंधानों के परिणामों का कृषि में उपयोग करने से कितना अधिक उत्पादन हुआ है ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) जी हाँ ।

(ख) हाल ही के वर्षों में किए गए फसल सुधार अनुसन्धान के परिणामस्वरूप गेहूँ, चावल तथा मकई, ज्वार तथा बाजरा की किस्मों का विकास किया गया है और वाणिज्य संबंधी

खेती के लिए दे दिए गए हैं । इनमें ये शामिल हैं । : ताइचुंग नेटिव 1, 1 आर–8 तथा चावल के ए. डी. टी.–27, लरमा रोजो व सोनोरा 64 गेहूँ, ज्वार किस्में सी.एस. एच.1 तथा सी. एस. एच. 2, बाजरा हाइब्रिडस, एच. बी.1 एण्ड एच. बी. 2, मकई हाइब्रिड–गंगा 1, गंगा 101, गंगा रोफड 2 गंगा 3, ही – स्टार्च हाइब्रिड मक्का, डकन, रणजीत तथा मकई की 6 किस्में जिनके नाम हैं :– जवाहर, अम्बर, किसान, बिक्रम, सोना तथा विजय ।

(ग) अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय ने पहले ही चावल तथा गेहूँ, मकई, ज्वार तथा बाजरा की अधिक उपज देने वाली किस्मों को शुरू कर दिया है ।

(घ) जी हाँ ।

(ङ) तथा (च) प्रश्न ही नहीं होता ।

(छ) जी हाँ ।

(ज) निम्न प्रस्ताव प्राप्त हुए थे :

(1) सर्वश्री मोरारजी कैमीकल कम्पनी ने महाराष्ट्र में एक उर्वरक कारखाने का प्रस्ताव रखा था । अनुमान है कि इस परियोजना पर 21·50 करोड़ रुपये व्यय होंगे जिसमें से 10·55 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के होंगे । आयातित अमोनिया का प्रस्ताव रखा गया था । कच्ची सामग्री के लिए सलफर या राक फासफेट का प्रयोग किया जाना था इस परियोजना की क्षमता 90,000 मीटरी टन नाईट्रोजन तथा 230,000 मीटरी टन पी $_2$ ओ $_5$ की होगी ।

(2) सर्वश्री पिलानी इन्वैस्मेन्ट कारपोरेशन ने उर्वरक संयन्त्र के लिए मिर्जापुर का प्रस्ताव भेजा था और कच्ची सामग्री के लिए नेपथा का प्रयोग होना है । योजना पर अनुमानतः 46·00 करोड़ रुपये व्यय होंगे जिसमें 18·75 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय होगी । परियोजना की कार्य क्षमता 160,000 मीटरी टन नाईट्रोजन होगी ।

(3) सर्वश्री इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड ने कान्दला का चुनाव किया है । परियोजना में कच्ची सामग्री के लिए नेपथा तथा फासफेरिक एसिड का प्रयोग होगा । परियोजना पर अनुमानतः 89·25 करोड रुपया व्यय होगा जिसमें से 38·17 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा होगी । इसकी क्षमता 215,000 मीटरी टन नाइट्रोजन, 127,000 मीटरी टन पी$_2$ ओ$_5$ तथा 66,000 मीटरी टन के$_2$ ओ होगी ।

(4) सर्वश्री टाटा कैमिकल ने मिथापुर में फर्टिलाइजर / मैराइन कैमिकल कम्पलैक्स की स्थापना का प्रस्ताव भेजा है । अभी इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

भारत सरकार ने उपरोक्त (1) को स्वीकार नहीं किया है । (2) पर विचार हो रहा है । (3) के बारे में कम्पनी से पत्र–व्यवहार हो रहा है । इन परियोजनाओं के शुरू होने से नाइट्रोजनपूरक व कम्पलैक्स उर्वरकों के आयात की बचत हो जायेगी क्योंकि जितना उत्पादन होगा उतना ही आयात कम हो जायेगा । जब तक निर्माण तथा उत्पादन के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हो जाता तबतक यह नहीं कहा जा सकता कि वर्ष भर में कितने आयात की बचत होगी ।

दिल्ली में सहकारी समितियां

362. **श्री बालगोविन्द वर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की सहकारी समितियाँ बम्बई राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1925 (दिल्ली में लागू किए गए रूप में) के अन्तर्गत समिति दायित्व के सिद्धान्तों का पालन करती हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो दिल्ली प्रशासन द्वारा जारी किए गए विनियमों के अन्तर्गत सहकारी बचत तथा ऋण समितियों के लिए कितना दायित्व निर्धारित किया है ;

(ग) क्या दिल्ली की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने सहकारी बचत तथा ऋण समितियों को ऋण दायित्व के साथ सम्बद्ध करने का निर्देश दिया है और उन्हें सलाह दी है कि वे प्रत्येक सदस्य द्वारा खरीदे जाने वाले प्रदत्त अंशों का दस गुना दायित्व बढ़ायें ;

(घ) रजिस्ट्रार ने किन कारणों से यह निर्देश जारी किया है ; और

(ङ) दायित्व में इतनी अधिक वृद्धि करने से क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हाँ ।

(ख) दिल्ली प्रशासन के किसी भी विनियम द्वारा दायित्व की सीमा निर्धारित नहीं की गई है, किन्तु समितियों की उप-विधियों में इसकी व्यवस्था है ।

(ग) सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने निर्देश दिया है कि वैयक्तिगत सदस्यों को दिए जाने वाले ऋण उनके दायित्व की सीमा से नहीं बढ़ने चाहिए ।

(घ) और (ङ) : इससे सदस्यों के अंश पूंजी अंशदान में वृद्धि होने की सम्भावना है; क्योंकि वे इसे अपनी ऋण आवश्यकताओं से सम्बद्ध करना चाहेंगे । यह ऋणदाताओं तथा जमा कर्ताओं के हितों की रक्षा करेगा और समितियों की निजी निधियों को मजबूत बनाएगा ।

दिल्ली में सहकारी समितियां

363. **श्री बालगोविन्द वर्मा :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋण को दायित्व के साथ सम्बद्ध करने के बारे में दिल्ली की सहकारी समितियों के रजिट्रार का निर्देश उनके मंत्रालय के नीति निर्णय के आधार पर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस निर्देश को लागू किये जाने से सहकारी समितियों की अंश पूंजी बढ़ेगी और यदि हां, तो किस प्रकार से; और

(ग) क्या इससे दिल्ली में सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा मिलेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) :

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : रजिस्ट्रार के निर्देश से सदस्यों से अधिक अंश पूंजी एकत्रित करने

में सहायता मिलने की आशा है, क्योंकि वे इसे अपनी ऋण आवश्यकताओं से सम्बद्ध करना चाहेंगे। इससे समितियों की निजी निधियाँ मजबूत होंगी और सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा मिलेगा।

पश्चिम बंगाल को खाद्यान्न की सप्लाई

364. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :**

क्या **खाद तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 1967 से अब तक केन्द्रीय भण्डार में से पश्चिम बङ्गाल को प्रति मास चावल और गेहू कितनी-कितनी मात्रा में दिया गया ;

(ख) क्या दिये गये वचन से जितनी कम सप्लाई की गई थी अब वह पूरी कर दी गई है ;

(ग) नवम्बर से आगे के लिये राज्य सरकार ने कितना मासिक कोटा मांगा है; और

(घ) इस मांग के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(क)

महीना	1000 टनों मे सप्लाई की गई मात्रा	
	चावल	गेहूं
अगस्त, 1967	14.5	1,00.1
सितम्बर, 1967	8.8	92.7
अक्टूबर, 1967	15.4	93.7
	38.7	286.5

(ख) जी, नहीं

(ग) अभी तक नवम्बर, 1967 और उससे आगे के किसी महीने के लिये विशेष कोटे की माँग नहीं की गई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मजूरी बोर्ड

365. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मजूरी बौर्डों की सम्भाव्य सिफारिशों का वित्तीय परिणामों का निर्धारण करने के लिये भविष्य में स्थापित किये जाने वाले मजूरी बोर्डों में वित्त मंत्रालय को सीधा प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कर्मचारी तथा नियोजकों के केन्द्रीय संगठनों से परामर्श किया गया था ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी):

(क) ऐसा कोई निर्णय नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

Super Bazars in Delhi

366. Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total sale made in the Super Bazars of Delhi in the quarter from August to October, 1967 ; and

(b) the net profit earned out of the same ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy). (a) Rs. 1,38,26,000

(b) The net profits are worked out only at the end of the Co-operative Year i.e. from July to June.

दिल्ली में जाली राशन कार्ड

367. **श्री ओंकार लाल बेरवा:**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के राशन वाले क्षेत्र में अगस्त-सितम्बर, 1967 के दौरान कितने जाली राशन कार्ड पकड़े गये हैं।

(ख) उनके लिये कितने व्यक्तियों को सजा दी गई है; और

(ग) किस प्रकार की सजा दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(क) 13.

(ख) और (ग) तीन मामलों में प्रत्येक व्यक्ति पर 100 रुपये जुर्माना किया गया। चौथे मामले में 50 रुपये जुर्माना किया गया।जिन चार व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया उनमें से दो को न्यायालय के उठने तक कैद की सजा दी गई।

खाद्यान्न सम्बन्धी आवश्यकता

368. **श्री सीताराम केसरी:**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर में खाद्यान्न का वार्षिक उत्पादन लगभग चार लाख टन है और केन्द्रीय सरकार प्रतिवर्ष डेढ़ लाख टन खाद्यान्न इस राज्य को देती है और इस प्रकार राज्य के पास कुल साढ़े पाँच लाख टन खाद्यान्न हो जाता है तथा राज्य की खाद्यान्न सम्बन्धी वार्षिक कुल आवश्यकता लगभग तीन लाख टन की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने का कोई प्रयत्न किया है कि आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न कहाँ जाता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(क) जम्मू और कश्मीर में खाद्यान्नों का उत्पादन, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य को खाद्यान्नों का दिया जाना और राज्य की खाद्यान्न की आवश्यकताएं प्रत्येक वर्ष अलग-अलग होती हैं । पिछले तीन वर्षों में राज्य में खाद्यान्नों का औसतन वार्षिक उत्पादन 5.64 लाख टन था जबकि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को औसतन 1.49 लाख टन खाद्यान्नों की सप्लाई की । वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुपस्थिति में राज्य सरकार की खाद्यान्नों की आवश्यकता के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Foreign Exchange for Import of Rigs

367. **Shri Onkar Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount of foreign exchange provided by Government for the import of rigs from foreign countries for accelerating the digging of wells in Bihar and U. P. ; and

(b) the amount of foreign exchange asked for by Bihar and U. P. Governments for this purpose ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) The necessary information State-wise is as given below :—

State	Amount of foreign exchange released during 1966-67 (in lakhs)	No. of rigs.	Amount of foreign exchange released during 1967-68 upto date (in lakhs)	No. of rigs.	Total foreign exchange
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(i) Bihar	*Rs. 16.00	4 medium percussion rigs from Poland.	Rs. 27.00	9 rigs from U. S. A.	Rs. 43.00
(ii) U. P.	Rs. 51.60	8 rigs against U.S., A.I.D.	—	—	Rs. 51.60

*The State Government did not however, utilise the amount of Rs. 16.00 lakhs.

(b) Same as in columns (2) and (4) above.

खाद्य उत्पादन पर विचार गोष्ठी

370. **श्री क० हाल्दर :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विज्ञान सम्बन्धी राष्ट्रीय संस्था तथा भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा हाल में आयोजित विचार गोष्ठी में क्या सुझाव दिये गये थे;

(ख) अधिक उत्पाद के द्वारा खाद्य के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये इस निकायों ने क्या निर्णय किये हैं; और

(ग) इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सकाहर मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(क) 6 से 8 अक्तूबर, 1967 तक भारतीय विज्ञान सम्बन्धी राष्ट्रीय संस्था और भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा विज्ञान तथा भारत की खाद्य समस्या पर एक सैमीनार आयोजित किया गया। देश के वर्तमान तथा भावी खाद्य आवश्यकताओं की कमियों के मुकाबले खाद्य उत्पादन के स्तर सम्बन्धी वर्तमान स्थिति पर सैमीनार ने विचार किया। पौद तथा पशु संसाधनों से खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के सम्बन्ध में अनेक सुझाव रखे गए। इन में सघन अनुसन्धान तथा अधिक उपज देने वाली किस्मों, मल्टीपल क्रौपिंग, सिंचाई तथा फसल रक्षा उपाय, शुष्क तथा अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में फसल मांस, मुर्गी- पालन मछली आदि के वृद्धि सम्बन्धी विस्तार कार्यक्रम भी शामिल हैं ।

(ख) सैमीनार ने खाद्य उत्पादन की समस्या पर वैज्ञानिक रूप से विचार किया । विभिन्न सिफारिशों को उपयुक्त निर्णय लेने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों के पास भेज दिया जाएगा ।

(ग) सैमीनार की विस्तृत कार्यवाही लिखी जा रही है । खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने वाले महत्वपूर्ण मदों पर भारत सरकार तथा राज्य सरकारें पहले ही कार्यवाही कर रहीं हैं ।

कृषि कार्यक्रमों के लिये बैंकों द्वारा धन दिया जाना

371. **श्री कं० हाल्दर:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को यह निर्देश दिये हैं कि वे वाणिज्यक बैंकों द्वारा कृषि कार्यक्रमों के लिये सीधे रूप से धन दिये जाने आरम्भ किये जाने के लिये आवश्यक सुविधाएँ और प्रशासनिक सहायता देने की व्यवस्था करें; और

(ख) क्या वाणिज्यिक बैंक अगली खरीफ फसल से पूर्व कृषि कार्यक्रम के लिये सीधे वित्तीय सहायता देना आरम्भ कर देंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख) : राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि—

(१) इस दृष्टि से कि वाणिज्य बैंक कृषि ऋणि के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भाग ले सकें, राज्य सरकारों के लिये यह जरूरी होगा कि वे उन्हें अपेक्षित सुविधाएँ सुलभ करें;

(२) वे प्रमुख वाणिज्य बैंकों की प्रोत्साहक प्रतिक्रिया का लाभ उठा सकती हैं और सघन कृषि कार्यक्रमों के लिये क्षेत्र आधार पर आवश्यक कृषि ऋण प्राप्त करने के लिये उनसे बातचीत कर सकती हैं ।

(३) यदि प्रारम्भिक कार्य चालू वार्ष में शुरू किया जाता है, तो वित्त देने का वास्तविक कार्य खरीफ 1968 के पहले समय से आरम्भ करना सम्भव होना चाहिए ।

बैंकिंग उद्योग में औद्योगिक अनुशासन संहिता

372. **श्री कं० हाल्दर** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग उद्योग के प्रबन्धक और कर्मचारी उनके मंत्रालय के संरक्षण में औद्योगिक अनुशासन की स्वेच्छिक संहिता का कड़ाई से पालन करने के लिये सहमत हुए थे ।

(ख) क्या यह भी तय हुआ था कि एक कर्मचारी संघ को, जिसमें अधिकतम सदस्य कर्मचारी होंगे, प्रबन्धकों द्वारा मान्यता दी जायेगी और उसे प्रबन्धकों के साथ कर्मचारियों की ओर से सामूहिक रूप से बातचीत करने का अधिकार होगा,

(ग) क्या कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए स्थानीय, राज्य तथा केन्द्रीय स्तर पर उपयुक्त मार्गदर्शन व्यवस्था करने का निर्णय किया गया था, और

(घ) यदि हाँ, तो इस निर्णय को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हाँ ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) सम्भवतः हवाला शिकायत प्रक्रिया के बारे में है, यदि यह सही है तो उत्तर 'हाँ' है ।

(घ) अनुशासन संहिता अपनाने के सम्बन्ध में इंडियन बैंक एसोसियेशन, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ और अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी एसोसियेशन के प्रतिनिधियों की उप-समिति द्वारा अभी कुछ ब्यौरा तैयार किया जाना है । उप-समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस मामले में आगे कार्यवाही की जायगी ।

अधिक उपज देने वाली फसलें उगाने का कार्यक्रम

373. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिक उपज देने वाली फसलें उगाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत 1966–67 और 1967–68 में कुल कितने एकड़ भूमि में खेती की गई;

(ख) 1966–67 में देश में कुल कितनों मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग किया गया तथा 1967–68 में कितने मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग किये जाने की सम्भावना है;

(ग) 1966–67 में कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के उर्वरकों का आयात किया गया; और 1967–68 में कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के उर्वरकों का आयात किया जायेगा ;

(घ) क्या अधिक उपज देने वाली फसलें उगाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली भूमि की सामान्यतः आवश्यकता को पूरा करने के लिये ये उर्वरक पर्याप्त हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इस आवश्कता को पूरा करने के लिये कुल कितनी मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता है ;

(च) क्या सरकार इस कमी को पूरा करने के लिए कार्यवाही कर रही है और यदि हाँ, तो किस प्रकार ;

(छ) क्या देश में उर्वरकों का उत्पादन करने के बारे में सरकार को जनवरी 1967 से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं : और

(ज) यदि हां, तो किस की ओर से तथा किस कच्चे माल से उर्वरक बनाये जायेंगे और इसके लिये आरम्भ में कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी तथा इससे उर्वरकों के आयात पर होने वाले खर्च में कितनी वार्षिक बचत होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदयिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)

(क) 1966-67 की अवधि में अधिक उत्पादनशील किस्मों का कार्यक्रम 46.6 लाख एकड़ भूमि में फैला हुआ था। इस में से 18.2 लाख एकड़ भूमि का क्षेत्र खरीफ तथा 28.4 लाख एकड़ भूमि का क्षेत्र रबी के मौसम में बोया गया था। 1967–68 की अवधि में खाद्यानों का अधिक उत्पादनशील किस्मों के अन्तर्गत 150 लाख एकड़ भूमि को लाने की योजना तैयार की गई थी। इसमें से 78.5 लाख एकड़ भूमि को खरीफ के मौसम में तथा 71·5 लाख एकड़ भूमि को रबी / गर्मी के मौसम में बोया जाना था। इसके पश्चात् राज्य सरकारों के साथ हुए विचार विमर्श के पश्चात 1967–68 के लिये 162.3 लाख एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कुछ समय पश्चात ही ठीक-ठीक पता चल सकेगा कि उपरोक्त लक्ष्यों का तुलना में वस्तुतः खरीफ 1967 में कितने एकड़ क्षेत्र की बुवाई हो सकी।

(ख)

वर्ष	मीटरी टन नाईट्रोजन के हिसाब से नाईट्रोजनपूरक उर्वरक	$पी_2 औ_5$ के हिसाब से फासफोरस पूरक उर्वरक	$के_2$ ओ के हिसाब से पोटासपूरक उर्वरक
1966–67	8,56,500	2,48,600	1,13,000
1967–68	13,50,000	5,00,000	3,00,000

टिप्पणी :—1966–67 के आकड़े उर्वरकों की उस मात्रा को प्रदर्शित करते हैं जो वास्तव में वितरित की गई। 1967–68 के आकड़े वितरण के लक्ष्य को प्रदर्शित करते हैं।

(ख)

वर्ष	आयात की हुई मात्रा (मीटरी टनो में)	लागत (लाख रुपये)
1966–67	23,05,755	1359.67
1967–68 (अनुमानित)	37,51,000	2128.66

(घ) जी हां

(ङ) तथा (च) प्रश्न ही नहीं होता

(छ) जी हां।

(ज) निम्न प्रस्ताव प्राप्त हुए थे :—

(1) सर्वश्री मोरारजी कैमीकल कम्पनी ने महाराष्ट्र में एक उर्वरक कारखाने का प्रस्ताव रखा था। अनुमान है कि इस परियोजना पर 21.50 करोड़ रुपये व्यय होंगे जिसमें से 10.55 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के होंगे। आयातित अमोनिया का प्रस्ताव रखा गया

था । कच्ची सामग्री के लिये सलफर या राक फासफेट का प्रयोग किया जाना था । इस परियोजना की क्षमता 90,000 मीटरी टन नाईट्रोजन तथा 230,000 मीटरी टन $पी_2 ओ_5$ की होगी ।

(2) सर्वश्री पिलानी इन्वैस्टमैन्ट कारपोरेशन ने उर्वरक संयंत्र के लिये मिर्जापुर का प्रस्ताव भेजा था और कच्ची सामग्री के लिये नेपथा का प्रयोग होना है । योजना पर अनुमानत: 46.00 करोड़ रुपये व्यय होंगे जिसमें 18.75 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय होगी : परियोजना की कार्यक्षमता 160,000 मीटरी टन नाईट्रोजन होगी ।

(3) सर्वश्री इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड ने कान्दला का चुनाव किया है । परियोजना में कच्ची सामग्री के लिये नेपथा तथा फासफेरिक एसिड का प्रयोग होगा । परियोजना पर अनुमानत: 89.25 करोड़ रुपया व्यय होगा जिसमें से 38.17 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा होगी । इसकी क्षमता 215,000 मीटरी टन नाईट्रोजन, 127,000 मीटरी टन $पी_2 ओ_5$ तथा 66,000 मीटरी टन $के_2 ओ$ होगा ।

(4) सर्वश्री टाटा कैमिकल ने मिथापुर में फर्टिलाइजर / मैराइन कैमिकल कम्पलैक्स की स्थापना का प्रस्ताव भेजा है । अभी इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

भारत सरकार ने उपरोक्त (1) को स्वीकार नहीं किया है । (2) पर विचार हो रहा है । (3) के बारे में कम्पनी से पत्र-व्यवहार हो रहा है । इन परियोजनाओं के शुरू होने से नाईट्रोजनपूरक व कम्पलैक्स उर्वरकों के आयात की बचत हो जायेगी क्योंकि जितना उत्पादन होगा उतना ही आयात कम हो जयेगा । जबतक निर्माण तथा उत्पादन के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हो जाता तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि वर्ष भर में कितने आयात की बचत होगी ।

कीड़ों के कारण अनाज की क्षति

374. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटनाशी दवाइयों का प्रयोग करके पोधों की फसली कीड़ों और बीमारियों से रक्षा करने के लिए कोई उपाय किये गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो 1966–67 में कितने क्षेत्र में इन दवाइयों का प्रयोग किया गया और 1967–68 में कितने क्षेत्र में इनका प्रयोग किया जायेगा और इन दवाइयों के प्रयोग से कितने अनाज की बचत हुई है; और

(ग) आगामी वर्षों में कितने क्षेत्र में इनका प्रयोग करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) जी हां। कीटों पर नियन्त्रण पाना राज्यों के कृषि विभागों का कार्य है । कीटनाशक औषधियों की खपत बढ़ गई है जिससे पता चलता है कि पौध रक्षा कार्यों में वृद्धि हो रही है। 1956–57 की अवधि में टेक्निकल ग्रेड मैटीरियल की खपत 3750 मीटरी टन थी जो 1966-67 की अवधि में बढ़कर लगभग 30,000 मीटरी टन हो गई है ।

(ख) 1966–67 में लगभग 600 लाख एकड़ भूमि का उपचार किया गया था । 1967-68 में लगभग 1260 लाख एकड़ भूमि में कीट नाशक औषधियों का प्रयोग होने का अनुमान है ।

ऐसा कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है जिससे पता चले कि कीटनाशक औषधियों के प्रयोग से कितने अन्न को बचाया जा सका है फिर भी कहा जा सकता है कि अन्न उत्पादन में लगभग 10-20 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

(ग) 1968-69 से आगामी तीन वर्षों में प्रति वर्ष 2100 लाख एकड़ भूमि का उपचार करने का विचार है।

पश्चिम बंगाल के गांवों में सहकारी सेवा

375. **श्री क० हाल्दर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के गांवों में ग्राम्य सहकारी समितियों के माध्यम से केन्द्र द्वारा चलाई गई उपभोक्ता सेवा की कितनी योजनाए हैं;

(ख) केन्द्र द्वारा किस प्रकार की सहायता दी जा रही है; और

(ग) ये सहकारी समितियाँ कहाँ कहाँ पर हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी): (क) पश्चिमी बंगाल के गांवों में सहकारी समितियों, अर्थात् सेवा सहकारी समितियाँ तथा विपणन समितियाँ, के माध्यम से उपभोज्य वस्तुओं के वितरण की केवल एक योजना केन्द्र द्वारा चलाई गई है ।

(ख) वर्तमान प्रबन्धों के अनुसार प्राथमिक सहकारी विपणन समितियों को तीन वर्षों की अवधि में प्रति समिति 5,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रबन्धकीय उपदान के रूप में दी जाती है।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अब तक पश्चिमी बंगाल में जिन सहकारी विपणन समितियों को सहायता दी गई, उनकी सूची सभा-पटल पर रखी जाती है [**पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी०** 1530/67]

केरल मे चावल मिल

376. **श्री जनार्दनन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल राज्य में चावल मिलों के नियंत्रण के लिये अनुमति देने की कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(क) जी, हां

(ख) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राज्य सरकार को आवश्यक अधिकार दे दिये गये हैं ।

भूमि की अधिकतम सीमा

377. **श्री प्र०न० सोलंकी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि सुधार आयोग ने भूमि की अधिकतम सीमा की आलोचना की है तथा उसे समाप्त करने का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या सरकार ने यह सुझाव मान लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)।

(क) एक व्यक्ति कितनी भूमि रख सकता है उसकी सीमा होनी चाहिए, इस सिद्धान्त का भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा स्थापित भूमि सुधार सम्बन्धी समितियों, पैनलों और आयोगों ने समर्थन किया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Import of Fertilisers

378. **Shri G. C. Dixit** :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :
(a) the quantity of fertilisers imported during 1967-68 so far ; and
(b) the names of the countries from where imported ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Developmemnt and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) The quantities of fertilisers in terms of Nitrogen $P2o_5$ and K2o imported during 1967-68, upto 31st October, 1967 are as follows :—

Quantity in Tonnes of plant Nutrient.

Nitrogen	3,76,633	(Provisional)
$P2O_5$	1,49,953	(„)
K2O	1,46,085	(„)

(b) The above quantities have been imported from the following countries.

1. Austria.
2. Canada.
3. German Democratic Republic.
4. Holland.
5. Italy.
6. Japan.
7. Norway.
8. Poland.
9. Rumania.
10. Spain.
11. Sweden.
12. Taiwan.
13. Trinidad.
14. U. K.
15. U. S. A.
16. U.S.S.R.
17. W. Germany.
18. Hungary.

बागानों में ठेके पर मजदूर

379. **श्रीमती ज्योत्सन चन्दा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1967 में हुई बागानों सम्बन्धी औद्योगिक समिति की बैठक में यह निर्णय किया गया कि बागानों में ठेके पर मजदूरी की पद्धति समाप्त कर दी जानी चाहिए;

(ख) यदि हाँ, तो इसको कब क्रियान्वित किया जायेगा;

(ग) क्या सरकार बागान श्रम अधिनियम संशोधन करना चाहती है ताकि अब जो वेतन-मान 300 रु० की मजूरी वाले कर्मचारियों पर लागू होता है वह 500 रु० की मजूरी वाले कर्मचारियों पर लागू हो सके ; और

(घ) क्या सरकार संविहित राशन व्यवस्था के अन्तर्गत कोयला खानों और बागानों के मजदूरों को खाद्यान्न सप्लाई करना चाहती है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) :

(क) औद्योगिक समिति का निर्णय यह था कि ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों को बागानों में नियमित काम पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए ।

(ख) यह निर्णय नियोजकों के संगठनों के पास आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है ।

(ग) इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(घ) जी नहीं ।

राज्यों को अनाज की सप्लाई

380. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66, 1966-67 और अक्तूबर, 1967 तक महीने वार आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल को कितनी मात्रा में चावल और गेहूं आवंटित किया गया और कितनी मात्रा में भेजा गया ; और

(ख) इन वर्षों में इनमें से प्रत्येक राज्य से धान/चावल का कितना समाहार किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) वास्तविक सप्लाई की गई मात्रा को अन्त में अन्तिम आवंटित मात्रा समझा गया। 1965-66, 1966-67 (अप्रैल से मार्च) में आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल को चावल और गेहूं की दी जाने वाली मात्रा और अप्रैल 1967 से अक्टूबर 1967 की दी जाने वाली मात्रा का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 1531/67]

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 1531/67]

इंजीनियरों के स्नातकों में बेरोजगारी

381. **श्री राणे** **श्री शिवपूजन शास्त्री**

श्री सुदर्शनम :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैकड़ों स्नातक और स्नातकोत्तर इंजीनियर, जिसमें विदेशों से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त कर लौटने वाले भी शामिल हैं, बेरोजगार हैं,

(ख) यदि हाँ, तो इन बेरोजगार स्नातक इंजीनियरों की क्या संख्या है और वे कब से बेरोजगार हैं,

(ग) क्या यह भी सच है कि बेरोजगार इंजीनियरों ने दिल्ली में एक 'बेरोजगार इंजीनियर सोसायटी' बनाई है और यदि हाँ, तो उसके सदस्य कितने हैं;

(घ) इस बेरोजगारी के क्या कारण हैं और उनके लिये रोजगार की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने आगामी पांच वर्षों में तकनीकी स्नातकों में होने वाली बेकारी का अनुमान लगाया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) :

(क) और (ख) इन्जजीनियरी ग्रेजुएटों और पोस्ट ग्रेजुएटो में फैली बेरोजगारी के बारे में, यथातथ्य जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी नियोजन कार्यालयों संबंधी आंकड़ों से पता चलता है कि 30 जून, 1967 को नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में 4,911 इन्जीनियरी ग्रेजुएटों (जिनमें पोस्ट ग्रेजुएट भी शामिल हैं) के नाम दर्ज थे ।

नियोजन और प्रशिक्षण महानिर्देशालय द्वारा हाल ही में किए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज इन्जीनियरी ग्रेजुएटों में से 50 प्रतिशत काम कर रहे थे और अधिक अच्छी नौकरी पाने के लिए उन्होंने अपना नाम नियोजन कार्यालय में दर्ज करा रखा था । अध्ययन से यह भी पता चलता है कि उक्त इन्जीनिरिंग ग्रेजुएटों में से 75 प्रतिशत उम्मीदवारों के नाम चालू रजिस्टरों में छः माह से कम अवधि से दर्ज थे । नियोजन कार्यालयों में नाम दर्ज कराने वाले उन इन्जीनिरी ग्रेजुएटों से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध नहीं है, जो विदेश से योग्यता प्राप्त कर आए हैं । वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में प्राप्त जानकारी के अनुसार जून-अगस्त, 1967 के मध्य, विदेशों से शिक्षा प्राप्त 167 इन्जीनियर बेरोजगार थे ।

(ग) ऐसे संगठन के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है ।

(घ) इन्जीनियरी ग्रेजुएटों में फैली मौजूदा बेरोजगारी का कारण आर्थिक मन्दी, साथ ही विभिन्न कारणों से कई राज्यों में अनेकों इन्जीनियरिंग और अन्य औद्योगिक उपक्रमों का बन्द होना भी है ।

अच्छी फसल और औद्योगिक उत्पादन में तेजी के कारण होने वाली आर्थिक सम्पन्नता के फलस्वरूप बेरोजगार लोगों के लिए, जिनमें इन्जीनियरी ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट भी शामिल हैं, बढ़े हुए रोजगार अवसर मिलेंगे ।

(ङ) जी नहीं । अगर आगामी वर्षों में आशातीत आर्थिक विकास हो सका तो, बेरोजगार इन्जीनियरी ग्रेजुएटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होनी चाहिए ।

खण्ड विकास कर्मचारी

382. **श्री लोबो प्रभु:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि खण्ड विकास कर्मचारियों के कृत्यों और धन की व्यवस्था में उत्तरोत्तर कमी होने के कारण वे बेकार होते जा रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार खन्ड विकास कर्मचारियों को ग्रामोत्थान का कार्य करने वाले अन्य सब कर्मचारियों के काम का पुनर्विलोकन और उसके बारे में रिपोर्ट देने का काम सौंपने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या गांवों में सरकार के कोई अन्य कर्मचारी हैं, जो यह काम करते हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपद स्वामी) :

(क) खण्ड कर्मचारियों के पास कितना काम हैं उसका अन्दाजा केवल सामुदायिक विकास की योजना निधियों की देखकर ही नहीं लगाया जाना हैं, चूंकि ये निधियाँ तो खण्डों के प्रथम अवस्था से द्वितीय अवस्था तथा उत्तरावस्था 2 में चले जाने के कारण उत्तरोतर रूप से कम होती जा रही है, बल्कि अन्य विभागीय निधियों तथा तदनुरूपी योजनाओं, जो कि खण्ड अभिकरण के माध्यम से अधिकाधिक रूप से लागू की जानी हैं, को भी दृष्टि में रखना है । खण्डों के समूचे कार्य-भार तथा कर्मचारियों के प्रतिरूप में परस्पर संबंध बैठाने की आवश्यकता को लगातार ध्यान में रखा जाता है ।

(ख) और (ग) जी नहीं । सम्बन्धित विभागों का पहले से ही अपना-अपना प्रबन्ध है ।

भूमि तथा जल का उपयोग किया जाना

383. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भूमि तथा जल के उपयोग के सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) क्या लघु सिंचाई कार्यों और सड़क निर्माण कार्य के लिये योजनाएं बनाने और प्राक्कलन तैयार करने के लिये विकास खण्डों के कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) अनुमान लगाया गया है कि देश के कुल जल संसाधन लगभग 1675 मिलिअर्ड क्यूबिक मीटर (1360 मिलियन एकड़ फीट) है जिनमें से 555 एम० सी० एम० (450मिलियन एकड़ फीट) सिंचाई के कामों में इस्तेमाल हो सकता है । इसके अतिरिक्त यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 350 एम० सी० एम० (285 एम० ए० एफ०) भूमि में बह जाता है और समुपयोजन के लिए भूगत जल के रूप में उपलब्ध होगा । प्रायोजन के शुरू होने से पहले देश में समस्त सूत्रों से सिंचित क्षेत्र लगभग 22.66 एम० एच० ए० (56 एम० एकड़) था जिसमें से लगभग 8 एम० एच० ए० (20 एम० एकड़) बड़ी तथा मध्यम सिंचाई प्रायोजनाओं ने प्रदान किया । तीनों योजनाओं के दौरान बड़ी तथा मध्यम प्रायोजनाओं ने सिंचाई के विकास में निम्न प्रकार वृद्धि की :—

टेबिल

	मिलियन हैकटेयर	(मिलियन एकड़)
समाप्ति पर	सम्भाव्यता	प्रयोगात्मक
पहली योजना	2.63(6 5)	1.25(3.1)
द्वितीय योजना	4.73(11 7)	3 36(8.3)
तृतीय योजना	6.88(17 0)	5.5(13.6)

उपयोगिता की दर जो प्रथम योजना में 50 प्रतिशत से कम थी दूसरी योजना में लगभग 75 प्रतिशत बढ़ गई और तीसरी योजना के अन्त में 86 प्रतिशत हो गई । इससे पता लगता है कि उपयोगिता का बढ़ना काफी संतोषजनक है ।(गत वर्ष में निश्चित की गई सम्भाव्यता के साथ एक वर्ष की उपयोगिता की तुलना की जाती है) । सिंचाई परियोजनाओं से शीघ्र और पूरे कृषि लाभ उठाने की दृष्टि से चौथी योजना में क्रियान्वित करने के लिए आयाकट विकास कार्यक्रम नामक एक कार्यक्रम बनाया गया है । प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुरू में देश में लघु सिंचाई कार्यों द्वारा जो क्षेत्र सिंचित किया गया वह 36 मिलियन एकड़ था । क्षेत्र योजना से योजना बढ़ता गया और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में 49.60 मिलियन एकड़ हो गया । अधिकतर मामलों में सिंचाई सम्भव्यता का एक वर्ष के अन्दर ही उपयोग किया जाता है ।

जहाँ तक भूमि के अनुमान का सम्बन्ध है 1964-65 के दौरान भारत में कुल कृष्य भूमि 444·3 मिलियन एकड़ थी । उस वर्ष खेती की गई भूमि 368·4 मिलियन एकड़ थी ।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे लघु सिंचाई तथा उससे सम्बन्धित अन्य कार्यों के सर्वेक्षण के लिए ब्लाक ओवरसियरों की सेवाओं से लाभ उठायें । सड़कों के विभागीय निर्माण के लिए भी उससे लाभ उठाया जा सकता है । इस सम्बन्ध में राज्यों को भेजे गए एक मन्डल जाच चार्ट की प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है, [**पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०** 1532/67] ।

रेगिस्तान विकास बोर्ड

384. **श्री अमृत नाहाटा :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेगिस्तान विकास बोर्ड के कार्य क्या हैं तथा उसमें कौन-कौन सदस्य हैं;

(ख) क्या इस बोर्ड ने कार्य आरम्भ कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस बोर्ड में कुछ गैर-सरकारी सदस्य भी हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो उनके नाम क्या हैं;

(च) उनमें से कितने सदस्य रेगिस्तान के रहने वाले अथवा रेगिस्तानी-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं; और

(छ) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी व्यक्ति को बोर्ड का अध्यक्ष बनाने का है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(क) बोर्ड के 17 सदस्य हैं जिनमें से 13 सरकारी व 4 गैर सरकारी हैं । भारत सरकार के कृषि विभाग का सचिव इस बोर्ड का अध्यक्ष है । अन्य सरकारी सदस्यों में हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात सरकारों के प्रतिनिधि, केन्द्रीय वित्त, सिंचाई तथा विद्युत, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन, शिक्षा, समाज कल्याण, संचार तथा योजना आयोग के प्रतिनिधि तथा मरुस्थल विकास बोर्ड का निर्देशक (जोकि बोर्ड का सचिव है) व केन्द्रीय मरु अनुसंधान संस्थान जोधपुर का निर्देशक है । बोर्ड के कार्य निम्न प्रकार हैं :—

1. मरु क्षेत्रों के विकास की योजनाओं की तैयारी पर निरन्तर निगरानी रखना ।

2. राज्य सरकारों की एजेन्सियों के माध्यम से इन योजनाओं की क्रियान्विति की व्यवस्था करना ;

3. योजनाओं की प्रगति के मार्ग में खड़ी होने वाली प्रशासनिक रुकावट को दूर करना;

4. इन योजनाओं के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, तथा

5. यह देखना कि देश के मरु क्षेत्रों के विकास की ओर उचित ध्यान दिया जा रहा है या नहीं।

(ख) और (ग) अनुभवी व तकनीकी अधिकारियों की कमी के कारण अभी तक मरु विकास बोर्ड अपना काम शुरू न कर सका। राजस्थान सरकार के एक अधिकारी को मरु विकास बोर्ड का निर्देशक नियुक्त किया गया है। और आशा है वह 14 नवम्बर को कार्यभार संभाल लेगा। निर्देशक के कार्यभार संभालने के पश्चात् शीघ्र ही बोर्ड की पहली बैठक बुलाई जायेगी।

(घ) और (ङ) : बोर्ड के चार गैर सरकारी सदस्य निम्न प्रकार हैं:--

1. श्री वी० सी० जे० पटेल, पटेल फार्म, अकोल छोटी, पोस्ट डीसा, जिला बनासकान्था, गुजरात।

2. श्री पूनम चन्द विशनोयी, ग्राम बचाराना, पोस्ट धुन्दारा, पी० एस० लूनी, जिला जोधपुर राजस्थान।

3. कर्नल रतन सिंह, ग्राम तथा पोस्ट गोछी, तहसील झज्जर, जिला रोहतक, हरियाणा।

4. श्री वाई० आर० घोरपाडे, राजा आफ सान्दूर, सान्दूर प्लेस, मैसूर, दक्षिण भारत।

(च) उपरोक्त में से क्रम संख्या 1 से 3 पर जिन व्यक्तियों के नाम दिये गये हैं वे ऐसे राज्यों से लिये गये हैं जिनमें मरु क्षेत्र मौजूद हैं।

(छ) शुरु में मरु विकास कार्य के लिए सरकार की तरफ से काफी ध्यान दिया जाना चाहिये। मरु विकास बोर्ड से कहा जायेगा कि वह केन्द्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, राजस्थान नहर अधिकरण तथा यू० एन० डी० पी० परियोजना के पूर्ण सहयोग से काम करे। अतः इस समय किसी गैर सरकारी सदस्य को बोर्ड का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

Swami Shardhanand Postal Commemoration Stamp

385. **Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government propose to issue a commemorative stamp in the memory of Swami Shardhanand in the series of the commemorative Stamps to be issued next year ; and

(b) if so, the time by which the final decision will be taken in the matter ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) and (b): The proposal will be considered by the Philatelic Advisory Committee when it meets next for finalising the programme for the issue of special commemorative stamps for the year 1968.

Preference to Residents of Home States in Factories

386. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state the number of States which have issued instructions to factory owners to give preference to the residents of their respective States for employment in their factories ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (**Shri Hathi**) : The information asked for is not available with us.

Facilities Afforded to Milk Cooperative Societies

387. **Shri Baswant** :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the facilities extended by the Delhi Milk Scheme to such Milk Cooperative Societies from whom milk is obtained to increase the supply of milk ; and

(b) whether these include facilities like transport, cold storage, cattle welfare and green fodder ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (**Shri Annasahib Shinde**) :

(a) and (b) : Milk Cooperative Societies are organised by the State Governments concerned and assistance with regard to loans, etc., is given by the State Governments. Delhi Milk Scheme provides facilities for free transport of milk from the milk assembling centres of these Co-operative Societies, and also supplies ice free of cost for chilling milk.

अमरीका से भारत के लिये अनाज आना

388. **श्री सरजू पान्डेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका सरकार ने भारत को शीघ्र ही 20.5 लाख टन अनाज भेजने की स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह अनाज कब आ रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) 12 सितम्बर, 1967 के समझौते के अनुसार अमरीका सरकार ने 10 लाख टन खाद्यान्नों को भेजने की अन्तिम स्वीकृति दी है ।

(ख) 12 सितम्बर या इससे पहले किये जाने वाले समझौतों के अनुसार खाद्यान्नों को भेजा जा चुका है और इसके इस महीने पहुंचने की सम्भावना है ।

राज्य सरकारों द्वारा चावल की मिलों को अपने हाथ में लिये जाने के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता

389. **श्री सरयू पाण्डेय** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, सभी चावल मिलों का संचालन राज्य सरकारों द्वारा अपने हाथ में लिए जाने के लिये वित्तीय सहायता देने के लिये राजी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) सभी चावल मिलों का संचालन राज्य सरकारों द्वारा अपने हाथ में लिये जाने के लिए वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में कोई सुझाव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

निष्क्रान्त सम्पत्ति

390. **श्री सरयू पाण्डेय :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस वर्षों में कितनी निष्क्रान्त सम्पत्तियों के बारे में एक बार मंजूर की गई बोलियों तथा बिक्री को असिस्टेंट सेटलमेंट कमिश्नर, इंचार्ज, उत्तर प्रदेश तथा बिहार, लखनऊ द्वारा रद्द किया गया और उसके क्या कारण थे ;

(ख) क्या इनमें से किसी सम्पत्ति को उससे कम कीमत पर बोली देने वाले उसी व्यक्ति को फिर से बेचा गया था, और यदि हाँ, तो कितनी सम्पत्तियों को और किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया;

(ग) यदि हाँ, तो इस प्रकार सरकार को कुल कितनी हानि हुई ;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे सभी मामलों की जाँच करने तथा इस कार्य के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करने का है ;

(ङ) क्या नीलाम की गई सम्पत्तियों के मूल्यों को जमा करने की कोई समय सीमा निर्धारित है और यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई ढील दी गई है; और

(च) यदि हां, तो किन कारणों तथा परिस्थितियों में ऐसा किया गया और ऐसे कितने मामले हुए हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) से (घ) माननीय सदस्य ने अतारांकित प्रश्न संख्या 8599 को फिर से दोहराया है जिसका उत्तर लोक सभा में 9 अगस्त, 1967 को दिया जा चुका है। वही उत्तर वर्तमान प्रश्न के (क) से (घ) भाग के लिए भी है।

(ङ) से (च) विस्थापित व्यक्ति (क्षतिपूर्ति और पुनर्वास) नियम, 1955 के नियम 90 के अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिए समय निर्धारित है।

सबसे ऊँची बोली देने वाले को अपनी बोली का 20 प्रतिशत भाग वहीं देना होता है । बकाया रकम बोली की स्वीकृति की सूचना के 15 दिन बाद देनी होती है। लेकिन यदि बकाया रकम खरीदार या उसके साझी को दिये जाने वाली क्षतिपूर्ति की रकम के विरुद्ध देनी होती है तो उसे क्षतिपूर्ति का आवेदनों का ब्यौरा सात दिन के अन्दर प्रस्तुत करना होता है।

इसी नियम के अन्तर्गत उक्त समय सीमा की छूट की भी व्यवस्था की गई है। उक्त समय सीमा को निबटारा आयुक्त द्वारा 15 दिन तक बढ़ाया जा सकता है और मुख्य निबटारा

आयुक्त द्वारा इसके बढ़ाये जाने की कोई सीमा नहीं है । तारीख 28 मार्च 1964 के आदेश द्वारा निबटारा आयुक्त को समय सीमा बढ़ाने के लिए मुख्य निबटारा आयुक्त के अधिकार दे दिये गये थे । लेकिन 5 अक्तूबर, 1967 को उन्हें निर्देश दिये गए थे कि बकाया मूल्य के भुगतान के लिये नियम में की गई व्यवस्था से अधिक सीमा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। पुराने मामलों में उन्हें खरीदार को बकाया क्रय मूल्य 15 दिन या 7 दिन, या जैसा भी उचित हो, में देने के लिये कहना होता था और उसके बाद समय को और बढ़ाने की अनुमति नहीं देनी होती थी ।

चूँकि सार्वजनिक नीलाम द्वारा सम्पत्ति को बेचने के हजारों मामले थे, अतः यह बताना कठिन है कि कितने मामलों में सीमा को बढ़ाने के अधिकार का प्रयोग किया गया। यदि सदस्य महोदय किसी विशेष मामले का उल्लेख कर रहे हैं जिसमें शक्ति का गलत प्रयोग किया गया है तो उन्हें उसे सरकार की जानकारी में लाना चाहिये फिर उस मामले की जांच की जायेगी ।

Delhi Milk Scheme

392. **Shri Onkar Lal Berwa**:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1617 on the 6th June, 1967 and state:

(a) the reasons due to which the Delhi Milk Scheme is not supplying milk in the colonies of Delhi, situated across Jamuna, in proportion to the quantity of milk available ;

(b) whether the people of that area have asked the Delhi Milk Scheme to supply milk out of the milk available in proportion to population ;

(c) if so, whether Government are contemplating to start supplying milk in that area in the said proportion, during this Winter season ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) Due to limited procurement it has not been possible for the Delhi Milk Scheme to extend its service to new areas including the colonies situated across Jamuna.

(b) Yes, Sir.

(c) No, Sir.

(d) Delhi Milk Scheme is, at present, unable to extend its services to the entire city due to the limited procurement.

खाद्यान्नों पर क्षेत्रीय प्रतिबन्ध

393. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री जार्ज फरनांडीज :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान " टाइम्ज आफ इण्डिया" दिनांक 31 अक्तूबर, 1967 में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि अमरीकी राष्ट्रपति जानसन ने भारत को यह परामर्श दिया है कि देश भर में खुले रूप से खाद्यान्न लाने ले जाने की दृष्टि से क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को हटा दिया जाना चाहिये, और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) सरकार ने प्रेस रिपोर्ट का अध्ययन किया है ।

(ख) क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को चालू रखने या इनको हटा दिये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में समय-समय पर विचार-विमर्श किया जाता है और उनकी सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा कार्यवाही की जाती है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली और बफर स्टाक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अधिकतम आन्तरिक वसूली के लिये इन प्रतिबन्धों को लगाए रखना आवश्यक है।

मद्रास सर्किल के पोस्टल डिवीजनों के लिपिक

394. **श्री मयावन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास सर्किल के सभी पोस्टल डिवीजनों में 29 जून, 1942 तथा 31 दिसम्बर 1945 के बीच लिपिकों के कितने स्थायी पद रिक्त हुए थे;

(ख) क्या मद्रास सर्किल के प्रत्येक पोस्टल डिवीजनों में 29 जून, 1942 तथा 31 दिसम्बर, 1945 की अवधि में रिक्त होने वाले 70 प्रतिशत स्थायी पद युद्ध-सेवा उम्मीदवारों के लिए वस्तुतः आरक्षित किये गए थे;

(ग) 70 प्रतिशत के इस कोटे में से लिपिकों के वर्ग में मद्रास सर्किल के प्रत्येक पोस्टल डिवीजन में वस्तुतः कितने रिक्त पदों पर युद्ध सेवा उम्मीदवारों को रखा गया; और

(घ) 22 जून, 1949 तथा 31 दिसम्बर, 1945 के बीच की अवधि में मद्रास सर्किल के प्रत्येक पोस्टल डिवीजनों में क्लर्कों के कितने अस्थायी पदों का निर्माण किया गया जिन्हें 31 दिसम्बर, 1945 के बाद स्थायी बना दिया गया था ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री, (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे यथा-समय सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

मद्रास सर्किल के पोस्टल डिवीजनों में लिपिक

395. **श्री मयावन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सर्किल के पोस्टल डिवीजनों में वर्ष 1945 के बाद के रिक्त पदों पर लिपिकों के रूप में नियुक्त किये गए युद्ध-सेवा उम्मीदवारों के प्रारम्भिक वेतन तथा वरीयता के सम्बन्ध में गृह-कार्य मंत्रालय के दिनांक 18 सितम्बर, 1947 के ओ० एम० संख्या 30/4/4-इस्टाब्लिशमेन्ट्स (आर०) में दी गई रियायतों को वस्तुतः क्रियान्वित किया गया था; और

(ख) यदि नहीं, तो गृह-कार्य मंत्रालय के उपरोक्त ओ० एम० में दी गई हिदायतों के अनुसार सभी पोस्टल डिवीजनों में वर्ष 1945 के बाद के रिक्त पदों पर नियुक्त किये गये युद्ध-सेवा उम्मीदवारों का प्रारम्भिक वेतन पुनः निश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद–कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे जल्दी ही सभा पटल पर रख दिया जायगा ।

करनाल सर्किल में विभागातीत कर्मचारी

396. **श्री रमेश चन्द्र व्यास :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करनाल डाक सर्किल (अम्बाला डिवीजन) में उन विभागातीत कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या क्या है जो नियमित डाकघरों में 6 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि पिछले 6-8 वर्षों के दौरान जनसंख्या, व्यापार, छोटे पैमाने के उद्योगों तथा संचार और परिवहन के अन्य साधनों में वृद्धि के कारण इन नियमित डाकघरों में विभागातीत कर्मचारियों का कार्यभार काफी बढ़ गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इन विभागातीत कर्मचारियों को इनके सम्बन्धित नियमित विभागीय डाकघरों में नियमित कर्मचारियों के रूप में स्थाई न करने के क्या कारण हैं ?

संसद–कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) एक पैकर और एक डाक टिकट विक्रेता (करनाल डाक मंडल में)।

(ख) जी हाँ ।

(ग) इन्हें स्थायी बनाना केवल उसी स्थिति में संभव है जबकि वे निर्धारित परीक्षा में सफलता प्राप्त करके नियमित संवर्गों में लगा लिए जाएँ । विभागीय परीक्षा में बैठने का अधिकारी होने के लिए आयु सीमा तथा कुछ शैक्षिक योग्यतायें निर्धारित की गई हैं । यह पैकर शैक्षिक योग्यताओं की पूर्ति नहीं करता और डाक-टिकट विक्रेता आयु अधिक होने के कारण इस परीक्षा में बैठने का अधिकारी नहीं है।

डाक और तार विभाग के नियमित कर्मचारी

397. **श्री रमेश चन्द्र व्यास :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सब सच है कि डाक और तार विभाग के नियमित कर्मचारियों को प्रति दिन 7 घन्टे काम करना पड़ता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि नियमित विभागीय डाकघरों में काम करने वाले विभागातिरिक्त कर्मचारियों को कम से कम 5 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ता है; और

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो विभागातिरिक्त कर्मचारियों को उसी 7:5 के अनुपात में वेतन तथा अन्य भत्ते न देने के क्या कारण हैं ?

संसद–कार्य तथा संचार विभाग में,राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) डाकघरों में नियमित विभागीय प्रचालक कर्मचारियों के ड्यूटी की अवधि प्रतिदिन 8 घंटे (भोजन के लिए आधे घंटे के अवकाश सहित) रहती है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) विभागातिरिक्त कर्मचारियों को एक संमेकित भत्ता दिया जाता है जो कि किये

जाने वाले कुल काम के घंटों, तय की जाने वाली दूरी आदि पर आधारित होते हैं। जो विभागातिरिक्त कर्मचारी एजेंसी के आधार पर काम करते हैं उनकी आमदनी के और दूसरे स्वतंत्र साधन भी हो सकते हैं । चूंकि विभागातिरिक्त कर्मचारी विभाग के पूर्णकालिक नियमित कर्मचारी नहीं होते, अतः उनकी परिलब्धियों की नियमित विभागीय कर्मचारियों की परिलब्धियों से तुलना नहीं की जा सकती ।

हिमाचल प्रदेश को खाद्यान्न की सप्लाई

398. **श्री रमेश चन्द्र व्यास :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश को (जिलावार) कितनी मात्रा में खाद्यान्न दिया गया : और

(ख) हिमाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति कितना अनाज दिया जाता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) 1 जनवरी से 28 अक्तूबर, 1967 के बीच केन्द्रीय निकाम से हिमाचल प्रदेश को 49,300 टन खाद्यान्नों की सप्लाई की गई । इसी अवधि में इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के लिये पंजाब और हरियाना से राज्य से राज्य के आधार पर 15,000 टन खाद्यान्नों का नियतन किया गया । ये सब सप्लाई और नियतन सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश सरकार के लिये किये गये । उनके द्वारा किये गये खाद्यान्नों के जिलेवार आँकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) जुलाई 1967 में हिमांचल प्रदेश सरकार से दी गई जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति को दी जाने वाली अनाज की मात्रा का ब्यौरा इस प्रकार है :

1. भूमिहीन परिवारों को	5 किलो ग्राम गेहूँ । आटा प्रतिव्यक्ति प्रति मास (उपलब्धता के अनुसार)
2. 2 एकड़ से कम भूमि वाले परिवारों को	3 किलोग्राम गेहूँ । आटा प्रति व्यक्ति प्रति मास (उपलब्धता के अनुसार)
3. 2 एकड़ से अधिक भूमि वाले परिवारों को	जिले के क्लक्टर द्वारा इनके पंचायत क्षेत्र को सूखा पीड़ित । अकाल पीड़ित घोषित किये जाने पर इन परिवारों को खाद्यान्न के राशन का अधिकार होगा ।

मनीपुर में खेती वाली भूमि

399. **श्री मेघचन्द्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 1 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7484 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 को मनीपुर में कुल कितने एकड़ भूमि में खेती थी ;

(ख) खेती वाली ऐसी भूमि कितने एकड़ है, जिसमें उर्वरकों का प्रयोग होता है ; और

(ग) खेती वाली ऐसी भूमि कितने एकड़ है जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया जाता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) 31 मार्च, 1967 को मनीपुर में लगभग साढ़े पाँच लाख एकड़ भूमि में खेती थी जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में 'झुमिंग' वाली लगभग तीन लाख एकड़ भूमि भी शामिल है ।

(ख) उपरोक्त तिथि को घाटी में ही लगभग 30 हजार एकड़ भूमि थी जिसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होता है । पहाड़ियों पर 'झुमिंग' क्षेत्रों में कोई उर्वरक प्रयोग में नहीं लाया गया ।

(ग) 1967-68 में दो हजार दो सौ एकड़ भूमि में ताइचुंग नेटिव तथा तैनन 3 जैसी उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग होता है ।

मनीपुर में खेती

400. **श्री मेघचन्द्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 में मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में कुल कितनी भूमि खेती के लिये अनारक्षित की गई ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त अनारक्षित भूमि में से कुछ बन्दोबस्त किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मनीपुर में लामफेलपट में खेती वाली भूमि

401. **श्री मेघचन्द्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** 18 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5933 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष मनीपुर में लामफेलपट में कितने एकड़ भूमि में खेती की गई है;

(ख) उस भूमि में खेती करने के लिये मनीपुर के कृषि विभाग द्वारा कितनी राशि खर्च की गई ;

(ग) इस भूमि पर खेती करने के लिए कितने व्यक्तियों को लगाया गया;

(घ) क्या यह सच है कि व्यक्तियों को निजी तौर पर खेती करने के लिये देने की सरकारी नीति के कारण इस वर्ष इस भूमि के बहुत बड़े भाग में खेती नहीं की गई ; और

(ङ) यदि हां, तो कितने एकड़ भूमि में खेती नहीं की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

(क) से (ङ) जानकारी इकट्ठा की जा रही है और यथा समय सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

मनीपुर में समाहार नीति

402. **श्री मेघचन्द्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने 1967-68 के लिये खाद्यान्नों के समाहार के बारे में अपनी नीति घोषित कर दी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे)

(क) जी, नहीं ।

1967-68 के लिये खाद्यान्नों के समाहार की नीति मनीपुर सरकार के विचारा-धीन है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता

कृषि उद्योग निगम

403. **श्री रा० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में कृषि-उद्योग निगम स्थापित करने के सरकारी निर्णय को क्रियान्वित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन राज्यों में ये निगम काम करने लगे हैं;

(ग) क्या आसाम सरकार ने ऐसा निगम बनाया है, यदि हाँ, तो इसने क्या मुख्य कार्य आरम्भ किये हैं; और

(घ) क्या कृषि उत्पादन शीघ्र बढ़ाने के उद्देश्य से इसके साथ ही साथ ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने का प्रयत्न किया गया है जहां पर कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं ?

खाद्य, कृषि, तथा सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हाँ, ।

(ख) आसाम, बिहार, हरियाणा, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश ।

(ग) जी हाँ । निगम का मुख्य उद्देश्य यह है कि आदानों (और विशेषकर कृषि मशीनों और उपकरणों) के संभरण की अच्छी व्यवस्था की जाये । कृषि उपज को गोदामों में रखने वा उनके विधापन करने का काम भी निगम का है और वह चाहे तो उसे अपने हाथ में ले सकता हैं ।

(घ) अभी भारत सरकार निगम में हिस्सेदार नहीं है । इसलिये इसके बारे में भारत सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है । यह काम भी निगम के उद्देश्यों में आ जायेगा ।

बड़े दिन (क्रिसमस) की डाक

404. **डा० कर्णीसिह :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों को बड़े दिन की डाक भेजने की तारीखों के बारे में डाक सूचना बहुत विलम्ब से अर्थात् 28 सितम्बर, 1967 को छपी थी;

(ख) क्या कुछ देशों को भेजी जाने वाली डाक के कलकत्ता, बम्बई पहुँचने की तारीखें बहुत निकट रखी गई थीं, अर्थात् अक्तूबर, 1967 का प्रथम सप्ताह;

(ग) इन तारीखों के बारे में अन्तिम निर्णय वास्तव में कब किया गया था तथा क्या डाक तथा तार विभाग ने ये तारीखें प्रकाशित कराई थीं और यदि हाँ, तो कब तथा किस प्रकार; और

(घ) क्या यह सूचना परिचालित की गई थी और देश में सभी डाकखानों के सूचना पट्टों पर लगाई गई थी और यदि हाँ, तो किस तारीख को ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री इ० कु० गुजराल)

(क) जी हां । स्वेज नहर के बन्द हो जाने तथा इसके परिणामस्वरूप नौ-परिवहन सारिणी (शिपिंग शिड्यूल) से सम्बन्धित जानकारी के देरी से प्राप्त होने के कारण डाक-सूचना को अन्तिम रूप देने में देरी लगी ।

(ख) जी हां ।

(ग) बड़े दिन की डाक भेजने की तारीखों के सम्बन्ध में 27-9-67 को अन्तिम निर्णय लिया गया और सम्बन्धित सूचना को तत्काल ही प्रकाशन के लिए दे दिया गया। महत्वपूर्ण कार्यालयों के लिए तो इस सूचना की साइक्लोस्टाइल की हुई प्रतियां प्रसारित करने का कार्य 27-9-67 को ही आरम्भ कर दिया गया । छपी हुई प्रतियां 30 सितम्बर, 1967 से प्रसारित की गईं ।

(घ) यह सूचना सभी डाकघरों को इस उद्देश्य से प्रसारित की गई थी कि इसके प्राप्त हो जाने पर इसे नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए । जिस तारीख तक यह सूचना प्रदर्शित की जानी थी, वह तारीख प्रत्येक डाकघर के लिए अलग अलग होनी थी अतः कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती ।

टेलीफोन फैक्टरी

405. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में टेलीफोन कनेक्शनों की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए, क्या दूसरी टेलीफोन फैक्टरी स्थापित करने के सम्बन्ध मे कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का टेलीफोनों का उत्पानन डाक और तार विभाग की आयोजन-मांगों को पूरा करने के लिये पर्याप्त है जो कि स्रोतों की सीमितता के कारण स्वयं ही काफी सीमित हो गयी है । फिर भी, चौथी योजना की अवधि में, इंडियन टेलीफोन

इंडस्ट्रीज लिमिटेड के उत्पादन को बढ़ाने के हेतु लम्बी दूरी के पारेषण उपस्कर के निर्माण के लिये एक नया कारखाना खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

डाकघर बचत बैंकों में खाते

406. **श्री जार्ज फरनांडीज** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में डाकघर बचत बैंकों में कितने खाते हैं और उन खातों में कितनी राशि जमा है;

(ख) बचत बैंकों के उन खातों की संख्या कितनी है जिसमें बहुत देर से न धन जमा करवाया गया है और न धन निकाला गया है और इन खातों में कुल कितनी राशि जमा है;

(ग) क्या बचत बैंकों के निश्चल खातों में ब्याज जमा किया जाता है; और

(घ) ऐसे निश्चल खातों के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) 31 मार्च, 1967 को बचत बैंक लेखों की संख्या लगभग 1.52 करोड़ थी और इन लेखों में कुल जमा रकम 701.63 करोड़ रुपये थी।

(ख) 31 मार्च, 1967 को बचत बैंक निष्क्रिय लेखों की संख्या लगभग 43 लाख थी और इनकी रकम लगभग 9.52 करोड़ रुपये थी।

(ग) जी हां। पुनः चालू किए जाने पर निष्क्रिय लेखे पर ब्याज जोड़ा जाता है।

(घ) निष्क्रिय लेखे को पुनः चालू करवाने के उद्देश्य से प्रार्थी (जमाकर्ता या दावाकर्ता) द्वारा प्रार्थनापत्र देने तथा कुछ औपचारिकताओं की पूर्ति करा लेने के बाद प्रधान पोस्टमास्टर द्वारा ऐसे लेखों को पुनः चालू करने की अनुमति दे देने के पश्चात, सरकार द्वारा निष्क्रिय लेखों में से बकाया रकम की अदायगी करने तथा उनमें लेन देन शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है। जिन निष्क्रिय (मृत) लेखों के सम्बन्ध में पूरा रिकार्ड उपलब्ध है और जिनमें बकाया रकम 100 रुपये से अधिक है उन लेखों के जमाकर्ताओं के नाम नोटिस जारी करने के सम्बन्ध में भी हाल में ही कार्रवाई की गई है। इन नोटिसों द्वारा जमाकर्ताओं से यह प्रार्थना की गई है वे अपने लेखों को पुनः चालू करें।

नये उप मंत्रियों का परिचय

INTRODUCTION OF NEW DEPUTY MINISTERS

संसद-कार्य तथा संचार-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : श्रीमान मैं सभा को तीन नये उप-मंत्रियों से परिचित करवाता हूँ। उनके नाम हैं श्री सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री जगन्नाथ पहाड़िया तथा चौधरी राम सेवक।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : यह नियुक्तियां केवल सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन रोकने के लिये की जा रही हैं ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : New Manisters are being appointed when a member of the cabinet is still without a portfolio.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कम अनाज वाले राज्यों को अनाज की सप्लाई करने में केन्द्रीय सरकार की असफलता

श्री अ० क० गोपालन (केसरगोड़) : श्रीमान्जी, मैं खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"कम अनाज वाले राज्यों को अनाज सप्लाई करने के लिये दिये गये वचनों को पूरा करने में केन्द्रीय सरकार की असफलता, जिसके परिणाम-स्वरूप पश्चिम बंगाल में राशन व्यवस्था भंग होने का खतरा पैदा हो गया है और केरल तथा अन्य राज्यों में भीषण दुर्लभता की स्थिति उत्पन्न हो गई है ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

पिछले महीने के अन्तिम सप्ताह में प्रत्येक मास के लिये आवंटन करते समय भारत सरकार आयातों तथा आन्तरिक स्रोतों से उपलब्ध होने वाली सम्भावी मात्राओं का अनुमान लगाती है और तदनुसार कमी वाले राज्यों को आवंटन करती है । प्राय: ऐसा होता है कि महीने के दौरान उपलब्धि पिछले महीने के अन्तिम सप्ताह में लगाये गये अनुमान से भिन्न होती है । कभी-कभी जहाज निश्चित तारीखों को नहीं पहुँचते हैं । भारी वर्षा तथा हड़तालों जैसी कई कारणों से बन्दरगाह पर खाद्यान्नों की निकासी में कई बार कठिनाइयाँ पैदा हो जाती हैं । इसका प्रभाव यह पड़ता है कि महीने के दौरान आवंटित की गई मात्रा की सप्लाई नहीं हो पाती । अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर के महीनों में वर्षा के कारण बन्दरगाहों पर निकासी तथा प्रेषण में विघ्न पड़ा था । जुलाई में चावल के अलावा खाद्यान्नों का आवंटन 858 हजार मीटरी टन किया गया था जब कि वास्तविक सप्लाई 784 हजार मीटरी टन हुई थी । अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर के समान आंकड़े इस प्रकार हैं :—

(हजार मीटरीटन)

महीना	आवंटन	सप्लाई
अगस्त	876	859
सितम्बर	880	806
अक्तूबर	883	801

अत: यह स्पष्ट है कि हाल के महीनों में आवंटन तथा सप्लाई के बीच अन्तर काफी अधिक नहीं है । जैसा कि सदन को मालूम ही है कि चावल की स्थिति बराबर कठिन रही है और विभिन्न

राज्यों को गेहूँ तथा अन्य अनाजों की तरह चावल का मासिक कोटा पहले से निर्धारित करना सम्भव नहीं हुआ है। जुलाई में चावल की वास्तविक सप्लाई 68 हजार मीटरी टन हुई थी। अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर में यह सप्लाई क्रमशः 77,000; 64,000 और 66,000 मीटरी टन थी अतः यह स्पष्ट है कि जुलाई में की गई सप्लाई के मुकाबले में गत तीन महीनों में चावल की सप्लाई में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं हुई है।

तथापि, यह सच है कि 1967 के मध्य से पश्चिमी बंगाल और केरल में स्थिति कठिन बनी रही है। चालू वर्ष के शुरू में 1967 में प्रत्याशित उपलब्धि के आधार पर और सभी कमी वाले राज्यों की न्यूनतम आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर यह अनुमान लगाया गया था कि पश्चिमी बंगाल को उनके सांविधिक राशन व्यवस्था सम्बन्धी आश्वासनों को पूरा करने के लिये वर्ष के दौरान लगभग एक लाख मीटरी टन चावल और पर्याप्त मात्रा में गेहूँ दिया जायगा। इसमें संशोधित राशन व्यवस्था वाले क्षेत्रों में थोड़े पैमाने पर वितरण करने के लिए कुछ फालतू खाद्यान्नों की भी व्यवस्था थी। मार्च के अन्त में प्रधान मन्त्री की पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री, उपमुख्य मन्त्री तथा खाद्य मन्त्री के साथ हुई एक बैठक में यह निर्णय हुआ था कि पश्चिमी बंगाल को जून तक प्रति मास 15,000 मीटरी टन चावल और 75,000 मीटरी टन गेहूँ सप्लाई किया जाएगा। जून के बाद भी पश्चिमी बंगाल को प्रति मास 15,000 मीटरी टन चावल तथा 75,000 मीटरी टन गेहूँ की सप्लाई करने की कोशिश की गयी थी। अगस्त में पश्चिमी बंगाल में स्थिति और बिगड़ गयी और यह तय हुआ कि चावल की जितनी भी मात्रा केन्द्रीय पूल से दी जा सकेगी, के अतिरिक्त, अक्तूबर के अन्त तक उन्हें प्रतिमास लगभग 105 हजार मीटरी टन गेहूँ तथा माइलो और अन्य अनाज सप्लाई किए जाएंगे। इन अनाजों की वास्तविक सप्लाई अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर के प्रत्येक मास में एक लाख मीटरी टन से भी अधिक हुई है। यह मात्रा 3,11,300 मीटरी टन है। सितम्बर में केवल 9000 मीटरी टन सप्लाई हुई थी जबकि अन्य दो महीनों में लगभग 15,000 मीटरी टन चावल दिया गया था।

नवम्बर मास के लिए भी यह कोशिश की जा रही है कि राज्यों को 15,000 मीटरी टन चावल तथा 110 हजार मीटरी टन गेहूँ तथा अन्य खाद्यान्न दिये जाएँ। चावल का आवंटन पहले इसलिये नहीं किया जा सका क्योंकि महीने के शुरू में आन्तरिक स्रोतों और आयातों से चावल की उपलब्धि मालूम नहीं हुई थी। पंजाब तथा मध्य प्रदेश से चावल भेजने की कोशिश की गई थी लेकिन दुर्भाग्यवश यह मात्रा महीने के आरम्भ में पश्चिमी बंगाल में न पहुँच सकी। तथापि चावल की इस कमी को पूरा करने के लिये 7000 मीटरी टन गेहूँ की एक अतिरिक्त मात्रा का आवंटन किया गया था और पश्चिमी बंगाल को इसकी सुपुर्दगी तुरन्त देने के प्रबन्ध किये गये थे। पंजाब और मध्य प्रदेश से भेजा गया चावल कलकत्ता पहुँचना शुरू हो गया है और आशा है कि चावल पुनः दिया जाने लगेगा। मध्य प्रदेश और उड़ीसा से चावल का और आवंटन किया गया है और वचनबद्ध मात्रा को पूरा करने के लिये कलकत्ता में पहुँचने वाले आयातित चावल में से पर्याप्त मात्रा में चावल दिया जाएगा।

केरल में अनौपचारिक राशन व्यवस्था है और प्रति मास 70,000 से 75,000 मीटरी टन तक चावल और लगभग 20,000 मीटरी टन गेहूँ का वास्तविक निकास हुआ करता था। जब चावल की सप्लाई में कमी हो गई थी तब गेहूँ के राशन में प्रति वयस्क प्रति सप्ताह 40 ग्राम की वृद्धि की गई थी। गेहूँ की अतिरिक्त सप्लाई दी गयी थी ताकि कार्डधारी चावल की कमी

को पूरा करने के लिए अपने गेहूँ के पूरे कोटे के अलावा अतिरिक्त गेहूँ ले सकें। इसके परिणाम-स्वरूप केरल में अगस्त में गेहूँ का उठान 75,000 मीटरी टन तक और सितम्बर तथा अक्तूबर में क्रमशः 58,000 और 56,000 मीटरी टन तक पहुंच गया।

अगस्त से अक्तूबर की अवधि में केन्द्रीय सरकारी भण्डारों से केरल को चावल की वास्तविक सप्लाई क्रमशः 39,600; 33,300 और 24,500 मीटरी टन हुई है। यह कमी इसलिए हुई थी कि सप्लाई मुख्यतः आयातों से ही करनी पड़ी थी क्योंकि ये महीने चावल की कम आमद के होने के कारण आन्तरिक उपलब्धि कम थी।

नवम्बर में आयातों से लगभग 25,000 मीटरी टन चावल दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश से केरल के डिपों को ताजी अधिप्राप्ति से 4000 मीटरी टन चावल आवंटित किया गया है। मद्रास सरकार से भी अनुरोध किया जा रहा है कि वे केरल को पर्याप्त मात्रा में चावल भेजें। क्योंकि आन्ध्र प्रदेश में फसल पछेती है इसलिए उस राज्य से दिसम्बर तक पर्याप्त मात्रा में चावल भेजे जाने की कोई सम्भावना नहीं है। मंडियों में फसल के आने से केरल में चावल की स्थिति दिसम्बर में सुधर जाने की आशा है तथा आन्ध्र प्रदेश से सप्लाई होने से इसमें और वृद्धि हो जाने की आशा है।

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : हम यह जानना चाहते हैं कि आज कमी वाले राज्यों में क्या स्थिति है और क्या वहां कमी तथा भुखमरी है तथा क्या वचनों का पालन नहीं किया गया है। यदि नहीं, तो उन बचनों का पालन क्यों नहीं किया गया है और अन्य कार्यवाहियों द्वारा कब यह बचन पूरे किये जायेंगे। यदि केन्द्रीय सरकार अपने वचन पूरे नहीं करती है और 60 प्रतिशत कमी वाले राज्य को अन्य राज्यों में खाद्यान्न लेने की अनुमति नहीं देती है तो इसका अर्थ यह है कि सरकार लोगों को भूखा मारना चाहती है।

खाद्य तथा कृषि मंत्री श्री (जगजीवन राम) : हम इस बात के लिये प्रयत्न करते रहे हैं कि केरल के गेहूँ का पर्याप्त मात्रा में सम्भरण जारी रखा जाये ताकि चावल के सम्भरण में जो भी कमी हो, उसे गेहूँ द्वारा पूरा किया जा सके। हमने मध्य प्रदेश से कुछ चावल भेजे हैं और मद्रास सरकार को वहां से चावल शीघ्र केरल में भेजने के लिए कह रहे हैं। परन्तु यदि दो राज्यों के बीच इस मामले में कोई बातचीत हो तो केन्द्रीय सरकार को उसके बारे में अवगत कराया जाना चाहिये ताकि हमें पता रह सके कि राज्यों से कितना चावल भेजा गया है।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : कुछ वर्ष पूर्व जब पश्चिमी बंगाल में संविहित राशन व्यवस्था लागू की गई थी तो केन्द्रीय सरकार ने आश्वासन दिया था कि राशन व्यवस्था जारी रखने के लिये पश्चिमी बंगाल को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न दिया जाता रहेगा। परन्तु वहाँ नई सरकार बन जाने पर सरकार का खाद्यान्न के संभरण के मामले में व्यवहार बहुत विचित्र हो गया है। यदि भारत सरकार को ऐसे करारों का उल्लंघन करते जाना है तो खाद्य मंत्रालय का राज्य सरकारों के साथ इस प्रकार का करार करने का क्या लाभ है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : वास्तविक स्थिति यह है कि हम पश्चिमी बंगाल को प्रति मास एक लाख टन से अधिक गेहूँ तथा मिलो देते रहे हैं। पंजाब, मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों से पश्चिमी बंगाल को 15,000 टन चावल के सम्भरण की सम्भावना है।

श्री ज्योतिर्मय बासु (डायमंड हार्बर) : जब पश्चिमी बंगाल के छः मंत्रियों ने प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर धरना दिया था तो उन्होंने खाद्य मंत्री की उपस्थिति में यह आश्वासन

दिया था कि पश्चिमी बंगाल को दिये गये वचनों का पूरी तरह पालन किया जायेगा परन्तु अब केन्द्रीय सरकार खाद्यान्न का पश्चिमी बंगाल में राजनैतिक अड़चन डालने के लिये प्रयोग कर रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि पश्चिमी बंगाल में संयुक्त मोर्चे की सरकार के सत्तारूढ़ होने के समय में चावल के संभरण में कितनी कमी हुई और कितने मामले में वचन के अनुसार माल नहीं पहुँचाया गया। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या खाद्य मंत्री ने पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल से पश्चिमी बंगाल में फसल तथा खाद्यान्न की वसूली के मामले में हस्तक्षेप न करने के लिये कहा है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : इस मामले में कोई राजनैतिक दृष्टिकोण नहीं रहा है। पश्चिमी बंगाल तथा केरल की तुलना में महाराष्ट्र-गुजरात तथा मैसूर को सम्भरण में कमी अधिक रही है, पश्चिमी बंगाल के सम्बन्ध में पिछले दस मास में केवल 16,000 मीटरिक टन का सम्भरण कम रहा है, हम गेहूँ तथा मिलो का सम्भरण कार्यक्रम के अनुसार करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): पश्चिम बंगाल के उप मुख्य मंत्री, श्री ज्योति बसु ने राज्यपाल, श्री धर्मवीर को वहाँ की चिंताजनक खाद्य स्थिति से अवगत कराया तथा राज्यपाल के खाद्य मंत्रालय को टेलीफोन करने पर वहाँ कुछ चावल भेजा गया। मैं जानना चाहता हूँ कि इससे पहले क्यों चावल नहीं भेजा गया।

श्री जगजीवन राम : मुझे राज्यपाल द्वारा इस सम्बन्ध में टेलीफोन करने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

Shri Shri Chand Goel (Chandigarh): I would like to know the reason why the food grains promised for Himachal Pradesh has not reached there ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : हिमाचल प्रदेश की आवश्यकता पर ध्यान दिया जा रहा है और और वहाँ पहले की तुलना में स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान देने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)

Re : MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICES (QUERY)

श्री नाथ पाई (राजापुर) : हमने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास बहुत से स्थगत प्रस्ताव तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं आई हैं परन्तु मैं उनमें से किसी एक के बारे में यह नहीं बता सकता कि अमुक स्थगन प्रस्ताव या ध्यान दिलाने वाली सूचना का क्या हुआ। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में मेरे कक्ष में आकर मुझ से बातचीत करलें।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : स्थगत प्रस्ताव और ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं पर एक-जैसी कार्यवाही नहीं की जा सकती। ऐसे स्थगन प्रस्ताव जिनके बारे में आरम्भ में आपको कोई आपत्ति न हो, उन्हें सभा के सम्मुख रखा जाना चाहिये और सभा उस पर निर्णय देगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस कथन से सहमत हूँ। जिस मामले को मैं सभा के सम्मुख

रखने के योग्य समझता हूँ, मैं अपने आप रख दूंगा। मेरे विचार में यह स्थगन प्रस्ताव अनावश्यक है। इस सम्बन्ध में आगे चर्चा केवल मेरे कक्ष में हो सकती है, यहाँ नहीं।

श्री नाथपाई (राजापुर) : मैं आप से इस बात पर सहमत हूँ कि आपके पास बहुत से प्रस्ताव आये थे परन्तु उनमें से एक स्थगन प्रस्ताव यह था कि राज्यों में उन राज्यपालों को भेजा जाता है जो मंत्रिमंडल को स्वीकार्य नहीं होते। मेरे विचार में यह स्थगन प्रस्ताव हर दृष्टि से उपयुक्त है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपने मुझे इस विषय में बताया होता तो शायद उसे स्वीकार कर लिया जाता।

श्री नाथ पाई : बिहार में राज्यपाल की जो नियुक्ति हुई है उसका राज्य सरकार ने विरोध किया है, यदि सम्भव हो तो आप इस बारे में यहीं विचार करें। हमारे सभी साथी इसका समर्थन करेंगे।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : यह तूफान के बारे में है.....

अध्यक्ष महोदय : मैंने सरकार को इस सम्बन्ध में ब्यौरा देने के लिये कहा है और यदि आवश्यक हुआ तो हम इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे। मैं स्वयं इस मामले को महत्व-पूर्ण समझाता हूँ। अब मेरा निवेदन यह है कि ऐसे मामले सभा में न उठाकर मेरे कक्ष में उठाये जायें ताकि सभा का समय नष्ट न हो।

———

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

आंकड़ा संग्रह (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1967

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मन्त्री, योजना मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

मैं आंकड़ा संग्रह अधिनियम, 1953 की धारा 14 की उपधारा (3) के अन्तर्गत आंकड़ा संग्रह (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 12 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2667 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूँ। [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०** 1470/67]

नेशनल इन्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा उसकी समीक्षा, आदि

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

1. (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत

नेशनल इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियाँ ।

(दो) उक्त कारपोरेशन के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल ० टी० 1471/67]

2. उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 30 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत औद्योगिक उपक्रमों की जाँच (प्रक्रिया) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 5 अगस्त 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1181 में प्रकाशित हुए थे ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 1472/67]

खान अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखता हूँ :

(एक) कोयला खान (संशोधन) विनियम, 1967 जो दिनांक 2 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1298 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) धातुयुक्त खान (संशोधन) विनियम, 1967 जो दिनांक 9 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1370 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) खान क्रेचे (संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 9 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1371 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) धातुयुक्त खान (संशोधन) विनियम, 1967 जो दिनांक 30 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1472 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) कोयला खान (संशोधन) विनियम, 1967 जो दिनांक 30 सितम्बर 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1473 में प्रकाशित हुए थे ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1473/67]

(5) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 40 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2806 की एक प्रति जो दिनांक 19 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा किसी बड़े पत्तन अथवा गोदी में, अथवा उसके कार्य-संचालन सम्बन्धी, सेवा को उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया ।

(6) कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजनायें अधिनियम, 1948 की धारा 7 क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) नीवेली कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1967 जो दिनांक 12 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1225 में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) नीवेली कोयला खान भविष्य निधि (पाँचवा संशोधन) योजना, 1967 जो दिनांक 7 अक्तूबर 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या जी० एस० आर० 1501 में प्रकाशित हुंई थी ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1473/67]

(7) केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति, धनबाद के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1474/67]

(8) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के जून, 1966 में जनेवा में हुंए 50वें अधिवेशन में स्वीकृत अभिसमयों तथा सिफारिशों पर की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही बताने वाला एक विवरण तथा अभिसमयों तथा सिफारिशों के पाठ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1475/67]

4 डाउन आसाम मेल के पटरी से उतर जाने के बारे में विवरण

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : मैं पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के समुकताला रोड तथा सलसलाबाड़ी स्टेशनों के बीच 28 सितम्बर, 1967 को 4 डाउन आसाम मेल के पटरी से उतर जाने के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूँ ।

[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1476/67]

चलचित्र (सेंसर व्यवस्था) संशोधन नियम आदि

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ ।

चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत चलचित्र (सेंसर व्यवस्था) तीसरा संशोधन नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 1 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 976 में प्रकाशित हुए थे ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1965/67]

चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत चलचित्र (सेंसर व्यवस्था) चौथा संशोधन नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 16 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1401 में प्रकाशित हुए थे ।

प्रेस परिषद् अधिनियग, 1965 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रेस परिषद (संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 2 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1265 में प्रकाशित हुए थे ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1477/67]

निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएँ

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): मैं निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(एक) जूतों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1967 जो दिनांक 17 जुलाई 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2385 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) रंग-रोगन तथा सम्बद्ध उत्पादों का निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1967 जो दिनांक 5 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2662 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) नारियल जटा उत्पादों का निर्यात (निरीक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 11 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2780 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कराया गोंद का निर्यात (निरीक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 29 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2956 में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) मछली तथा मछली उत्पादों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 31 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3084 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) डीजल इंजनों का निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1967 जो दिनांक 7 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3207 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) सिलाई की मशीनों का निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1967 जो दिनांक 7 सितम्बर, 1967 के भारत में राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3211 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) बिजली के पंखों का निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1967, जो दिनांक 7 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3215 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) विद्युत्-चालित पम्पों का निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1967 जो दिनांक 8 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3221 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) मोटर गाड़ियों के फालतू पुर्जों, पुर्जों तथा सहायक पुर्जों का निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1967 जो दिनांक 8 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3225 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) छोटे औज़ारों तथा हाथ के औज़ारों का निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1967 जो दिनांक 20 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3412 में प्रकाशित हुये थे ।

(बारह) जूट हैसियन तथा जूट बोरों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 21 अक्तूबर 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3775 में प्रकाशित हुए थे ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1478/67]

(14) टैरिफ आयोग समीक्षा समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1479/67]

(15) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई के 1 जनवरी, 1966 से 31 दिसम्बर, 1966 तक की अवधि तक के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ। (दो) उक्त कारपोरेशन के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1480/67]

संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अधीन अध्यादेश

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(एक) करारोपण विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1967 (1967 का संख्या 5) जो राष्ट्रपति द्वारा 14 सितम्बर, 1967 को प्रख्यापित किया गया था ।

(दो) अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 1967 (1967 का संख्या 6) जो राष्ट्रपति द्वारा 16 सितम्बर, 1967 को प्रख्यापित किया गया था ।

(तीन) न्यायालय-शुल्क (दिल्ली संशोधन) अध्यादेश, 1967 (1967 का संख्या 7) जो राष्ट्रपति द्वारा 7 अक्तूबर, 1967 को प्रख्यापित किया गया था ।

(चार) अत्यावश्यक वस्तु (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1967 (1967 का संख्या 8) जो राष्ट्रपति द्वारा 21 अक्तूबर, 1967 को प्रख्यापित किया गया था ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1481/67]

नौसेना अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :

मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(एक) नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें तथा विविध (चौथा संशोधन) विनियम, 1967, जो दिनांक 7 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०

आर० ओ० 17/ई में प्रकाशित हुए थे । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1112/67]

(दो) नौसेना (निजी सम्पत्ति का निपटान) (संशोधन) विनियम, 1967, जो दिनांक 5 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०आर०ओ० 257 में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1379/67]

(18) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :

(एक) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर, का 1966-67 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1482/67]

(दो) भारत इलैक्ट्रोनिक लिमिटेड, बंगलौर, का 1966-67 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1483/67]

(तीन) हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स, लिमिटेड, बंगलौर, का 1966-67 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1484/67]

दिल्ली विक्रय कर (संशोधन) नियम

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त):

मैं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू रूप में, बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय कर (संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 19 जुलाई, 1967 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (33)/62-फिन (ई) (आई) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी० 1289/67]

देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में विवरण

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कु० ल० राव) : मैं देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूँ [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1486/67]

कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजनाएं अधिनियम

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

मैं कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजनायें अधिनियम, 1948 की धारा 7-क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(एक) कोयला खान बोनस (संशोधन) योजना, 1967, जो दिनांक 26 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1264 में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान (संशोधन) योजना, 1967, जो दिनांक 26 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1265 में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) राजस्थान कोयला खान बोनस (संशोधन) योजना, 1967, जो दिनांक 26 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1266 में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) आसाम कोयला खान बोनस (संशोधन) योजना, 1967, जो दिनांक 26 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1267 में प्रकाशित हुई थी ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1485/67]

खाद्य निगम नियम आदि

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मैं

1. खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत खाद्य निगम (11वां संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 14 सितम्बर 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1415 में प्रकाशित हुए थे तथा
2. अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :

(एक) उर्वरक (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1967 जो दिनांक 14 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1524 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) गन्ना (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1967 जो दिनांक 17 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1591 में प्रकाशित हुआ था ।

3. चीनी जांच आयोग के प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 1487/67]

सेंट्रल जेल, तिहाड़, नई दिल्ली में हुए उपद्रव सम्बन्धी जांच आयोग का प्रतिवेदन तथा उससे सम्बन्धित सरकारी संकल्प

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं

1. सेंट्रल जेल तिहाड़, नई दिल्ली में 29 जून, 1967 को हुए उपद्रव सम्बन्धी जांच आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति तथा
2. सरकारी संकल्प संख्या 18/49/67-दिल्ली, दिनांक 11 नवम्बर, 1967 की एक प्रति जिसमें उक्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में सरकार के निर्णय दिये गये हैं, सभा-पटल पर रखता हूँ :

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1488/67]

भारत में चौथा सामान्य निर्वाचन, 1967 खंड (सांख्यिकी) के बारे में प्रतिवेदन

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

मैं भारत में चौथा सामान्य निर्वाचन 1967, खंड II (सांख्यिकी) के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1489/67]

काफी बोर्ड के 1965-66 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं (1) काफी बोर्ड के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति और

(2) काफी बोर्ड के वर्ष 1965-66 के लेखे संबंधी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1490/67]

(3) अग्रिम संविदा विनियम अधिनियम 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) एस० ओ० 2658 जो दिनांक 4 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) एस० ओ० 2777 जो दिनांक 10 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) एस० ओ० 2864 जो दिनांक 17 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) एस० ओ० 2954 जो दिनांक 24 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(पांच) एस० ओ० 3087 जो दिनांक 31 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(छः) एस० ओ० 3204 जो दिनांक 7 सितम्बर 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सात) एस० ओ० 3300 जो दिनांक 14 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(आठ) एस० ओ० 3417 जो दिनांक 21 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(नौ) एस० ओ० 3489 जो दिनांक 28 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दस) एस० ओ० 3599 जो दिनांक 5 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(ग्यारह) एस० ओ० 3687 जो दिनांक 10 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(बारह) एस० ओ० 3767 जो दिनांक 19 अक्तूबर 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तेरह) एस० ओ० 3881 जो दिनांक 26 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1491/67]

(31) इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 33 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) इलायची (संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 9 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1366 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) इलायची (दूसरा संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 9 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1367 में प्रकाशित हुए थे ।

(32) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 क की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2859 की एक प्रति जो दिनांक 16 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1492/67]

(33) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) एस० ओ० 2854 जो दिनांक 19 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 मई, 1955 की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 1150 में कतिपय संशोधन किये गये ।

(दो) एस० ओ० 3121 जो दिनांक 9 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सूती तथा स्टेपर फाइबल कपड़ा मिल (कार्यचालन का विनियमन) आदेश, 1966 को विखण्डित किया गया ।

(34) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12 क के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3593 की एक प्रति जो दिनांक 3 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी 1493/67]

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं पिछले सत्र में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये तथा उपराष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तीन विधेयक सभा-पटल पर रखता हूँ:—

(1) चाय (संशोधन) विधेयक, 1967

(2) विनियोग (रेलवे) संख्या 3 विधेयक, 1967

(3) भारतीय शासकीय रहस्य (संशोधन) विधेयक, 1967

मैं पिछले सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयकों को राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत प्रमाणित कृत प्रतियां सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) लोक वक्फ (परिसीमा काल का विस्तारण) संशोधन विधेयक, 1967

(2) मानक बाट तथा माप (कोहिमा तथा मोकोकचंग जिलों पर विस्तारण) विधेयक, 1967

———

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

आठवाँ और नौवाँ प्रतिवेदन

श्री मी० रु० भसानी (राजकोट) में

(1) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1963-64 के लेखे संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के बारे में समिति के 49 वें प्रतिवेदन (तीसरी लोक-सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में आठवां प्रतिवेदन स्थापित करता हूँ तथा

(2) केन्द्रीय सरकार के विभागों/मंत्रालयों द्वारा भारत सेवक समाज को दिये गये अनुदानों ऋणों, ठेकों तथा सुविधाओं के बारे में समिति के 34वें प्रतिवेदन (तीसरी लोक-सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में नवाँ प्रतिवेदन उपस्थपित करता हूँ ।

———

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

तीसरा और चौथा प्रतिवेदन

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन उपस्थपित करता हूँ :

(1) भारत का जीवन बीमा निगम, बम्बई, के बारे में समिति (तीसरी लोक-सभा) के चौथे प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में तीसरा प्रतिवेदन ।

(2) हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली, के बारे में समिति (तीसरी लोक-सभा) के दूसरे प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में चौथा प्रतिवेदन ।

विधेयकों सम्बन्धी संयुक्त समितियों के प्रतिवेदनों को उपस्थपित किये जाने की अवधि बढ़ाने के बारे में प्रस्ताव

MOTIONS Re : EXTENSION OF TIME FOR PRESENTATIONS OF REPORT OF JOINT COMMITTEES ON BILLS

संविधान (संशोधन) विधेयक

श्री र० के० खाडिलकर (रवेड़) : मैं प्रस्ताव करता हूँ "कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थपित करने के लिये नियत समय को इस सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ा दिया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थपित करने के लिये नियत समय को इस सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ा दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक

डा० सुशीला नायर (झांसी) : मैं प्रस्ताव करती हूँ :

"कि व्यक्तियों तथा संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण के लिये तथा सत्संसक्त विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थपित करने के लिये नियत समय को 20 नवम्बर, 1967 तक बढ़ा दिया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि व्यक्तियों तथा संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण के लिये तथा तत्संसक्त विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थपित करने के लिए नियत समय को 20 नवम्बर, 1967 तक बढ़ा दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was Adopted.

करारोपण विधियाँ (संशोधन) अधिनियम

TAXATION (Amendment) BILL

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धन कर अधिनियम, 1957, दान कर अधिनियम, 1958 और आय कर अधिनियम, 1961 में अग्रेतर संशोधन करने तथा वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1967 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये,

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि धन कर अधिनियम, 1957, दान कर अधिनियम, 1958 और आय कर अधिनियम, 1961 में अग्रेतर संशोधन करने तथा वित्त (संख्या 2) अधिनियम 1967 में संशोधन करने के लिये अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was Adopted

श्री मोरारजी देसाई : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूँ ।

अध्यादेश के बारे में वक्तव्य

STATEMENT Re : ORDINANCE

करारोपण विधियाँ (संशोधन) अध्यादेश 1967 श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं करारोपण विधियाँ (संशोधन) अध्यादेश, 1967 द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ जैसा कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम 71 (1) के अन्तर्गत अपेक्षित है ।

अत्यावश्यक वस्तु (दूसरा संशोधन) विधेयक

ESSENTIAL COMMODITIES (SECOND AMENDMENT) BILL

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : मैं प्रस्तावित करता हूँ कि अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में आगे संशोधन करने तथा अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1964 को अग्रेतर अवधि के लिए जारी रखने संबंधी विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मैं इस विधेयक के पुरस्थापन का विरोध करना चाहता हूँ । यह विधेयक मूल अधिनियम के क्षेत्र से बहुत आगे चला जाता है और यह मूल अधिनियम की अवधि दो वर्ष और अधिक बढ़ाना चाहता है । पिछले दो वर्षों के दौरान हमें सरकार से कोई प्रतिवेदन नहीं मिला है कि यह अधिनियम कैसा काम कर रहा है ।

मूल अधिनियम खाद्यान्न, खाद्य तैलों जैसी वस्तुओं तक ही सीमित था । इस विधेयक में यह निर्णय केवल सरकार पर ही छोड़ दिया गया है कि किस वस्तु को अत्यावश्यक वस्तु समझा जाये । इसके अतिरिक्त यह किसी भी व्यक्ति को चाहे उसने जानबूझकर इसका उल्लंघन किया हो या न किया हो कानून की पकड़ में ले आता है और प्रमाणित करने का

भार पुलिस या प्रशासन पर नहीं अपितु उस व्यक्ति पर ही डाला जाता है । इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में दन्ड को भी 3 वर्ष से बढ़ा कर 5 वर्ष करने की माँग की गई है ।

हम अब तक यह माँग करते रहे हैं कि इस अधिनियम का निराकरण किया जाये, इन सभी नियन्त्रणों को हटाया जाये । इसके विपरीत सरकार इनकी दशा को और भी बिगाड़ती जा रही है । इस अधिनियम से समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचा है । इससे केवल निरंकुश और भ्रष्ट अधिकारियों को ही लाभ पहुंचा है ।

श्री दिनेश सिंह: इस समय तो विधेयक को केवल पुरस्थापित किया जा रहा है । विधेयक पर चर्चा के समय इन सब बातों पर विचार किया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है : "कि अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में आगे संशोधन करने तथा अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1964 को अग्रेतर अवधि के लिए जारी रखने संबंधी विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये" ।

लोक सभा में मतविभाजन हुआ

The Lok Sabha Divided

पक्ष में (93) विपक्ष में 39

Ayes 193 : Noes 39

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री दिनेश सिंह: मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूँ ।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after lunch at Fourteen of the Clock.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

Mr. Deputy Speaker in the Chair

अध्यादेशों के बारे में विवरण

STATEMENT Re : ORDINANCES]

अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री शफी कुरेशी): श्री दिनेश सिंह की ओर से मैं अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 1967 द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ जैसा कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम 71/(1) के अन्तर्गत अपेक्षित है ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम): विवरण को विधेयक के पुरस्थापित किये जाने से पहले आना चाहिये था। दूसरे, क्या सरकार 6 सप्ताह के लिये प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी जब कि उसको पता था कि लोक सभा का सत्र 13 नवम्बर से होने वाला है।

उपा-अध्यक्ष महोदय: नियम 71 (1) के अन्तर्गत विधेयक के पुरःस्थापन से पहले विवरण को सभा-पटल पर रखना आवश्यक नहीं है।

अत्यावश्यक वस्तु (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1967

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासहिब शिन्दे): मैं अत्यावश्यक वस्तु (दूसरा संशोधन) अध्यादेश 1967 द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ, जैसा कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम 71 (1) के अन्तर्गत अपेक्षित है।

श्री रंगा (श्री काकुलम): यह अध्यादेश 21 अक्तूबर को प्रख्यापित किया गया था। यदि सरकार इस सभा के बैठने तक 23 दिनों के लिये प्रतीक्षा कर लेती तो कोई आफत नहीं आ जाती। सरकार की इस बुरी आदत के प्रति मैं विरोध प्रगट करता हूँ।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : Sir, the practice of promulgating ordinances is bad and we oppose it strongly. The Government should have apprehended the situation earlier and brought a regular bill in the previous session or it should have waited till the current session. May I know if any action has been taken under this ordinance and whether there is any justification for this ordinance ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे: सरकार यथा शीघ्र नई चीनी नीति बनाना चाहती थी और माननीय सदस्य भी इस मामले पर क्षुब्ध थे। जब सरकार ने निर्णय किया तो लोक सभा का सत्र नहीं चल रहा था। चीनी का नया मौसम। अक्तूबर, 1967 से आरम्भ होना था और कारखानों द्वारा उत्पादन आरम्भ किये जाने से पूर्व यह आवश्यक था कि नई नीति बना ली जाये और उसकी घोषणा कर दी जाये ताकि चीनी मिलें गन्ना उत्पादकों से सम्पर्क स्थापित कर सकें। अतः ऐसी परिस्थिति में अध्यादेश का जारी किया जाना अपरिहार्य था।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, the Government intentionally delayed the announcement of the new Sugar policy. Under this new policy the sugar mill owners are going to have extra profits to the tune of 40 crores of rupees I want to know whether the Congress party, the beaurocrats and the Ministers have also received some money out of this. Sir, I would urge upon you to issue an order directing that all policy decisions should be announced while the Lok Sabha is in session.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Sir, the way in which this ordinance has been issued calls for strong criticism. Secondly, this new sugar policy is not going to benefit the common man. It is meant to line the pockets of the millowners. The Government is not clear in its mind and makes no firm policy about anything.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे: संसद की उपेक्षा करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। चीनी की स्थिति बहुत कठिन बन गई थी और सरकार को निर्णय करने में कुछ समय लग गया। निर्णय करते ही अगले दिन उसे राज्य सभा में घोषित कर दिया गया था।

———

खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास (कपड़े पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) संशोधन विधेयक

KHADI AND HANDLOOM INDUSTRIES DEVELOPMENT (ADDITIONAL EXCISE DUTY ON CLOTH) AMENDMENT BILL

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं श्री दिनेश सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूँ कि खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास (कपड़े पर अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क) अधिनियम, 1953 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को उपस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास (कपड़े पर अतिरिक्त उत्पादन.शुल्क) अधिनियम, 1953 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को उपस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूँ ।

न्यायालय शुल्क दिल्ली (संशोधन) विधेयक

COURT-FEES DELHI (AMENDMENT) BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू रूप में न्यायालय-शुल्क अधिनियम, 1870 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू रूप में न्यायालय-शुल्क अधिनियम, 1870 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूँ ।

अध्यादेश के बारे में विवरण

STATEMENT Re : ORDINANCE

न्यायालय शुल्क (दिल्ली संशोधन) अध्यादेश 1967

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं न्यायालय-शुल्क (दिल्ली

संशोधन) अध्यादेश, 1967 द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ, जैसा कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम 71 (1) के अन्तर्गत अपेक्षित है ।

सूती कपड़ा (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) (निरसन) विधेयक

COTTON FABRICS (ADDITIONAL EXCISE DUTY) (REPEAL) BILL

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं श्री दिनेश सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूँ कि सूती कपड़ा (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) अधिनियम, 1957 के निरसन के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

सभा को याद होगा कि मूल अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि 1957–58 में जिन स्वचालित करघों को स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिये गये थे, उनसे तैयार किया गया कपड़ा मुख्य रूप से निर्यात किया जाये । इस प्रकार बनाये गये कपड़े के किसी भी मात्रा पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने का उपबन्ध किया गया था । लेकिन पता चला है कि यह उपबन्ध बहुत कष्ट साध्य सिद्ध हुआ है और बहुत कम मिलें ऐसे स्वचालित करघे लगाने के लिये तैयार हुई हैं। इसीलिये सन् 1958 में कपड़ा जांच समिति ने इस मामले पर पुनर्विचार किया और एक संशोधित योजना की सिफारिश की और यह फैसला किया गया कि शुल्क के बजाये मिल को अपना निर्यात प्रयोजन पूरा करने के लिये उचित बैंक प्रतिभूतियों द्वारा बंधपत्रों की छानबीन होनी चाहिये । इस प्रकार इस अधिनियम के आश्रय लेने का कोई अवसर नहीं है ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : सरकार इस विधेयक द्वारा एक ऐसे अधिनियम का निरसन करना चाहती है जिसका वास्तव में कभी पालन नहीं किया गया इस समय सूती कपड़े पर उत्पादन शुल्क लगभग 100 करोड़ रु० आता है जो कि कपड़े की लागत का एक तिहाई के लगभग है । यदि सरकार कपड़े का मूल्य कम करना चाहती है तो यह आवश्यक है कि कुछ उत्पादन शुल्कों को हटा दिया जाये । रुपये के अवमूल्यन के पश्चात कपड़े के निर्यात में लगभग 15 करोड़ मीटर कमी हुई है और विदेशी मुद्रा की आमदनी में लगभग 15 प्रतिशत की कमी हुई है ।

कुछ किस्म के कपड़ों को $57\frac{1}{2}$ प्रतिशत से भी अधिक निर्यात प्रोत्साहन दिया जाता था परन्तु सरकार ने एक बार से ही उसको समाप्त कर दिया और उसके परिणामस्वरूप हमारे कपड़ा उद्योग को बहुत क्षति पहुची । बाद में सरकार ने कपड़ा उद्योग की मांग पर निर्यात सहायता देने में बहुत विलम्ब किया और हमें काफी विदेशी मुद्रा की हानि उठानी पड़ी ।

कपास के मूल्यों में 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि भी निर्यात में कमी का एक कारण है । कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिये आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये । सूती कपड़ा उद्योग की मशीनों का भी आधुनिकीकरण किया जाना चाहिये । आसान शर्तों पर पर्याप्त सहायता देने की बजाये सरकार तथाकथित कमजोर मिलों को अपने हाथ में लेकर अप्रत्यक्ष रूप से उनका राष्ट्रीकरण करना चाहती है । यदि सरकारी क्षेत्र के पिछले कार्य को देखा जाये तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि ऐसा करने से इन मिलों के संचालन में और अधिक खराबी आई है ।

कुछ ऐसी भी शिकायतें प्राप्त हुई है कि कपड़ा और दूसरा सामान जो भारत से निर्यात किया जाता है वह निर्धारित स्तर का नहीं होता है। सरकार को इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Mr. Deputy Speaker, Sri Kothari said just now that this bill is not necessary. In the statement of aims and objects of the Bill it has been stated that the extra excise duty was not realised.

The condition of the textile industry which manufactures coarse and medium type of cloth is very bad. In Kanpur itself there are 11 to 12 mills all of which produce fine and and super fine cloth.

Due to closure of Elgin No. 1 and Elgin No. 2 Mills in Kanpur, 4000 labourers have been rendered jobless. I want the Central Government to take over this Mill. The Government should intervene in the case of New Victoria Mills and cause an agreement to be reached in the dispute. I also suggest that certain people who are in the service for long and want to retire should be encouraged to retire and given compensation.

You are creating a corporation for sick mills but this should not become a hospital where all bodies may go on coming. You take those mills only which are mismanaged.

About BIC mills in Kanpur I will repeat only what late Shri Jawahar Lal Nehru wrote about it. He wanted this to be brought under the control of public sector.

I have been told that Raja of Bhadri is taking over as the Vice-Chairman of the BIC. But there are charges of corruption against this man when Smt. Sucheta Kripalani was the Chief Minister. Previously employment in BIC was considered by the people as a coveted employment by the people but now this Company is running in loss.

I therefore appeal to the minister that in case he succeeds in reaching an agreement this should be informed to us, as it is not a question of my constituency alone but it is a question of the whole Kanpur city and its development.

श्री रमानी (कोयम्बटूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने विधेयक की पुरः स्थापना के समय यह नहीं बताया कि पुराने अधिनियम के अधीन क्या कार्य किया गया।

सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार जो कि रिजर्व बैंक ने अपने बुलेटिन में छापे हैं, सूती कपड़े का निर्यात बहुत कम हो गया है। क्या इसका कारण अवमूल्यन है? आप यह बतलाते क्यों नहीं हैं? इसका कारण यह है कि मिल मालिकों ने सरकार से मिलकर उत्पादन को चोर बाजारी में भेज दिया है जहाँ उन्हें अपने माल का अधिक मूल्य मिला है।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इसका कारण यह है कि पुराना अधिनियम बेकार हो गया? उन्होंने मिल मालिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की? क्या उनका विश्वास है कि मिल मालिकों पर भरोसा किया जा सकता है? हमें पता है कि मिल मालिक किस प्रकार रुपया कमा रहे हैं तथा चोर बाजारी कर रहे हैं। सारा देश इन बातों को जानता है। 1960 और 1964 के बीच उन्होंने विदेशी मुद्रा कमाने की तुलना में 194 करोड़ रु० अधिक व्यय किया। क्या सरकार का कर्तव्य नहीं है कि इनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करे? यदि सरकार मिल मालिकों पर विश्वास करना चाहती है तो आंकड़ों से सिद्ध करे कि वह इन पर विश्वास कर सकती है।

मंत्री महोदय बतायें कि मिलों ने कितना निर्यात किया तथा कितना कोटा था और उसको कितना पूरा किया। जब यह सारी सूचना आप रख देंगे तो विधेयक की उपयोगिता का पता चल जायेगा।

Shri George Fernandes (Bombay South) : Sir, the government has stated that there was no necessity for them to put into practice the Cotton Fabrics Essential Excise Duty Act, which was passed ten years back. The minister at that time also stated that government would permit the mills to manufacture 45 crore yards of cloth. Now the government says that they are bringing this Bill so that the mill owners may export cloth to foreign countries instead of putting in for consumption in this country. I would say with humility that the government is trying to mislead this House.

If we believe the minister that there was no necessity to put the old Act into practice then why there was amendment of that Act in 1960. Perhaps the hon. minister does not know that the Act was amended in 1960. The amendment increased the rate of penalty.

The export of textiles is decreasing since 1956-57. In 1956-57 we exported 71 crore yards of cloth which went on decreasing. From 71 crore yards it decreased to 68 crore yards and then to 51 crore yards 67 crore yards, 48 crore yards and now it is 5, crore yards. Does this mean that people did not bring out the cloth in the market which used to be exported previously ?

About production of cloth I have to state that in 1957 the production was 480 crore yards but in 1966 it remained only 426 crore yards. I want to know from the minister about the progress made in the export of cloth and what mistakes were committed in that connection ?

The workers of the Edward Mill of Bombay stated that they would themselves run the mill and wanted that Rs. 75 lakh which was collected in their Provident Fund should be given to them for that purpose. But the government is not prepared for it.

Similarly, the government has appointed an ex-I.C.S. officer as the administrator of India United Mill where 20,000 workers are employed. I am not happy with the manner in which these ex-I.C.S. officers work. They have a tendency to work in their own peculiar way. The workers want that they should also be consulted in matters of production but the ICS officers will not agree to it.

Finally, I want to know from the Minister whether he is going to do something about the decrease in price of cloth since he is taking back this bill.

श्री दत्तात्रय कुंटे (कोलाबा) : महोदय, सरकार को चाहिये कि सदन को समझाये कि क्या कारण है कि वह इस अधिनियम को समाप्त कराना चाहती है । क्या कारण था कि गत दस वर्षों में उस अधिनियम पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि 1960 में उसका संशोधन किया गया तो उसका क्या कारण था ?

सबसे पहले तो विधेयक के पारित करने में जनता का धन व्यय हुआ है ।

इसी प्रकार अब फिर जनता का धन नष्ट किया जा रहा है । इस प्रकार सरकार इस सदन और जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है । प्रश्न यह नहीं है कि इस अधिनियम को समाप्त किया जाये अथवा नहीं । प्रश्न तो यह है कि यह सरकार जो अपने आप को लोकतान्त्रिक सरकार कहती है वह इस सदन के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रही है । क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उस अधिनियम पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? बात साफ है कि गत दस वर्षों से सरकार ने इस सदन को, देश को तथा देश के प्रतिनिधियों को अंधकार में रखा है तथा अधिनियम के विरुद्ध कार्य किया है ।

मुझसे पहले जो सदस्य महोदय बोले उन्होंने बताया कि उत्पादन बढ़ा नहीं अपितु कम हो रहा है । सरकार आंकड़ों से सदन को बहकाना चाहती है तथा कहती है कि पुराना कपड़ा नहीं बल्कि नया कपड़ा निर्यात किया है । इस सदन को इस गंभीर मामले पर विचार करना चाहिये ।

मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने सदन, देश तथा देश के प्रतिनिधियों के साथ न्याय नहीं किया है और इसका सरकार को उत्तर देना चाहिये ।

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : मैं इस चर्चा में इसलिये भाग ले रहा हूँ क्योंकि सरकार इस सदन की उपेक्षा कर रही है ।

कुछ वर्ष पूर्व सरकार के अनुसार स्वचालित करघे इस कारण लगाये गये थे कि इससे विदेशी मुद्रा कमाई जायेगी। इसी कारण सरकार ने इस कार्य के लिये विदेशी मुद्रा देने की स्वीकृति दी अन्यथा देश का सारा मजदूर वर्ग स्वचालित करघों के विरुद्ध था क्योंकि इससे बेरोजगारी बढ़ती है । वैसे इस देश के कपड़े को संरक्षण मिला हुआ है और इस कारण उनका घाटे में रहने का प्रश्न ही नहीं उठता । इसी कारण उस समय कहा गया था कि स्वचालित करघे विदेशों को कपड़ा निर्यात करने के लिये लगाये गये थे । अब सरकार कहती है कि यदि मिल वाले अपने वचन पूरा नहीं करेंगे तो उन पर जुर्माना लगायेगी । परन्तु पहले हुआ क्या था ? उन्हें क्या आवश्यकता है कि वे अपना माल बाहर भेजें जबकि उनके माल की यहां ही काफी खपत है तथा यहां लाभ होता है ? उनका उद्देश्य तो केवल लाभ कमाना है । यही कारण है कि उन्होंने अपना वचन पूरा नहीं किया । आपने उन पर विश्वास किया परन्तु उन्होंने अपना कार्य पूरा नहीं किया । सरकार को इनसे कहना चाहिए कि आपने अपना वचन पूरा नहीं किया इसलिये इन्हें सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है । उनकी यह कार्यवाही अनैतिक है । इस कारण मेरे विचार में उन्हें और कोई रियायत नहीं देनी चाहिये । मैं तो कहता हूँ कि इनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये ।

Shri K. G. Deshmukh (Amravati) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I welcome this Bill. But I have to give a few suggestions. I am seeing that the mills which manufacture coarse and medium cloth are being closed. One reason for it can be that the coarse and medium cloth which used to be manufactured for the poor people is not being used by them. Secondly the mill owners are nor re-investing in the mills the money which they earn as profit. The government should therefore look to this side also.

I am not in favour of Government taking over such mills as whatever goes in the hands of the government gets spoiled. I want some sort of a corporation to be created which may run such mills.

We could not increase the production of cloth according to its need in our country. I want that the floor prices of cotton should be increased so that the cultivators may get. inecntive and produce more cotton. It will obviate the foreign exchange which we spend in the import of cotton. Our aim should be to become self sufficient not only in foodgrains but in cotton too.

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : इस विधेयक के सम्बन्ध में सब से पहले यह आपत्ति उठाई गई है कि 1957 के अधिनियम का निरसन करने के लिये हम विधेयक को पहले क्यों नहीं ला सके । वास्तव में वर्ष 1957 तथा 1958 के अनुभव से यह पता चलता था कि 18,00 स्वचालित करघे स्थापित करने वाली मूल योजना को कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं मिला । बाद में एक नई योजना बनाई गई जिसके अन्तर्गत 3000 स्वचालित करघे स्थापित करने की योजना थी ।

इस अधिनिय के निरसन के बारे में सर्वप्रथम वर्ष 1959 में संसद को सूचित किया गया था । परन्तु बाद में उस मामले को विधि मंत्रालय को भेज दिया गया था । तत्पश्चात वर्ष 1966

में लोक सभा में यह विधेयक लाया गया था परन्तु तीसरी लोक सभा उसे पारित न कर सकी। 25 जुलाई, 1967 को यह विधेयक पुनः पुरःस्थापित किया गया था परन्तु और महत्वपूर्ण कार्य होने के कारण यह सभा उसे पारित नहीं कर सकी और इसलिये अब यह विधेयक फिर सभा के सामने है ।

जहाँ तक निर्यात के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमें अपनी वस्तुओं की किस्म को बनाये रखना चाहिये और उनके मूल्यों को कम रखना चाहिये, निर्यात के मामले में हम तभी प्रगति कर सकते हैं। जहां तक कपड़े का सम्बन्ध है, हमें बहुत से अन्य देशों के साथ मुकाबला करना पड़ता है। इन सभी बातों पर विचार किया गया है और इसी लिये सरकार उत्पादन के सम्बन्ध में आधुनिक तरीके अपनाने पर जोर दे रही है जिससे उत्पादन की लागत कम हो सके और हम विश्व की आधुनिक प्रकार की मंड़ियों को परिवर्तनशील तरीको को अपना सकें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सरकार अलाभकारी मिलों का नियन्त्रण स्वयं सम्भालने के लिये शीघ्र ही सभा में एक नया विधान लायेगी।

As a result of drought the production of cotton had fallen considerably during the year 1964-65 and 1965-66. In case production is less, export will automatically be less. However as there have been sufficient rains during the year, we can expect good cotton crop and we shall be in a position to boost our exports.

So far the question of taking action against the defaulting mills is concerned, the fact remains that they have not given any occasion for any action being taken against them, only 112 looms were installed and they have been working quite staisfactorily. They have fulfilled their obligations. We have exported 54 crore yards of cloth during 1966. In view of this position we are of the view that penalty clause should be repealed. The law providing for punishment has become redundant.

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है: "कि सूती कपड़ा (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) अधिनियम 1957 के निरसन के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : इसके खंडों पर कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1-2, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 1-2, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"।

Shri Madhu Limaye (Monghyr). It is clear from the figures of exports that our exports are fast declining. The main reason for this decline is that Export Incentive Scheme has affected our exports adversely. The Textile Commissioner , Shri Duraiswamy, is inefficient and corrupt officer. I have made specific charges with substantial proof against him time and again. But the result is that that officer has simply been transferred. A criminal case has also been filed against him but Home Ministry is suppressing the same.The services of such a corrupt officer should have been dispensed with or atleast he should have been suspended pending enquiry into the charges levelled against him.

I am always of the view that we should increase our trade with East European countries but at the same time we should not overlook our national interest. There was a deal of Rs. 45 lakhs for export of cotton with Hungary and instead of earning profit we lost Rs. 6 lakhs in this deal. I hold State Trading Corporation responsible for this loss.

It is understood that our exports to West European countries are not increasing because the cloth that we export to East European Countries, is being sold by them to West European countries at higher rates. The Ministry is in receipt of several letters to this effect.

In case the Mills are not at fault then why our exports are declining ? So far as the question of competition is concerned, it has always been there. To day all the countries in the world always take care of their national interests in their trade relations. The Hon'ble Minister should therefore clarify this position.

श्री दामानी (शोलापुर) : यह ठीक है कि कपड़ा उद्योग संकट की स्थिति से गुजर रहा है परन्तु इसके बावजूद पिछले 10 वर्षों में कपड़ा उद्योग के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है और कपड़ा मिलों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।

श्री गु० सि० ढिल्लों पीठासीन हुए

SHRI G. S. DHILLON IN THE CHAIR

कुछ कठिनाइयों के कारण तथा हमारे उत्पादन की लागत में वृद्धि होने के कारण हमारे निर्यात में कमी हुई है। यह बात गलत है कि हम कुछ देशों को कम मूल्य पर और कुछ देशों को अधिक मूल्य पर कपड़ा निर्यात करते हैं। हमारे कपड़े के मूल्य सभी देशों के लिये समान हैं।

मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि देश में अभी कुछ ही स्वचालित करघे स्थापित हुए हैं। वस्तु स्थिति यह है कि जब स्वचालित करघे लगाये जाते हैं तो एक बुनकर 16 करघों की देख-भाल करता है जब कि साधारण करघों में उसे केवल दो करघों की देख भाल करनी होती है। इसलिये यह स्वाभाविक है कि कर्मचारियों की संख्या कम करनी पड़ेगी। परन्तु कुछ संघ स्वचालित करघों की स्थापना में बाधा डाल रहे हैं। यदि वे सहयोग करें तो बहुत से स्वचालित करघों की स्थापना हो सकती है और उत्पादन की लागत भी कम हो सकती है। सरकार ने 18,000 स्वचालित करघे स्थापित करने की व्यवस्था की थी। इस समय देश में दो लाख करघे हैं और 18,000 करघे उसके 10 प्रतिशत से भी कम हैं। यदि स्वचालित करघों की स्थापना हो जाये, उत्पादन की लागत में कमी के साथ-साथ कपड़े की किस्म में भी सुधार हो सकता है। इसके बिना हमारा देश अन्य देशों के साथ होड़ में खड़ा नहीं रह सकेगा। इसलिये उद्योग को या सरकार को दोषी ठहराना उचित नहीं है।

मैं यह मानता हूँ कि रुई की बहुत कमी है। उद्योग के विस्तार की अनुमति दी गई थी परन्तु उस अनुपात से रुई के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। देश में अच्छी किस्म की रुई का पर्याप्त उत्पादन न होने के कारण हमें अन्य देशों से काफी मात्रा में रुई का आयात करना पड़ता है, परन्तु इस वर्ष रुई की फसल अच्छी है और यदि स्वचालित करघों को स्थापित करने के बारे में श्रमिक सहयोग दें तो कपड़ा उद्योग की स्थिति बहुत अच्छी हो जायेगी।

श्री क० नारायण राव (बोंबिली) : मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने कपड़ा उद्योग के साथ समझौता कर लिया है, परन्तु यह समझौता किस प्रकार का है? क्या यह समझौता संविदा अधिनियम के अर्थ के अन्तर्गत है या किसी अन्य कानून के अर्थ के अन्तर्गत है?

श्री शफी कुरेशी : जहां तक कपड़े के निर्यात में कमी का सम्बन्ध है, इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण रुई के उत्पादन में कमी है। दूसरा कारण यह है कि देश की आन्तरिक खपत में वृद्धि हो गई है। दो वर्ष निरन्तर सूखा पड़ने के कारण कपास का उत्पादन कम हुआ है। यह ठीक है कि कपड़े के निर्यात में कमी हुई है।

यदि हमने विश्व में बदलते हुए फैशनों और नमूनों का ध्यान नहीं रखा तो निश्चय ही हम विश्व के बाजार में अन्य देशों की होड़ में ठहर नहीं सकेंगे। जापान की कपड़े के उत्पादन की लागत बहुत कम है। हम में कुछ कमियाँ हैं जिन्हें दूर करने के लिये हम प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे उद्योग के आधुनीकरण की आवश्यकता है। देश के 600 मिलों में से 25 या 30 प्रतिशत मिलों के पास 6 वर्ष पुरानी मिलें हैं। ये मिलें निर्यात के योग्य कपड़ा तैयार नहीं कर सकतीं। विदेशी बाजार में अच्छे प्रकार का कपड़ा और सस्ता मूल्य होना चाहिये। इन दोनों बातों के रहने से हम विश्व के बाजार में ठहर सकते हैं।

यह बात बिल्कुल गलत हैं कि हम पूर्व योरुपीय देशों को कम मूल्य पर कपड़ा बेचते हैं और अन्य देशों से ऊँचे मूल्यों की मांग करते हैं।

जहाँ तक भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न है, यह बात कई बार सभा में दोहराई गई है कि यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध विशिष्ट आरोप लगाये गये तो सरकार उसके विरुद्ध अवश्य कार्यवाही करेगी। यदि श्री मधु लिमये किसी अधिकारी के आरोपों को सिद्ध कर सकें तो मैं सभा को विश्वास दिलाता हूँ कि उस अधिकारी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों द्वारा तथा कुछ समाचार-पत्रों में ये आरोप लगाये हैं कि हम जो वस्तुएँ एक देश को बेचते हैं वे उन्हें किसी अन्य देश को बेच देते हैं। परन्तु पर्याप्त प्रमाण के बिना किसी देश के विरुद्ध इस प्रकार के आरोप लगाना अनुचित है। यदि किसी माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट जानकारी है तो उस सरकार के साथ इस सम्बन्ध में बातचीत का जा सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को पास कर दिया जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित कर दिया जाये।"

विधेयक पारित हुआ

The motion was adopted

शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन तथा शिक्षा पर संसद सदस्यों की समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : REPORT OF EDUCATION COMMISSION AND REPORT OF COMMITTEE OF MEMBERS OF PARLIAMENT ON EDUCATION

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा शिक्षा आयोग 1964-66 के प्रतिवेदन पर, जो 29 अगस्त, 1966 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा शिक्षा सम्बन्धी संसद् सदस्यों की समिति (1967)--शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति--के प्रतिवेदन पर, जो 25 जुलाई, 1967 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा शिक्षा आयोग 1964-66 के प्रतिवेदन पर, जो 29 अगस्त, 1966 को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

"कि यह सभा शिक्षा सम्बन्धी संसद् सदस्यों की समिति (1967)--शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति--के प्रतिवेदन पर, जो 25 जुलाई, 1967 को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

इस सम्बन्ध में दो संशोधन हैं :

श्री यशपाल सिंह (देहरादून) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूँ।

Dr. Govind Das (Jabalpur) : It is a very important Commission.In this regard I have to say that after independence a Commission was apointed under the leadership of former President, Dr. Radha Krishnan. It submitted its reports in 1949 and the Government accepted its recommendations. But even after such a long time its recommendations have not been implemented.

I am of the view that there was no necessity of the commission appointed by Shri Chagla. I think it was merely a wastage of money .

Fortunately, it was appointed under the leadership of Dr. Kothari. It is regrettable that the Commission had laid great stress on the importance of English in our educational system.

It has been recommended in that report that it was not possible to make Hindi as the medium of education in all the parts of the country. It has further recommended that the medium of education in All India Institutions should be English. Great stress should be given on teaching of English in schools.

Though the main aim is to make regional languages as the medium of education but it does not mean that English should be abolished.

It is difficult to understand as to why the Commission had pleaded so much not only for English but also for the Roman script, when a number of Indian languages were

already being written in Devnagri script. I am sorry that even Roman script has been admitted as the national script in our Constitution. Commission has also admitted that ultimately regional languages would become the media of instruction. Thus the Commission had to admit that harm is being done to the country by continuing English as the medium of education in our country. I am in favour of three languages formula.

It is said that we do not have requisite literature in our languages for the post-graduate studies. In fact we have a sufficient number of books on science and philosophical subjects. If we adopt Hindi and other Indian languages as media of instruction, the requisite literature will be produced in Indian languages. The scholars in different universities of the countries should be asked to write books. An agreement should be entered with them.

It has been said that there is no international scientific terminology. I had been in almost all the parts of the world. English terminology is used only in six countries. There is nothing like international terminology. It has passed 17 years since we started preparing terminology. But during those years progress has not been made such as it ought to be.

It has also been said that the standard of education is falling. The main reason for falling of the standard of education is this that English is the medium of our instruction. It will continue to fall till English remains the medium of Education.

There is disparity in the pay scales of teachers teaching English and those teaching English languages. This disparity should be removed.

The main reason for student unrest is lack of respect for the teachers. Formerly, the teachers sacrificed everything for the society and the students. The present position is this that the intelligent students do not like to adopt the educational profession due to low paid salary. Spiritualism should play an important role in our educational system. We want communal unity. Unless we build our character on spiritual basis there cannot be our welfare, the welfare of the country and the welfare of the world.

I welcome the Minister's announcement that Indian languages would be made the media of instruction in our educational institutions, Hindi Sahitya Sammelan has also accepted it. Inspite of this announcement the matter is still stand still.

I hope that no other Commission will be appointed in future and the recommendations of the Radha Krishnan Commission and the other Commissions and committees will be implemented.

श्री लोबो प्रभु (उद्वीपी) : मैं यह कहना चाहूँगा कि मेरा हिन्दी से कोई विद्वेष नहीं है। मैंने अपने जीवन के 20 वर्ष उत्तर प्रदेश और दिल्ली में व्यतीत किये हैं। मुझे इस भाषा की जानकारी है। मुझे हिन्दी के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु यदि देश के विभिन्न भागों के सम्बन्ध इसके परिणामस्वरूप बिगड़ते हैं तो मुझे आपत्ति है।

शिक्षा आयोग सम्मेलन में एकत्रित हुए विशेषज्ञो के लिये मेरे हृदय में मान है।

सर्वप्रथम मैं यह कहूँगा कि स्थिति के बारे में शिक्षा आयोग को अधिकांश जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। यदि शिक्षा आयोग को इस देश में शिक्षा प्रणाली के द्वितीय सर्वेक्षण का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ होता तो वह शिक्षा के ऊपरी ठांचे पर ही विचार न करता बल्कि वह शिक्षा के आधार पर भी विचार करता। अतः मेरा यह विचार है कि शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करते समय जिस सीमा तक तथ्यपूर्ण स्थिति का ध्यान नहीं रखा गया है वहीं तक उनके बहुत से निष्कर्षो को फिर से उठाया जा सकता है। शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में इतनी अधिक बातें कहीं गई हैं कि किसी भी शिक्षा प्रणाली के लिये उनके थोड़े

से निष्कर्षों पर विचार करना लगभग असम्भव है क्योंकि संसदीय समिति ने आयोग की अनेक सिफारिशों में से बहुत थोड़ी सिफारिशो को चुना है परन्तु इस प्रकार चुनी गई उन थोड़ी सी सिफारिशों में से भी कुछ सिफारिशो पर विचार करना उन्होंने भविष्य तिथि के लिये स्थगित कर दिया है ।

यद्यपि आयोग में बहुत से विशेषज्ञ हैं और उनके समक्ष बहुत साक्ष्य दिया गया है तथापि इनके निष्कर्षों में उनके क्रियान्वयन की सम्भाव्य प्रगति पर विचार नहीं किया गया है ।

दूसरे सर्वेक्षण से पता लगता है कि संवैधानिक उपबन्ध के बावजूद 6 से 10 वर्ष की आयु के 73.2 प्रतिशत लड़के और लड़कियों को हमारे स्कूलों में भर्ती किया गया है । इसलिये अन्य मामलों पर विचार करने से पहले इस कमी को दूर करना होगा । फिर 73.2 प्रतिशत के सर्वेक्षण के अनुसार केवल एक चौथाई ही शिक्षित बन सकते हैं । इसका अभिप्राय यह हुआ कि शिक्षा पर व्यय होने वाला हमारा 75 प्रतिशत खर्च व्यर्थ जाता है । इस खर्चे से बचने के बहुत से तरीके हैं । पारी प्रणाली चालू की जा सकती है जिससे कि यह आर्थिक दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हो सके ।

तीसरी भारी कमी ग्रामीण क्षेत्रों के सम्बन्ध में है । वहां पर 35·3 स्कूलो में केवल एक ही अध्यापक है । वहां पर विभिन्न प्रकार की कक्षाएं लगती हैं । जब हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिये पर्याप्त संख्या में अध्यायक उपलब्ध नहीं हैं तो क्या इस स्थिति में हम कुछ और बात भी सोच सकते हैं ।

प्राथमिक स्तर पर केवल 33·2 प्रतिशत अध्यापक ही प्रशिक्षित हैं ।

स्कूल की इमारतों की क्या स्थिति है ।

जब आप बच्चों के लिये इमारतों की समस्था की ओर ध्यान नहीं दे सकते तो क्या यह दूसरी आधुनिकतम चीजों की आप क्या व्यवस्था करेंगे ?

शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में हिन्दुओं के प्रति अन्याय किया गया है । अनुच्छेद 30 (1) के अधीन अल्पसंख्यक अपनी इच्छानुसार शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने और भाषाई मामले में अपने अधिकार के सम्बन्ध में सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त हैं । इसका अभिप्राय यह हुआ कि केवल हिन्दुओं को ही निम्न स्तर की शिक्षा पद्धति का शिकार बनाया जाता है ।

आयोग का प्रतिवेदन शिक्षा पर प्रहार है । यह शिक्षा के अतिरिक्त राष्ट्रीय एकता, जनतन्त्र, उत्पादकता और अन्य कई-कई वस्तुओ से संम्बन्धित है । शिक्षा के तीन प्रयोजन हैं पहला मानसिक अनुशासन, दूसरा ज्ञानोपार्जन, तीसरा नये विचारों के लिये भावना । इस प्रतिवेदन में इस प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है कि प्रस्तावित प्रणाली का शिक्षा की इन कसौदियो से कोई सम्बन्ध है ।

यह प्रतिवेदन जनमत के विरुद्ध है । सरकार किसी भी प्रकार के जनमत का सृजन कर सकती है । उपकुलपति केवल प्राधिकार की सम्पूर्ण प्रणाली का एक अंग है । सीनेट की मर्जी के बगैर कोई भी उपकुलपति वचन नहीं दे सकता, यदि वह ऐसा करता हैं तो

यह उसकी गलती है । वह जनमत का मत नहीं है । माता-पिता, विद्यार्थियों और अध्यापकों की राय जनमत का अंग है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक अमरीकी शिक्षाविद ने राय सम्बन्धी मतदान किया और इसे पता चला कि 86 प्रतिशत विद्यार्थी, 82 प्रतिशत अध्यापक और लगभग 79 प्रतिशत माता-पिता विश्वविद्यालय में अंग्रेजी माध्यम के समर्थक हैं । मेरा विचार है कि यदि उत्तर प्रदेश में, जो हिन्दी क्षेत्रों का केन्द्र है, राय सम्बन्धी मतदान किया जाये तो विद्यार्थी अंग्रेजी का समर्थन करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the chair

Shri Yashpal Singh (Dehradun): Even today the plans are approved in English. This blot could not be tolerated now.

I felt sorry for them who do not fight for their regional languages. Our national language is not only connected with our language only but it plays an important part in building up the nation.

It is our misforture that even after 20 years of independence English still dominates. This is the main cause of our backwardness. If you think that these languages will come slowly, do remember that in that case Hindi could never be our national language. If you have no language of your own, you cannot have any culture. Even those who have not studied English have manufactured sputnik. It is regrettable that even today the Judgements of Supreme Court have not been written in Hindi or other regional languages. No Bill has been introduced so far in Hindi or in other regional languages in the Lok Sabha. Mahatma Gandhi said that in case there was no Hindi we would lose our independence. To bring Hindi is our duty. It is also our duty to protect Hindi. It is never too late. I hope that it will be done during the reign of Shri Triguna Sen.

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन को देखने से पता चलता है कि हमारे देश की शिक्षा में शुष्कता आ गई है । इसमें नवीनता लाने की आवश्यकता है । शिक्षा मंत्रालय को एक ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहिये जिससे हममें साथ्मर्य की भावना, वास्तविक राष्ट्रीय मूल्यों की भावना और गर्व की भावना का निर्माण किया जा सके और यह प्राचीन देश जो किसी समय मानव समाज के शिक्षक के रूप में विख्यात था, पुनः विश्व का मार्गदर्शक बन सके ।

जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमें चाहिये कि हम अपने अन्दर अपने आदर्शों की महानता की भावना पैदा करें । शिक्षा मंत्रालय को देश के लिये प्राथमिकता शिक्षा की उचित प्रणाली निर्धारित करनी चाहिये जो राष्ट्रीय मूल्यों, राष्ट्रीय विचार धाराओं और राष्ट्रीय प्रगति के लक्ष्य पर आधारित हो ।

हमारे सामने एक बड़ी समस्या यह है कि कुशल और अनुभवी भारतीय लोग विदेशों में काम कर रहे हैं । हमें उन लोगों को देश में वापस बुला लेना चाहिये । हमारे देश ने संसार के सर्वश्रेष्ठ दिमागों को जन्म दिया है । यह वह देश है जिसने जगदीशचन्द्र, सर सी० वी० रमन, रामानुजम और नरलीकर को जन्म दिया है । वर्तमान मंत्री के पूर्वाधिकारी ने श्री नरलीकर को, जब वह भारत आये थे, तो उन्हें यहाँ बुलाने का अच्छा दिखावा किया था । परन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला । इससे हमारी विदेश नीति की घोर असफलता का पता चलता है ।

हमारे देश में अध्यापकों की क्या हालत है ? राजधानी के अन्दर अध्यापकों की क्या हालत है ? अध्यापकों ने हड़ताल का नोटिस दे रखा है परन्तु फिर भी वे इतने जिम्मेदार हैं कि रविवारों को भी विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं । मैंने इस मामले की जांच की है और देखा है कि दिल्ली के अध्यापकों की माँगें उचित हैं । उनकी मांगें पूरी की जानी चाहिये। माननीय मंत्री मातृभूमि से प्यार करने की बात कहते हैं । जब तक स्वराज्य का वातावरण पैदा नहीं किया जाता तब तक ऐसा कैसे हो सकता है ? आजकल हमारे देश में जो अनुसन्धान किया जाता है वह बहुत ही नौकरशाही के वातावरण में किया जाता है और यह एक उद्योग-सा दिखाई देता है।

आयोग के प्रतिवेदन में छात्र सेवा के प्रश्न का भी, अर्थात विद्यार्थियों के साथ ऐसे व्यवहार से भिन्न बर्ताव करने, जैसा कि कोई विदेशी समाज अपने अधीनस्थ औपनिवेशिक सेवा के साथ करता है, उल्लेख किया गया है । हम एक ऐसे दृष्टिकोण से सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं जो युवकों की आकांक्षाओं का प्रतीक हो ।

जहाँ तक हिन्दी भाषा के प्रश्न पर विचार करने का सम्बन्ध है भारत की एकता पर जोर देना आवश्यक है । हम चाहते हैं कि सारे देश भर में हिन्दी माध्यम के शिक्षा संस्थान हों किन्तु ऐसा करने से दूसरों की मानसिक शांति भंग नहीं होनी चाहिये । हम ऐसा इसलिये चाहते हैं कि ऐसा करना हम यथार्थ समझते हैं ।

नई विचारधाराओं को अपनाने में और हमेशा विदेशी विशेषज्ञों की राय पर निर्भर रहने में खतरा है । इस प्रतिवेदन के प्रति मेरी यही शिकायत है । प्रतिवेदन के प्रकरण दो में इस आशय की सिफारिशें की अनुभव से, उत्पादन कार्य में साझीदारी की भावना उत्पन्न होती है, पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है, परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से इसका क्या अर्थ है ? सोवियत स्कूल सुधार को जिस पर आयोग का अधिकांश कार्य आधारित है, सोवियत विशेषज्ञों द्वारा उन उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल समझा गया जिन्हें प्राप्त करने की आशा की गई थी ।

1958 के स्कूल सुधार कार्यक्रम को स्वयं रूस में ही एक महँगी असफलता समझा गया । यह कार्यक्रम फिर भारत में कैसे सफल हो सकता है । भारत उन समस्याओं से कैसे बच सकेगा जिनका कि रूसी शिक्षकों को भी सामना करना पड़ रहा है । रूस अपनी क्रान्ति के 50 वर्ष बाद भी अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सका है। जब हम आधुनिक बनने का प्रयत्न करते हैं तो हम इंगलैंड और अमरीका की उन चीजों को अपनाते हैं जो कि पुरानी होती जा रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

आंठवां प्रतिवेदन

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : Sir, I beg to present the 8th. Report of the Business Advisory Committee.

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 15 नवम्बर, 1967/24 कार्तिक, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on wednesday, November 15, 1967 *Kartik* 24, 1889 (*Saka*).

———

Printed by Job Printers, 119 Swami Vivekanand Marg, Alld.